①

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8) सप्तम् विधान सभा के अष्टम् सत्र का तेइसवां दिवस (संख्या 16

1] [2

बुधवार,
दिनांक 28 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री बंशीलाल पटवा ।

भीलवाड़ा में परिवहन निगम के कर्मचारियों को देय राशि

366. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बस केन्द्र, परिवहन निगम भीलवाड़ा का उद्घाटन करते समय तत्कालीन यातायात मंत्री ने बस केन्द्र कर्मचारियों को साढ़े सात हजार की राशि बतौर इनाम व बोनस के रूप में देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह राशि कर्मचारियों को दे दी गई है ? यदि नहीं, तो अब कब तक दे दी जायेगी ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां । इनाम देने की घोषणा की गई थी । इस संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है ।

(2) जी नहीं । शीघ्र ही बजट प्रावधान करते हुए संबंधित कर्मचारियों को इस राशि का वितरण कर दिया जायेगा ।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में तो हां भर ली । मेरा आप के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना है कि 3 दिसम्बर, 80 को भीलवाड़ा स्थित निगम के बस स्टेण्ड का उद्घाटन हुआ । तत्कालीन महा प्रबन्धक ने उद्घाटन के समय विवरण प्रस्तुत किया । उनकी अच्छी सेवायें, निष्ठा, कार्य, मुनाफे को देखकर तत्कालीन मंत्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर ने घोषणा की कि इनको बोनस के रूप में आधी राशि दे दी जायेगी । आपने इसको स्वीकार किया है । मेरा निवेदन है कि बजट में प्रावधान नहीं है लेकिन 1980 के बाद 1984 का साल चल रहा है इस बीच में क्या सरकार

(श्री बंशीलाल पटवा)

सोई हुयी थी जो इस तरह का बजट में प्रावधान नहीं किया गया और उनको भुगतान नहीं किया गया ? आज तक भी भुगतान नहीं होने से वहां के कर्मचारी डिस्करेज हो रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि अब कब तक उनको यह राशि दे दी जायेगी ? कोई एक निश्चित तारीख बता दे क्योंकि सरकार की तो भूलने की आदत है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इनाम की घोषणा की गई थी। बोनस का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सिद्धान्तों का सवाल है। जहां तक बजट में प्रावधान करने की बात है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताऊं कि एक माह के अन्दर इस इनाम का वितरण कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। सुश्री पुष्पा जैन।

वासमती चावल पर लेवी वसूली

367. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सन् 1981 82 तथा 83 में राजस्थान राज्य प्रोक्योर मेंट (लेवी) आर्डर के अन्तर्गत बासमती चावल की भी लेवी वसूल की गई ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में कहां कहां से कितना वासमती चावल लेवी के रूप में वसूल किया गया ?

(2) इस चावल (वासमती) की प्रोक्योरमेन्ट प्राइस किस किस दर से दी गई ? यह चावल किस किस दर पर बेचा गया ?

(3) बासमती चावल उत्पादन मूल्य किस किस वर्ष में कितना कितना आया ?

(4) क्या यह सही है कि सन् 1984 में बासमती चावल पर लेवी वसूल नहीं की जायेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) वर्ष 1981-82 में राजस्थान राज्य प्रोक्योरमेंन्ट (लेवी) आदेश, 1981 के तहत सभी जिन्सों के चावल, जिसमें बासमती चावल भी शामिल था, पर लेवी लगाई गई थी।

वर्ष 1982-83 में जो चावल लेवी आदेश जारी किये गये थे उसमें बासमती चावल को लेवी मुक्त नहीं रखा गया।

वर्ष 1983-84 में भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर आदेश दिनांक 6.12.83 के द्वारा बासमती चावल, जो कि सेन्टेड चावल के वर्ग में आता है, को लेवी मुक्त कर दिया गया।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा केवल कॉमन, फाइन, सुपर फाइन वर्गीकरण के अनुसार लेवी में प्राप्त होने वाला चावल का ही लेखा रखा गया है अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि वासमती

(श्री घासीराम यादव)

चावल वर्ष 81–82, 82–83 में कहां-कहां और कितना कितना लेवी में प्राप्त हुआ ।

(2) बासवती की प्रोक्योरमेंन्ट प्राइस अलग से कोई निर्धारित नहीं थी क्योंकि लेवी आदेश के अनुसार केवल कॉमन, फाइन एवं सुपर फाइन वर्ग के चावल की ही लेवी प्राइस निर्धारित की थी ।

चावल की विक्रय दरें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं और उक्त वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बासमती चावल का कोई आवंटन नहीं किये जाने के कारण बिक्रय दर का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) बासमती चावल राज्य के कुछ विशेष क्षेत्रों में केवल सीमित स्तर पर ही बोया जाता है.। कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे जिन्स उत्पादन व्यय अध्ययन सर्वे हेतु चयनित जिलों एवं तहसीलों के प्रति वर्ष सेम्पल में बासमती चावल का क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। अतः इसके उत्पादन मूल्य का अनुमान कृषि विभाव द्वारा नहीं किया जा रहा है ।

(4) जी हां । बासमती चावल सेन्टेड वर्ग में आता है, उसका भाव अन्य किस्म के चावल से अधिक रहता है। राज्य सरकार ने राजस्थान चावल (लेवी) प्रोक्योरमेन्ट आदेश, 1983 के अन्तर्गत केवल कामन, फाइन एवं सुपर फाइन किस्म के चावल पर ही लेवी लगाई है जिसमें बासमती चावल शामिल नहीं है ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भारत सरकार की नीति के अनुसार सेन्टेड राइस पर लेवी नहीं लग सकती ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि 1981–82 में राजस्थान राइस प्रोक्योरमेन्ट आदेश को जारी करने से पहले आपने सेंट्रल गवर्नमेन्ट की अनुमति ली थी या नहीं ? इसका जवाब दे दें।

श्री घासीराम यादव : यह बात सही है कि सेन्टेड चावल पर लेवी लगाने का राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है लेकिन उसकी कीमत ज्यादा देनी पड़ती है बासमती चावल सेन्टेड चावल में आता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : यह सही है कि भारत सरकार की नीति के अनुसार सेन्टेड राइस पर लेवी नहीं लगती ?

श्री घासीराम यादव : हां यह सही है। नहीं लगाने का तो अधिकार है लेकिन लगाते हैं तो 4 रुपया या 6 रुपया ज्यादा में ले सकते हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अनुमति लेना जरूरी है या नहीं ?

श्री घासीराम यादव : अनुमति लेना जरूरी नहीं है। सर्क्यूलर गाइडंस है जिसके अनुसार लेवी लगा सकते हैं लेकिन कीमत 6 रु० ज्यादा देनी होगी। एक बार गलती से उसकी कीमत लिख दी थी लेकिन वह वसूल नहीं की गयी क्योंकि एफ. सी. आई. को इसकी सूचना आती है कि

(श्री घासीराम यादव)

यह सेन्टेड है इसलिये उसने लेवी वसूल नहीं की ।

सुश्री पुष्पा जैन : 1981–1982, 1983 में लेवी लगा दी फिर 1983–84 में इसको क्यों हटाया गया ?

श्री घासीराम यादव : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि अधिकार है सारे भारतवर्ष में सभी राज्य सरकारों को कि वह कामन, फाइन एवं सुपर फाइन वर्ग के चावलों की ही लेवी प्राइस निर्धारित कर सकती हैं। अलग अलग चावल की अलग अलग प्राइस होती है। लेकिन राजस्थान में बासमती चावल सेन्टेड चावल में आता है। हमने इस पर लेवी नहीं लगायी थी और लगानी भी नहीं चाहिए थी। जो प्राइस लिस्ट थी उसमें गलती से लिखा है, एक ही जगह उसका नाम आ गया, गलती से आ गया। एफ.सी.आई को भी पता था कि यह सेन्टेड ग्रुप का है। ऐसा कोई आर्डर नहीं निकला है, यह तो कीमत के साथ जुड़ गया था। वह बाद में साफ हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि 1982–83 में प्रोक्योरमेन्ट आर्डर निकला उसके बाद आपने यह निर्णय लिया कि बासमती चावल सेन्टेड ग्रुप में आता है इसलिये इस पर लेवी वसूल नहीं किये जाने का आपने निर्णय लिया ?

श्री घासीराम यादव : ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने जो कीमत निकाली उसमें सबके नाम के साथ यह आ गया। बाद में 15–20 दिन में पता लगा तो इसको रिवाइज कर दिया। गलती से इसका नाम आ गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि 1981 और 1982 में जो राइस प्रोक्योरमेंट लेवी आर्डर निकला उसमें सरकार की मंशा बासमती चावल पर लेवी लेने की नहीं थी ?

श्री घासीराम यादव : यह ठीक है। इसलिये कीमत तय नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो कर दी आपने।

श्री घासीराम यादव : गलती से नाम आ गया। कहीं भी राजस्थान में वसूली नहीं हुयी। एफ. सी. आई. ने भी नहीं की।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि 1981 में जो गलती की उसको 1982 में दोहराया गया और 1983 में यह गलती की पहले और फिर उसको दुरुस्त किया गया ?

श्री घासीराम यादव : उसको निकाल दिया। सबने धन्यवाद दिया है आपको भी देनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यही है कि 1982 का और 1981 का जो चावल (लेवी) प्रोक्योरमेंट आर्डर निकाला उसमें बासमती चावल, जो कि सेन्टेड चावल है, को भी शामिल कर दिया ?

श्री घासीराम यादव : यह सही नहीं है कि 1982 में हमने चावल की जो ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि जिस समय 1981 में आर्डर निकाला क्या उस समय राइस मिल्स एसोशियेशन ने आपसे इस बात की कोई मांग की थी कि भारत सरकार की नीति के विरुद्ध आप बासमती चावल की लेवी वसूल कर रहे हैं ? 1981 में रिप्रेजेंटेशन किया और फिर दो वर्ष बाद दुरुस्त किया ?

श्री घासीराम यादव : यह तो ठीक है कि आर्डर दिया है लेकिन उसी के आधार पर हमने सारे नियम पढ़ करके यह फैसला कर दिया कि 82 में भी ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न यह है कि भूल के कारण लेवी में किस तरह से अव्यवस्था हुई ? क्या बासमती चावल की लेवी वसूल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी मंशा है ? भारत सरकार का जो निर्णय है उसके आधार पर आप बासमती चावल पर लेवी वसूल नहीं कर सकते ? कितने वर्षों तक इस भूल को निकाला नहीं गया और....

श्री घासीराम यादव : मैं बार-बार कहता हूं, नेता महोदय, यह उनका प्रथम कर्तव्य है कि कोई भ्रष्टाचार हो तो वे सामने लायें।

सुश्री पुष्पा जैन : इसके माने क्या हुए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी स्तर पर गड़बड़ है। माननीय मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं।

श्री घासीराम यादव : आप लिखकर दीजिये मैं इस्तीफा देता हूं इसी वक्त।

सुश्री पुष्पा जैन : इस्तीफा क्या ? अध्यक्ष महोदय ...

श्री घासीराम यादव : मैंने काम अच्छा किया। मैं कहता हूं कि आपको धन्यवाद देना चाहिये कि मैंने उनको साफ किया। दो महीने वहां लगे और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार ने गलती की। सुनिये जरा। 1981 में गलती की 1982 में गलती की। दो वर्ष की गलती के लिये राइस मिल्स एसोशियेशन ने कहा कि आपने गलत ढंग से लेवी लगायी है। बाद में आर्डर हुआ कि लेवी नहीं लगेगी बासमती चावल पर। इस संबंध में मैंने एक सवाल पूछा था, अध्यक्ष महोदय, क्या इन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट देकर यह स्वीकार किया है कि मेरे पास फाइलें नहीं आतीं और आफिसर्स डील करते हैं ? टाइम्स आफ इंडिया में इनका वक्तव्य प्रकाशित हुआ। आपने इसी सदन में कहा कि चावल (लेवी) प्रोक्योरमेंट का जो आर्डर दिया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं मिली और आफिसर्स ने कर दिये। जिस समय लेवी के मामले में इसी सदन में चर्चा हुई, जो एक्जेम्पशन सर्टिफिकेट दिया, उसमें आपने इस बात को स्वीकार किया है कि आफिसर्स ने अपनी मर्जी से कर दिया और आपको जानकारी नहीं हुई। कहीं न कहीं, किसी न किसी स्तर

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

पर गड़बड़ हुई है। मैं इसको प्रमाणित करने के लिये तैयार हूं।

श्री घासीराम यादव : आपने मेरा नाम लगाया। आपने मेरी बात कही। मैं सुनता रहा। आप उसको कांट्रडिक्ट कीजिये। उन्होंने मेरा नाम ले लिया था। मैंने एक आफिसर को आॅथोराइज किया था। उन्होंने लिख दिया. माननीय नेता महोदय को। वे सुनते रहे और यह कहा कि चार्ज साबित हो गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने खुद कहा कि नीचे के स्तर पर गड़बड़ हुई।

श्री घासीराम यादव : मेरा नाम आया ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने चावल पर लेवी लगायी थी। आपका नाम किस लिये आया ? किसके मामले में ? सात फाइलें चीफ मिनिस्टर महोदय के पास पहुंची। आरोप साबित होने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, दबा रखा है।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने बासमती फाइल में जो एक्जेम्पशन दिया उसमें आपने कोई नाम नहीं लिया। पहले कमिश्नर थे वह गड़बड़....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने आपके ऊपर उस समय आरोप लगाया। मैं अब कह रहा हूं कि नीचे के स्तर पर या किसी स्तर पर गड़बड़ हुई है तो इससे आप चिढ़ रहे हैं।

श्री घासीराम यादव : आपने यह बात कैसे कही ?

सुश्री पुष्पा जैन : You are responsible.

श्री घासीराम यादव : आप इस तरह से चार्जेज नहीं लगा सकते।

श्री भैरोंसिह शेखावत . दो वर्ष में रिप्रेजेंटेशन हुआ। आप सुनें भी नहीं और अचानक फैसला हो जाय कि हमने इसे रोका।

श्री घासीराम यादव : यह गलत है कि 81 से फाइल मेरे पास पड़ी थी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इनके पास फाइल भी पहुंचती है ?

श्री घासीराम यादव : फाइल डिप्टी कमिश्नर को देते हैं, वे कमिश्नर को देते हैं। तीन महीने में फैसला हुआ, 1981 में नहीं हुआ। आप देख लें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : फिर यह हुआ कि आपने आदेश निकाल दिया ? आर्डर निकाल दिया कि मैंने स्वीकार कर लिया। दो रिप्रेजेंटेशन में उनकी सुनवाई नहीं हुई। 1983 का आर्डर बिल्कुल दुरुस्त निकल जाय। 1982 के अन्दर आपने राइस मिलों को नोटिस दिया है। मैं यही कह रहा हूं कि नीचे के स्तर पर कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है।

श्री घासीराम यादव : आपने यह कहा था कि इसको साफ कर दिया। भ्रष्टाचार आप नीचे के स्तर पर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इसी सदन में कहा कि मेरे पास फाइल नहीं है।

श्री घासीराम यादव : मैं आपको दस फाइलें बताऊं जिन पर मैंने फैसले दिये हैं। उन्होंने जब लेवी लगा दी तो मैंने कहा कि यह गलत है। मैंने उनको साफ किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मिनिस्टर के बिना पूछे लगा दिया ? मैं, अध्यक्ष महोदय, इसी संबंध में कह रहा हूं कि किसी स्तर पर गड़बड़ हुई है। यह क्या बात हुई कि आफिसर्स एक आर्डर निकाल दें और मिनिस्टर दूसरा आदेश निकाल दें।

श्री घासीराम यादव : उसमें कोई गलती नहीं थी। उससे ज्यादा लम्बे-लम्बे चावल, जो सेंटेड भी थे, बिक रहे थे इसलिये उन्होंने लेवी लगा दी। मैंने कहा कि लेवी उसी पर लगनी चाहिये जो बासमती के नाम से जाना जाता है। चाहे पाकिस्तानी हो कुछ भी हो। बासमती चावल है तभी लेवी लगनी चाहिये या नहीं, यह फैसला करना चाहिये। उन्होंने ही फैसला क्या....

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : कोटा और बूंदी के किसानों पर बासमती चावल पर लेवी लगा दी और अब कह रहे हैं कि साफ कर दिया। उनको फिर लौटाकर देंगे जब....

श्री घासीराम यादव : ये ××× है।

श्री हीरालाल आर्य : आप कहते हैं कि सौदेबाजी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसान घूमते रहे और आपके....

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो वर्ष बाद उसको ठीक करो तो कोई अच्छा काम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैंने माननीय सदस्यों को इजाजत दी है। कृपया बैठ जायं। अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : + + +

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि बासमती चावल पर कोई लेवी वसूल नहीं की गयी, जब कि सवाल में मैंने पूछा है कि किस किस वर्ष में कहां कहां से कितना कितना बासमती चावल लेवी के रूप में वसूल किया गया ? इन्होंने जवाब भेजा है, भारतीय

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 8

(8)

(सुश्री पुष्पा जैन)

खाद्य निगम द्वारा कामन, फाइन, सुपर फाइन वर्गीकरण के अनुसार ही लेवी में प्राप्त होने वाले चावल का लेखा जोखा रखा गया है, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि बासमती चावल 1982–82, 1982–83 में कहां कहां और कितना लेवी के रूप में प्राप्त हुआ।

अध्यक्ष महोदय, यदि लेवी वसूल ही नहीं की गयी तो जवाब में यह क्यों लिखा, यह बताना मुश्किल है कि कहां कहां कितना कितना प्राप्त हुआ? इस सवाल के जवाब में यही लिखना चाहिए था कि बासमती चावल की लेवी वसूल नहीं की गयी। एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि लेवी वसूल नहीं की गयी और दूसरी तरफ यह कहा गया कि इसका लेखा जोखा रखा नहीं गया। इसका मतलब साफ है कि वसूली तो की गयी लेकिन....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। आप बैठिये।

श्री घासीराम यादव : फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने चावल के तीन वर्गीकरण कर रखे हैं—फाइन, सुपर फाइन और कामन

(व्यवधान)

फाइन चावल राइज करके वह सुपर फाइन में आ गया। वसूली नहीं की गयी। बल्कि गलती से आ गया लेकिन वसूली नहीं हुई बासमती चावल की।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय मंत्री जी ने यहां यह कहा है कि 1982–83 में बासमती चावल के ऊपर लेवी वसूल नहीं की गयी। जब कि आपने अपने जवाब में यह कहा है कि वर्ष 1982–83 में जो चावल लेवी के आदेश जारी किये गये थे उसमें बासमती चावल को लेवी मुक्त नहीं रखा गया।

श्री घासीराम यादव : हटाया नहीं, पहले था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वही तो मैं कह रहा हूं कि 1981 में जो आदेश था वह इसका बेसिस था।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय, यदि कोई साधारण व्यापारी ऐसा कर देंगे तो क्या आपकी सरकार माफ कर देगी उनको?

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। अब मैं इजाजत नहीं दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायं।

वैद्य भैरूंलाल भारद्वाज।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

जमवारामगढ़ बांध स्थित रेस्ट हाउस

368. **श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने जमवारामगढ़ बांध स्थित जलदाय विभाग के रेस्ट हाउस के नीचे की मंजिल पर अपना कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो कब से एवं क्यों ?

(2) क्या इस भवन को पर्यटन विभाग से खाली कराने के सन्दर्भ में स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच व पंचायत समिति के प्रधान सहित क्षेत्र के अनेक सरपंचों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष को दिया गया था ? यदि हां, तो कब और इतने लम्बे समय बाद आज तक उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? क्या पर्यटन विभाग इसे खाली कराने का इरादा रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री बुलाकी दास कल्ला) (1) जी नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा हेतु रेस्ट हाउस के नीचे की मंजिल में दो कमरे तथा बरामदा निगम को दिये गये थे ।

(2) जी हां, इस संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ था । रेस्ट हाउस से कैफेटेरिया एवं बोट क्लब कार्यालय अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु सिंचाई विभाग एवं निगम के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है । सिंचाई विभाग द्वारा अन्यत्र उपयुक्त स्थान अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है । जब भी उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा निगम के लिए वर्तमान स्थान को खाली कराना सम्भव होगा ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी से मैं यह पूछता हूँ कि क्या यह पर्यटन निगम ने बनाया है ? बनाया हुआ है सिंचाई विभाग का, जो आज जलदाय विभाग के कब्जे में है । रियासती काल से बना हुआ है । इस गेस्ट हाउस में रियासती जमाने में 4 कमरे अधिकृत लोगों के ठहरने की सुविधा के लिए बनाये गये थे । उस पर पर्यटन निगम ने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया । इनको एशियाड के टाइम पर टैम्प्रेरिली दिया गया था, और आज दो साल तक कब्जा जमाये बैठे हैं । होना तो यह चाहिए था, पर्यटन ग्राम के अतिरिक्त भी रियासती काल जैसी सुविधा के लिए कुछ करें, जो इनका खुद का है, वहां तो 60 रुपए की व्यवस्था कर रखी है, जिससे कोई साधारण आदमी वहां ठहर नहीं सके । और कोई भी जन प्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी, जो अधिकृत हैं, उनके ठहरने की सुविधायें, जो रियासती काल से चली आ रही थीं, छीन लीं । आप कहते हो, सिंचाई विभाग जब मुहैया करायेगा । सिंचाई विभाग की कोई जिम्मेदारी है पर्यटन निगम को चलाने की ? आप कब खाली कर रहे हो ? जन सुविधाओं को हड़प लिया । दूसरे इसका कितना पैसा दिया किराये का ? उस से जनता के खजाने में कितना नुकसान हुआ ? जरा यह बताने की कृपा करें ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 15 जून, 1979 को राजस्थान पर्यटन निगम के बोर्ड की बैठक हुई उसमें राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और राज्य सरकार के अनुमोदन के माध्यम से नीचे के कमरे और आगे का खुला बरामदा पर्यटन विभाग को दिया गया है। यहीं वह कैफेटेरिया और बोट क्लब चल रहा है, एक कमरे के पास में सार्वजनिक सुविधा की व्यवस्था है जो कि आम नागरिकों को काफी दिनों से राहत पहुँचाने का काम कर रहा है। जहां तक विधायक जी ने यह प्रश्न किया कि जो कमरे हैं उनका उपयोग जन हित में होना चाहिए, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि ऊपर के दो कमरे ही खाली पड़े रहते हैं। यह बात इस से संबंधित भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत विधायक महोदय को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि अति शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे और उसको खाली कर देंगे।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : यह तो जवाब दीजिए कि सार्वजनिक सुविधायें थीं, उस पर कब्जा किया, कौन सी फ्री सेवा करते हो? थोड़ा बहुत वसूल करते हो। इसके किराये का पूरा पैसा ही जमा नहीं हो पाता है। जो आप बोट क्लब वगैरह चलाते हो, उससे वसूला पैसा अधिकारी और संचालक लोग मिलकर खा जाते है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : इनका खुद का होटल है, इनके चक्कर में मत पड़ना। इसीलिए यह बोल रहे हैं।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : एक तरफ तो यह कहते हैं कि जल्दी खाली कर देंगे और यह भी कहते हैं कि सिंचाई विभाग जब सुविधा देगा तब करेंगे खाली, तो क्या सिंचाई विभाग ने, जलदाय विभाग ने ठेका ले रखा है इसका ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सरकार ने, जलदाय विभाग ने कोई किराया तय नहीं कर रखा है; मांग कर लिया हुआ है उनने। इसलिए किराया नहीं है। जहां तक वैद्य जी ने कहा कि हमारे वहां मुनाफा नहीं चल रहा है। तो कोई भी नुकसान नहीं है। इस से ज्यादा और क्या आश्वासन दूं कि बहुत शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था कर खाली कर देंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि क्या एशियाड के समय में भारद्वाज होटल को वित्त निगम की ओर से ऋण दिया गया? आपने इस बात का कतई ख्याल नहीं रखा कि भारद्वाज होटल चल सके, उसका ऋण टाइम पर चुकाया जा सके। इसके बजाय आपने वहां पर अपना कैफेटेरिया खोल दिया जिस से भारद्वाज होटल को घाटे में जाना पड़ा।

(व्यवधान)

श्री भैरू लाल भारद्वाज : ऐसे आदमी को शब्द × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : शब्द को कार्यवाही से निकाला जाय।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कोई पैसा भारद्वाज होटल के लिए किसी से लिया नहीं गया है। यह है××

श्री अध्यक्ष : शब्द को कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह असत्य कथन का प्रमाण है। उल्टे, वहां के विधायक हैं, होना तो यह चाहिए था कि वहां की सार्वजनिक सुविधाओं का ख्याल रखती, जो निगम ने कब्जा कर रखा है। विधायक महोदया आराम से कमरों में जाकर आ जाती हैं, बैठी बैठी देखती रहती हैं····

(व्यवधान)

यह चार्ज लगाया कि भारद्वाज होटल के लिए पैसा लिया। यह अगर सही हो तो आप कहें जो सजा भुगतने को तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : पंचायत की अनुमति के बाहर जाकर भारद्वाज होटल की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री भैरूलाल भारद्वाज : असत्य भाषण करती हैं, बोलती हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन के निर्देशों का पालन किया जाय····

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मना कर दो, आपके लड़के का होटल है नहीं ?

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): अनधिकृत कब्जा बनाकर ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपका होटल वहां पर चल रहा है····

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज :×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आई. टी. डी. सी. से ख्वार्ल कराना चाहते हैं और दूसरी तरफ बिना परमिशन के, बिना इजाजत के अपना होटल चला रहे हैं।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : होटल को बन्द नहीं कराना चाहता टूरिस्ट ग्राम में जो सुविधा सार्वजनिक लोगों को, जन प्रतिनिधियों को गेस्ट हाउस में मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

पर्सनल इन्ट्रेस्ट का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। बैठ जायं। आर्डर, आर्डर।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता है।

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, नियमों में यह प्रावधान है कि पर्सनल इन्ट्रेस्ट का कोई प्रश्न हो, तो वह सदन में नहीं पूछा जा सकता है। आई. टी. डी.सी. के होटल के सामने माननीय सदस्य का और इनके लड़के का होटल चल रहा है इसलिये प्रश्न के द्वारा मन्त्री महोदय पर नाजायज दबाव डालना चाहते हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कोई नाजायज दबाव नहीं डालना चाहता। आपने प्रश्न पढ़ा ही नहीं। मैं तो यह चाहता हूं कि जन सुविधा का मामला है उस पर नाजायज कब्जा जो कर रखा है उसको हटाया जाय।

श्री यदुनाथ सिंह : नाजायज तो आपका है। आई. टी. डी. सी. ने तो पी. एच. ई. डी. से इजाजत लेकर बना रखा है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो होटल इनका चल रहा है उसको हानि नहीं हो इसलिए उसको हटाया जाय, यह चाहते है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप तो वहां से विधायिका हैं, आपको चाहिये था कि जो आई. टी. डी. सी. ने नाजायज कब्जा कर रखा है उसको वहां से हटवातीं। आपको भी वहां पर जगह नहीं मिलती इधर-उधर घूमकर आ जाती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

जिला गंगानगर के विभिन्न कस्बों की मंडी विकास समितियों की भूमि को नगरपालिकाओं को देना

369. **श्री पीरूराम** (टी बी.) क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार हनुमानगढ़, नोहर,

(श्री पीरूराम)

रावतसर, भादरा, पीलीबंगा, सूरतगढ़, सांगरिया, सादुलशहर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, लूणकरणसर आदि कस्बों में मण्डी विकास समिति के पास जो भूमि है उसे नगरपालिकाओं को देने के लिये विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा ?

(2) क्या जो जमीन नगरपालिका को मण्डी विकास समिति द्वारा दी जावेगी वह कीमतन दी जावेगी ? यदि हां, तो किस दर से ? नहीं, तो क्यों ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी नहीं।

(2) जब कभी भूमि नगरपालिका को दी जावेगी वह पूंजीगत मूल्य पर दी जावेगी।

श्री पीरू राम : अध्यक्ष महोदय, मण्डी विकास समिति, बीकानेर डिवीजन में 22 मण्डियां हैं जिनमें 5 मण्डियां भाखरा क्षेत्र की है और 4 मण्डियां राजस्थान कैनाल क्षेत्र की। 13 बीकानेर में हैं। इन मण्डियों के अन्दर जब से मण्डी विकास निगम बना है तब से लेकर आज तक कोई प्रगति नहीं है। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीबों को भू-खण्ड देने का प्रश्न है, नगरपालिकाओं के अन्दर जमीन नहीं होने की वजह से उसमें काफी रुकावटें आ रही हैं, बात-चीत भी हुई है कि नगरपालिकाओं को मण्डियों की जितनी जमीन खाली है वह दे दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि कम से कम 5 हजार भू-खण्डों पर नाजायज कब्जा लोगों ने कर रखा है और मण्डी विभाग के पास कोई रास्ता नहीं है कि नाजायज कब्जों को वह रोक सके, तोड़ सके। क्योंकि इनका वहां पर एक-एक पटवारी रहता है, उनके पास कोई चारा नहीं होता है कि वह पब्लिक को रोक दें। नगरपालिकाओं के पास जमीन नहीं होने से गरीबों को भूखण्ड नहीं मिलते हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल यह है आक्शन करने का, अलाटमेन्ट करने का काम 3 साल से रुका हुआ है। मण्डी सैक्रेटरी के पास कोई पावर नहीं है इसलिये मन्त्री महोदय कृपया यह भी बतायें कि मण्डी सैक्रेटरी को क्या-क्या पावर्स हैं ? आक्शन के लिये जो 25 पर्सेन्ट जमा कराते हैं यह वापस करने के लिये निगम के पास जो फाइलें चली जाती हैं तो पता नहीं पड़ता उनका क्या होता है ? कृपया यह भी बतायें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के दूसरे भाग में यह कहा है कि जब कभी भूमि नगर पालिका को दी जावेगी वह पूंजीगत मूल्य पर दी जावेगी। इसका मतलब यह है कि नगरपालिकाओं की कोई योजना हो, गरीबों को छप्पर देने की, प्लाट देने के बारे में या कोई हास्पिटल बनाने के लिये या हाउसिंग कालोनी के लिये हमको कोई योजना मिलेगी, हम उस पर विचार करेंगे। इस सम्बन्ध में दिनांक 18 नवम्बर, 1983 को आदेश निकाला हुआ है कि मण्डी की जमीन के बारे में

(श्री चन्दनमल बैद)

किसी नगर पालिका को, यू. आई. टी. को योजना हमको मिलेगी तो कमाण्ड एरिया में वह भूमि पूंजीगत मूल्य पर दी जायेगी।

मण्डियों के पास एक-एक पटवारी है, वह कब्जा नहीं हटा सकता, तोड़ नहीं सकता, यह सही बात नहीं है। मण्डी कमेटियों के पास उड़न दस्ता है, सब इन्सपेक्टर है, तहसीलदार है और दूसरे अधिकारी हैं, नाजायज कब्जा हटाया जाता है और कब्जे हटाये भी गये हैं। कब्जा नहीं हटाते, यह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मण्डी समितियों की जो जमीन है वह बिना किसी मतलब के, बिना किसी प्रोग्राम के, बिना किसी योजना के माध्यम से नहीं दी जा सकती है। नगर पालिकाओं के पास कोई योजना हो और वह पेश करें तो हम उनको जमीन देने के लिये तैयार हैं और वह भी पूंजीगत मूल्य पर। बिना योजना के नहीं देना चाहते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : किस किस कमेटी ने योजना भेजी ?

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि निगम बना रखा है, जो 22 कमेटियों को कन्ट्रोल करता है, उसके अन्दर कोई भी काम निगम की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूं कि नोहर स्टेडियम मन्जूर हुआ, जिन गरीब लोगों के प्लाट स्टेडियम के नीचे आ गये उनको आज तक एक्सचेंज में प्लाट नहीं मिले। मैंने दरख्वास्तें मंत्री जी को भी दीं और मण्डी सैक्रेटरी को लोगों ने शिकायतें भी कीं, ऊपर भी गये। आप यह बतायें कि प्लाट अब तक क्यों नहीं दे पाये हैं ? बोर्ड की मीटिंग हुए 4 साल हो गये अब बोर्ड की मीटिंग 22-3-84 को हुई है उसमें फैसला नहीं हुआ, यह मन्त्री जी बतायें। मन्त्री जी उनको हिदायत दें। पब्लिक की शिकायतों को देखते हुए निगम को हटाकर बोर्ड बना दिया जाय और नोमिनेटेड कोई पब्लिक मैन को बैठा दिया जाय ताकि पब्लिक का भला कर सके।

अब रहा सवाल आपके उड़न दस्ते का, आपने यह बताया कि प्लाट कई जगह तोड़े गये हैं, मण्डियों में प्लाट तोड़े गये। आपका उड़न दस्ता है, थानेदार है, हवलदार है रावतसर, नोहर, भादरा और भी कई मण्डियां हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीबों के जो प्लाट हैं उनको आप रेगुलेराइज करो। वह लोग मजबूरी से कब्जा करते हैं और आप उनको तुड़वाते हो फ्लाइंग स्क्वेड भेज कर, यह अच्छी बात नहीं है। यह गरीबों के हितों पर कुठाराघात है। मैं, अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि मण्डी की जमीन में जो खाली जमीन पड़ी है वह नगरपालिकाओं को दें और जिस पर कब्जा हो गया है उनको आप रेगुलेराइज कर दें।

श्री आत्माराम चौधरी (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाखरा की समिति बने बीस साल हो गये, कब तक

(श्री आत्माराम चौधरी)

उसका विकास किया जायगा ? अभी तक कोई विकास नहीं किया गया। मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कब तक इनको रेयुलेराइज कर दिया जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वह किस मतलब से पूछा है यह मैं समझ नहीं पाया हूं। एक तरफ तो नाजायज कब्जे की बात करते हैं, उनको हटाया नहीं जावे तो कहते हैं कि उनको हटा नहीं पा रहे हैं, दूसरी ओर उनको रेगुलेराइज करने की बात करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर मन्त्रिमण्डल में बहुत विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है और यह फैसला किया गया है कि नगरपालिकाओं के पास जो कालोनी की जमीन है वह उनको दे दी जाय और मंडियों को भी योजना के अनुसार जमीन दे दी जाय।

(व्यवधान)

श्री पोरू राम : अध्यक्ष महोदय, कई साल हो गये उनका कब्जा है, 6–6 साल हो गये, सरकार अगर गरीबों को प्लाट नहीं दे सकती तो वह क्या करेंगे ? निगम जो बना हुआ है वह टाइम पर फैसला नहीं करता इसलिए मेरा निवेदन है कि बोर्ड बनाकर गरीबों को भूखण्ड देने चाहिये। इस मंडी एरिया में सारा खर्चा नगरपालिका करती है, बिजली लगवाती हैं, सड़कें बनवाती हैं, नालियां बनवाती हैं, सारा काम करती हैं फिर मेरी समझ में नहीं आता कि मण्डी समिति उनमें क्या खर्चा करती है। यदि नगरपालिका को खाली जमीन अलाट करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इस प्रश्न को अन्य तरीके से उठावें।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इसकी डिमाण्ड डिस्कस होगी उस समय इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है।

इस प्रश्न के माध्यम से सारी बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल।

श्रम विभाग की पांच सामान्य प्रवृत्तियां एवं दायित्व

370. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रम विभाग की पांच सामान्य प्रवृतियों एवं दायित्वों में औद्योगिक सम्बन्ध, श्रम कानून की परिपालना, श्रम कल्याण, औद्योगिक आवास एवं श्रम सांख्यिकी है ?

(2) यदि हां, तो इन प्रवृतियों के अन्तर्गत अजमेर नगर की बीड़ी बनाने वाले स्थाई, अस्थाई वर्कचार्ज मजदूरों एवं होम वर्कर्स के बारे में वर्ष 1983–84 में किस किस रूप में क्या क्या कार्यवाही की गई ? कृपया प्रत्येक के बारे में संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्रम मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां।

(2) प्रवृत्तियों के अनुसार उत्तर निम्न प्रकार से है :-

प्रवृत्ति संख्या 1-औद्योगिक सम्बन्ध

वर्ष 1983-84 में अजमेर नगर में बीड़ी संस्थानों में कार्यरत स्थाई इन्डोर वर्कर्स (अस्थाई) होम सरवर्स) श्रमिकों एवं मालिकों के बीच औद्योगिक सम्बन्ध सामान्य रहे और किसी प्रकार की हड़ताल ताला-बन्दी नहीं रही है।

प्रवृत्ति संख्या 2-श्रम कानूनों की परिपालना—

बीड़ी संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम कानूनों की परिपालना के लिये श्रम निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किये जाते हैं तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर नियोजकों के विरुद्ध अधि-नियम के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1983-84 की अवधि में अजमेर नगर में स्थित सभी 12 बीड़ी संस्थानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से दो संस्थानों के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश कर दिये गये हैं जो विचाराधीन हैं तथा चार संस्थानों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रवृत्ति संख्या 3-श्रम कल्याण एवं आवासन—

श्रम कल्याण की प्रवृत्ति के तहत बीड़ी संस्थानों के परिसर में कार्यरत श्रमिकों के लिए मूत्रालय, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, हवा एवं रोशनी की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था आदि की व्यवस्था कराई जाती है। इसके अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों के लिये अजमेर नगर में केन्द्रीय कल्याण कोष की ओर से एक डिस्पेंसरी खुली हुई है जहां बीड़ी श्रमिकों के लिये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही बीड़ी श्रमिकों के अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति दिलवाने हेतु भी छात्र-वृत्ति फार्म भरकर केन्द्रीय कल्याण आयुक्त, भीलवाड़ा को प्रेषित किये गये हैं।

अजमेर नगर में बीड़ी श्रमिकों के लिये आवास बनाने हेतु एक स्कीम केन्द्रीय कल्याण आयुक्त, भीलवाड़ा द्वारा संचालित है जिसके अन्तर्गत बीड़ी मजदूरों को अनु-दान भी दिया जाता है।

प्रवृत्ति संख्या 4-श्रम सांख्यिकी—

अजमेर शहर के बीड़ी संस्थानों के द्वारा बीड़ी सिगार अधिकारी के तहत मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वार्षिक प्रतिवेदन अपेक्षित होते हैं जो नियोजकों द्वारा नियमानुसार प्रस्तुत करने होते हैं। जिन संस्थानों के नियोजक उक्त वांछित प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं उन पर अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा मन्त्री महोदय से, जैसा उन्होंने बताया, एक्ट के अनुसार बीड़ी श्रमिकों को तम्बाकू, तम्बाकू का पत्ता, और डोरा देने के लिये मापदण्ड निर्धारित किया गया है। यह भी नियम है कि 1000 बीड़ी पर 50

(श्री कैलाश मेघवाल)

बीड़ी में ज्यादा छांट नहीं की जाय और जो पचास बीड़ी रिजेक्ट की जायं उनका भी पैसा दिया जायगा। इसमें सात सौ या आठ सौ कर्मचारी हैं, अध्यक्ष महोदय। पहले भी मैंने इस बारे में प्रश्न पूछा था। आज भी इसका वही जवाब दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि अजमेर में लगभग बीस हजार तक होम वर्कर्स हैं। उनके लिये केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये नियमों की कतई पालना नहीं की जा रही है। 1000 बीड़ी में से सौ या दो सौ तक की छांट कर दी जाती है। इस तरह से मजदूरों का सवा रुपया या डेढ़ रुपया रोज का काट दिया जाता है। नियमानुसार उनको कन्सेशनल रेट पर फूडग्रेन्स भी मिलने चाहिये। यह भी है कि उनको एक लॉग बुक दी जाय। अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ से ज्यादा रुपया सेठों की जेब में जा रहा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसका मैंने जवाब दिया। पर माननीय सदस्य यह कहते है कि बीड़ी बनाने वाले होम वर्कर्स ज्यादा हैं। उन लोगों के साथ ज्यादती होती है। मेरे पास तो इसकी कोई शिकायत नहीं आई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें। कृपया शान्त रहें।

श्री हीरालाल देवपुरा : और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, हम आपको बताने के लिये, अपनी सेवायें उपलब्ध कराने के तैयार हैं तो उसके लिये तो मैं माननीय सदस्य का स्वागत करता हूं। माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य राज्य सरकार के पास शिकायत ले आवें तो मैं उसकी जांच करवाने के लिये तैयार हूं। कहीं पर भी अगर किसी प्रकार की नियमों की अवहेलना की गयी होगी तो मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन देता हूं। इसमें कोई छुपाई जाने वाली बात नहीं है। अगर कहीं पर नियमानुसार काम नहीं हो रहा है तो उस पर राज्य सरकार कार्यवाही करने को तैयार है।

दूसरी बात यहां पर माननीय सदस्य ने यह कही कि एक हजार पर 50 बीड़ी छांट दी जाती हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : 50 नहीं, एक हजार पर 150–200 बीड़ी छांट लेते हैं और उसमें से उनको निकालते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, एक हजार में 50 बीड़ी की छूट है। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि इससे ज्यादा निकाली जाती हैं तो इसके लिये मेरा यही निवेदन है कि राज्य सरकार के पास कार्यवाही करने के लिये कोई शिकायत नहीं आई है। इसलिये मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब भी निरीक्षण किये गये हैं तब उसके अन्दर कोई अवहेलना नहीं पायी गई है। अगर आपके पास ऐसी कोई शिकायत हो तो आप राज्य सरकार को बतावें। उस पर कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं। पहले जब अवहेलना कहीं पायी गयी तो जैसा मैंने उत्तर में बताया है, तो

(श्री हीरालाल देवपुरा)

के चालान पेश किये गये हैं और चार चालान पेश होने के लिये विचाराधीन हैं। इसमें किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है, न कोई बचाने की बात है। उनका निरीक्षण भी समय समय पर किया जाता है। अगर आपके पास कोई शिकायत हो तो आप बता दें। अगर कहीं पर नियमों की अवहेलना हो रही है तो उसकी निश्चित रूप से जांच की जावेगी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में निश्चित रूप से कार्यवाही की जावेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : यह कार्यवाही आप कब तक करवा देंगे?

श्री हीरालाल देवपुरा : शिकायत आने पर जांच करवा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया है।

अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या श्रम मन्त्री विधान सभा में स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर रहे हैं कि उनके पास बीड़ी की छूट देने के बारे में या और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है? क्या इनके पास होम वर्कस के द्वारा कोई शिकायत नहीं आयी है?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। जैसा माननीय सदस्य कहते हैं, उनके पास कोई शिकायत है तो वह राज्य सरकार के पास भेज दें मैं। आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर कहीं पर कोई नियमों की अवहेलना पायी गयी तो मैं जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री उम्मेदसिंह।

बड़ी खाट का ग्रिड स्टेशन

371. **श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपया करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बड़ी खाटू ग्रिड स्टेशन 1500 के० वी० का है? यदि हां, तो वहां 1000 के० वी० का ट्रान्सफार्मर क्यों है?

(2) क्या बड़ी खाटू ग्रिड स्टेशन से केवल 12 घन्टे ही ग्रामीण इलाकों में विद्युत सप्लाई की जाती है? यदि हां, तो क्यों?

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) वर्ष 1977–78 में 1130 के० वी० ए० क्षमता के ट्रान्सफार्मर बड़ी खाटू सब-स्टेशन पर लगाने की स्वीकृति थी। एक 630 के० वी० ए० का ट्रान्सफार्मर जल जाने के कारण वर्तमान में वहां पर दो ट्रान्सफार्मर प्रत्येक 500 के० वी० ए० के लगाये गये हैं।

(श्रीमती कमला)

(2) बड़ी खाटू सब-स्टेशन से ग्रामीण इलाकों में विद्युत सप्लाई 9 घन्टे प्रतिदिन ब्लाक्स में दी जा रही है। राज्य में विद्युत की उपलब्धि वर्तमान मांग से कम होने के कारण विद्युत की आपूर्ति ब्लाक्स में की जाती है।

श्री उम्मेदसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह 500 के. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर कब से लगा है ?

श्रीमती कमला : वह तो पहले से ही लगा हुआ है ?

श्री उम्मेदसिंह : कितने साल हो गये ? यहां पर 500 के. वी. ए. ट्रान्सफार्मर कब से लगा ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, वह 630 का ट्रान्सफार्मर था जो कि सन् 1980 में जल गया था। उसके बाद में उसकी जगह पर 500 के. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर लगा दिया गया।

श्री उम्मेदसिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां पर तो 1500 के. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर लगा हुआ था।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक तो 630 के. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर लगा हुआ था जो कि जल गया। अलावा एक 500 के.वी.ए. का ट्रान्सफार्मर लगा हुआ था। जब 630 के. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर जल गया तो उसके बाद में उसकी जगह पर 500 के. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर वहां और लगा दिया।

श्री उम्मेद सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां तो 1500 के. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर लगा हुआ था।

श्रीमती कमला : नहीं, अध्यक्ष महोदय, 1500 के. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर नहीं लगा हुआ था। वहां तो 1130 के. वी. ए. के ट्रान्सफार्मर लगे हुए थे एक तो 630 के. वी. ए. का था और दूसरा 500 के. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर था।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। स्थगित प्रश्न।

श्री उम्मेदसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब 1500 के. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर कब तक लगा दिया जायेगा ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य के सन्तोष के लिये इतना बता देना चाहती हूं कि 630–630 के वी. ए. के दो ट्रान्सफार्मर बड़ी खाटू में लगेंगे। लोड की व्यवस्था किस प्रकार होगी, यह उस पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली ही बार इस सदन में आया है। इसका उत्तर दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। पहली बार आया है तो उत्तर दिया जाय, पर उत्तर

(श्री अध्यक्ष)

सप्लीमेन्ट्री प्रश्न नहीं पूछे जावेंगे। उसके बाद में स्थगित प्रश्न लिया जायेगा।

श्री छीतरलाल आर्य।

राज्य के न्यायालयों का कार्य समय

372. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) व

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सही है कि राजस्थान में हाईकोर्ट तथा न्यायिक विभाग का समय प्रति वर्ष 16 अप्रेल से 31 जुलाई तक सुबह 7.30 से बजे से मध्याह्न पश्चात् 12.30 बजे तक रहता है जबकि प्रशासनिक अधिकारियों का समय 10 से पांच बजे तक ही रहता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अन्तर की बजह से जनता तथा वकीलों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त भेद को समाप्त कर समान व्यवस्था करने के आदेश प्रदान करेगी?

विधि मंत्री (श्री अहमद बक्श सिन्धी) : (1) जी नहीं। राजस्थान उच्च न्यायालय का समय केवल इस वर्ष 16 अप्रेल, 84 से 31 जुलाई, 84 तक 7.30 से 12.30 बजे तक एवं अधीनस्थ न्यायालयों का समय सात बजे से 12.30 बजे तक का किया गया है। प्रति वर्ष 12 सप्ताह के लिये यह समय किया जाता था। इस वर्ष 15 सप्ताह के लिये किया गया है। जनता की सुविधाओं को देखते हुए ही उच्च न्यायालय न्यायालयों का समय निर्धारित करता है। भारत में सभी राज्यों में सरकार के दफतरों का यही समय है। इससे प्रशासनिक सुविधा रहती है। जहां जहां गर्मी पड़ती है वहां उच्च न्यायालयों का यही समय है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। यह क्या बात हुई। पहले तो आप कह दें कि मुझे उत्तर दिला दिया जाय। आपको उत्तर दिला दिया तो आप पूरक प्रश्न पूछने लग गये। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर।

स्थगित प्रश्न। श्री घनश्याम जैन। श्री दीपेन्द्रसिंह।

स्थगित प्रश्न

(7 मार्च, 1984)

शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के रिक्त पद

38. **श्री घनश्याम जैन** (वेगूं) व **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के कितने पद रिक्त

(श्री घनश्याम जैन)

पड़े हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) शिक्षकों की इतनी संख्या में कमी रहने के क्या कारण रहे जब कि उपयुक्त शिक्षित व्यक्ति काफी संख्या में उपलब्ध हैं ?

(3) उक्त रिक्त पड़े पदों की अब कब तक पूर्ति कर दी जावेगी ।

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) शिक्षा विभाग के अधीन संस्थाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(2) विषय विशेष के अध्यापक उपलब्ध न होने के कारण ।

सेवा निवृत्ति से ।

श्रेणी विशेष के पदों पर पदोन्नति/नियुक्ति संबंधी न्यायालय के स्थगन के कारण ।

(3) स्थानों की पूर्ति के प्रयत्न जारी है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समयाभाव के कारण माननीय मन्त्री महोदय से सिर्फ तीन स्पेसिफिक प्रश्न ही पूछूंगा । उनका उत्तर भी मन्त्रीजी से अलग अलग चाहूंगा । पहला प्रश्न यह है कि राजस्थान के अन्दर ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें एक भी पद रिक्त नही है ?

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : भीलवाड़ा ।

श्रीमती कमला : यह आपने कहां पूछा है ।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जो जवाब आया है और जो सूची मिली है उसमें सिर्फ एक भीलवाड़ा ही जिला ऐसा है जहां कोई एक भी पद रिक्त नहीं है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शेम ! शेम !

श्रीमती कमला : इसमें शेम शेम की क्या बात है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । आर्डर आर्डर ।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : यह तो शाबाशी की बात है ।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में बहुत से स्थान रिक्त पड़े हैं । अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में इन्होंने 37 पद रिक्त बतायें हैं और पूरे प्रदेश की जो सूची दी है उसमें इन्होंने कुछ 637 पद ही रिक्त बताये हैं जब कि राजस्थान में आज तीन हजार अध्यापकों की नियुक्ति करने का राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है । मेरे प्रश्न को माननीय मन्त्री महोदया ने

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

शायद ध्यान से नहीं पढ़ा। मैंने यह पूछा था कि प्रदेश में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं टोटल कितने रिक्त पद पड़े हैं और कहां कहां पड़े हैं। मैंने तो उनके बारे में पूछा था। अब अगर किसी को कहीं लगा दो और किसी को किसी शिक्षण संस्था में लगा दो तो स्थान तो बहुत से खाली हैं। यहां पर हम जो डिमान्ड पास करते हैं वह पूरे शिक्षा विभाग की डिमान्ड पास करते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में बहुत से स्थान रिक्त पड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे गांव में एक लड़कियों का मिडल स्कूल है, हैड मिस्ट्रेस की नियुक्ति की गयी थी पर वह वहां पर जोइन करके फिर मैटरनिटी लीव लेकर चली गयी। वहां पर कोई अध्यापिका नहीं है, सिर्फ एक चपरासी है। वहां पर बच्चों की परीक्षा की बहुत भारी कठिनाई हो गयी थी। फिर बाद में सैकन्डरी स्कूल के टीचर्स की देखरेख में बच्चों की परीक्षा करवायी गयी। मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की शिक्षण संस्थानों की हालत है कि बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है। यह तो कहते हैं कि सिर्फ 633 स्थान ही रिक्त हैं लेकिन मेरा निवेदन यह है कि सिर्फ 633 स्थान ही रिक्त नहीं हैं। मेरे से लेकर आपके विधान सभा क्षेत्र में से कोई विधान सभा क्षेत्र नहीं बचता है जिसमें माननीय सदस्यों को शिक्षकों की कमी महसूस नहीं करनी पड़ती हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कुल कितने शिक्षकों के पद रिक्त है? ऐसा शिक्षा विभाग के पास जाता है, शिक्षा विभाग के पास उसकी सूचना है, मैं स्पेसिफिक सूचना चाहता हूं कि कितने लोगों को रोजगार देकर शिक्षकों के स्थानों की पूर्ति कर दी जायेगी? इसका जवाब दिलवा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शान्त रहें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शेम तो ऐसा है कि बिना हड्डी की जुबान से कितनी बार बोलो, उसका कोई अर्थ नहीं रहता....

(व्यवधान)

अब मेरी भी बात सुनिये। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बात कहते रहते हैं, मेरी कायदे की बात भी सुनें।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : पूरा राजस्थान महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकार में है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। व्यवधान न डालें।

श्रीमती कमला : जो विवरण माननीय सदस्य को दिया है उस विवरण के सन्दर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जो कारण मैंने बताये हैं वह सिर्फ बताने के लिए नहीं बताये हैं। दरअसल मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि बहुत-सी

Page No. 23

(श्रीमती कमला)

जगह की पूर्ति, खास तौर से हमारे सब्जेक्ट-अध्यापकों की पूर्ति हम आठ–नौ महीने तक इसलिए नहीं कर पाये हैं कि कोई ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने एक तरफा आदेश जारी कर दिये, बिना सरकार को सुने हुए स्टे आर्डर लगा दिये। बड़ी मुश्किल से केस को लड़कर कुछ सब्जेक्ट अध्यापकों के पदों पर लगे स्टे आर्डर को खाली करवाया है। कुछ में अभी भी स्टे लगा हुआ है जिसके कारण हम पूर्ति नहीं कर पाये हैं। यह बहुत ही वेलिड रीजन है। हम खुद दुखी हैं। कल हमने मुख्य मंत्रीजी से कहा है कि वह चीफ जस्टिस से बात करें। कोर्ट के आदेश होने से इस प्रकार पदोन्नतियां रुकी हुई हैं, काफी संख्या में पड़े हुए हैं।

दूसरा माननीय सदस्य का मानना है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिन अध्यापकों को लगाया जाता है वह राजकीय नियमों का लाभ उठाकर किसी प्रकार से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जाकर जोइन कर लेते हैं, फिर छुट्टी लेकर बैठ जाते हैं। जिनको चयनित किया जाता है वह जोइन नहीं करते हैं, फिर दूसरे को लगाते हैं वह भी जोइन नहीं करते हैं। इस प्रकार से बहुत से पद रिक्त पड़े हैं। लेडी टीचर्स के बहुत से पद इसलिए खाली पड़े रहते हैं कि वहां अध्यापिकायें नहीं पहुंच पातीं। हम बार-बार इनको नियुक्त करते रहते हैं लेकिन वह नहीं पहुंचतीं। जितने अध्यापक हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको भी हमने नियुक्त नहीं किया हो, ऐसी स्थिति नहीं है। किसी न किसी कारण से वह अध्यापक नहीं पहुंचते हैं। हमने बराबर कोशिश की है, व्यवस्था भी की है कि जो अध्यापक छुट्टी लेकर बैठे हैं उनके लिए मेडिकल बोर्ड बिठाकर उनकी छुट्टियां कैंसल कर दी जायें। अगर तब भी नहीं पहुँचते हैं तो नियुक्ति खारिज कर दी जाय. दूसरों को लगा दिया जाए।

आपने यह कहा कि आपने पंचायत समितियों का विवरण नहीं दिया है। मैं इसका विवरण दे दूंगी। जो कारण मैंने बताये हैं उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सूची दी है उसका थोड़ा सा अध्ययन करें तो 6541 हमारे प्रथम श्रेणी के अध्यापक हैं उनमें से इस वक्त सिर्फ दो प्रतिशत पोस्ट्स खाली हैं। टीचर्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के। द्वितीय श्रेणी में 24784 अध्यापक हैं उनमें से एक प्रतिशत खाली हैं। यदा-कदा रिटायरमेंट से या कोई कोर्ट केस से खाली हैं। तृतीय श्रेणी के हमारे 63 हजार 483 अध्यापक हैं उनमें से 0.3 प्रतिशत पद खाली हैं। कुल 94 हजार 800 अध्यापकों में से 0.7 प्रतिशत पद खाली हैं। इसलिए कोशिश हमने बहुत की है। आप मेहरबानी करके तुलना करके देख लें जितनी अव्यवस्था थी उसको व्यवस्थित करने की कोशिश की है।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : केवल एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दीपेन्द्रसिंह : उन स्कूलों की क्या स्थिति हो सकती है जिनमें पांचवीं पास

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

अध्यापिकायें छठी–सातवीं कक्षा को पढ़ाती हैं ? उन स्कूलों की क्या स्थिति होगी, इस बात की आपको कल्पना करनी चाहिए।

श्रीमती कमला : राज्य के नियमों में कोई पांचवीं कक्षा पास अध्यापक नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मेरे स्कूल में है, मैं कह चुका हूं। वहां पांचवी कक्षा पास अध्यापक और अध्यापिकायें सातवीं कक्षा को पढ़ा रही हैं। अध्यापिकाओं की कमी है, उनकी क्लास में प्रधानाध्यापिका को बैठना पड़ता है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : ग्रामीण क्षेत्र का अलग पर्सेंटेज लिया जाए तो वह बहुत दयनीय निकलेगा। वहां मास्टरों की बहुत भारी कमी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हीरा लाल आर्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। प्रश्न काल समाप्त हुआ। इसको दुबारा स्थगित कर दिया है।

श्री सुरजाराम टाक : मेरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, आपके प्रश्न के बारे में आधे घण्टे की चर्चा होगी। मैंने देख लिया है उस पर चर्चा की जायगी।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान नहर के द्वितीय चरण में सिंचित भूमि

471. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) :** क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र के द्वितीय चरण में कितने बीघा जमीन सिंचित होनी है ?

(2) उक्त भूमि में से कितनी बीघा जमीन विशेष आवंटन के लिये आरक्षित की गई है ?

(3) सैनिकों व पैरा मिलिट्री फोर्सेज व पाकिस्तान के विस्थापितों आदि के लिये कितनी भूमि आरक्षित की गई है, व वर्तमान में काबिज काश्तकारों हेतु कितनी भूमि आरक्षित की गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान क्षेत्र के द्वितीय चरण में 8.99 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित होनी है।

(2) उक्त भूमि में से 25587 बीघा भूमि का आरक्षण विशेष आवंटन हेतु किया गया है।

Page No. 25

(उपनिवेशन मंत्री)

सैनिकों एवं पैरा मिलिट्री फोर्सेज के लिए भूमि आवंटन करने का राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियमों के तहत केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं भूतपूर्व सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को भूमि आवंटन का प्रावधान है, जिनके लिए क्रमशः 50,000 बीघा एवं 12,500 बीघा भूमि आरक्षित की गई हैं। पाकिस्तान से विस्थापित 2992 व्यक्तियों को 73573 बीघा भूमि का आवंटन द्वितीय चरण में किया जा चुका है।

वर्तमान में काबिज काश्तकारों के लिए अलग से भूमि का नियमों में आरक्षण नहीं है बल्कि जिन काश्तकारों को अस्थायी तौर पर भूमि आवंटन की हुई हैं उन्हें उसी भूमि का नियमानुसार पुख्ता आवंटन किया जाता है एवं अन्य काश्तकार जिन्हें पुश्तेनी भूमि प्राप्त है उन्हें धारा 15–एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत उक्त भूमि का आवंटन किया जाता है।

उपनिवेशन तहसील पूंगल के काश्तकारों को काश्त भूमि से बेदखली

472. **श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)** : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर की उपनिवेशन तहसील पूंगल के ग्राम जोधासर, समेवाला, व भट्टों का कुआ के कई खातेदार काश्तकारों व जन प्रतिनिधियों के पीढ़ियों पुरानी चली काश्त भूमि से विभाग द्वारा बेदखल करने व पाक विस्थापितों को भूमि आवंटित करने बाबत उपनिवेशन आयुक्त, उपनिवेशन मंत्री को शिकायत पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त किसानों को राहत देने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन के पत्र क्रमांक एफ. 6/समु/78।बी – 19467–96 दिनांक 28–10–78 के द्वारा वास्तविक मौके की पुरानी स्थिति के अनुसार कदीमी काश्तकार को सही स्थिति अनुसार रिकार्ड दुरुस्त करने के लिये निदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त क्षेत्र में पुनः ऐसे निदेश जारी कर किसानों को विवादों से बचा कर राहत देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर की उपनिवेशन तहसील पूगल के ग्राम जोधासर, समेवाला व भट्टे का कुआ के काश्तकारो एवं जनप्रतिनिधियो से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच कराने पर सामान्यतया शिकायते प्रामाणिक नहीं पाई गयीं।

(2) जी हां। पुनः ऐसे निदेश देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

चांणदा खुर्द पंचायत में सिंचाई साधन

473. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की चांणदा खुर्द पंचायत में सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत में डोबरली गांव के पास चम्बल का पानी लिफ्ट किया जाकर पूरे पंचायत क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र का सर्वे कराकर लिफ्ट सिंचाई द्वारा उक्त क्षेत्र को सिंचित करने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) चांणदा खुर्द पंचायत डोबरनी गांव के पास चम्बल का पानी लिफ्ट किया जा सकता है जिसमें पानी को लगभग 32 मीटर लिफ्ट करना पड़ेगा। निश्चित रकबे का पता विस्तृत सर्वेक्षण से ही लग सकता है।

(3) वर्तमान में इस क्षेत्र में किसी योजना का सर्वेक्षण नहीं कराया जा रहा है, न ही कोई प्रस्तावित है क्योंकि इस प्रकार की लिफ्ट सिंचाई योजना महंगी होती है।

चम्बल सिंचाई परियोजना दाईं मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता

475. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सी. ए.डी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चम्बल सिंचाई परियोजना में दाईं मुख्य नहर के कोटा जिले के प्रत्येक माइनर की वर्ष 1970-71, 71-72, 72-73, की इन्टेन्सिटी ग्राफ इरिगेशन क्या थी ? सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का श्रम करें।

(2) क्या यह सही है कि चम्बल सिंचाई विभाग द्वारा मात्र उसी आराजी में सिंचाई हो सकती है जिनका लेवल नहर के अधिकतम प्रवाहित लेवल से नीचा हो ? यदि हां, तो जो किसान नहर के अधिकतम प्रवाहित स्तर से ऊंचे खेतों में विभाग से अनुमति लेकर अपने स्वयं के साधन पम्प या रहट आदि से सिंचाई करते हैं वह भूमि कमान्ड में नहीं मानी जायेगी ?

(3) क्या यह भी सच है कि लिफ्ट सिंचाई की अनुमति देते समय विभाग द्वारा यह शर्त भी रखी जाती है कि विभाग फसल में पूरी सिंचाई करने के लिये बाध्य नहीं है और अनुमति को कभी निरस्त कर सकता है ?

(4) क्या यह भी सच है कि गंगानगर क्षेत्र में एक खेत के जिस भाग में फ्लो

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

सिंचाई होती है उसी को कमान्ड माना गया है और शेष हिस्से को अनकमाण्ड ?

(5) कोटा जिले में कालोनी क्षेत्र के गांवों में कौन सी भूमि फ्लो कमांड में है, कौनसी लिफट कमाण्ड तथा कौनसी भूमि अनकमाण्ड में है, यह निर्धारित करने के लिये सिंचाई विभाग का कौनसा अधिकारी समक्ष है ? क्या वह ऐसे प्रमाण-पत्र दे रहे हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1970-71, 1971-72, एवं 1972–73 की नहरवार सूची संलग्न है।

(2) जी हां, फ्लो इर्रिगेशन द्वारा ! कुछ किसान विभाग से अनुमति लेने के बाद ऊंचे खेतों में नहर से पानी पम्प द्वारा लेते हैं। ऐसी जमीन को लिफ्ट कमाण्ड मानते हैं।

(3) जी हां। फसल के आरम्भ में सभी कृषकों को चम्बल जलाशय में उपलब्ध पानी के आधार पर सूचित कर दिया जाता है कि उसको कितनी दफा पानी देना सम्भव होगा। जो कृषक निर्धारित शर्तों के अनुसार पम्प से सिंचाई नहीं करता है उस स्थिति में अनुमति निरस्त करने का विभाग को अधिकार है।

(4) गंगानगर प्रणाली में कमाण्ड-अनकमाण्ड का निर्धारण भूमि के अनुसार किया गया था। इसका वास्तविक सिंचाई से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। जो भूमि बहाव (फ्लो) द्वारा सिंचाई योग्य नहीं थी उसे अनकमाण्ड माना गया था।

(5) कमाण्ड तथा अनकमाण्ड का निर्धारण करने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाकर उपनिवेशन विभाग को प्रेषित किये जाते हैं तथा उनके अनुमोदन होने के उपरान्त ही मान्य होता है। ऐसे प्रमाण पत्र नहीं दिये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

तहसील बेगूं की खनिज संपदायें

476. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) तहसील बेगूं में कौन कौनसी खनिज संपदायें किस किस क्षेत्र में विद्यमान हैं ? सूची सदन के पटल पर रखें ?

(2) इससे रॉयल्टी से प्रति वर्ष कितनी आय होती है ?

(3) तहसील बेगूं में उपलब्ध खनिज संपदा एवं उन क्षेत्रों से चित्तौड़गढ़ की दूरी तथा तहसील बेगूं में भविष्य में लगने वाले उद्योगों को दृष्टिगत रखते हुए क्या विभाग बेगूं में सहायक खनिज अभियंता कार्यालय खोलने का इरादा रखता है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चितौड़गढ़ की बेगूं तहसील में निम्न खनिज सम्पदा उनके नाम के आगे अंकित क्षेत्र में विद्यमान है :—

क्र. संख्या	खनिज सम्पदा	क्षेत्र
	अप्रधान खनिज	
1.	सेण्ड स्टोन (पट्टी फर्शी)	रावड़दा, मेनाल, चंपामारी, हरिपुर, बड़ला, सामरिया, उमर आदि क्षेत्र
2.	लाइम स्टोन (फर्शी व खण्डा पत्थर)	भिचोर व पारसोली क्षेत्र
3.	बजरी व मेसेनरी स्टोन	करीब–करीब सारे क्षेत्र में स्थानीय उपयोग हेतु उपलब्ध है।
	प्रधान खनिज	
1.	सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन	पारसोली एवं भिचोर क्षेत्र।
2.	रेड ऑकर चायना क्ले	माली खेड़ा, नाल नाल एवं कनकपुरा के निकटवर्ती क्षेत्र में।

(2) बेगूं तहसील से खनिज विभाग को प्रति वर्ष सामान्यतः 6 लाख पच्चीस हजार रुपयों की आय रेन्ट व रायल्टी के माध्यम से होती है।

(3) वर्तमान में बेगूं में सहायक खनि अभियंता का कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है। खनन पट्टों की संख्या व सीमित खनन कार्य को देखते हुए नये कार्यालय का औचित्य नहीं बनता है। नये उद्योग लगाने के बाद इस पर विचार किया जा सकता है।

बीड़ी एण्ड सिगार वर्क्स (कन्डीशन्स आफ एम्पलायमेंट) एक्ट के तहत होमवर्क्स की सूचना

477. **श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि बीड़ी एन्ड सिगार वर्क्स (कन्डिशन्स ऑफ एम्पलायमेंट) एक्ट, 1965 एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान बीड़ी बनाने के कारखाने के मालिक को अपने यहां परिसर में कार्यरत स्थाई, अस्थाई, वर्कचार्ज तथा परिसर के बाहर बीड़ी बनाने वाले होमवर्कर्स की प्रति-दिन की औसत संख्या की सूचना श्रम विभाग को एक वर्ष में एक बार देनी होती है ?

(2) क्या अजमेर के बीड़ी बनाने के कारखानों के मालिक इस प्रवधान का पालन कर रहे हैं ? यदि हां, तो उन्होंने वर्ष 1982 एवं 1983 में यह सूचना कब-कब दी और उस सूचना के अनुसार प्रत्येक कारखाने में परिसर में काम करने वाले स्थाई, अस्थाई वर्कचार्ज व परिसर के बाहर काम करने वाले कितने-कितने होमवर्कर थे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु स्थाई, अस्थाई व वर्कचार्ज श्रमिकों की संख्या अलग-अलग सूचना देने का प्रावधान नियमों के अन्तर्गत बने निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।

(2) वांछित विवरण वित्तीय वर्ष 82-83 का संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अमीनों की ट्रेनिंग

478. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सन् 1960 से अब तक अमीनों की कुल कितनी बार ट्रेनिंग हुई ? प्रत्येक ट्रेनिंग के लिए कितने कितने प्रत्याशियों का चयन किया गया था ? उनमें से कितने ट्रेन्ड आशार्थी ट्रेनिंग के पश्चात् प्रथम टैस्ट में पास हुए, तत्पश्चात् कितने-कितने द्वितीय व तृतीय टैस्ट में पास हुए व कितने ट्रेंड आशार्थी फेल हुए। चयन के लिए उत्तीर्णांक (पासिंग मार्क्स) कितने प्रतिशत रखा गया तथा फार्म भरवाने से तृतीय टैस्ट तक कुल कितना-कितना समय लगा ? सूची क्रमवार सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भू-अभिलेख विभाग द्वारा वर्ष 1980 में फार्म भरवाने के पश्चात् आशार्थियों को 1983 में ट्रेनिंग में भेजा गया ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त मसले की जांच कराकर सन् 1980 के पूर्व के टैस्टों के उत्तीर्णांक के आधार पर शीघ्र तृतीय टैस्ट कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रथम बार 1977 में भू-मापक प्रशिक्षण हेतु 421 आशार्थियों का चयन कर ट्रेनिंग प्रारम्भ करवायी गई। ट्रेनिंग दी जाकर प्रथम

(राजस्व मंत्री)

टैस्ट लिया गया जिसमें 244 आशार्थी सफल तथा 177 असफल रहे। उन असफल रहे 177 परीक्षार्थियों को दूसरा अवसर प्रदान किया गया। इनमें से 106 उत्तीर्ण हुए तथा 71 अनुत्तीर्ण हुए। दोनों टेस्टों में उत्तीर्णांक 40% रखे गए थे।

(3) सन् 1977 में चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा के फार्म प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 10–1–1977 थी तथा द्वितीय टैस्ट 8–9 अप्रैल, 1978 को हुए।

(ब) प्रतियोगी परीक्षा द्वितीय के माध्यम से 115 आशार्थियों को प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाकर ट्रेनिंग दिलवायी गई। ट्रेनिंग के पश्चात् आयोजित टैस्ट में 52 सफल एवं 63 असफल रहे। इन असफल रहे आशार्थियों के लिए और कोई टैस्ट आयोजित नहीं किया गया।

द्वितीय भू-मापक प्रतियोगी परीक्षा के फार्म भरने की अन्तिम तिथि 30–6–77 थी। तथा टैस्ट की तिथि 6–7 अप्रेल, 1979 थी।

(स) भू-मापकों के प्रशिक्षण हेतु चयन की तीसरी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर 799 आशार्थियों का चयन किया गया। ट्रेनिंग के पश्चात् प्रथम टैस्ट 26–27 अक्टूबर, 79 को हुआ जिसमें 582 आशार्थी सफल एवं 217 असफल रहे टैस्ट में अनुत्तीर्ण रहे 217 आशार्थियों का दूसरी बार टैस्ट दिनांक 9 व 10 अगस्त, 1980 को लिया गया जिसमें 39 उत्तीर्ण तथा 178 अनुत्तीर्ण रहे। द्वितीय टैस्ट में अनुत्तीर्ण रहे 178 आशार्थियों का तीसरी बार टैस्ट दि० 27 व 28 दिसम्बर 80 को लिया गया। टैस्ट में केवल 176 आशार्थी ही सम्मिलित हुए जिनमें 83 उत्तीर्ण एवं 93 अनुत्तीर्ण रहे। सभी टैस्टों में उत्तीर्ण 40% रखे गए।

चयन हेतु फार्म भरने की अन्तिम तिथि 15–1–79 थी तथा तृतीय टैस्ट की तिथि 27–28 दिसम्बर, 80 थी।

(द) भू-मापकों के प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 612 आशार्थियों का चयन किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 484 आशार्थी उपस्थित हुए। प्रशिक्षण के पश्चात् लिए गए टैस्ट में 484 आशार्थी में से 105 सफल एवं 379 असफल रहे। उन असफल आशार्थियों का दूसरी बार टैस्ट 14–15 जनवरी, 1984 को लिया गया जिसमें 363 आशार्थी ही सम्मिलित हुए जिनमें 159 सफल एवं 204 असफल रहे। इन दोनों टैस्टों में उत्तीर्णांक 40% रखा गया।

इस परीक्षा के लिए फार्म भरवाने की अन्तिम तिथि 24–11–80 थी तथा द्वितीय टैस्ट 14–15 जनवरी, 1984 को कराया गया।

(2) जी हां।

(3) द्वितीय टैस्ट में असफल रहे 204 आशार्थियों का भविष्य में तृतीय टैस्ट कराने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचा-

(राजस्व मंत्री)

राधीन नहीं है क्योंकि वर्तमान में विभाग में भू-मापकों के पद रिक्त नहीं है। जो 159 प्रशिक्षणार्थी सफल हुए उनमें से भी अब तक केवल 109 को ही नौकरी दी जा सकी है।

जिला बांसवाड़ा की नाकाबिल काश्त भूमि पर अवैध कब्जे

479. **श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में नाकाबिल काश्त भूमि पर भूमि हीनों ने नाजायज कब्जे कर रखे है? यदि हां, तो किस किस तहसील में कितने कितने लोगों ने? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नाकाबिल काश्त भूमि को काबिल काश्त में परिवर्तन करा कर भूमिहीनों को आवंटित किया जाएगा? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। नियमानुसार आवंटन/नियमन ही कार्यवाही दिसम्बर, 1984 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

भरतपुर जिले में रोगों से मृत्यु

480. **सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) अप्रेल, 1982 से अब तक भरतपुर जिले की किस किस तहसील में हल्का पटवारियों की घटना बहो में किये गये इन्द्राज के अनुसार कितने कितने व्यक्तियों की मलेरिया वाइरल बुखार व अन्य प्रकार के रोगों से मृत्यु हुई है?

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक तहसीलवार जिलाधीश भरतपुर को मृतकों की संख्या दी गई है? यदि हां, तो कितनी कितनी?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में अप्रेल, 1982 से अब तक तहसीलों से प्राप्त सूचना के आधार पर पटवारियान की घटना बही में मलेरिया, वाइरल बुखार व अन्य प्रकार के रोगों से हुई मृत्यु (व्यक्तियों) का अंकन नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। तहसीलवार मृतकों की संख्या प्राप्त नहीं हुई है। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य प्रधिकारी, भरतपुर द्वारा जिलाधीश को दी गई सूचना के अनुसार मृत्यु 623 हुई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

मलेरिया से मृत्यु	16
वाइरल बुखार से मृत्यु	23
अन्य प्रकार से रोगों से मृत्यु	582

59

(र

तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा नियम विरुद्ध रजिस्टरी

481. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार बांसवाड़ा ने 26–8–72 को आदिवासी कोदरा पिता हकरा की जमीन की रजिस्टरी श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री मणीलाल सोनी के नाम की जो नियम विरुद्ध थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उसी अधिकारी ने 5–1–82 को श्री कोदरा पिता हकरा को अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होने का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया है ?

(3) क्या तहसीलदार ने नियम विरुद्ध उसकी जाति छुपाकर रजिस्टरी की ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) खातेदार कोदरा पिता हकरा बासुदेव लक्ष्मण, कानु, वायु पिता कोदरा व शंकर पिता कोदरा खांट निकावो बांसवाड़ा द्वारा दस्तावेज पंजीकरण हेतु पेश होने पर, तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 29.8.72 को श्रीमती सीतादेवी पत्नी मणीलाल सर्राफ नि० बांसवाड़ा के नाम पंजीकृत किया गया। विक्रेतागण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में अपनी जाति नहीं लिखी थी तथा दस्तावेज के प्रेजेन्टेशन में भी अपनी जाति "खांट" दर्ज कराई थी।

(2) जी हां।

(3) खातेदारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में अपनी जाति "खांट" लिखकर पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया था एवं पंजीयन के समय भी अपनी जाति "खांट" बताई गई थी। प्रथमदृष्टया तहसीलदार की गलती पाई जाने से उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद में बिना लाइसेंसधारी बोहरे

482. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्व अभियान "प्रशासन गांवों की ओर" की अवधि में तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद में बिना लायसेन्सधारी बोहरों द्वारा भारी ब्याज पर कर्ज देने के एक सौ चौहत्तर प्रकरण सामने आये ? यदि हां, तो इन बिना लायसेन्सधारी बोहरों की ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखें। अब तक इन बोहरों के विरुद्ध की गई कानूनी कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी नहीं, इस क्षेत्र में 174 लायसेन्सधारी बोहरे हैं। जिनमें से उक्त अभियान में 36 बोहरों के लायसेन्स रिन्युअल किये गये। शेष 138 बोहरों के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री देवीराम पटवारी की बहाली

483. **श्री चाव खां (कामां)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री देवी राम पटवारी हल्का कठोल को ता० 7-12-82 को सस्पेन्ड किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ?

(2) क्या उक्त पटवारी के मामले की विभागीय जांच की गई ? यदि हां, तो किसके द्वारा और उसका परिणाम क्या रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ? और अब कब तक जांच करली जायगी ?

(3) क्या यह सही है कि पटवारी श्री देवीराम बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि पटवारी श्री देवीराम के बहाली आदेश में इस मामले की आगे जांच नहीं करने के भी आदेश कर दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम पंचायत कठोल द्वारा आवंटन में अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर श्री देवीराम पटवारी को निलम्बित किया गया था ।

(2) जी हां, उपखण्ड अधिकारी द्वारा पटवारी के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच की जा रही है । लगभग एक माह में उप-खण्ड अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित किये जाने की सम्भावना है ।

(3) जी हां, इस सम्बन्ध में प्रारंभिक जांच के दौरान पटवारी को निलम्बित रखना प्रशासनिक कारणों से आवश्यक नहीं समझने पर निलम्बन से बहाल कर अन्यत्र स्थानान्तरण कर जांच चालू रखने के निर्देश दिये गये हैं ।

(4) जी नहीं, बहाली आदेश विभागीय जांच विचाराधीन रखते हुए पारित किये गये हैं ।

तहसील मारवाड़ जंक्शन के भूमिहीनों को कृषि-भू आवंटन

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

तहसील मारवाड़ जंक्शन व देसूरी में जून 1980 से फरवरी 1984 तक कितने अनुसूचित जाति, जनजाति व सवर्ण जाति के भूमिहीनों को कृषि भूमि आवंटित की गई ? कृपया ग्राम वार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) ग्रामवार सूची संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

Page No. 34

प्रदेश में खनिज प्रोस्पेक्टिंग हेतु सुरक्षित क्षेत्रफल

485. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खान एवं भू-विज्ञान निदेशालय द्वारा अपने भू-विज्ञान की शाखा के अन्तर्गत प्रोस्पेक्टिंग के लिये राजस्थान में कहां कहां पर कितने कितने क्षेत्रफल का क्षेत्र किस किस खनिज के प्रोस्पेक्टिंग के उद्देश्य से सुरक्षित किया हुआ है ? कृपया प्रत्येक के नोटिफिकेशन की तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन सुरक्षित क्षेत्रों में प्रत्येक में कब कब प्रोस्पेटिंग हेतु क्या क्या कार्यवाही की गई और उस हेतु प्रत्येक पर कितना कितना व्यय किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब इनमें से किस किस में प्रोस्पेक्टिंग की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और उनमें से किस किस क्षेत्र को कब-कब तक माईनिंग लीज स्वीकार करने हेतु डी-रिजर्व कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) संबंधित सूचना संलग्न सूची -1 पर दी गई है।

(2) इसका विस्तृत विवरण (व्यय के आंकड़े छोड़कर) सूची नं० 2 में दिया गया है। जहां तक व्यय का प्रश्न है, आंकड़े परियोजना का कार्य पूरा होने पर ही संकलित किये जाते हैं, चूंकि अभी कार्य जारी है अतः व्यय बताना संभव नहीं है।

(3) इनमें से निम्न दो क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है :-

1. निकट ग्राम परशरामपुरा जिला झुन्झुनू
2. निकट ग्राम दोलजी का खेड़ा, हमदपुरा जिला भीलवाड़ा

लगभग एक वर्ष में इन क्षेत्रों को डी-रिजर्व कर दिये जाने की संभावना है। शेष क्षेत्रों में पूर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(सूचना एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

कृषि भूमि संबंधित जांच हेतु गठित बेरी आयोग

486. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि भूमि सम्बन्धित मामलों की जांच के लिये गठित बेरी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है? यदि हां तो क्या राज्य सरकार इस रिपोर्ट को स्वीकार कर रही है? क्या इसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जायेगा ?

(2) इस रिपोर्ट में पक्षपातपूर्ण एवं अनियमित ढंग से कृषि भूमि के आवंटन, अर्जन व नियमितीकरण आदि के आरोप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किन-किन के विरुद्ध प्रमाणित पाये गये हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार बेरी आयोग की सिफारिश के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ सक्षम न्यायालयों में मुकदमे दायर करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । बेरी आयोग की पूर्व एवं अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त होने पर इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का भलीभांति अध्ययन कर उपयुक्त प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति को अपना प्रतिवेदन 30–4-84 तक प्रस्तुत करने को कहा गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा। रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने का मामला विचाराधीन नहीं है ।

(2) सम्पूर्ण रिपोर्ट ही सदन के पटल पर पूर्व में ही रखी जा चुकी है।

कानोड उददपुर उग्रसेन कन्या विद्याघय

487. **श्री नरपत राम बरबड़** (सूरसागर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कानोड पंचायत समिति भीण्डर तहसील व बल्लभ नगर जिला उदयपुर में एक उग्रसेन कन्या राजकीय कन्या स्कूल कार्यरत है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की मांग बार बार जनता व जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई ? यदि हां, तो इस स्कूल को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह विद्यालय 19[illegible] से माध्यमिक विद्यालय के रूप में कार्यरत है।

(2) 1983–84 में हायर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करने का कोई प्रावधान नहीं है।

नागौर में शिक्षित/प्रशिक्षित बेरोजगार

(3) बेरी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु गठित समीति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त होने पर सरकार दुवारा अग्रिम कार्यवाही हेतु विचार किया जायगा। निश्चित अवदि बताना संभव नहीं है।

488. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर जिले में फरवरी 1984 तक शिक्षित व प्रशिक्षित बेरोजगारों की

(श्री महाराम चौधरी)

संख्या क्या है? कुल जनसंख्या का यह कितने प्रतिशत है?

(2) उक्त समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार के पास ठोस नीति क्या है?

(3) यह संख्या गत वर्षों के आंकड़ों के आधार पर घट रही है अथवा बढ़ रही है? परिवर्तन का प्रतिशत क्या रहा?

(4) बेरोजगारी की समस्या पर कब तक काबू पाया जा सकेगा?

(5) रोजगार उपलब्ध न कराने की स्थिति में क्या सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो इसे अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा?

उत्तर

(1) नागोर जिले के नियोजन कार्यालय में 31 दिसम्बर 1983 तक कुल 16325 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत थे जिनमें से 11170 शिक्षित व 5155 अशिक्षित थे। यह जिले की जनसंख्या का 1.0 प्रतिशत है।

नोट :– शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार आशार्थियों संबंधी सूचना नियोजन कार्यालयों के अर्द्ध वार्षिक यानी 30 जून एवं 31 दिसम्बर को संकलित की जाती है।

(2) राज्य में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिये वर्ष 84–85 में वार्षिक योजना के अन्तर्गत 430 करोड़ रुपये के विनियोजन के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीनों को रोजगार गारन्टी योजना आदि कार्यक्रम भी क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

(3) यह संख्या गत वर्षों के आंकड़ों के आधार पर बढ़ रही है। वर्ष 1981 में नियोजन कार्यालय नागोर में 116.0 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत थे जो बढ़ कर वर्ष 1982 में 12914 तथा वर्ष 1983 में 16325 हो गये। इनके परिवर्तन का प्रतिशत 11.23 व 26.4 रहा।

(4) बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के लिये यथा सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। इस पर कब तक काबू पाया जा सकेगा, यह कहा जाना अभी सम्भव नहीं है।

(5) अनुसूचित जाति/जनजाति के कुछ लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश में सामान्य रूप से बेरोजगारी भत्ता देने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश नियोजन कार्यालय में बेरोजगारों के पंजीकृत नाम

489. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या श्रम एवं नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No. 37

(श्री गोपाल पचेरवाल)

प्रदेश में जिला नियोजन कार्यालयों में कितने बेरोजगारों के नाम 1 फरवरी, 1984 तक दर्ज हैं? कृपया जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में जिला नियोजन कार्यालयों में 4,69,818 बेरोजगार आशार्थियों के नाम 31 जनवरी, 1984 तक दर्ज थे। जिलेवार विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

नोहर (गंगानगर) में सहायक अभियन्ता विद्युत का कार्यालय

490. श्री पीरूराम (टीबी) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला गंगानगर की तहसील नोहर को शहर नोहर में सहायक अभियन्ता विद्युत का कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक इसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला गंगानगर की तहसील नोहर में सहायक अभियन्ता विद्युत का कार्यालय स्थापित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मण्डल के स्वीकृत नार्म्स के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या पर्याप्त नहीं होने के कारण नोहर में फिलहाल सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोले जाने का औचित्य नहीं है।

उदयपुर की पंचायत समितियों में विद्युतीकरण योजना

491. श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर में कितनी पंचायत समितियों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पूरी हो चुकी है?

(2) इन में कितनी ऐसी हैं, जहां कृषि कनैक्शन अभी तक दस या दस से भी कम हैं?

(3) जिले में विद्युतीकरण किये गये ग्रामों में से जिनमें कृषि कनैक्शन दस या दस से कम हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में माह मार्च, 83 के अन्त तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 19 योजनाऐं स्वीकृत की गई, जिनमें से 16 योजनाओं का कार्यकाल पूर्ण होने पर बंद किया जा चुका है।

(2) उदयपुर जिले की उक्त योजनाओं में से एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें 10 अथवा 10 से भी कम कृषि कनेक्शन हों।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) उदयपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में माह फरवरी, 84 तक कुल 1469 ग्राम विद्युतीकृत हैं, जिनमें से 1017 (एक हजार सत्रह) ऐसे ग्राम है जिनमें 10 अथवा 10 से भी कम कृषि उपभोक्ता है। सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

रैगर मोहल्ला (सवाईमाधोपुर) का प्राथमिक विद्यालय

492. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर शहर के रैगरों का मोहल्ला वार्ड नम्बर 29 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नम्बर 4 कार्यरत है? यदि हां, तो इस शाला की छात्र संख्या कितनी है?

(2) क्या छात्रों की संख्या को देखते हुए उक्त शाला को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, इस विद्यालय की कुल छात्र संख्या 214 है।

(2) अभी यह मामला विचारधीन नहीं है।

नये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का आधार

493. **श्री गोकुल चन्द शर्मा** (सुमेरपुर) व **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारचीं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर एवं ग्राम की जनसंख्या के आधार पर माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार नगर एवं ग्राम की जनसंख्या के आधार पर स्वीकृति प्रदान करती है? यदि हां, तो पाली जिले में प्रत्येक पंचायत समिति में कहां कहां माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पाली एवं सुमेरपुर के कई एक गांवों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलना अत्यन्त आवश्यक है? यदि हां, तो विभागीय सर्वेक्षण से कहां कहां और किस प्रकार के विद्यालय खोलने विचारधीन हैं तथा इनकी स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) अन्य आधारों के साथ साथ जनसंख्या का भी एक आधार है। सूची संलग्न की जा रही हैं।

(2) इस वर्ष 1983–84 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राजस्थान शिक्षा बोर्ड द्वारा मुद्रित पुस्तकें

494. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा छपवा कर उपलब्ध कराई जाने वाली पुस्तकें सत्र प्रारम्भ होने के दो माह के भीतर भीतर बाइन्ड कराकर निर्धारित निश्चित संख्या में विक्रय हेतु उपलब्ध कराये जाने का स्पष्ट प्रावधान है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकांश महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तकें गत 5 वर्षों में कभी भी इस कालावधि में निर्धारित संख्या में विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं कराई गयीं ? कृपया गत 5 वर्षों में कौन कौनसी पाठ्य पुस्तकें कितनी कितनी मात्रा में कब कब विक्रय हेतु उपलब्ध कराई गई, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि निश्चित समय पर निर्धारित संख्या में पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराने से छात्रों को कुंजियों का सहारा लेने को मजबूर होना पड़ता है ?

उत्तर

(1) नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अनुबंध की तिथि के अनुसार उपलब्ध कराने की तिथि निश्चित की जाती है।

(2) जी नहीं। अधिकांश पुस्तकें निश्चित कालावधि में ही विक्रय हेतु उपलब्ध करवा दी गई थीं। सूची सदन की मेज पर रखा दी गई है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

झालावाड़ में स्वीकृत विद्यालय

495. **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) व **श्री बाल चन्द आर्य** (डग): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

झालावाड़ जिले में कितने प्राइमरी व मिडिल स्कूल वर्ष 1983–84 में स्वीकृत किये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1983-84 में झालावाड़ जिले में 57 प्राथमिक एवं 9 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। सूची संलग्न की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

तहसील चिड़ावा उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन

496. **श्री राज बहादुर** (भरतपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम

(श्री राजबहादुर)

किठाना, तहसील चिड़ावा उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन कुछ वर्ष पूर्व से अत्यन्त जर्जरित अवस्था में चल रहा है ? क्या विद्यालय भवन के टूट कर गिरने का खतरा बना हुआ है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार समय रहते भवन की दशा सुधारने के कुछ उपाय करने का विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मरम्मत की अवश्य आवश्यकता है।

(2) आवश्यक मरम्मत हेतु धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

श्रीमाली समिति द्वारा अजमेर में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश

497. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजधानी जयपुर के बाद अजमेर ही विद्या का विशिष्ट केन्द्र रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि श्रीमाली समिति ने अजमेर नगर में महर्षि दयानन्द के नाम विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो उपरोक्त विश्वविद्यालय की घोषणा में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार श्रीमाली समिति की सिफारिश एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के भार को कम करने की दृष्टि से अजमेर में आगामी सत्र में महर्षि दयानन्द के नाम का विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर कोटा, पिलानी, ब्यावर विद्या के प्रमुख केन्द्र हैं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रदेश में नये विश्वविद्यालय खोलने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

भीलवाड़ा जिले के गावों में प्रौढ़ शिक्षा शालायें

498. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1981 से लेकर 31 जनवरी, 1984 तक भीलवाड़ा जिले के किन किन गांवों में प्रौढ़ शिक्षा शालायें चल रही हैं ? इन्हें खोलने के मापदन्ड क्या अपनाये जाते हैं ?

(2) उक्त प्रौढ़ शालाओं में कितने प्रौढ़ व्यक्ति अध्ययन हेतु आते हैं और इनके अध्यापकों को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है ?

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) सन् 1981 से 31 जनवरी, 1984 तक भीलवाड़ा जिले में चल रहे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की वर्षवार सूची संलग्न है। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थानीय मांग एवं केन्द्र को संचालित करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की क्षमता के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं।

सामान्यत: साक्षरता के न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र का चयन किया जाता है तथा सघन क्षेत्र में 30 निरक्षर प्रौढ़ के बीच एक केन्द्र की स्थापना की जाती है।

(2) उक्त प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1983-84 में कुल 7849 प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की दार्शनिक पृष्ठभूमि, प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य एवं क्रियान्विती के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार, केन्द्र स्थापना व संचालन व्यवस्था आदि की जानकारी दी जाती है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यानुसार सामाजिक चेतना, साक्षरता व व्यावसायिक कुशलता के प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल 21 दिवस के आयोजित किये जाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में घायल व मृत लोगों को सरकार द्वारा सहायता

500. श्री नेदराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में दिसम्बर 1981 से फरवरी 1984 तक कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं ? इन सड़क दुर्घटनाओं में कितनी जन-धन की हानि हुई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रत्येक दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वाले लोगों को राज्य सरकार ने मुआवजा या कोई अन्य सहायता दी है ? यदि हां, तो किन किन लोगों को कितनी कितनी राशि सहायतार्थ दी गई ? कृपया सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है।

(2) परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मरने एवं घायल होने वालों को भिन्न भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पहली योजना यात्री बस दुर्घटना अनुग्रह योजना तथा दूसरी "सोलेटियम फण्ड स्कीम" है। इन योजनाओं के अन्तर्गत जिन जिन व्यक्तियों को सहायता प्रदान

(यातायात मंत्री)

की गई है उसकी सूची क्रमश: परिशिष्ट "क" व "ख" पर उपलब्ध है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा इन दुर्घटनाओं में मृतकों/घायलों पर व्यय की गयी चिकित्सा राशि, आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट "घ" पर उपलब्ध हैं।

(सूचना एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

टौंक आगार में परिवहन व्यवस्था

501. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में टौंक आगार की बसें प्रत्येक माह में कितने कितने किलोमीटर चलीं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

वर्ष 1982–83 एवं 83–84 में टौंक आगार की बसों द्वारा माहवार निम्न प्रकार किलोमीटर तय किये गये हैं :—

क्र. सं.	माह	वर्ष	संचालित किलोमीटर (लाखों में)
1	2	3	4
1.	अप्रेल	82—83	2.75
2.	मई	,, ,,	3.14
3.	जून	,, ,,	3.38
4.	जुलाई	,, ,,	3.54
5.	अगस्त	,, ,,	3.58
6.	सितम्बर	,, ,,	3.28
7.	अक्टूबर	,, ,,	3.38
8.	नवम्बर	,, ,,	3.14
9.	दिसम्बर	,, ,,	3.34
10.	जनवरी	,, ,,	3.49
11.	फरवरी	,, ,,	3.16
12.	मार्च	,, ,,	3.42

1	2	3	4
13.	अप्रेल	83—84	3.46
14.	मई	,, ,,	3.75
15.	जून	,, ,,	3.70
16.	जुलाई	,, ,,	3.6
17.	अगस्त	,, ,,	3.70
18.	सितम्बर	,, ,,	3.40
19.	अक्टूबर	,, ,,	3.54
20.	नवम्बर	,, ,,	3.35
21.	दिसम्बर	,, ,,	3.58
22.	जनवरी	,, ,,	3.62
23.	फरवरी	,, ,,	3.48

सरकार द्वारा सवाईमाधोपुर में रोडवेज डिपो बनाने का विचार

502. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार सवाईमाधोपुर में रोडवेज का डिपो बनाने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो किस स्थान पर तथा कितने समय में ?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में सवाईमाधोपुर से 6 वाहनों का संचालन प्रारम्भ होता है एवं 6 वाहनें ही रात्रि विश्राम करती हैं।

निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आगार की स्थापना के लिये 30 से अधिक वाहनों का संचालन आवश्यक है। अतः मात्र 6 सेवाओं के संचालन के लिए सवाई-माधोपुर में आगार स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है।

जयपुर से हरिद्वार तक सीधी बस सेवा

503. **श्री रामकंवार बैरवा** (टोंक) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर से हरिद्वार तक पहले सीधी बस सेवा थी? यदि हां, तो इस सेवा को निगम द्वारा बन्द करने के क्या कारण हैं ?

(2) उक्त प्रदेश के नागरिकों की सुविधा व मांग को देखते हुए पुनः सीधी बस सेवा चालू कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No. 44

(श्री रामकंवार बैरवा)

(3) हरिद्वार बस कितने घंटे में पहुँचती थी तथा इसका किराया कितना था ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सेवा आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट पर दिनांक 10-7-79 से 12-8-79 तक संचालित की गई थी जिसके तहत बीच के स्टेण्डों से यात्री नहीं उठाये जा सकते थे। इस कारण इस बस का संचालन अनार्थिक रहा था।

(2) जी हां। इस संबंध में राजस्थान, हरियाणा, देहली व उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच पारस्परिक समझौता हो जाने के पश्चात् ही उक्त अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बस संचालन सम्भव होगा।

(3) जयपुर से हरिद्वार के लिए परिवहन निगम द्वारा जो अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्र पर डीलक्स वाहन संचालन की गई थी वह 11 घन्टे में हरिद्वार पहुँचती थी जिसका किराया 50.00 रुपये प्रति यात्री था।

नागौर डिपो के केशियर द्वारा घोटाला

504. श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर डिपो में वहां के कशियर द्वारा गाड़ी भाड़ा में, ड्राइवर, क्लीनर एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन, यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ते आदि की राशियों का घोटाला किया गया है तथा उसके विरुद्ध अनेक कर्मचारियों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी के विरुद्ध विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी का नागौर स्थानान्तरण मात्र कर देना ही विभाग ने सही समझा और वह गबन करने वाला कर्मचारी निगम की सेवा में यथावत् कार्यरत है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस भी उस प्रभावी कर्मचारी के विरुद्ध अनेक शिकायतें दर्ज होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ? यदि हां, तो अब उसके विरुद्ध विभाग कब तक कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। संबंधित कर्मचारी को निलम्बित कर उसका मुख्यालय अन्य आगार में किया गया है तथापि विभागीय जांच जारी है।

(2) जी नहीं। कर्मचारी का मुख्यालय इस कारण बदल दिया गया है कि नागौर में रहकर अपने पद का दुरुपयोग कर जांच को प्रभावित नहीं कर सके। प्रकरण में लिप्त कर्मचारी निलम्बित है और उससे कोई कार्य लिये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

Page No. 45

(परिवहन मंत्री)

(3) जी नहीं। आलोच्य कर्मचारी के विरुद्ध केवल एक रिपोर्ट ही पुलिस में दर्ज हुई है तथापि इस प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान समाप्त कर अन्तिम रिपोर्ट दी गई है। कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच जारी है, जिसके पूर्ण होने पर ही अन्तिम निर्णय लिया जाना संभव होगा।

जिला झुंझुनू में उचित मूल्य की दूकान से गेहूं वितरण संबंधी शिकायत

505. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 में कस्बा मण्डावा जिला झुंझुनू में उचित मूल्य की दुकान से गेहूं का वितरण जनता में नहीं होने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायत की जांच जिलाधीश झुंझुनू द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त उचित मूल्य की दुकान का परमिट राणी-सती स्टोर, मण्डावा ने अपने नौकर श्री मालक चन्द्र जोशी के नाम से ले रखा था ?

(4) क्या यह भी सही है कि गेहूं का वितरण भी रानी सति स्टोर की युवक सभा के सामने कि... गया ? क्या सरका... मामले में रानी सति... विरुद्ध कार्यवाही करने... है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। जांच चल रही है और दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

राज्य में सीलिंग से अधिक कृषि के दर्ज मामले

506. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सीलिंग से अधिक कृषि भूमि होने के कितने मामले दर्ज किये गये थे ? जिनमें कितने मामलों का निष्पादन हो चुका है और अब कितने मामलों का निष्पादन शेष है ?

(2) जयपुर जिले में कितने मामलों का निष्पादन होना शेष है ? कृपया सूची के पटल पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) राज्य में कृषि भूमि पर सीलिंग कानून के अन्तर्गत दर्ज किये गये, निष्पादित और निष्पादन से शेष की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जयपुर जिले में 10 मूल मामले और 14 रिमाण्ड मामले निष्पादन से शेष हैं। (सूची संलग्न है)

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

जिलाधीश जालौर द्वारा पाक शरणार्थियों को आवंटित भूमि

507. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुड़ामालानी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भूतेल तहसील सांचौर जिला जालौर में जनता शासन में तीन पाक शरणार्थियों को गांवाई गोचर जमीन में से 150 बीघा भूमि काश्त हेतु जिलाधीश जालौर द्वारा आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो कब एवं किस किस को ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गोचर जमीन काश्त हेतु बिना स्थानीय ग्राम पंचायत की सहमति के आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही नियमों के विरुद्ध थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि स्थानीय ग्रामीण जनता एवं स्थानीय ग्राम पंचायत देवड़ा के भयंकर विरोध के कारण उक्त आवंटित गोचर जमीन वापस गोचर कर पंचायत को सुपुर्द करने का विधान सभा में आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो कब कब ?

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त गोचर जमीन का गलत आवंटन रद्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(5) उक्त गोचर जमीन का आवंटन रद्द करने के आदेशों की पालना कब तक की जाकर वापस उक्त जमीन गोचर कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जिलाधीश, जालौर द्वारा दिनांक 28–7–78 को 50 बीघा प्रति व्यक्ति के हिसाब से तीन पाक शरणार्थियों सर्वश्री भारसिंह पुत्र बोजराजसिंह, बोजराजसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह, गेनसिंह पुत्र अनाडसिंह को आवंटन किया गया था।

(2) चरागाह से भूमि खारिज करने के लिए पंचायत की सहमति प्राप्त नहीं की गई।

(3) जी नहीं। आवंटन के पश्चात बची शेष भूमि पुनः चरागाह दर्ज कर दी गई है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) आवंटन रद्द करने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

Page No. 47

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अ. जा./जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

508. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी जाती है ? यदि हां, तो जिला सवाईमाधोपुर में गत वर्ष में दिसम्बर, 1983 तक कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिल गई है तथा कितने छात्रों को नहीं और क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिले में उक्त जातियों के छात्रों की संख्या ज्यादा है ? यदि हां, तो गत वर्ष कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर उद्योग द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को आधी छात्रवृत्ति दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर उनके खिलाफ कोई कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अनुसूचित जाति के 6034 एवं अनुसूचित जनजाति के 7673 छात्रों को 31 दिसम्बर, 83 तक छात्रवृत्ति दी गई। शेष 4308 अनुसूचित जाति के एवं 9514 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग से बजट प्राप्त होने पर दी जायेगी।

(2) गत वर्ष 24003 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है। जिलेवार छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है।

(3) जी नहीं। छात्रवृत्ति दी जाती है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. **श्री छोतरलाल आर्य,** सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम-हीरुड़, तहसील-अटरू, जिला कोटा में एस.एच.ओ. बारां द्वारा गत 19 मार्च को कुम्हार जाति की एक युवती को पकड़ कर ले जाने और 23 मार्च तक भी उसे नहीं छोड़ने के विषय में।

2. **श्री मेघराज तावड़ व श्री गोपाल पचेरवाल,** सदस्य, विधान सभा की ओर से कपासन के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के एक चिकित्सक द्वारा गलत तरीके से आपरेशन करने पर एक महिला की मृत्यु के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

3. **श्री हीरालाल आर्य**, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की ग्राम पंचायत पीपल्दा कलां के सरपंच द्वारा हरिजन कर्मचारियों को हटाने से वहां सफाई की व्यवस्था न होने के विषय में।

4. **श्री हरीश शर्मा**, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत जनवरी माह में कोटा जिले के अंता क्षेत्र में सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता द्वारा नहर के किनारे हरे वृक्षों की नीलामी के विषय में।

5. **श्री बालचन्द आर्यवीर व श्री अनंग कुमार जैन**, सदस्य, विधान सभा की ओर से आगामी 14 अप्रेल को डा० भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने और कुछ स्थानों पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग के विषय में।

6. **श्री त्रिलोकसिंह व श्री महाराम चौधरी**, सदस्य, विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 11 पर आगरा बीकानेर सड़क के लिए अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा किसानों को न मिलने के विषय में।

7. **श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया**, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर उद्योग में कार्यरत एक विधवा हरिजन महिला श्रीमती कमला को बिना कारण बताये नौकरी से अलग कर देने के विषय में।

8. **श्री महावीर प्रसाद**, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक जिले में खेती, उद्योग व घरेलू उपयोग के लिये बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं, इस विषय में।

9. **श्री घनश्याम तिवाड़ी**, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी पंचायत समिति के ग्राम मालीखेड़ा में खसरा से 13 बच्चों की मृत्यु के विषय में।

10. **श्री कैलाश मेघवाल**, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम करणपुर, उपखण्ड करौली में धोबी जाति के दो व्यक्तियों की पुलिस चौकी में पिटाई के विषय में।

11. **श्रीमती उजला अरोड़ा**, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित चौकड़ी गंगापोल में गंगापोल दरवाजे व खन्दा गंगापोल की दीवार को तोड़कर वहां रहने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा एक दरवाजा निकाल देने के विषय में।

12. **श्री गुलाबचन्द कटारिया**, सदस्य, विधान सभा की ओर राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष)

13. **श्री बंशीलाल पटवा,** सदस्य विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर में नगर विकास न्यास द्वारा पत्रकारों को आवासीय भूखण्ड देने के विषय में कोई निर्णय न लेने के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

पूर्व में प्रस्तुत स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरा निर्णय इस प्रकार है :-

1. **श्री दाऊदयाल जोशी**— नगर विकास न्यास कोटा द्वारा मास्टर प्लान की ज़मीन को खुर्दबुर्द करना।

सरकार ने सूचित किया है कि खुर्दबुर्द करने की बात सही नहीं है और कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं जिन पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

2. **श्री हीरालाल आर्य**—पंचायत समिति इटावा के मुख्यालय से ग्रामीण विद्युतीकरण का केन्द्र हटाने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि तकनीकी एवं प्रशासनिक आधारों पर तथा उपभोक्ताओं की संख्या ध्यान में रखते हुए सहायक अभियन्ता का मुख्यालय इन्द्रगढ़ के अधीन करने का प्रस्ताव है।

3. **श्री दाऊदयाल जोशी**—कोटा जिले के भूलोत ग्राम में आर.ए.सी. के जवानों द्वारा एक पागल महिला से बलात्कार।

सरकार ने सूचित किया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर अदालत द्वारा उन्हें जमानत पर छोड़ा गया है और मुकदमे का चालान शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

4. **श्री मेघराज तावड़**—उदयपुर के गोरवन विलास थाने के अन्तर्गत ग्राम टींडी निवासी श्री प्रभुलाल की हत्या।

सरकार ने सूचित किया है कि जांच के परिणामस्वरूप यह पाया गया कि प्रभु की मौत ट्रक से कुचल कर हुई है और इस मामले में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है।

5. **श्री बंशीलाल पटवा**—भीलवाड़ा में अशोक सिंधी का अपहरण और हत्या और एक वृद्ध महिला की हत्या।

सरकार ने सूचित किया है कि अनुसंधान के दौरान पोस्टमार्टम से बच्चे की मौत के कारण का पता नहीं लगा, और अन्तिम रिपोर्ट दे दी गई तथा वृद्ध महिला पार्वती बाई के अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं और अभियोग का अन्वेषण जारी है।

6. **श्री दाऊदयाल जोशी, श्री हीरालाल आर्य, श्री रघुवीर सिंह कौशल**—राजस्थान तापीय विद्युत परियोजना के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन व धरना।

(श्री अध्यक्ष)

सरकार ने सूचित किया है कि आर्बीट्रेशन के फैसले के अनुसार अन्तरिम राहत का भुगतान कर दिया है और अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा.

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल शाम को 6 बजे कोटा थर्मल कालोनी के सामने एक आदमी के लाठी मारी, शाम को 6 बजे लाठी मारी। फिर नयापुरा थाने में गया। कन्ट्रोल रूम में उसने जाकर शिकायत की। खड़े पर लाठी बरसाई और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर पुलिस क्या कर रही है। कोटा में लगातार यह घटनायें घटती जा रही हैं। विधान सभा में लगातार यह आवाजें उठी हैं पर कार्यवाही करने में पुलिस क्यों मौन है, उदास क्यों है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरीश शर्मा : गजेन्द्र विजयवर्गीय पर लाठी बरसाई। विजयवर्गीय मोटर साइकिल छोड़कर भागा...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, जिला सवाईमाधोपुर में परिवार कल्याण के जो शिविर लगते हैं उनमें सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट में कई महिलाओं की मृत्यु हुई है। उस सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव भी कई आपको दिये हैं। एक भी दिन उस पर चर्चा करने का टाइम नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : उन सब में जानकारी प्राप्त की जा रही है, माननीय सदस्य ....

श्री चुन्नीलाल : जानकारी तो पहले ....

श्री अध्यक्ष : जानकारी आ रही है, आ जायेगी।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्य सभा के चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से टेलीफोन टेप होने की शिकायत

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक शिकायत आपके सामने प्रस्तुत की है कि 19 तारीख के बाद जब से राज्य के चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई है ····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। माननीय, सदस्य, आपका प्रस्ताव या आपका सुझाव है या ऐसी जो इत्तला है, उसको मैंने पढ़ लिया है। जो राज्य सभा के चुनाव चल रहे हैं उसका संबंध इस सभा के

(श्री अध्यक्ष)

संचालन से नहीं है अतः इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो केवल ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर । यह प्रश्न यहां नहीं उठाया जा सकता । अन्य तरीके से इस प्रश्न को उठायें । इसके लिए नियमों में प्रावधान है,....

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि टेलीफोन को टेप किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए आपसे निवेदन है ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा की हालत बिगड़ रही है। रोजाना ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । इस पर चर्चा हो गयी कल ।

श्री हरीश शर्मा : .... रोज मर्डर हो रहे हैं । आखिर सरकार क्या कर रही है ? आप कुछ तो कहें ।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां जनता का जीना मुश्किल हो रहा है ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री बालचन्द आर्यवीर : पुलिस की की सारी मिलीभगत है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय, सदस्य, मैं चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा ।....

(व्यवधान)

कल इस विषय पर काफी लम्बे समय तक चर्चा हो चुकी है ।

(व्यवधान)

आर्डर. प्लीज ।

इसके बाद में यदि कोई घटना हुई है तो कृपया किसी प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय को विधान सभा के सामने लायें ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

यह कोई तरीका नहीं है, माननीय सदस्य, बैठ जायें ।

(व्यवधान)

व्यवधान न डालें ....

(व्यवधान)

अंकित न हो । आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, बैठ जायें ।

Page No. 52

(12)

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। व्यर्थ में समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ....

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × ×

श्री अध्यक्ष : व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। व्यवधान न डाल रहे हैं माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही में।....

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से संबोधित करूंगा। इसके सिवाय मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।....

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें। अंकित न हो। व्यर्थ में कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। बैठ जायें। आर्डर, आर्डर।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। आर्डर, प्लीज। अंकित न हो। कृपया बैठ जायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा नगर विकास न्यास के संबंध में ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य, सदन का समय ले रहे हैं।

(व्यवधान)

बैठ जायें। श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री हरीश शर्मा : मैं फैसला करता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। ....

श्री हरीश शर्मा : जनता को सरकार मरवाना चाहती है, गुंडों के द्वारा पिटवाना चाहती है ...

× × × अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ...

श्री हरीश शर्मा : मैं वाक आउट करता हूं....

(बहिर्गमन)

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, तहसील सवाईमाधोपुर के ग्राम भगवतगढ़ में दिनांक 20–2–84 को ....

श्री अध्यक्ष : विषय क्या है, यह बतायें। आपने कोई प्रस्ताव दिया है या क्या बात है ?

श्री चुन्नीलाल : नियोजित कैम्प में एक महिला की मृत्यु हो गई ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस पर जानकारी मंगाई जा रही है। स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, जानकारी आपके पास आ गई है। 10-12 महिलायें मर गईं, कोई एक महिला का सवाल नहीं है और इस प्रकार ....

श्री अध्यक्ष : आप कुछ भी कहें लेकिन नहीं हो सकता....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, बैठ जायें। व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। बैठ जायें, माननीय सदस्य। आप बैठ जायें। आसन पैरों पर है कृपया बैठ जायें।

श्री हंसराज शर्मा : (सवाईमाधोपुर) रोज, आये दिन एक न एक मौत हो रही है....

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : आप हमको अवसर नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बैठ जायें। कृपया सदन से ....

श्री हंसराज शर्मा : अगर आसन से निवेदन नहीं करें ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री हंसराज शर्मा : जवाब नहीं आ रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कहां जायें।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बाध्य नहीं करें, श्री हंसराज।

श्री बालचन्द आर्यवीर माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी महत्वपूर्ण जो घटना

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

होती है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार कान में तल डाल कर बैठी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन सदस्यों के मैं नाम लूंगा कृपया····

(व्यवधान)

क्या बात है। मैंने बार-बार निवेदन कर दिया है। यदि माननीय सदस्य को कठिनाई है तो मुझे आकर चैम्बर में बता दें। रोजाना वही बात होती है, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। 10–15 स्थगन प्रस्ताव रोज आते हैं, 10–15 स्थगन प्रस्तवों के जवाब आते हैं। मैं सुविधा के अनुसार आप लोगों को अवसर देता हूं, व्यवस्था देता हूं। रोजाना यही बात होती है आधे घन्टे तक बैठ जायें।

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस जबरदस्ती लोगों को मार रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। बैठ जायें।

श्री हीरालाल आर्य : पंचायत समिति इटावा के मुख्यालय में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के विषय में।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रस्ताव हैं। दोनों का कोई जवाब नहीं आया है। आज बीस दिन हो गये। आसन से हमको यकीन दिलाया गया है।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : यह सदन खत्म हो जायेगा जब····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने यह व्यवस्था दी है, आज शाम तक एक प्रस्ताव का जवाब नहीं आता है तो कल सरकार वक्तव्य देगी। उसको देख लिया। इस तरह आप आ करके बता दें तो मुझे पता तो लगे। 20 प्रश्न एक साथ पूछे जायें तो मैं क्या करूं। आर्डर प्लीज।

आर्डर प्लीज, संक्षेप में।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : जनता सरकार के वक्त उसकी नीति के अनुरूप गांवों को अधिक से अधिक विद्युतीकृत किया गया। वर्ष 78–79 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में पंचायत समिति इटावा का पूरा क्षेत्र स्वीकृत था। इस हेतु इटावा, जो कि पंचायत समिति हैडक्वार्टर है और पूरी तहसील का केन्द्र है, में 33 के. वी. पावर स्टेशन बनाया गया। वहां पर सहायक अभियन्ता का कार्यालय स्थापित किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मार्च 1983 तक सम्पूर्ण पंचायत समिति को विद्युतीकृत कर दिया जाना चाहिये था

(श्री हीरालाल आर्य)

लेकिन क्योंकि यह सरकार आई और यह सरकार गांवों का हित नहीं चाहती, इस कांग्रेस सरकार की गांवों की उपेक्षा की वजह से हमारी पंचायत समिति के विद्युतीकरण पर जो काम होना चाहिये था वह नहीं हो पाया और सैकड़ों गांवों में बिजली पहुंच नहीं पाई। इटावा में 33 के. वी. पावर स्टेशन बनाया गया। वहां सहायक अभियन्ता का कार्यालय स्थापित किया गया। किन्तु कार्यक्रम के अनुसार गांवों को विद्युतीकरण न किया जाकर केवल पार्ट में कभी 10 गांव, कभी 5 गांव, कभी 2 गांव इस तरह से हर साल विद्युतीकरण किया जा रहा है। सरकार को चाहिये तो यह था कि जो काम मार्च 83 तक सम्पूर्ण हो जाने थे उस पर अधिक से अधिक पैसा खर्च किया जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना निगम, नई दिल्ली से पैसा राजस्थान सरकार को मिल गया। अब राजस्थान सरकार ने उस पैसे को जब प्राप्त कर लिया, उस पर काम करना चाहिये था लेकिन पंचायत समिति के पैसे को स्वयं हड़प कर बैठी हुई है और वहां पर काम नहीं कर रही है। सरकार यह कहती है कि हम अनुसूचित जाति के इलाके पर अधिक से अधिक ध्यान देते हैं। मेरा पीपल्दा क्षेत्र अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित है। उस इलाके में अधिकतर अनुसूचित जाति, जन जाति के लोग बसते हैं। उनको सिंचाई की सुविधा के लिये और दूसरे उद्योग लगाने के लिये बिजली की सख्त आवश्यकता है। सरकार की उपेक्षा नीति से बिजली का काम तो हो नहीं रहा है और वहां पर जो सहायक अभियन्ता का कार्यालय है उसको वहां से हटाकर अन्यत्र स्थापित किया जा रहा है, जो इस इलाके के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, इन्द्रगढ़, जहां पर सहायक अभियन्ता कार्यालय को शिफ्ट किया जा रहा है, बूंदी जिले का पार्ट है और इटावा, पीपल्दा, जो तहसील है, का उससे बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है। हमारी पंचायत समिति इटावा के बाकी के गांवों का जो सम्बन्ध है वह सुल्तानपुर से किया जायेगा, यह बिल्कुल गलत है। इस सरकार की यह दोषपूर्ण नीति है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जो निर्णय लिया है यह सरासर अन्याय है उस इलाके के साथ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, उस इलाके में भारी रोष है। कांग्रेस सरकार गांवों की उपेक्षा कर रही है। केन्द्र से पैसा आने के बाद खुद पैसा दबा कर बैठी है, काम नहीं कर रही है फिर वहां गांवों की सुविधा के लिये जो सहायक अभियन्ता का कार्यालय है उसको भी वहां से शिफ्ट किया जा रहा है इस बात को लेकर उस इलाके में भयंकर रोष है। वहां की जनता और प्रतिनिधि मण्डल अधिकारियों से मिले हैं और उन्हें इस बात का निवेदन किया है कि पूरी पंचायत समिति क्षेत्र के लिये सहायक अभियन्ता का कार्यालय इटावा में होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : उनकी बात बिल्कुल वाजिब है, उसको वहीं रखा जाना चाहिये। यदि सरकार ने समय रहते इस वाजिब बात को नहीं माना तो उस इलाके में भयंकर आन्दोलन होगा, अध्यक्ष महोदय, और आन्दोलन इतना जबरदस्त होगा कि वहां पर कोई सरकारी अधिकारी नहीं जा पायेगा। वहां से कार्यालय शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, वहां की जनता एक भी कागज उस दफ्तर से हटने नहीं देगी। इसलिये उस कार्यालय को वहां की जनता की भावना का आदर करते हुए वहीं रखा जाना चाहिये और ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत जो काम नहीं हो रहा है, अधिक से अधिक कार्यों को स्वीकृति देकर उनमें विद्युतीकरण किया जाना चाहिये ताकि उन सारे गांवों का समुचित विकास हो सके। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि वह इलाका अनुसूचित जाति का है ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : इसलिये सरकार जब अपनी घोषणा करती है। कि हम ऐसे इलाके को अधिक से अधिक सुविधायें दे रहे हैं, इस वर्ग के लोगों का अधिक हित कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप ही करे और झूठी घोषणायें करके गुमराह नहीं करे। वहां उन इलाकों को शीघ्र ही अधिक से अधिक इलैक्ट्रिफाइ किया जाना चाहिए और सहायक अभियन्ता का कार्यालय वहां से शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज तावड़। गोवर्धन विलास थाने के अन्तर्गत ग्राम टिड़ी निवासी प्रभुलाल की हत्या के विषय में।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता था, सरकार इसके बारे में कुछ बयान दे। हमारे उदयपुर जिले में खास तौर से गोगुन्दा, गिरवा और नाथद्वारा में जो डीवाई. एस. पी. नियुक्त किया गया है उसके समय में जितने मर्डर हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, उनमें से एक का भी पता नहीं लगा और न मुल्जिमों को पकड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता यदि सरकार की तरफ से आप वक्तव्य दिलायें।

श्री अध्यक्ष : इस पर व्यवस्था मैंने दे दी है, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि यह जो प्रभुलाल का केस हुआ, हमारे आसपास के बड़ूगा के तीन आदमी, जिनका नाम तो मैं भूल रहा हूं, एक्जेक्ट नाम नहीं बता पा रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, शाम को बुलाकर ले गये घर से, नाचने और खेलने के बहाने से शादी विवाह में। तीन दफा उसके फादर ने मना किया कि इसको कहां ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, किन्तु वह नहीं माने। कहा, हम घूमकर खेलकर वापस आ रहे हैं। तीन आदमी साथ थे। पडूंगा में मर्डर कर दिया। उसके बाद उसी रात को एक

(श्री मेघराज तावड़)

आदमी आया उसका भी मैं नाम भूल रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वह फाइल लाया नहीं। मैं समझ रहा था कि व्यवस्था आज की आज नहीं मिलेगी। तो अध्यक्ष महोदय, रात को उन्हीं तीनों, जो तीनों बुलाकर ले गये थे, में से एक आदमी ने आकर उसके फादर को कहा कि भाई प्रभुलाल तो अहमदाबाद चला गया है। उसके फादर को लगा जब मैंने मना किया तो फिर मेरे बिना पूछे कैसे चला गया। तो, अध्यक्ष महोदय, जब वह अहमदाबाद जा रहा था, अहमदाबाद जाने के लिये जब बस में बैठा तो बड़ूना में उसकी लाश मिली। जो सरपंच वहां आस पास का रहने वाला था, इस सरपंच को भी मालूम था लेकिन उसने कहा, लावारिस लाश पड़ी है। तब उसका बाप रूपा उतरा तो देखा उसके लड़के प्रभुलाल की हत्या की हुई थी और लाश वहां पड़ी थी। माननीय देवेन्द्र कुमारजी का जिला आता है। मैं वहीं गांव का रहने वाला हूं। विधान सभा का क्षेत्र माननीय देवेन्द्र कुमारजी का आता है। इन्होंने भी कहा कि मैं एस० पी० के पास जाकर कार्यवाही कराऊंगा लेकिन कुछ भी नहीं किया। मेरा कहना है उसे तीन आदमी ले करके गये, मैं डी० एस० पी० के ऊपर चार्ज लगाता हूं कि वे पैसा खा गये और जो मुखिया है, उसके प्रभाव में आ गये। पहले-पहल जो गवाह दिये थे, उन्होंने बताया कि अमुक आदमी ने इसको मारा है। जब उस केस को मैंने डील किया तो मैं एस० पी० से भी मिला हूं, डी0 एस0 पी0 से भी मिला हूं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसके फादर का एक ही होनहार और कमाने वाला लड़का था, उसकी हत्या कर दी गई लेकिन हत्यारों को नहीं पकड़ा गया। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि इसकी सी. आई. डी. से जांच करवाई जाय। गिरवा से आने वाले माननीय सदस्य श्री भैरूलाल जी मीणा भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि टिडी और जावर वहां है, हम दोनों विधायक वहां के रहने वाले हैं इसलिये इस केस में हम चाहते हैं कि इसकी जांच करवाई जाय। अध्यक्ष महोदय, सी. आई. डी. से जांच करवाई जाय और जो डी. वाई. एस. पी. शर्मा करके हैं उन्हें इमीजियेटली हटाया जाय क्योंकि गोगुन्दा में तीन मर्डर हुए हैं उसमें से एक को भी पकड़ा है। अभी ढाई लाख की मनपुर मन्दिर में चोरी हुई, किन्तु चोर को भी नहीं पकड़ा गया ऐसे नाकामयाब, निकम्मे और अयोग्य डी. वाई. एस. पी. को लगाया गया है जो कुछ भी काम नहीं करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से कहना चाहता हूं कि सी. आई. डी. से उसकी जांच करवाई जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

(व्यवधान)

यह चर्चा का विषय नहीं है। यदि कार्यवाही करानी हो तो प्रार्थना पत्र तैयार कीजिये, मंत्रीजी से कहिये, उनके सामने सारे तथ्य रखिये। स्थगन प्रस्ताव का

(श्री अध्यक्ष)

विषय था, हम तो कागज पर ही काम कर सकते हैं। जो सूचना आई है उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति साथ था, उसने बयान दिया है कि ट्रक से दब कर मर गया। आपने सामने इसके आगे कोई विकल्प नहीं रहता है....

(व्यवधान)

आप यदि कुछ चाहते हैं तो जो लोग साथ बुलाकर ले गये उनके खिलाफ अर्जियां दें, हलफनामा दें, मंत्री महोदय को दुबारा अनुसन्धान करने के लिए कहें तभी कोई व्यवस्था हो सकती है। अपने यहां इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जिस लड़के ने बयान दिया है ....

(व्यवधान)

हम दोनों एक ही गांव के हैं, मुझे जानकारी है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, अर्जी देकर कोई रिलीफ़ दिलवाइये।

बंशीलाल अशोक सिन्धी एवं एक वृद्ध महिला की मृत्यु के बारे में।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस विषय में निवेदन है कि यह घटना बड़ी सीरियस है। फिरौती मांगी गई, बेरहमी से मारा गया है और सरकार का उत्तर है कि अनुसन्धान में बच्चे की मौत का पता नहीं लगा। इसके साथ साथ कई बच्चों को किडनेप किया गया है और दूर दूर इलाके में वे बच्चे मिले हैं। मेरा निवेदन है वक्तव्य दिला सकें तो अच्छा रहेगा, स्पष्टीकरण हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने तथ्यों का अवलोकन कर लिया है।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें, और पुनः विचार करके कोई संशोधन करें, क्योंकि मामला सीरियस है।

श्री अध्यक्ष : सीरियस कई मामले होते हैं लेकिन हमारे सामने जो तथ्य आते हैं उसके अनुसार हम यहां पर निर्णय दे देते हैं। उस पर पुनर्विचार नहीं करते और पुनर्विचार से हल भी नहीं निकलता है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, पुलिस जो कार्यवाही करती है उसमें वे गलत तथ्य देते हैं और मंत्री महोदय को गुमराह करते हैं इसलिये मंत्रीजी के सामने सही तथ्य नहीं आते हैं। इसके लिये क्या कार्यवाही की जानी चाहिये, आप कम से कम यह तो आदेश दें कि सही चीज सदन के सामने आये। न मंत्रीजी कुछ करने की क्षमता रखते हैं और न पुलिस कोई सही कार्यवाही करती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं।

(श्री मेघराज तावड़)

कानून और व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अशोक सिन्धी बच्चे की जो हत्या की गई है वैसे यह घटना पिछले जून की है, जून में 5 जून से लेकर 20 जून तक एक एक बच्चे को भीलवाड़ा नगर में किडनेप किया गया है, मराठा जाति की एक छोटी बच्ची थी, उसको सबसे पहले किडनेप किया गया। उसके बाद तमोलियों की लड़की को किया गया, कुछ और भी बच्चे इस तरह किडनेप किये गये। इसी बीच में तारीख 7 को अशोक सिन्धी बच्चा, जो नवयुग मन्दिर से पढ़कर आ रहा था

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें सबके नाम तो नहीं हैं।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, घटना से सम्बन्धित है सारा मामला।

श्री अध्यक्ष : घटना से अब आप जोड़ रहे हैं। यदि आप सब नाम दे देते तो रिपोर्ट भी मंगाते कि किस तरह की बात है। उसी श्रृंखला में नाम देते तो कम से कम रिपोर्ट तो मंगाते।

श्री बंशीलाल पटवा : इसी तरह के माण्डलगढ़ में किडनेप किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, अशोक बच्चे को किडनेप किये जाने के बाद सूचना पुलिस को समय पर दे दी गई थी लेकिन पुलिस ने उस सूचना पर रिपोर्ट समय पर दर्ज नहीं की। जब पिछले सितम्बर में सैशन चल रहा था, उस समय भी इसको हमने मूव किया था। 7 जून को जब मैं जयपुर के लिये रवाना हो रहा था उससे पूर्व पुलिस स्टेशन पर मैंने स्वयं कहा था कि इस बच्चे का किडनेप हुआ है, इस बारे में इत्तला दर्ज करिये–मामला दर्ज करिये और मैंने कहा, मुस्तैदी से काम करिये। मैंने एस. पी. से भी कान्टेक्ट किया, डीवाई. एस. पी. से भी कान्टेक्ट किया और कहा कि वायरलेस कीजिये लेकिन उस समय मैं बताऊं यह मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन फिरौती मांगी गई। फिरौती मांगे जाने वाला पत्र पुलिस में दर्ज किया गया किन्तु पुलिस में प्रस्तुत करने के बाद जिस ढंग से, जिस मुस्तैदी से और जिस प्रकार सावधानीपूर्वक काम किया जाना चाहिये था, वह नहीं किया गया। उस स्थान पर उसका बाप पहुंचा, पहुंचने के बाद पुलिस ने ऐसी कार्यवाही की कि सब व्यवस्था टूट गई। मेरे ख्याल से फिरौती मांगने वाले और किडनेप करने वाले वाच कर रहे थे। पुलिस फोर्स को जानकारी मिलने के कारण न तो फिरौती लेने वाले आये और न ही पुलिस ने उनका कुछ किया। दूसरे दिन घोड़ी से एक रास्ता पाटनिया और दानपुर जाता है उसमे उस बच्चे की लाश मिली, जर्जरित अवस्था में लाश मिली कपड़े मिले। कपड़े में केवल नेकर मिला, शर्ट गायब थी। अध्यक्ष महोदय, उसके पेरेन्ट्स और मां-बाप जितनी जानकारी थी, वे बराबर

(श्री बंशीलाल पटवा)

पुलिस को देते रहे उसके बाद भी कोई तवज्जोह नहीं दी गई। परिणाम यह हुआ उसकी हत्या हो गई और दूसरे दिन, तीसरे दिन अरनी मां की गुफा मे उस अशोक बच्चे की शर्ट मिली, शर्ट की एक बांह मिली। बेरहमी से उस बच्चे को कत्ल कर दिया गया। जो जो जानकारी पेरेंट्स को मिली वह सब पुलिस को देते रहे, फिरौती का पत्र दिया। पुलिस बराबर स्टेटमेन्ट देती रही कि हमको कुछ सुराग मिला है और इस तरह के हम प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी बातें पुलिस करती रही, अध्यक्ष महोदय, लेकिन हत्या का पता नहीं चला।

इसी तरह मे पिछले दिनों बनेड़ा में पार्वती बाई, जो एक रेपूटेड परसन की औरत थी, बेरिस्टर की औरत थी, को रास्ते में मार दिया। उनको बाथरूम में फंसा गये। उसका सारा माल लूटकर ले गये। अध्यक्ष महोदय, कई हत्यायें हुई हैं लेकिन आज दिन तक पता नहीं चला। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अशोक की हत्या हुई तो पांच हजार कम्पेनसेशन के रूप में या मुआवजे के रूप में भेंट किये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अर्ज करूं कि आज किसी का बच्चा इस तरह से मर जाय और पांच हजार रुपये दिये जायें तो मैं कहता हूं मुख्य मंत्रीजी का बच्चा मुझे सौंप दें, मैं उनको एक लाख रुपया देता हूं। कहने का मतलब है राजस्थान में पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं, राजस्थान का पूरा लॉ एण्ड आर्डर टूट चुका है। यह सरकार उस बच्चे के मां बाप के आंसू तक नहीं पोछ पाती है। मैं सोचता हूं मुख्य मंत्री जी का जिला है जहां इस तरह की हत्यायें हो रही हैं और वे कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो काहे को सरकार में बैठे हैं।

तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि यदि इस सरकार को थोड़ी बहुत भी शर्म है तो भीलवाड़ा जिले में जितनी भी हत्याएं हुई, जितने भी किडनेप्स हुए हैं उनमें जितने भी दोषी व्यक्ति हैं उनका पता लगायें और उनको सजा दें। यदि पता नहीं लगा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि इस राज्य में मुख्य मंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों उनको राज करने का अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अशोक जैसे मासूम बच्चे की हत्या कर दी जाय और पता नहीं लगे। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इस बारे में राज्य सरकार की मार्फत यदि कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं तो अभी भी करनी चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि आज एक अशोक मरा, कल के दिन दूसरा अशोक मारा जायेगा फिर तीसरे दिन कोई तीसरा अशोक मारा जायेगा। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं धीरे धीरे आपकी और मेरी बारी भी आ सकती है अगर इस तरह की स्थितियां रहीं तो। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि सरकार सुधार करे अन्यथा इस्तीफा दे।

श्री अध्यक्ष : **श्री दाऊदयाल जोशी, श्री हीरालाल आर्य, श्री रघुवीर सिंह कौशल।** राजस्थान नाभीय विद्युत परियोजना के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन।

(श्री अध्यक्ष)

आधे घन्टे की चर्चा
राज्य में कोयले का
आवंटन

(तारांकित प्रश्न संख्या 33,
दिनांक 7 मार्च, 1984)

आधे घण्टे की चर्चा। श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा राज्य में कोयले का आवंटन विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर में जो दिनांक 7 मार्च को दिया गया उससे उत्पन्न मुद्दों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, 7 तारीख के प्रश्न का श्रीमान् मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया उसमें 2, 3, 4 मुद्दे खड़े कर दिये। पहला मुद्दा तो यह कि हमको रैक्स पूरे नहीं मिलने के कारण हमें रेलवे मूवमेन्ट, कलकत्ता पूरा अलाटमेन्ट नहीं देता, इस कारण से हम नहीं ला पाये। दूसरा यह कि हमने स्पोन्सर जितनी मात्रा में किया उसकी तुलना में भी हम मुश्किल से 10 प्रतिशत ला पाये। इस तरह के कुछ इश्यू खड़े किये। श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सामने इस बात को लाना चाहता हूं कि रेलवे मूवमेन्ट कलकत्ता ने राजस्थान को साल भर में 4500 वैगन अलाट कर रहे हैं, 375 वैगन्स प्रति माह के हिसाब से लेकिन हम अपने उन वैगनों का उपयोग नहीं कर पाये। इस कारण उन्होंने आपको एक चिट्ठी 21 नवम्बर, 1983 को लिखी कि जितना आपका अलाटमेन्ट है, इस अलाटमेन्ट का आप ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। श्रीमान्, मैं आपके सामने उस चिट्ठी के कुछ शब्दों को रखना चाहता हूं जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि वास्तव में हम केवल अपनी कमजोरी के कारण से यह कोयला नहीं ला पाये थे। उनकी चिट्ठी का रेफरेन्स है "Existing capacity for movement of racks from Bengal, Bihar are not being fully utilised due to cancellation & non commission of programme by consumers and their suppliers. कन्ज्यूमर्स, जो सप्लायर्स हैं, जिनको आपने इस बात के लिए स्पोन्सर किया था उन लोगों को जितने रैक्स वहां से लेने चाहिए थे वह नहीं लाने के कारण, हमने उन वैगनों का यूटीलाइजेशन नहीं किया। तो यह कहना कि उनके कारण से हम कोयला नहीं ला पाये यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। श्रीमान्, यही नहीं, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह यह है कि हमने 1981 में जैसे ही अपनी नीति परिवर्तित की उसके कारण हम इस कोयले को पूरा नहीं ला पाये। 28-4-1981 को हमने एक आदेश निकाला, उस समय जो आनन्दी लाल जी रूंगटा, आयुक्त थे उन्होंने उस आदेश के बाद यह किया कि कोई भी व्यक्ति ला सकता है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी बेच सकता है। यदि आप चाहें तो मैं उस आदेश को भी पढ़ कर आपके सामने बताना चाहता हूं, जिससे यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि आपने वास्तव में चाहा तो यह था कि ज्यादा से ज्यादा लोग लायें, ज्यादा से ज्यादा कोयला हम ला सकें और हम अपने यहां के कन्ज्यूमर्स को सस्ता और कम दामों पर उपलब्ध करा सकें। हमारी मन्शा तो यह थी लेकिन आपका पत्र 28 अप्रेल, 1981 का है, "राजस्थान में कोयले के उपभोक्ताओं पर से सभी तरह

Page No. 62

(22)

(श्री गुलाचन्द कटारिया)

के कोयले की खरीद अपनी आवश्यकतानुसार कहीं से भी किसी भी मात्रा में करने के लिए सभी पाबन्दियां तुरन्त प्रभाव से उठा ली गयी हैं। राज्य के बाहर से कोयला खानों से राज्य सरकार की बिना किसी पूर्व स्वीकृति और परमिट के वर्तमान डिपो होल्डर्स और अन्य व्यापारी अपने प्रबन्ध और खर्चे पर कोयला लाकर काम में ले सकेंगे तथा बिना प्रतिबन्ध राज्य भर में कहीं भी किसी भी भाव से बेच सकेंगे। बिना राज्य सरकार के रसद विभाग की स्पोंसरिंग के"

तो, इससे आपने एक तरह से यह छूट दे दी कि चाहे जितना चाहे जहां से लायें और चाहे जहां बेचें। इस छूट का फायदा राजस्थान के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उठाया, केवल 6 ऐसी फर्म हैं जिन फर्मों ने इस आर्डर का दुरुपयोग किया और आपके अधिकारियों के साथ मिल कर के राजस्थान के उपभोक्ताओं को झुलसती हुई महंगाई की भट्टी में झोंक दिया। आर्डर की मंशा तो यह थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग लायें, डिपो होल्डर्स भी लाना चाहें तो वह भी लायें जिसके कारण से अधिक से अधिक कोयला आये लेकिन इस आर्डर का मिसयूज किया। उनके कारण से जयपुर कोल उद्योग, कालरा ब्रदर्स, अनुराग कोल ब्रदर्स, जे0 जे0 कोल कार्पोरेशन, बी0 एल0 अग्रवाल और कुलीन एन्टरप्राइजेज ये 6 ऐसी फर्में हैं, श्रीमान्, जो पिछले 30 महीने से इस आर्डर का दुरुपयोग करके अपनी एक मोनोपोली कायम करके जितना कोयला इनको स्पोन्सर किया गया, उस स्पोन्सर्ड कोयले को नहीं लाये। श्रीमान् आपने, प्रश्न के जवाब में 1983–84 में 4500 वैगन्स बताये थे उसमें 2260 वैगन्स स्पोन्सर किये। उसमें से ये लोग 75 वैगन्स बी. एच. हार्ड कोक, सोफ्ट कोक 75 वैगन्स, एस. एल. बी. 32 वैगन्स लाये। इसका मतलब यह है कि जितना आपने स्पोन्सर किया उसका केवल 10 प्रतिशत उठाकर लाये और हमारा राजस्थान का जितना कोटा था उसका केवल 5 प्रतिशत कोयला हमने उठाया। क्या इसके कारण से लोगों को राजस्थान में तकलीफ नहीं हुई? मन्त्री महोदय इस बात को भी बतायें कि क्या इसी समय में, 1982 के अन्त में, दिसम्बर महीने में राजस्थान में 500 कोयला डिपो के जो लोग है जो राजस्थान के विभिन्न कोनों में रहते हैं उन्होंने आपके पास इस कोयले को लाने के लिए प्रतिभूति राशि जमा करायी थी। वह प्रतिभूति राशि दिसम्बर, 1983 में इन्होंने फिर से लौटायी। उनकी प्रतिभूति राशि प्रति टन पर सौ रुपये थी वह लगभग 10 लाख रुपये थी। अगर 10 लाख रुपये डिपाजिट हमारे पास थे इस बात के लिए कि उनको भी स्पोन्सर करने के लिए राइट दिया जाय तो फिर आपने उनको क्यों नहीं किया? फिर प्रतिभूति राशि आपने दिसम्बर, 1983 में वापस क्यों लौटायी? लौटाने के बाद फिर आपकी विज्ञप्ति में दिसम्बर, 1983 में दोबारा आपने क्यों कहा कि फिर से पैसा जमा कराइये हम आपको भी स्पोन्सर कर देते हैं? कृपया आप इसका अर्थ समझिये। इसका मतलब यह लगता है कि जो 500 लोग लाना चाहते थे, जिन्होंने आपके पास सौ रुपये प्रति टन के हिसाब से पैसा जमा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कराया था, आपने उन 500 डिपो होल्डर्स को कोयला नहीं दे कर के केवल इन 6 फर्मों को देकर के यह स्थिति क्यों पैदा की ?

श्रीमान्, यही नहीं. आपने एक और देखा होगा 1.9.83 का आदेश जो आपके यहां से निकला है उसको आप थोड़ा देखिये। यही है सबसे पहला रोग का कारण जिसने इतनी बड़ी बेईमानी करायी। मेरा ऐसा अनुमान है पिछले 30 महीनों में लगभग डेढ़ दो करोड़ रुपये की जो मुनाफाखोरी हुई वह किस कारण से हुई ? जिस व्यक्ति को यह आदेश निकालने का अधिकार था क्या वह नीति सम्बन्धी आदेश भी स्वयं तय कर सकता है ? इस आदेश को आप पढ़िये : "उपरोक्त विषय में लेख है कि विभाग द्वारा कोयला व्यवसायियों को राज्य में एस.एल.वी. कोल लाने हेतु स्पोन्सर किया गया। सम्बन्धित कोयला व्यवसायियों द्वारा राज्य में कोयला प्राप्त होने पर खाद्य विभाग को समय पर सूचना दी जावे। एस. एल. वी. कोल समय पर प्राप्त होने पर व्यवसायी राज्य के किसी भी डिपो होल्डर को व उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार गंतव्य स्थान पर या अन्य स्थान पर बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं। एस. एल. वी. कोल की बिक्री पर विभाग की ओर से कोई प्रतिबन्ध नहीं है।" यह आदेश एस. एल. वी. कोयले का इसमें नहीं था उसको भी आपने इसमें क्यों डाला ? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। श्रीमान्, इसी अक्टूबर महीने के पहले, सितम्बर के महीने में जो एक अग्रवाल मिस्टर बन्धु हैं उनके ट्रक का माल पाली में पकड़ा गया था। पाली के कलेक्टर ने इस माल को पकड़ कर सीज कर दिया कि आखिर आप बिना परमिशन के लाये तो कैसे लाये। इस आदमी को छूट दिलाने के लिए उन्होंने यहां आकर अपनी एसोसिएशन, जिसमें केवल 6 लोग हैं, से एक चिट्ठी लिखाई, हमारे डिपार्टमेन्ट को। कितना एफिसिएन्ट डिपार्टमेन्ट है, हमारी बात कोई सुनता नहीं है, उसको जो आपने प्रतिलिपि भेजी। उसको आप पढ़िये। 4 प्रतिलिपि राजस्थान कोल मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, चाणक्य मार्ग, जयपुर को। दिनांक 28.9.1983 को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमको इतनी तकलीफ है। आपने तीन दिन के बाद, केवल तीन दिन के बाद उनको यह पट्टा दे दिया जिसके कारण उन्होंने वहां से यह कोयला ले लिया। इस तरह के आर्डर के आधार पर इन लोगों को मुनाफाखोरी करने के लिए छूट दी। फिर यह आर्डर जिस आदमी ने लिखाया, यह उपायुक्त खाद्य और रसद उप-सचिव हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो नीति सम्बन्धी प्रश्न है, जो हम इस तरह का कोटा लाते हैं क्या उसको हमें इस तरह से बाजार में बेचने का अधिकार है या हमारे डिप्टी सैक्रेटरी को यह अधिकार है क्या कि वह दे सकता है कि चाहे जहां ले जाकर बेचे ? एस. एल. वी कोल का जहां तक अभी का सवाल है उसका नाम नहीं था उसको भी आपने इसके आधार पर छूट दे दी, जिसके कारण वह ब्लेक मार्केट करता रहे। श्रीमान्, यही नहीं हमें तो यह भी सोचना होगा कि इसके कारण राजस्थान के लोगों को कितना नुकसान हुआ है ? जो कोयला पचास रुपये क्विण्टल मिलता था

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वहीं कोयला 1400 रु. क्विण्टल और यहां तक कि कई बार तो दो सौ रुपये क्विण्टल के हिसाब से भी यहां के लोगों को मिला है। क्या राज्य सरकार कभी इस बात पर विचार करती है कि इसकी समय पर नहीं लाने के कारण से इस प्रकार की समस्यायें होती हैं ? यहां तक कि हमको भी अखबारों के माध्यम से, दिसम्बर के महीने में अखबारों के माध्यम से पहली बार यह जानकारी मिली। उसमें लिखा था कि राज्य का आवंटित अस्सी प्रतिशत कोयला नहीं आ सका। उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया है। नहीं आ सकने का कारण क्या है कि रेलवे मूवमेंट बोर्ड ने आपको लिखा था और यह कहा था कि आप अपनी डिमाण्ड दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह तक हमको पहुंचा दें जिसके आधार पर हम आपका जो भी अलाटमेंट होगा उसको तय कर सकेंगे लेकिन आपके विभाग ने यहां से कोई उनको सूचना तक नहीं भेजी कि आपको कितना आगे साल कोयला मिलेगा। मैं आज भी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज की तारीख में भी आप यह बता सकते हैं कि आपने रेलवे मूवमेंट को कोई चिट्ठी लिखी है। हम तीन महीने पूरे करने चले आए हैं इस 84 वर्ष के, इसके बाद भी चिट्ठी नहीं गई। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि 14 मार्च के दिन इस बात को फिर अखबारों में प्रकाशित भी किया गया। निर्देशक रेलवे मूवमेंट बोर्ड ने 84 के कोयले सम्बन्धित कार्यक्रम के बारे में 30 नवम्बर, 83 तक सूची मांगी थी जो खाद्य एवं रसद विभाग ने नहीं भेजी। इसके अलावा 83–84 में रसद विभाग ने 4500 वैगनों के एवज में 2260 वैगन ही स्पोंसर्ड किए जब कि डिपो होल्डर्स की विभाग के पास प्रतिभूति सौ रुपया प्रति वैगन के हिसाब से जमा थी। श्रीमान्, यही नहीं, इस 84 के साल में तीन महीने पुरे समाप्त हो गए लेकिन इन तीन महीनों में भी हम किसी प्रकार का कोयला नहीं लाए। श्रीमान्, यही नहीं यह कोयला आया, जितना आपने स्पोंसर किया और जितना आपके जिला रसद अधिकारी के रिकार्ड में आया उससे भी ज्यादा कोयला जो हमने उनको स्पोंसर किया था वह लोग कोयला लाए थे और ये लाए थे दिसम्बर के महीने में और उन्होंने यहां ला करके जयपुर में डम्प कर रखा है। क्या कभी आपके विभाग के लोगों ने जानकारी रखी कि कोयला डम्प करके मुनाफाखोरी करके एक आदमी इस पर कब्जा करके बैठा है। यह आदमी कोयला लाया था। कब लाया, किस तरह से लाया, क्या आपके नियमों के अनुसार है ? हमेशा ऐसा नियम बना रखा है कि जब भी आप उसको स्पोंसर करते हैं उसके साथ आपकी कुछ शर्तें बना रखी हैं, जिन शर्तों का उसको पालन करना पड़ता है, क्या उन्होंने इन शर्तों का पालन किया ? कभी विभाग ने इस बात को देखा ? उसमें सबसे पहली शर्त है कि कोयला स्पोंसर करने की तिथि से छः माह की अवधि में कम से कम स्पोंसर वैगनों के आधे वैगन आवश्यक रूप से लाने चाहिए। जितने हमने 2200 वैगन स्पोंसर किए उसकी तुलना में अगर 220 वैगन आए तो जो यह आधी संख्या पचास प्रतिशत आपके हिसाब से आनी चाहिए, वह भी नहीं आयी तो आपने उनके खिलाफ क्या किया ? क्या आपने उनको यह देना बन्द कर दिया ? क्या

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किसी प्रकार की और कार्यवाही उनके खिलाफ की ? आप तो केवल एक कार्यवाही करते हैं कि एक वैगन के लिए उसकी जो फिक्स्ड डिपोजिट मनी जमा रहती है तीन हजार उसको केवल कैंसल कर देते हैं। इतने बड़े चोर जो लाखों करोड़ों रुपयों को डकार रहे हैं, उन्होंने मिल करके ऐसी मोनोपोली बना ली है और उन्होंने आपकी सारी मशीनरी को करप्ट कर दिया और उसके आधार पर यह कोयला उठता चला जा रहा है। इसी के साथ आपने यह भी लिखा है, दूसरी शर्त यह है कि कोयला गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर, सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी एवं खाद्य आयुक्त को समय पर सूचित करना आवश्यक है। जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार रोस्टर प्रणाली के आधार पर डिपो होल्डर्स को बेचने देना आवश्यक है। क्या उन्होंने डिपो होल्डर्स को बेचा ? क्या डिपो होल्डर्स के तीस रुपये, जो सोफ्ट कोक है उसके एक टन पर फिक्स्ड हैं और 45) रु. हार्ड कोक के ऊपर फिक्स्ड हैं क्या उसके अनुसार उन लोगों को दिया है ? क्या आपको यह भी जानकारी है कि इन लोगों से अधिक रुपया ले करके, अधिक पैसे ले करके जिसका हिसाब में नहीं आता, रसीद में नहीं आता, इन कोल डिपों को मजबूरी में बाजार में बेचने के लिए और अपने बच्चों को जिन्दा रखने के लिए भी यह उन लोगों को देना आवश्यक था और क्या ? इस कारण से उन्होंने दिया ?

क्या आज भी, अभी भी आपका वैगन आया है ? उस वैगन का कोयला आज भी गांधीनगर पर डम्प पड़ा हुआ है, उसको कोई ले नहीं रहा है ? क्या आज भी उसको उठाया नहीं जा रहा है ? उसके कारणों के बारे में भी आपने जांच की कि आखिर किस कारण से नहीं उठा रहे हैं। श्रीमान, पिछली बार जब छोटे छोटे जो कोल डिपोज के लोग हैं उन्होंने जब कोयला उठाया तो वजन में बहुत कम निकला। आपने रेट तय की है उसको बेचने की, एक सीमा तय है, आखिर उनको घाटा खा करके वजन में कम आने के कारण नहीं लिया और इस बार भी उन्होंने यही बात रखी कि हम कोयला लेंगे लेकिन हम वजन के आधार पर लेंगे, वजन करके लेंगे और अगर साढ़े सात प्रतिशत वजन में कमी हुई तो इतना तो हम बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अगर साढ़े सात प्रतिशत से वजन अधिक होगा तो उसकी हमको पूर्ति करनी चाहिए। क्या आपने आज दिन तक किया और पिछले कुछ दिन तो आपको डेमरेज नहीं लगा लेकिन पिछले चार पांच दिन से वह डेमरेज भी लग रहा है। कोयला आ गया। इस तरह से आपने लगातार इन लोगों, इन पूंजीपतियों, केवल छः लोगों ने सारे राजस्थान में इस कोयले मोनोपोली कर ली, और विभाग किस कारण से मौन बैठा है। यह विभाग की मिली-भगत से इन छः लोगों को ही यह सारा कोयला दे करके बाकी जो पांच सौ अन्य आपके लाइसेंस होल्डर हैं, जिनको आप जानते हैं, जो आपके पास में बार बार निवेदन करते रहे हैं उनको वंचित रखा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

गया है। यहीं नहीं, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आखिर इन लोगों ने शिकायत आज तो नहीं की। लगभग तीस महीने से इतनी बड़ी सूची आपकी बना दी जिसमें आपकी देश की प्रधान मन्त्री से ले करके राजस्थान के मुख्य मंत्री, राज्यपाल, आपको, आपके आयुक्त और जितने अधिकारी हो सकते हैं उन सब को इस बारे में हमेशा लिखते रहे हैं। यही नहीं मुझे कई बार तो अफसोस इस बात का होता है कि आपके यहां के जयपुर जिले के तीन माननीय सदस्यों ने, डा. हरीसिंह जी ने आपको इस बारे में पत्र व्यवहार किया, उन्होंने इस बारे में लिखा, तकीउद्दीनजी ने लिखा आपको और श्री जगदीश जी तिवाड़ी ने इसके बारे में पत्र लिखा।

श्री घासीराम यादव : क्या लिखा ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपको पत्र यह लिखा है. "आपके यहां 25–11 के अनुसार हमारे संघ के सदस्यों ने कोयला स्पोंसर प्राप्त करने हेतु प्रतिभूति राशि आपके यहां जमा करा दी। हमारे ये सदस्य आपके यहां रोस्टर सूची में रजिस्टर्ड हैं एवं लाईसेंसधारी हैं और राज्य के सीलिंग के कोटे में असली हकदार हैं। कृपया हमारे सभी सदस्यों के नाम स्पोंसर दिलवाने की कृपा करें।" आखिर उनकी प्रतिभूति राशि आपके यहां जमा है। साल साल भर तक जमा रही और उसके बाद भी उनको लाने की स्वीकृति या उनको छूट क्यों नहीं देना चाहते हैं। केवल यही छः एजेंसियां ही क्यों हैं ? इन्हीं के प्रति आपको क्यों प्यार और ममत्व पैदा हो गया है जो इनके अतिरिक्त आप किसी को देना नहीं चाहते।

श्रीमान्, मेरा आपसे इतना आग्रह है कि अगर इस सारे मामले की जांच करायेंगे तो आपके कई अधिकारी इसमें पूरे के पूरे डूबे हुए हैं। आज दिन तक कोयले के बारे में राजस्थान का सामान्य आदमी, यहां तक हम एम. एल. ए. हैं, हमको भी इतनी जानकारी नहीं थी। यह बात तो पिछली राजस्थान पत्रिका में, दिसम्बर महीने में आने के बाद कि यह कोयला कहां से आता है, कैसे आता है, कहां जाता है, क्या तरीका है और इसके बाद ऐसा लगता है कि इस योजनाबद्ध षड्यंत्र में ये सारे के सारे लोग सम्मिलित हैं जिनके कारण से इन छः लोगों ने जब चाहा तब किसी को डब्बी में बन्द कर दिया, जब चाहा उसका मुंह बन्द कर दिया, जब चाहा वह आर्डर करा दिया, चाहे वह नीति सम्बन्धी हो जिसको मन्त्री मण्डल के अलावा कोई कर नहीं सकता। लेकिन उसको भी आपने निकाल कर आर्डर दे दिया और उसके आधार पर वह माल जहां चाहें ले जावें, कहीं भी बेच दें, उसका कोई भाव तय नहीं, उसकी कोई रेट तय नहीं। श्रीमान्, यही नहीं, जो कोयला वहां से हमको प्राप्त होता है उसकी रेट क्या है ? सोफ्ट कोक का 225) रु. टन है हमारे यहां आ करके जो रेट आपने फिक्स कर रखी है वह 576) रुपये है। हार्ड कोक की 650)' से लेकर के 950) तक

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

की रेट है, टन की। 1175) रुपये में हमारे यहां बिकता है। एस. एल. बी. कोयले का तो कोई हिसाब ही नहीं है। 384) रु. में वहां से लदान होता है, यहां आ करके 1200) रु. में बिकता है, 1500) रु. में बिकता है, चाहे किसी भाव में बिके। आपके इन आर्डरों के तहत उन्होंने चाहे जिस ढंग से बेचा। यह तो केवल आपकी फिक्स किए हुए जो रेट हैं उनकी, हार्ड कोक और सोफ्ट कोक की, इस बारे में भी आपने कभी चिन्ता की कि क्या कोयला बाजार में इसी भाव से बिक रहा है, क्या बाजार में इसी भाव में कोयला मिल रहा है। बाजार में कंजूमर को 130) रु., 140 रु. से लेकर 170) और 175) और 200) रु. तक दे कर के यह लेना पड़ा। आखिर हमको बताइये कि राजस्थान का हिस्सा जब हमको इतनी बड़ी मात्रा में मिला है उसको केवल पांच पर्सेंट ला करके क्या राजस्थान के लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या राजस्थान के उपभोक्ताओं को हम किसी तरह से राहत पहुंचाने जा रहे हैं? मैं चाहूंगा, माननीय मन्त्री महोदय, अगर आप निर्दोष हों तो कम से कम इसमें जितने लोग सजा पाने योग्य हैं उन सब को आप तुरन्त सजा दीजिए। इसमें कोई जांच की गुंजाइश, मेरा ऐसा अनुमान है कि बनती नहीं है। ये मिले जुले होने के कारण है। इसलिए मेरा पहला प्रश्न यही है कि पांच सौ कोल डिपोज के लोगों के पैसे जमा करा लिए, उनको स्पोंसर नहीं किया, आपने बचा हुआ कोयला क्यों नहीं मंगाया। आखिर नहीं मंगाने के पीछे आपका हेतु क्या था?

श्री घासीराम यादव : कब की बात है, कौन से ईयर की?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह 82 के दिसम्बर में पैसे जमा कराये और 83 दिसम्बर में आपने उनके पैसे वापस लौटाये और फिर 83 दिसम्बर में आपने 84 के लिए फिर पैसे जमा किये। आप अपने डिपार्टमेंट से पूछ लीजिये कि कितना पैसा जमा रहा।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा है यह।

श्रीमती उर्जला अरोड़ा : मैं तो दो चार बातें कहूंगी।

श्री अध्यक्ष : बीस मिनट का समय समाप्त हो गया, मन्त्रीजी को उत्तर देना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी अनुमति हो तो दो चार बातें कह दूं। दो ही मिनट लूंगी, आपकी आज्ञा हो तो।

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

सिर्फ एक मुद्दा इसमें नहीं आया उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि यह जो वैगन्स की बात कही गई, जो रोड साइड से आने वाला कोयला था, मंत्री महोदय, जिनकी आपने अनुमति दी,

(1.00 म. प.)

वह कोयला वहां से उठा जरूर है। आपके विभाग को इसकी जांच करनी चाहिये वह जयपुर में आया क्यों नहीं? वह कोयला हमारे राजस्थान में आया क्यों नहीं? वह कोयला वहीं का वहीं रास्ते में बिकता हुआ चला गया और हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहा। इस बात को आपको देखना चाहिये। अगर आता तो हमारे डी. एस. ओ. को निश्चित रूप से रिपोर्ट होती और रिपोर्ट होती तो इसका रिकार्ड होता। तो क्या रिपोर्ट है, क्या रिकार्ड है इसको आप बताने की कृपा करें, जब उत्तर देंगे। यहां मैं कहना चाहूंगी कि इन 6 एजेंसियों को ही क्यों दिया जाता है? बाकी वेचारे ठेला लेकर घूमते हैं, जिनके और डिपोज हैं वे ठेला लेकर घूमते हैं। आपके इंस्पेक्टर्स गये जांच, करने के लिये और उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि वहां डिपो है लेकिन वास्तव में 6 ही ऐसे पूंजीपति हैं केवल जो कोयला बेच रहे है। जयपुर में कोयले की कमी है, इस बात को मैंने कई प्रकार से आपसे मिल कर कहा, मैंने पत्र लिख कर कहा जो शायद रिकार्ड में नहीं है। वह रिकार्ड में क्यों नहीं है? मैंने आपसे आग्रह किया था कि जयपुर के लोगों को कोयले की कमी है तो इस बारे में आप व्यवस्था करें और एक और जो यह गलत काम हो रहा है इसको रोकने की व्यवस्था आप करें। जो उपलब्धि नहीं है कोयले की, उसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं इसके लिये जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कटारियाजी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने यह सवाल पूछ कर दुबारा आधा घंटे की चर्चा रखवा कर इसके बारे में जो भ्रांति फैली हुई है उसको साफ करने का मौका दिया। अखबारों में भी आया है, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, अखबार वालों को कांट्राडिक्ट करना और उनको समझना मेरा काम नहीं है। मैं हाउस का अकांउटेबल हूँ, माननीय सदस्यों का हूं और उनके मार्फत आम जनता का अका-उंटेबल हूं। अखबार में, मैंने पहले भी निवेदन किया था, कई बार जब बात जाती है तो कांट्रडिक्ट करने में दिक्कत आती है। वह बात आई थी, मैंने भी कहा और माननीय सदस्यों ने भी कहा कि 500 लोगों को आपने वापस रुपया दे दिया और केवल 6 पार्टीज को ही स्पोन्सर किया। यह बिल्कुल गलत है। माननीय सदस्यों को जो सूचना है वह गलत है। बराबर 1982 में, 1983 में जितने भी लोगों की जिनकी एप्लीकेशंस थीं, उनको दिया है। 1982 में भी सब को कंपलीट दिया है, एक को भी छोड़ा नहीं और 1983 में भी पहले दिया, दुबारा दिया और फिर बाद में मालूम हुआ कि एस. एल. बी., जैसा कि आप कहते हैं कि फ्री था उसका नाजायज लाभ, फायदा

(श्री घासीराम यादव)

उठा रहे हैं, और वह हमारे घरेलू उपयोग का नहीं है। यह तय होने पर आज से लगभग 13 महीने पहले वह बन्द कर दिया और बचा हुआ कोयला भी जो लेते नहीं थे उनको भी बराबर परफार्मेन्स देखकर, आधा आधा दिया जाय, लेकिन दिया सब को। यह बात गलत है कि पांच-छः को ही दिया है। जितनी भी एप्लीकेशंस थीं, आप रिकार्ड देख लीजिये, यह सही है, मैं तथ्य को कहीं छिपाऊंगा नहीं।

दूसरी एक बात यह भी मुद्दे की समझ लें जो हार्ड कोक और सोफ्ट कोक का आप कह रहे हैं कि रूंगटाजी ने अच्छा काम किया। मैं भी मानता हूं, उन्होंने सभी प्रतिबन्ध हटाये। उन्होंने कहा कि इसको कोई भी ला सकता है। एक उदार नीति अपनाई। कोई लाने का मतलब, बिना लाइसेंस वाले भी ला सकते हैं और जिसके पास लाइसेंस नहीं है वह भी। राजस्थान के बाहर का भी ला सकता है, और वह ला सकते हैं सड़क से या वैसे किसी भी हिसाब से लेकिन जो रेलवे से लायेंगे उनके बारे में दो चीजों की विज्ञप्ति निकाली, हार्ड कोक और सोफ्ट कोक के बारे में इतना इतना कमीशन देंगे। वह कमीशन रखा 30 रुपये सोफ्ट कोक पर और 45 रुपये हार्ड कोक पर। इस विज्ञप्ति से सप्लाई करते रहे हैं और उनसे एप्लीकेशंस मांगते रहे हैं। यह भी था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कोई भी भेदभाव नहीं, जो पहले आया उसको दे दिया, जो दुबारा आया उसको भी दे दिया। इसलिये इस तरीके से चलता रहा।

एक जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जो आर्डर निकला है वह एस. एल. बी. कोक का है। सोफ्ट और हार्ड कोक के बारे में तो जैसा आपने कहा, रोस्टर प्रणाली से दिया गया है जहां जहां मांग थी, लेकिन जहां मांग नहीं है, कोई लेने वाला ही नहीं है वहां तो रोस्टर प्रणाली का कोई अर्थ ही नहीं। मान लीजिये, चूरू में चला गया तो वहां तो लेने वाले भी बहुत ही कम हैं तो रोस्टर प्रणाली का क्या अर्थ लेकिन जयपुर या और कहीं जहां मांग थी वहां डी. एस. ओ., जिला रसद अधिकारी के जरिये निश्चित कमीशन पर हिसाब लेकर उस हिसाब से दिया गया। यह जो एस. एल. बी. कोक के अलावा नई ईजाद है, विज्ञप्ति निकाली, एडवर्टाइजमेंट हुआ था, उसके डेढ़-दो साल बाद किसी ने कहा कि एस. एल. बी. कोक ऐसा है जो वहां फ्री सेल है अर्थात् कोई कितना ही लाये डी-कंट्रोल्ड है। इसलिये अगर कोटा लैप्स होता हो तो ला सकते हैं। उस वक्त तो किसी को पता नहीं था कि यह किस काम आयेगा, इंडस्ट्रियल यूज का है या सिविल कंजम्पशन का है या कैसा है। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि ले आओ लैप्स कोटा के अन्तर्गत। तो कभी भी कोटा, जितना आपने बताया, मैंने पहले ही निवेदन किया था, इसमें ज्यादा कभी आया नहीं। इस साल भी कह रहे हो कम आया है या और भी कोई आ गया है। उसके बाद और अब करीब 7–8 प्रतिशत हो गया। अभी दिसम्बर से 6 महीने तक ला

Page No. 70

(30)

(श्री घासीराम यादव)

सकते हो तो मार्च, जून तक और आ सकता है। इस साल का, हो सकता है, 8–10 प्र. श. पहुंच जाय। पिछले साल 12 प्रतिशत था। इस साल 8–10 प्र. श. पहुंच जायेगा। यह जो फालतू लाये हैं एस. एल. बी. कोटा, पिछले साल भी और इस साल भी, लैप्स कोटा के अगेन्स्ट में, उससे तो हमारा 25 प्र. श. हो गया। पिछले साल का भी और इस साल भी ज्यादा हो जायेगा, 20 प्र. श. के करीब। तो कोयला के बारे में जहां तक यह चर्चा है, असल में मैं साफ करना चाहता हूं कि हार्ड कोक के बारे में कोई शिकायत नहीं है, रोस्टर से विकता है। बिल्कुल सही बात है हार्ड कोक के बारे में विज्ञप्तियों से बाकायदा उनको एक तरफ से दबा कर डीलर्स को दिया जाता है कि तुम लो नहीं तो तुम्हें ब्लेक लिस्ट करेंगे, तुम बेचो। मतलब इसकी मांग इस हिसाब से नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका था कि जो गैस आ रही है और जिस तरीके से आ रहा है कोयला, यह बेचा नहीं गया है। पिछले साल एडवर्टाइजमेंट किया, आप लीजिये। पड़ा रहा और फिर वारफेज-पता नहीं क्या कहलाता है, वह लगा, सप्लायर्स के, दूसरों के लगा और 15 दिन में जाकर बिका। इस साल अभी जैसा आप फर्मा रहे हैं, पड़ा है 15 दिन से, तो सप्लायर, जैसा आप कहते हैं, 6 हैं, 5 हैं, 10 है मान लो और भी हैं उनको कौन मना करता है। पड़ा है, कोई ला नहीं रहा है। यह जो आप कहते हैं साढ़े सात प्रतिशत का, हमारे खाद्य आयुक्त ने कहा साढ़े सात प्र. श. तो पिछली दफा तोल कर नहीं लाये थे और अब तोल कर लाना पड़ेगा। आज तक कोई तोल कर नहीं लाया था अब तोल कर लाना पड़ेगा, वह साढ़े सात प्र.श. कटौती होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। फिर भी नहीं ला रहे हैं तो सौफ्ट कोक और हार्ड कोक के बारे में जो डिपार्टमेंट में चिंतन चल रहा है वह बिल्कुल सही है। सही बात यह है कि सोफ्ट कोक लेने में कोई विशेष फायदा है नहीं के वह कम लाते हैं, इसलिए कम लेते हैं यह बात सही है, यह छिपाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। उनको जो हमने स्पोंसर किया था वह पूरा ले आते तो बहुत ज्यादा पर्सेंटेज हो जाता। वह लाये नहीं लेकिन और लोगों को भी दिया है जिनके लिये आपने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत बताना चाहता हूं, सप्लायर का नाम लेकर किसी को कोसने का कोई अर्थ नहीं है। एक वैगन लेने में 6 लाख रुपये करीब लगते हैं तो डिपो होल्डर तो नहीं ला सकता है। डिपो होल्डर जो लाते हैं उनसे भी मंगवाते हैं, रिकार्ड है उनको एजेन्ट बनाते हैं लेकिन यह ला ही नहीं सकते। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो और डिपार्चर करके सिस्टम से अलग तरीके से उनको दे रहे है। वरना आप देखिये, सीमेंट और चीनी में सप्लायर्स और रिटेलर्स अलग अलग हैं। हमने कहा, डिपो होल्डर्स भी सप्लायर्स का काम करें तो करें। वह भी एस. एल. बी. कोक को रोस्टर प्रणाली से नहीं बेचें। उन्होंने भी अपने आप ही बेचा है। रोस्टर प्रणाली एस. एल. बी. कोक में नहीं लगती। इसका कारण यह है कि प्रेस विज्ञप्ति में ऐसा कोई कमीशन नहीं था, 30–45 थे नहीं, नई इजाद थी, मालूम

(श्री घासीराम यादव)

नहीं पड़ा। जैसे ही मालूम पड़ा कि यह सिविल कंजम्पशन का नहीं है, घरेलू उपयोग के काम नहीं आता तो हमने 13 महीने पहले बन्द कर दिया। इसमें हो सकता है कि उन्होंने ज्यादा मुनाफा उठाया हो, क्योंकि हमें कमीशन का पता नहीं, कमीशन हमने तय नहीं किया, जब कीमत ही नहीं तो रोस्टर से क्या बिकवायें। इसके अलावा एस. एल. वी. ही नहीं और भी जो ब्रिस्क कोक भी ले आये, कई बार लेप्स कोट के अगेन्स्ट में ले आये। एक बात यह भी समझने की है कि सोफ्ट एवं हार्ड कोक वहां बिकता है, पूरा मिलता नहीं है, मतलब मिलेगा अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अगर सोफ्ट कोक है ही नहीं, हिन्दुस्तान में नहीं मिलता सोफ्ट कोक, जो अलोटेड सोफ्ट कोक और हार्ड कोक है उसी हिसाब से बाद में वहां लिखा जाता है कि यह तो नहीं मिलता, और कोई आप ले लीजिये। इसमें ये एस. एल. वी. कोक ले आये। उसके बाद में कभी ब्रिस्क कोक ले आये, कभी स्टीम कोक ले आये उनके ऊपर कमीशन तय नहीं था, प्रेस विज्ञप्ति के तहत चलता था, हम इसमें कीमत नियंत्रित नहीं कर पाये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री घासीराम यादव : एक बात और अर्ज करता हूं। उन्होंने कहा कि यह निकाल दिया कि यह बेच सकते हैं। इसके बारे में तीन बार फैसले हो चुके थे। पहले मेरे पास आया था, फूड कमिश्नर ने कहा कि इस पर कमीशन तय नहीं है इसलिये रोस्टर से नहीं बिक सकता। भरतपुर के डी. एस. ओ. ने प्रतिबन्ध लगाया, हमारे तत्कालीन कमिश्नर मिश्राजी ने कहा कि यह गलत है यह वापस लिया जाय, यह फ्री सेल का है। इसके बाद मजीठिया जी खाद्य कमिश्नर थे उनके सामने यह सवाल आया, जिस पर उन्होंने वापस आर्डर जारी कर दिये। फिर बाद में बिश्नोई जी खाद्य कमिश्नर थे तब भी यही सवाल आया कि अब इसमें क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम तो इण्डस्ट्री को देंगे हम सीधा नहीं मंगवा सकते। इण्डस्ट्री का कोयला है। है ही नहीं, घरेलू उपयोग का। उन्होंने दावा मुंसिफी में किया। मुंसिफी से स्टे आया। फिर इण्डस्ट्री को दिया। इण्डस्ट्री ने विथड्रा कर लिया, इसको नहीं लेना चाहते हैं। हमारे उपयोग का नहीं है। अंत में सुप्रीम कोर्ट में जीते। फिर यह बात मेरे पास आयी। मैंने इसको साफ किया। पहले यह तय हो चुका है तो इसकी बार-बार बात आवे, इसका उपयोग घरेलू काम के लिये नहीं है। सब लोग इकट्ठे हो जायें कि हमें दिलाओ, हमें दिलाओ मुनाफा। डिपो होल्डर्स में, उनमें बांटने की बात थी। घरेलू उपयोग में तो काम ही नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमने साफ किया। आप इससे सहमत होंगे कि बार बार जब वही रेट आवे, बार बार बीस आदमी एक तरफ और बीस आदमी एक तरफ हों, हम तय करें और हमारा जिला रसद अधिकारी तय नहीं कर पाये और मुंसिफी में जायें, इससे अच्छा है कि उसको साफ कर दिया जाय। 90 पर्सेन्ट तो दिया और 10 पर्सेन्ट बचा था, मैंने कहा,

(श्री घासीराम यादव)

अब स्थिति यह है कि इसको साफ कर दिया....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें....

श्री घासीराम यादव . इसको साफ करिये और आयन्दा के लिये अगले साल के लिये इसको बंद कर दें....

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि मंत्री महोदय ने ना कहा, मैं आज इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा का समय समाप्त हुआ। कृपया किसी अन्य तरीके से इस प्रश्न को उठावें।

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, केवल एक सैकण्ड का समय दें। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अब आपको 23 मार्च को के. के. राव अपर सचिव, जो भारत सरकार के हैं, ने चिट्ठी लिखी है इस बारे में, उसकी केवल तीन लाइनें पढ़ कर अपनी बात को समाप्त करता हूं।

"आपका पुनः इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जमा खोरी के विरुद्ध विशेष रूप से कार्यवाही की जाये। अतः आप से अनुरोध है कि उक्त मुनाफाखोरी की सही जांच करें और उस जांच से समय पर हम को इसकी पूरी रिपोर्ट दें...." आपको तीन दिन पहले यह जो पत्र प्राप्त हुआ है, यह उनकी शिकायत के आधार पर प्राप्त हुआ है। उन्होंने उनको भी शिकायत की और उन्होंने आपको लिखा है। यह आरोप जो इस तरह का उन्होंने लगाया है, 6 फर्मों ने जो मुनाफाखोरी की है, जिस ढंग से इसमें घपला हुआ है उसकी जांच करके बतायें। मेरे पास ओरिजनल 23 मार्च का पत्र अवर सचिव का है, जो आपके यहां भेजा है। आप इसको देख लीजिये। मैं यह बात यहां पर कह रहा हूं। आप अपने डिपार्टमेन्ट में जाकर देख लीजिये कि दस लाख रुपया डिपोजिट एक साल तक पड़ा रहा था। वह दिसम्बर के महीने में लौटाया या नहीं लौटाया? उन लोगों ने आज भी....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को बिलकुल कोयला नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री गुलाबचंद कटारिया : मंत्री महोदय ने जो बात कहीं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री गुलाबचंद कटारिया : मैं इस बात का फिर से आग्रह करता हूं कि उन लोगों को कोयला नहीं दिया है। केवल...

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, यह जो कागज आया है यह अभी मेरे सामने नहीं आया है। कल ही आया है। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि उनका पैसा लौटाया नहीं है, यह बिलकुल गलत है। आप मेरे दफ्तर में आ जाइये। मैं आपको सारे कागज दिखाऊंगा और अगर इसमें एक भी बात सही है तो. . .

व्यवस्था

विधेयकों पर विचार का समय-निर्धारण

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। विधायी कार्य।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आज की कार्यसूची में चार विधेयक है जो सभा को पारित करने है। लगभग चार घंटे का समय बचा है इसलिये प्रत्येक विधेयक के पारण के लिये एक घंटे का समय निश्चित किया जाता है। एक घंटा समाप्त होने पर सभी आवश्यक प्रश्न पूछ लिये जायेंगे क्योंकि प्रत्येक विधेयक के सम्बन्ध में कई तरह के प्रारंभिक संकल्प अथवा प्रस्ताव हैं, जैसे परिनियत संकल्प है, इस विधेयक को जनमत जानते हेतु परिचालित किया जाये, इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। तो समय की बचत हेतु यह किया गया है। सब तरह के संकल्प अथवा प्रस्ताव प्रत्येक विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्तुत हुए माने जायेंगे और सब पर एक साथ चर्चा हो सकेगी। चर्चा समाप्त होने पर नियमित क्रम में यह सभी प्रस्ताव मतदान हेतु सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा निवेदन है, जो दो विधेयक कानिया उपरोपण (संशोधन) विधेयक और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, इनमें मेरे ख्याल से 15-15, 20-20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको देख लें। यह एक नाम परि र्तन का है. . .

श्री अध्यक्ष : ऐसा है पहले इनको 15-15 मिनट में पास कर दीजिये। फिर मैं ले लूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं जिस रोज यह सूची सामने आयी उस रोज आपसे निवेदन किया था कि शिक्षा क्षेत्र के बहुत दूरगामी परिणाम रखने वाला यह विधेयक है जो आज अधिनियम बनेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी बात समझ ली। यदि सदन की सहमति है तो पिछले दो विधेयक हैं उनको पहले ले लें। उसके पश्चात् जो इन विधेयकों में समय की बचत होगी उसका उपयोग इन विधेयकों में कर लिया जायेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : समय आज भी बढ़ाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप समय बढ़ाते रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय पर इस तरह आप अगर . . .

श्री अध्यक्ष : कोई रुपया पैसा देने की बात नहीं है। समयावधि निश्चित है। पहले दिन ही आप कहें तो भी इसमें तो समय पूरा दे ही नहीं सकूंगा। पहले आप

(श्री अध्यक्ष)

इनको पारित कर दीजिये 15–15 मिनट में, उसके बाद में इनको ले लूंगा। आवश्यक होगा तो समय भी बढ़ा दूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं, इन विधेयकों के द्वारा जो परिवर्तन शिक्षा जगत में लाया जा रहा है उसके बारे में गंभीरता से आपको अवगत कराना चाहता हूं, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें समय की इस तरह सीमा बांध कर...

श्री अध्यक्ष ; समय की सीमा आसन नहीं बांधता है। समय की सीमा कार्य सलाहकार समिति बांधती है। चार घंटे का समय बचा है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आप से निवेदन करूं, 11–11 बजे तक भी बैठती है विधान सभा, जब समय बढ़ाया जाता है...

श्री अध्यक्ष : इसके लिये मैंने पूर्व में व्यवस्था दे दी कि यदि आवश्यक होगा तो चर्चा के दौरान हम समय की बढ़ोतरी कर देंगे। पहले इन दो को ले लेते हैं।

श्री सी० पी० जोशी (नाथद्वारा) : तीनों बिल साथ में रखिये। पारण की स्टेज में तीनों अलग...

श्री अध्यक्ष : वह संभव नहीं होगा। प्रत्येक विधेयक अलग - अलग लिया जायगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : तीनों को एक साथ कैसे करेंगे, विश्व विद्यालय हैं, ऐसे थोड़े ही होगा। तीनों अलग अलग...

श्री अध्यक्ष : ये एक साथ नहीं होंगे, माननीय सदस्या। राजस्थान कानिया उपरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1984 के सम्बन्ध में परिनियत संकल्प, सभी तरह के प्रस्ताव हैं वह प्रस्तुत किये हुए माने जावें और उस पर चर्चा प्रारंभ कर दी जाये। इसके पश्चात् लिया जायेगा जोधपुर विश्व विद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक 1984। इसके पश्चात् जो दो बचे हुए हैं उनको लिया जायेगा। परिनियत संकल्प है इसमें, इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह तो प्रस्तुत करेंगे।....

श्री कैलाश मेघवाल : अपने आप में डिफाइन्ड आइटम है, माननीय अध्यक्ष महोदय और स्टेच्यूट, जो प्रोवाइडेड है कान्स्टीट्यूशन में, तो अलग ही आइटम होगा....

श्री अध्यक्ष : कौन सा ?

श्री कैलाश मेघवाल : स्टेच्यूट की डेफीनेशन है वह विषय सूची में भी अगल ....

श्री अध्यक्ष : इसको मतदान हेतु अलग से प्रस्तुत किया जायेगा।

साथ चर्चा करने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया प्रत्येक पर अगल अलग मतदान होगा।····

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अलग अलग विश्व विद्यालय के····

श्री अध्यक्ष : अलग अलग विश्व-विद्यालय पर अलग अलग चर्चा होगी। प्रत्येक विधेयक को अलग से लिया जायेगा। यह मैंने निवेदन किया था।

तो कोनिया उपरोपण संशोधन अध्यादेश....

श्री उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कानिया उपरोपण को पहले भी सदन में लाया गया था लेकिन वापस ले लिया गया था ····

श्री अध्यक्ष : इस पर कितना समय निश्चित करते हैं? आधे घन्टे का समय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय कहां है? सम्बन्धित मंत्री महोदय कहीं है तो आ जायें।

श्री अध्यक्ष : कोई भी मन्त्री उपस्थित रह सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो इस विषय के बारे में जानते हों।

श्री अध्यक्ष : यह मानकर चलते हैं कि मन्त्रीगण ····

श्रीमती उजला अरोड़ा : टैक्निकल टर्म की बात है सम्बन्धित मन्त्री जी आ जायें।····

श्री भंवरलाल शर्मा इसका क्रम आपने बदला है। इसकी जानकारी मन्त्री महोदय को नहीं होगी। अतः वे यह समझ कर बैठे होंगे कि अपना नम्बर आखिर में आयेगा। पशुपालन मंत्री की आप बात करते हैं वे खुद ही चले गये हैं। वह तो पशु मंत्री है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी आयेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : वे तो पशु मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा प्रारम्भ कीजिये।

विधायी कार्य
परिनियत संकल्प

राजस्थान कानिया उपरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1984

निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया। यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान कानिया उपरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश सं. 3 सन् 1984) को अस्वीकार करता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कानिया उपरोपण के बारे में पहले भी यहां पर बिल लाया गया था, लेकिन किन्हीं कामियों के कारण उसको वापस ले लिया गया। किसी भी अंधे आदमी की, एक आंख से देखने वाले आदमी की पुतली

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

का उपरोपण कर दिया जाय, इस संबंध में यह बिल है। हमारे यहां अभी तक पुतली की सुरक्षा के लिए जो आंखों का कोष बनाये जाने की व्यवस्था की जानी थी वह भी नहीं हुई है। इसमें एक बात यह कही गई कि जो भी लावारिस लाश मिलेगी, उसकी आंखों की पुतलियां निकाल कर वह उपरोपण के लिए उस कोष में जमा करवा दी जायेगी। मेरा यह कहना है कि....

(1.2 म. प.)

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सभापति, पीठासीन]

लावारिस लाश मिलने का इसमें प्रावधान है, तो जो भी कहीं दुर्घटनाग्रस्त होकर के लाश अपने मुर्दाघरों में आयेगी क्या उसके परिवार वालों को जब तक सूचना होगी उससे पहले ही उसे लावारिस लाश मान कर उसकी आंखें निकालने की कार्यवाही की जायेगी या जो अपना प्रतिज्ञा पत्र, अपनी खुद की सहमति दे कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी आंखें मैं दान करना चाहता हूं...

श्री सभापति : कृपया बैठे-बैठे बातें नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिनको आंखों से दिखलायी नहीं देता उनको मेरी इस पुतली का उपरोपण कर दिया जाय या इस तरह से करना चाहता हूं। इस बारे में एक विवाद उत्पन्न हो सकता है क्यों कि कई बार दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो होस्पिटल में दाखिल कर दिये जाते हैं, मुर्दाघर में, उनके परिवार वाले 2 दिन, 3 दिन में सूचना मिलने पर आते हैं। उनके आने से पहले लावारिस लाश मानकर अगर पुतली निकाल ली गई और उसके परिवार वालों की उसमें सहमति नहीं हुई तो मैं समझती हूं यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। इस पर सब से पहले ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस तरह पुतली उपरोपण के बारे में हमारी व्यवस्था रहेगी।

व्यवधान

मंत्री महोदय बैठ जायें, हमारी सुन लें, संबंधित मंत्री महोदय खड़े हैं बातें कर रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : आपने जो मुद्दे उठाये हैं मैं उन्हीं के बारे में ज्ञानवर्धन कर रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पीठ करके सुन रहे हैं, आंखें तो आगे होती हैं। अरे, आप जा कहां रहे हो ? वापस आइये, मुझे आपसे बातें कहनी हैं। मान्यवर महोदय, आने पर भी विषयों पर भी तवज्जह नहीं देकर इस तरह से चले जाना सदन की गरिमा को गिराना है। आपको उनको ताड़ना देनी चाहिए।

श्री सभापति : आप अपनी बात तो कहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मेरी बात कह रही हूं, लेकिन ....

श्री सभापति : कृपया शांति से सुनिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनके सामने कह रही हूं। वे तो पढ़ेंगे भी नहीं इसको।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया व्यवधान नही डालें। कृपया विराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस कार्य के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि यह बहुत अच्छा कार्य है, मैं इस बारे में प्रशंसा करना चाहती हूं कि बिल लाया गया लेकिन इसमें जो बाद में विवाद खड़ा हो सकता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस बात का प्रचार-प्रसार बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए ताकि लोग अपनी मर्जी से अपनी पुतली मृत्यु उपरान्त दान दे सकें, इसके बारे में व्यवस्था करनी चाहिए। मैं इतना ही कह कर मेरा स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : और कोई बोलना चाहते हैं ?

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): सबसे पहले तो सदन का, माननीय मंत्रीजी का····

श्री महाराम चौधरी : 10 नम्बर पर····

श्री सभापति : राजस्थान कार्निया उपरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1984 के संबंध में परिनियत संकल्प में आपका नाम नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यादेश को पास करने के लिए जा रहे है, उसको जनमत जानने के लिए प्रस्तुत करने का निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : यह स्टेज नहीं है, स्टेज आयेगी तब आप कह देना।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बात पर एतराज करना चाहती हुं, माननीय मंत्रीजी को विशेष तौर से निवेदन करना चाहती हूं कि यह सरकार अध्यादेश लाती है, बिल्स लाती है तो इतनी हाफ हार्टेड क्यों लाती है ? बिना सूचना के, बिना जानकारी के क्यों लाती है ? यह सदन का अपमान है। पिछली बार सितम्बर, 1982 में कार्निया ग्राफ्टिंग बिल इस सदन में इन्ट्रोड्यूज किया गया। माननीय सभापति महोदय, आश्चर्य मजाक और अफसोस की बात आप देखिये, आज इसमें संशोधन लाया जा रहा है। यह बिल, जैसा कि इसके स्टेटमेन्ट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में बताया है, कितने इन-कम्पलीट रूप में सदन में सितम्बर, 1982 में रखा गया, इसमें न तो इस बात का ध्यान रखा गया कि जो पैनल कोड, 1860 के सैक्शन 297 का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, न इस बात का ध्यान रखा गया कि इण्डियन मेडिकल कौंसिल की रिकमण्डेशन्स क्या हैं, उसके अनुरूप हैं या नहीं, इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया। और इस तरह से क्वालिफिकेशन और छोटी-छोटी 3-4 बातों का

(श्रीमती विद्या पाठक)

ध्यान नहीं रखा गया। बातें कितनी ही माइनर हों मगर यह मामला बड़ा सेन्सटिव है और ह्यूमन विम्स से डील करता है, लोगों की भावनाओं से वास्ता पड़ता है, इस बात का इसलिए बहुत जरूरी था कि इसका ड्राफ्टिंग बहुत बढ़िया, सोच समझकर किया जाना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि इनके अधीनस्थ अधिकारियों को यदि पेनल कोड की जानकारी नहीं, यदि आई.एम.ए. की धाराओं की जानकारी नहीं, इसकी रिकमण्डेशन्स की जानकारी नहीं, इण्डियन मिनिस्टरी ऑफ मेडिकल अफेयर्स एण्ड होम अफेयर्स के प्रतिवेदन, डाइरेक्शन की जानकारी नहीं। आखिर गवर्नर महोदय को वह बिल भेजा हुआ और प्रेसीडेन्ट महोदय को 1982 में भेजा हुआ बिल 1984 जनवरी में वहां से लौटकर आया। फरवरी, 1984 में गवर्नर महोदय ने इसको इस शर्त पर कि आर्डिनेंस में लगी शर्तें पूरी हो जायं, असेन्ट दी, सहमति दी। माननीय सभापति महोदय, यह आज सदन के सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इतनी अधूरी जानकारी और आधी इन्फार्मेशन के साथ सदन से सहमति ले ली जाय। हम सबको यह स्पष्ट नहीं होता है मगर जब इनके पास इतना बड़ा विभाग है, इनके पास सर्विसेज है एक्सपर्ट लोगों की, इनके कमाण्ड पर इतनी बड़ी धनराशि दी है, सारी दूसरी तरह की व्यवस्था है फिर इस तरह के हाफ हार्टेड, इन-कम्पलीट इन्फार्मेशन के साथ क्यों पास करवाया जाय।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह आती है कि जो आर्डिनेन्स में क्वालिफिकेशन से संबंधित दूसरी बातें दी हैं, मगर इस बीच में जो इसके अन्तर्गत जो कार्यवाही हो गई उसकी लीगल पोजीशन क्या होगी? माननीय, मंत्री महोदय जब आप बोलें तो इस पर प्रकाश डालें। एक प्रश्न के उत्तर में पिछले सदन में...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आधे घन्टे तो पूरे बिल का ही समय है।

श्रीमती विद्या पाठक : प्रश्न यह है, सभापति महोदय, आधा घन्टा इम्पार्टेण्ट है या इस भावनात्मक बात पर चर्चा करना जरूरी है। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूं।

इसके अन्तर्गत जितनी कार्निया ग्राफ्टिंग हुई, आंखें निकाली गई, जिस क्वालिफिकेशन को प्रेसीडेन्ट महोदय ने नहीं माना, गवर्नर महोदय ने नहीं माना, यदि ऐसे लोगों द्वारा निकाली गयी हैं तो उसकी लीगल पोजीशन क्या होगी? इसके अतिरिक्त आपने यह भी कहा है, सेक्शन–4 के पार्ट (1) में यह कहा गया है —

"the person competent under this Act to give authority for the removal of the eyes from such dead body may, if he has reason to believe that the eyes will not be required for the purpose for which such body has been sent for post-mortem examination. . ."

इसमें आगे यह कहीं गया है:—

"authorise the removal for therapeutic purposes, of the eyes

(श्रीमती विद्या पाठक)

of such deceased person provided that he is satisfied that the deceased person had not expressed, before his death any objection to his eyes being used for therapeutic purposes....

माननीय सभापति महोदय, क्या यह उचित है कि प्रिकाशनरी रूप में हम जनता को कह दें, यदि आप अपनी आंख डोनेट नहीं करना चाहते हैं तो चाहे आप बच्चे हैं, चाहे बुड्ढे हैं आप लिख कर रख दें कि हमारी आंखें डोनेट नहीं होगी। इस अफरमेटिव एण्ड पोजीटिव बात की अपील तो जनता से कर सकते हैं। मगर यह कैसी बात है कि यदि जानबूझकर उसने रिफ्यूज नहीं किया है अपनी आंखें निकालने के लिए तो आंखें निकाल ली जायंगी डेड बाडी की। इस विषय में आप विचार करें।

Protection of action taken in good faith. इस good faith. में लेक्सिटी को आप डिफाइन करें। इस की कितनी लेक्सिटी हो सकती है, उसका कितना यूज या मिस्यूज हो सकता है इस विषय में भी मैं पोर्शन (8), आपके संशोधन विधेयक के पार्ट (8) की बात कर रही हूं। Protection of action taken in good faith. good faith की लेक्सिटी जो आपने इस तरह जोड़ी है, उसको भी थोड़ा डिफाइन करना जरूरी होगा। क्यों इस तरह से आंखें निकाल लेने वाले व्यक्ति डाक्टर के अगेन्स्ट गुडफेथ में मान कर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, इन दो विषयों पर आप विचार करें।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्रीमती विद्या पाठक : एक निवेदन और करना चाहती हूं इसके अन्दर जो रूल्स बनाये जायें वे जब तक सदन से अप्रूव नहीं हो जायें, सदन में लाकर सदन की सहमति न मिल जाय तब तक इस बिल को काम में न लें।

श्री सभापति : स्वास्थ्य मन्त्री जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (स्वास्थ्य मंत्री) : सभापति महोदय, जैसा कि सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने अभी बतलाया है कि यह बिल 1982 में लाया गया था और फिर उसी विधान सभा में पारित कर दिया गया था। पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय के पास में भेजा गया और वहां से राष्ट्रपति जी के पास स्वीकृति के लिये भेजा गया। उन्होंने इसमें तीन चार आब्जेक्शन्स किये। एक तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी आंख का दान करता है तो उसके स्वर्गवास के बाद आंखें निकाली जाती हैं तो कोई एक रिश्तेदार पास होना चाहिए और एक साक्षी और होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड डाक्टर द्वारा ही यह आंख निकाली जानी चाहिए। इस तरह के दो-तीन आब्जेक्शन्स वहां से भेजे गये थे। वह आब्जेक्शन्स जब वहां से आये तो गवर्नमेंट ने यह सोचा कि तुरन्त ही प्रभावी कर दिया जाय। उसी दृष्टि से यह आर्डिनेंस लाये और जो भारत सरकार के स्वास्थ्य

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मंत्रालय और राष्ट्रपति जी के सचिवालय से जो सुभाव भेजे गये थे उनके आधार पर ही हम यह आर्डिनेंस लाये है। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं आज चिकित्सा विज्ञान में बड़ी तरक्की हुयी है उसके आधार पर आज कार्निया का ही नहीं पूरी आंख का भी वापस प्रत्यारोपण किया जा सकता है। ऐसे डाक्टर राजस्थान में भी उपलब्ध हैं। ऐसे माननीय कई व्यक्ति होंगे जो आंख को डोनेट करने को तैयार होंगे। आम तौर पर अपने हिन्दुओं में प्रचार यह रहा है कि आंख का दान नहीं देते हैं। वह नहीं चाहते कि मरने के बाद उनकी आंखें किसी को दे दी जायं। इस कारण हम बाहर से लंका से, अन्य राज्यों से आंखें मांगाते रहे हैं। लेकिन इसका धीरे धीरे प्रचार बढ़ा। आम तौर पर बम्बई या गुजरात से मंगाया करते थे। अब राजस्थान में भी कुछ लोगों ने डोनेशन किया है, अब आई बैंक भी स्थापित कर दिया गया है। जो आंख इस तरह से डोनेट की जायेगी तुरन्त लेकर जो भाई अन्धे हैं उनको लगा दी जायेगी, जिससे कि उनको दिखना शुरू हो जाय। यह जो है, अच्छा विधेयक है इसलिये इसको मैं आपके सामने लाना चाहता था। आर्डिनेस लाने का मकसद भी यही था। गत वर्ष कई जगह ऐसे डाक्टर थे जो रजिस्टर्ड नहीं थे, जिनको क्वेक्स कहा जा सकता है, उन्होंने अलवर के अन्दर केम्प लगाया, और लोगों की आंखें फोड़ दीं। धौलपुर में भी ऐसा काण्ड किया। तो हम चाहते हैं कि उन परिस्थितियों से भी बचा जा सके। जो सही रूप में डोनेशन देते हैं, उनकी आंख भी तुरन्त काम में आ जायेगी और जो अन्धे व्यक्ति हैं उनको लाभ मिल जायेगा, रोशनी मिल जायेगी। कुल मिलाकर हमारी भावना है वह यह भावना है कि जनता को लाभान्वित किया जाय।

अब रहा सवाल, यह कि हम डिफैक्टिव बिल लाये हैं, अभी माननीय सदस्या कह रही थी कि आर्डिनेंस कम्पलीट नहीं है। पहले भी हमने जो आर्डिनेंस निकाला था वह भारत सरकार को दिखाकर निकाला था, उनके कानून की नकल की थी। उस पर भी भारत सरकार ने आब्जेक्शन्स किये तो उनको दूर करने के लिये यह लाये हैं। अब कुल मिलाकर मेरे ख्याल से यह परफैक्ट बिल बन जायेगा।

मेरा यह भी निवेदन है कि अगर कोई ऐसा डिफेक्ट रह जाय तो किसी भी वक्त इसमें कोई भी तरमीम लायी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह बिल जल्दी पास कर दिया जाय, तो कोई एक्ट तो नया बना नहीं रहे पुराने में कुछ संशोधन है इसलिये मेरा निवेदन है कि कृपा करके जनमत जानने के लिये और प्रवर समिति को भेजने के लिये जो संशोधन प्रस्ताव रखे गये हैं उनको वापस ले लें। बड़ी कृपा होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय रिक्वेस्ट कर रहें हैं, मैं यह कहना चाहती हूं कि क्या कोई मरेगा तो यह लिखकर मरेगा कि मेरी आंख निकाल ली जायं।

श्री सभापति : आप अपना भाषण समाप्त कर चुके है। मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : सभापति महोदय, यह कानिया विधेयक दो दफा पहले आ गया है। मेरे द्वारा यह प्राइवेट मैम्बर बिल के रूप में भी रखा गया था इसमें मेन आब्जेक्शन जो ....।.

श्री सभापति . आप बिल पर बोल रहे हैं ? संकल्प पर तो मतदान करा लूं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि this is a good bill but poorly drafted. जिस पर राष्ट्रपति महोदय को छोटे-छोटे अमेंडमेंट देने पड़े।

श्री सभापति : विराजें। आर्डर प्लीज।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने अलवर और धौलपुर जैसे काण्ड नहीं होने की बात कही, वह ठीक नहीं है।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय सदस्या, आप सुनने की कृपा करें।

श्री सभापति : जब बिल आयेगा तो आपको बोलने का अवसर मिल जायेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने कहा कि पूअरली ड्राफ्टेड है तो ओरिजिनली तो जब आप स्वास्थ्य मंत्री थीं तब का है।

श्रीमती विद्या पाठक : मंत्री महोदय, हमने भी इच्छा की थी, you are ill-informed and wrongly informed. यह हमारे टाइम म नहीं था। यह बिल इण्ट्रोडयूस किया आपके माननीय सदस्य ने आपके समय में ही माननीय सदस्य ने प्राइवेट मैम्बर बिल रखा।

श्री सभापति : विराजें। आप भी बिल के समय बोल लेना।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : 2 मिनट बोलूंगा।

यह बिल अच्छा है। इस बिल के बारे में किसी माननीय सदस्य को फण्डामेण्टली कोई किसी प्रकार का आब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यह मेरा मत है, क्योंकि यह तो कल्याणकारी है। यह कोई गवर्नमेंट की पालिसी के सम्बन्ध में नहीं है this is for the general good of the people of State rather live people of the State of Rajasthan.

यह इसकी भावना है। इसके अलावा माननीया उजलाजी ने जो बात कही...।

श्री सभापति : यह बिल नहीं है, अभी तो संकल्प चल रहे हैं। बिल नहीं रखा गया है। आप बिल के समय बोल लेना।

श्री भंवरलाल शर्मा : किस पर बोल रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : फिर तो हम भी

(श्री महाराम चौधरी)

बोलेंगे। जो अभियान चलाया जा रहा है किसका कल्याण होगा। जनता का होगा क्या ....।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया बिराजें।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : आप इस संबंध में कुछ समझते तो हैं नहीं।

श्री महाराम चौधरी : आप उनकी आंख निकालकर अपने आंख लगाना चाहते हैं।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को हाई-लाइट करना चाहता हूं। आप मुझे बार-बार टोक रहे हैं।

श्री सभापति : आप बिल के संबंध में बोल लें।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : बिल के संबंध में ही प्रिलीमीनरी आब्जेक्शन्स उठा रहे हैं उसके बारे में कह रहा हूं। आपने कहा कि रिलेटिव को खबर भेजनी चाहिए, यह संशोधन है। लेकिन उसको विदिन टेन आवर्स में अगर नहीं निकाला जाय तो कोई फायदा नहीं। लावारिस लाश है तो टेन आवर्स तक तो उसके किसी रिश्तेदार का पता ही नहीं लगेगा कि इसका कौन रिश्तेदार है। इस बिल को यदि यूजफूल बनाना है तो इमीजिएट कार्निया निकालना ज़रूरी है otherwise the corneal will be useless.

श्रीमती उजला अरोड़ा : निकालने का होगा कैसे ?

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय इसको व्यवहारिक तो बनायें।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : कार्निया इमीजिएटली निकालना चाहिए। इसमें बाकी जो लेकुना है उसको काम्पीटेन्ट डाक्टरों पर छोड़ना चाहिए। लीगल में नहीं पड़ना चाहिए। जिस गलतफहमी में दोनों माननीय सदस्या पड़ रही हैं ....।

श्रीमती विद्या पाठक : पुलिस पर नहीं छोड़ना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप डाक्टर तो हैं नहीं, वह तो आपके पति हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : लेकिन आंखें तो मेरे भी हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से मैं भी आती हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्रीमती उजला अरोड़ा ने जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(श्री सभापति)

(ध्वनि मतदान)

मैं फिर पूछ लेता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वे हां कर रहे हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्रीमती उजला अरोड़ा ने जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

राजस्थान कानिया उपरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विधेयक पर विचार
राजस्थान कानिया उपरोपण
(संशोधन) विधेयक, 1984

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कानिया उपरोपण संशोधन विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

(निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

"राजस्थान कानिया उपरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।")

श्री महाराम चौधरी : ये उपरोपण का जो बिल पास कराने के लिये प्रस्तुत किया है और पहले भी पास कराने की जब बात आयी तो सरकार ने हड़बड़ाहट के साथ में इसको समझा नहीं।

श्री सभापति : आप जनमत जानने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, इसको यह जनमत जानने के लिये परिचालित करते। मैं कह रहा हूं कि जल्दी-जल्दी में इन्होंने कार्यवाही की है। जनता से यह जानकारी करते कि पुतली उपरोपण का जो बिल आप पेश कर रहे हैं यह किसके लिये उपयोगी है ? सभापति महोदय, यह या तो उन लोगों के लिये है जो बुद्धिजीवी हैं या जो राज्य के 5 प्रतिशत कस्बे, जो इस संबंध में पूरी जानकारी रखते हैं, के लोगों के उपयोग के लिये है। ग्रामीण क्षेत्र या जो अनपढ़ आदमी है जब यह आंख निकालने की बात या पुतली निकालने की बात उनके सामने जायगी तो एक दफा महसूस होगा कि इसका उपयोग है, मर गया उसके लिये कोई उपयोग नहीं है। जीने वालों के लिये उपयोग है, पुतलीवालों के लिये उपयोग है। ऐसा कोई सोचता नहीं है। आप मरया जग प्रलय। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि ऐसा इम्पार्टेन्ट बिल है जो आम आदमी की आंखों से सम्बन्ध रखता है और उसकी पुतली निकालने से जिसका सम्बन्ध हो जाता है। जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, गांव का रहने वाला है उसको

(श्री महाराम चौधरी)

आंख की आवश्यकता होगी तो उसके कौन आंख लगायेगा ? यह आंख लगायेंगे पूंजीपति, सामंतवादी या श्रीराम गोटेवाला जी जैसे लोगों के, जो इस मामले में जानकारी रखते हैं × × ×

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, ये × × × शब्द का उपयोग कर रहे हैं ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री महाराम चौधरी : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन बहुत ही विचारवान है इसको हड़बड़ाहट के साथ में नहीं पास करना चाहिये । इसको जनमत जानने के लिये प्रस्तुत करना चाहिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर सभापति महोदय, लोगों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिये थी । लोगों को कार्निया प्रदान करने के बारे में प्रेरित करना चाहिये था । यह बात तो एक तरफ है कि लोग अपने आप यह लिखकर दे दें कि हमारी मृत्योपरांत कार्निया निकाल लिया जाय । यह बात होनी चाहिये थी । लेकिन यह जो कहा गया है कि वास्तव में स्थिति तो यह है कि मृत्योपरांत थोड़ी देर बाद अगर निकाल ली जाय तो वह काम दे सकती हैं, 12 घण्टे, 24 घण्टे, 5 दिन बाद उसका कोई उपयोग नहीं रह सकता । उसमें वह तंतु सक्रिय ही नहीं हो सकते जो दूसरे की आंख में प्रतिरोपित हो करके उसको दृष्टि दे सके । तो मेरे कहने का अर्थ यह था कि लोगों को जागरूक करें । लेकिन यह तो कहते हैं कि लावारिस लाश मिलने के बाद उसकी आंख निकाल ली जाय । लावारिस लाश किसको कहेंगे । आज एक्सीडेंट कहीं हो गया और वहां से हम आदमी को उठा लायें, उसकी मृत्यु हो गयी । उसकी सूचना घरवालों को जब तक मिलेगी तब तक तो उसकी आंख निकाल ली जायगी । यह सेंसिटिव प्रश्न है । मैं समझती हूं कि इसके लिए लोगों को जागरूक करें, लोगों से दान-पत्र लें और उसका उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा । तत्काल आंख निकाल लेने के लिये तो मैं कहना चाहूंगी कि इस बारे में जनमत जानने के लिये इसे परिचालित किया जाय ताकि यह मालूम हो सके कि देश की जनता इसको स्वीकार करती है । आपने कोई कानून बनाया विधेयक बना लिया लेकिन जनता उसको अपनी मान्यता नहीं देगी । कहीं ऐसा न हो कि ये गुड फेथ में बनाया गया बिल भी जनता की मान्यता के अभाव में पड़ा रह जाय । मान्यवर, इसको जनता में भेजकर इस पर जनमत लिया जाय । ताकि मालूम हो सके कि जनता इसको स्वीकार करती है कि नहीं, यही मेरा आपसे आग्रह है ।

श्री सभापति : स्वास्थ्य मंत्रीजी ।

श्री महाराम चौधरी : मैं यह निवेदन करता हूं कि आप पुतली उपरोपण के लिये बिल पेश कर रहे हैं लेकिन आप बात को

× × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

45

(श्री महाराम चौधरी)

सुनने के लिये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि....

श्री सभापति : विराजें । माननीय सदस्य, समय न लें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय नागौर से आने वाले सदस्य शायद यह भूल कर रहे हैं कि माइक यहां लगा हुआ है तो मैं सुन रहा था कि श्रीमती डा० उजला अरोड़ा क्या कह रही थीं जब मैंने

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप तो बाहर निकल गये थे फिर भी आप सुन रहे थे। आप कैसे सुन रहे थे ? आप उधर से निकल गये, मैंने आपको रोका भी सुनने के लिये। आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : श्रीमती विद्या पाठकजी की बात का उत्तर दिया आपने ? आप कह रहे हैं कि सुन भी रहे थे।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, मंत्रीजी को बोलने भी दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप खुद गम्भीर नहीं हैं। इस बिल को लाने के लिये आप खुद गम्भीर नहीं हैं। यह मेरा आरोप है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया है कि यह बिल बहुत पहले आया था और यह इसी सदन से पास होकर एक्ट का रूप धारण कर चुका। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने इसको स्वीकृति देने से पूर्व गवर्नमेंट को यह लिखा है कि यह अमेंडमेंट इसमें और लायें, इसलिये ये छोटे-छोटे अमेंडमेंट इसमें और लाये गये और उसके लिये यह आर्डिनेंस बना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : राष्ट्रपति महोदय की जो इच्छा थी, जो आवश्यकता थी, उसको आप छोटी-छोटी बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया बैठ जायं। व्यवधान न डालें, माननीय सदस्या।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब साहब इन बलिष्ठों को होड मैं कर नहीं सकता।

मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं, जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी आपसे निवेदन किया था, यह बहुत ही इन्नोसेंट और लोकहित का ऑर्डिनेंस है। इस पर तो आपको बहस कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप इस पर बहस करते हैं तो आप जनहित की बात नहीं करते हैं। मैंने आपसे एक ही निवेदन किया कि चूंकि यह बिल पास हो चुका था और इसमें दो खामियां रह गयीं, उनके लिये भारत सरकार ने और राष्ट्रपति महोदय ने लिखकर भेजा कि इसके लिये रजिस्टर्ड डाक्टर होना

(श्री खेतसिंह राठौड़)

चाहिये जो आंख निकाले, दूसरा यह है कि आप अगर एक्सीडेंट में मृत व्यक्ति या लावारिस लाश की आंख निकालते हैं तो उस वक्त कोशिश यह की जानी चाहिये कि अगर रिलेटिव हो तो उनको बुला लिया जाय। अगर नहीं हों तो फिर उसकी आंख का उपयोग तो तुरन्त ही होता है, जैसा कि डॉ0 साहब ने कहा, अगर उसको 24 घंटे या 48 घंटे रखते हैं तो बेकार हो जाता है, काम में नहीं आ सकता। इसलिये यह ऑर्डिनेंस लाया गया था। ऑर्डिनेंस लाने की इसलिये आवश्यकता पड़ी, हमने देखा कि यह एक्ट लागू हो जाय तो इससे जनता को लाभ होगा। दूसरी स्टेट्स से एक्सपर्ट्स आये हुए हैं, अपनी स्टेट में नहीं थे। आज तो विज्ञान इतना बढ़ गया है कि अब तो हार्ट को भी बदलकर दूसरा हार्ट लगाने तक लोग पहुंच गये हैं, और हम अभी तक आंख की जगह आंख बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप खिलाफत करते हैं तो उसमें मेरा यह निवेदन है कि कृपा पूर्वक....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो जनमत जानने हेतु भेजने के लिये कह रही हूं। मैं खिलाफत क्या कर रही हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कृपया विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो कह रही हूं कि काम अच्छा है, हमारे डॉक्टर्स भी अच्छे हैं लेकिन इसमें व्यवहारिक कठिनाई आने वाली है उसको ठीक करें।

श्री सभापति : कृपया बैठ जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे कहने का अर्थ था आप लोगों ...

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कार्निया उपरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव जो श्री महाराम चौधरी व श्रीमती उजला अरोड़ा ने प्रस्तुत किये हैं वह स्वीकार किये जायें ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कार्निया उपरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कार्निया उपरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री खेतसिंह राठौड़ : विचारार्थ तो ले लिया गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : विचारार्थ कहां लिया। अब आप बोलेंगे तो जवाब देंगे। वह तो जनमत के ऊपर था।

श्री खेत सिंह राठौड़ : जनमत के बाद में विचारार्थ लेने पर भी अपने सदन

(श्री खेतसिंह राठौड़)

की मंजूरी ले ली है। आपने कहा कि विचारार्थ लिया जाय, हमने कहा कि 'हां' आप में से एक बोले 'नो'। आपने कहा हां पक्ष जीता और उसके बाद अब तो पारित होना चाहिये।

श्री सभापति : आप प्रस्ताव पेश करिये। यह बोल लेंगी, मैं अवसर दे दूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर यह बोलना चाहेंगी तो थर्ड स्टेज पर भी बोल सकती हैं।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कार्निया उपरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर सभापति महोदय, यह तो थोड़ी-थोड़ी समझ का फेर है। डाक्टर साहब बात ठीक कह रहे हैं, मैं भी बात ठीक कह रही हूं, विद्याजी भी बात ठीक कह रही हैं, लेकिन खेतसिंहजी समझ नहीं रहे हैं। इसमें कई व्यवहारिक कठिनाइयां आयेंगी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिये, उन खामियों को निकाल करके इस बिल को पास करना चाहिये। मेरा आग्रह यह है कि इन खामियों को निकालने के बाद ही इसको पास करने के लिये दुबारा लाया जाय। यही मेरा आप से कहना है।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : सभापति महोदय, जहां तक खामियों का सवाल है, कोई भी आॅर्गन ट्रान्सप्लाण्टेशन कम्प्लीट लीगल अम्ब्रेला के अन्दर नहीं किया जा सकता। यहां तक कि साउथ अफ्रीका में एक बिल यहां तक लाया गया है कि किसी भी पेशेंट का हार्ट निकाल लिया जाय, हार्ट को निकालने के बाद आदमी जिन्दा नहीं रह सकता लेकिन अगर डाक्टर इस बात से संतुष्ट हो जाय कि इस आदमी की जिन्दगी पॉसिबिल नहीं है this is a discriminatory competence of the respective surgeon तो उसका हार्ट निकालकर दूसरे आदमी के लगाया जा सकता है। कॉर्निया में आदमी की लाइफ का तो सवाल है नहीं। कॉर्निया निकाल लो, आंख निकाल लो, उस से आदमी की लाइफ का रिलेशन नहीं है। यह तो मरे हुए आदमी की आंख निकालकर किसी को रोशनी देने का सवाल है। इस सवाल पर बहस हो रही है। नासमझी की बहस हो रही है। वह आदमी जो वैलफेयर के लिए सोचते हैं उनको तो दृढ़ होना पड़ेगा, टैक्निकल आदमियों की कॉम्पीटेन्स पर विश्वास करना पड़ेगा, इसमें आपको योगदान देना होगा। न कि किसी जद्दोजहद में, न कि किसी स्ट्रीट में बैठे आदमी ने महाराम जी को समझा दिया कि यह यह आॅब्जेक्शन तुम कर सकते हो। ठीक है, आपके मन में खिलाफत करने की है, वह करें। लेकिन ऐसे कल्याणकारी कार्य में किसी प्रकार की खिलाफत करना ठीक नहीं है, इस पर टाइम जाया करना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि इस बिल को शीघ्र पारित कर दिया जाय। इधर उधर की बातें हैं, ना समझी की बातें हैं, उनको नहीं

(श्री हरिसिंह)

करना चाहिए, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा और आप से भी निवेदन करूंगा कि ना समझी की बातें, आप इनकी मत सुनिये।

श्री सभापति : स्वास्थ्य मंत्रीजी। आर्डर प्लीज।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य....

श्री सभापति : मैंने आपको बोलने के लिए पुकारा नहीं, माननीय सदस्य। स्वास्थ्य मंत्री जी।

श्री महाराम चौधरी : उन्होंने मेरा नाम पुकारा था।

श्री सभापति : कृपया विराजें। स्वास्थ्य मंत्री जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं तो पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं कि यह बिल तो पहले ही पास हो चुका था। इसमें यह दो अमेण्डमेण्ट लाने के लिए ही आर्डिनेस लाना पड़ा था, और प्रेसीडेण्ट की असेंट के पहले वहीं से यह सुझाव आया था, उन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह अमेण्डमेण्ट किया गया है। उसी एक्ट का एक पार्ट है, और कुछ नहीं है। छोटा सा अमेण्डमेण्ट है। मैन एक्ट बन रहा है, उसी का एक पार्ट है। चूंकि वह एक्ट यहां से आपने पास करके भेज दिया। चूंकि राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई और राष्ट्रपति महोदय के यहां से यह आया कि इसमें यह कुछ खामियां नजर आती हैं, इनको आप दुरुस्त कर दीजिए, उन्होंने भी यह गाइड लाइन दी थी, अगर आर्डिनेंस निकालकर भेज देवें तो हम इसको मंजूरी दे देंगे। उसी के अनुसार यह आर्डिनेंस बनाया था, भेजा है। अब इसको लागू करना है अपने राजस्थान में। मुझे पूरा विश्वास है कि जनहित की दृष्टि से आप इसको बिना किसी बहस के पास करेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कानिया उपरोपण(संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया गया।

(स्वीकृत)

राजस्थान कानिया उपरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया गया।

श्री महाराम चौधरी : लोग हॉस्पिटल से दूर भागेंगे, इलाज कराने के लिए भी नहीं जायेंगे। इस बात को सोच लेना। जब यह शेरगढ़ में मालूम होगा कि खेतसिंह जी ने आंखों की पुतली निकालने के लिए बिल पास कराया है और जोर देकर पास कराया है....

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : तो सोचना। आपको इस बार हर्गिज नहीं जीतने देंगे।

विधेयक पर विचार

जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984

श्री सभापति : जोधपुर विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन और संशोधन विधेयक, 1984 । शिक्षा मंत्री जी ।

श्री बुलाकी दास कल्ला (राज्य मंत्री, शिक्षा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन), विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : जनमत जानने हेतु प्रस्ताव ।

श्री हंसराज शर्मा, श्री बालचन्द आर्य, श्री गोपाल पचेरवाल, श्री हरीश शर्मा, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री अनंग कुमार जैन, श्री हीरालाल आर्य, श्री बंशीलाल पटवा, श्री दाऊदयाल जोशी, श्रीमती विद्या पाठक व श्री सी.पी. जोशी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब राजस्थान विश्व विद्यालय का नाम शिवचरण माथुर विश्वविद्यालय होने वाला है । आप तालियां बजा बजा कर कहो । ऐसे लोग जाते जायेंगे और विश्वविद्यालयों के नाम बदले जायेंगे, कमाल है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

विधेयक का पारण

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय ।

श्री सभापति : कोई सदस्य बोलना नहीं चाहते ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, जिस नाम से इस बिल को प्रस्तुत किया है, उससे ऐसा लगता है कि जोधपुर विश्वविद्यालय का केवल नाम ही परिवर्तन होगा । लेकिन जब इसकी धाराओं को पढ़ेंगे तो, मालूम होगा कि इसमें ऐसी धाराओं का समावेश किया गया है जिससे विश्वविद्यालय में काम करने वाले प्राध्यापकों हितों पर आघात होगा । जो स्वायत्ता है विश्वविद्यालय की, उसमें कमी आयेगी । यह सरकार का एक षड्यंत्रपूर्वक रखा हुआ बिल है । जिसमें केवल यह नाम दे दिया गया कि हम केवल नाम परिवर्तन करेंगे । लेकिन इनकी धाराओं पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि इन धाराओं के होने से विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में, विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों, उनकी सेवाओं पर कितना असर पड़ने वाला है । उदाहरण के लिए, मैं कुछ धाराओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । इसमें आप एक संशोधन लाये हैं, सैक्शन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

12 में, उक्त धारा 8 आप बढ़ा रहे हैं। जिसमें यह लिखा है—

"Without prejudice to the powers of the Chancellor under sub-section (2) of section 10, the Vice-Chancellor shall have, for good and sufficient cause, power to make an enquiry himself or cause it to be made, by such officer or officers of the University as he may direct, against a teacher and to impose such penalty as may be prescribed by Statute."

अब तक यह अधिकार वाइस चांसलर को नहीं थे। वाइस चांसलर सिण्डीकेट के अन्दर, उनकी राय से अपने फैसले बनाते हैं। जब तक मामला सिण्डीकेट में नहीं जाता तब तक किसी भी टीचर को आप सस्पैण्ड नहीं कर सकते, उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते, न जुर्माना कर सकते हैं। एक चुनी हुई बाडी, एक बड़ी बाडी, जिसको यह अधिकार दिये गये थे, उन अधिकारों को उन से लेकर के वाइस-चांसलर को देना चाहते हैं, ऐसा क्यों? जब एक रेस्पांसिबिल बार्डी है, जो इन सब पर विचार करती है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर आप किसी भी टीचर के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकेंगे, ऐसा वाइस-चांसलर को अधिकार देने की क्या आवश्यकता है? आपने बिल का नाम रखा है, केवल नाम परिवर्तन रखा हुआ है। कहां नाम परिवर्तन का सम्बन्ध है इस बात से? इसी प्रकार से दूसरा जो आप अमेण्डमेण्ट ला रहे हैं, उसमें यह लिखा है, सैक्शन 16 के सब क्लाज–2 में . —

"The elected members and nominated members shall hold office for a period of three years and one year respectively from the date of election or nomination, as the case may be."

जो लोग सीनेट के लिये चुने जायेंगे या जिनका नामिनेशन होगा उनकी समय सीमा आपने केवल एक वर्ष रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, साल भर में 2–3मीटिंग होगी, उन दो–तीन मीटिंग में भाग लेने के लिये अगर किसी व्यक्ति को आप अधिकृत करेंगे तो विश्वविद्यालय को क्या लाभ होगा? पहली मीटिंग में जायेगा तब उसको यह पता ही नहीं होगा कि पिछली बार एजेण्डा में क्या प्रस्ताव पास किया था, क्या प्रोसिडिंग्स थी, और जब जानने लगेगा, एक-दो मीटिंग में जायेगा तीसरी मीटिंग में उसकी छुट्टी हो जायेगी।

यह आप क्यों करना चाहते हैं? यह इसलिये करना चाहते हैं कि जिनका नामिनेशन होगा, वह व्यक्ति एक साल है, दुबारा नामिनेट होने के लिये वह आपकी पग-चर्पी करता रहे, आपकी खुशामद करता रहे, आपके इशारों पर चलता रहे अपना इण्डिपेन्डेन्ट व्यू वहां न रख सके, आपके अंगूठे से हमेशा चलता रहे, इसलिये यह कदम उठा रहे हैं।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इसी प्रकार, सभापति महोदय, एक और प्रस्ताव लाये हैं आर्डिनेन्स बनाने का, सेक्शन 24 में लाये हैं :—

In sub-section (1) of section 24 of the principal Act, the words "after considering the views of the Senate." shall be omitted.

कोई भी आर्डिनेन्स पास होगा तो सीनेट के सामने जायेगा, सीनेट उस पर अपनी राय व्यक्त करेगी। अपनी राय को व्यक्त करने के बाद ही आर्डिनेंस स्वरूप ले सकेगा। यह आप क्यों करना चाहते हैं? आर्डिनेंस बनाने के लिये विश्वविद्यालय के लिये सीनेट का दायित्व है, जो बड़ी जिम्मेदार संस्था है, उसमें से आप इसको निकाल देंगे :—

In sub-section (1) of Section 24 of the principal Act, the words "after considering the views of the Senate" shall be omitted.

सीनेट के मैम्बर को ही निकालना चाहते हैं, अमेन्डमेन्ट क्या करना चाहते हैं, और कह रहे हैं कि नाम बदल रहे हैं। अब विश्वविद्यालय का नाम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय हो जायेगा और कारनामे क्या कर रहे हैं और वह इसलिये कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय को स्वायत्ता समाप्त करके, कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करके जिस प्रकार से आर्डिनेन्स बनने के बाद सीनेट में जाना चाहिये था वह सीनेट में नहीं जायेगा और मनमाने तरीके से आर्डिनेंस आप विश्वविद्यालय के लिये बनायेंगे। आखिर में आपकी भावना क्या है? भावना यह है कि किसी प्रकार धीरे-धीरे इन पर कब्जा करके विश्वविद्यालय अपने हिसाब से चलाते रहें, इसी दुर्भावना से यह बिल लाये हैं।

नाम परिवर्तन का तो विरोध नहीं करता लेकिन इन सब बातों के लिये विरोध करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पास नहीं किया जाय।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी।

श्री सी. पी. जोशी।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : सभापति महोदय, मैं इनसे पहले इसलिये बोलना चाहता हूं....

श्री सभापति : इनके बाद बोल लीजिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का संशोधन विधेयक रखा है उस सम्बन्ध में मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय....

श्री सभापति : वह स्टेज जब आई थी तब तो आप बोले नहीं.....।

श्री सी. पी. जोशी : इसके साथ लिंक्ड है।

श्री सभापति : वह स्टेज तो समाप्त हुई, आप बिल पर बोल लीजिये।

श्री सी. पी. जोशी : जी, बिल पर बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, जो बिल सदन में प्रस्तुत किया है उसके स्टेटमेंट आफ ग्राब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, निश्चित तौर पर इसका पहला जो ग्राब्जेक्ट है विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करने का है, उस सम्बन्ध में तो मुझे ज्यादा नहीं कहना। राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है, विश्वविद्यालय का नाम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। यह निश्चित तौर पर एक अच्छी परम्परा है। इस राजस्थान को बनाने वाले, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, यह उसके लिये ट्रिब्यूट्स है। इस परम्परा का मैं निश्चित तौर पर समर्थन करता हूं।

लेकिन इसके साथ जो अमेन्डमेंट प्रपोज किये हैं, उन अमेन्डमेंट्स के बारे में, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसके अन्दर यह लिखा है कि—

The status of the various colleges under the Jodhpur university was a matter of controversy for quite some time particularly relating to the Kamla Nehru college for women.

किसी भी विश्वविद्यालय में, माननीय सभापति महोदय, एक तो आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि यह विश्वविद्यालय बना और बनने के बाद, उस कालेज के स्टेटस के बारे में अभी तक कन्टरोवर्सी थी। उसको दूर करने के लिये यह अमेन्डमेंट्स लाये हैं। यदि मात्र इसका मतलब यही था, तो मुझे कुछ भी नहीं कहना था, लेकिन माननीय सभापति महोदय, सेम नार्म्स के विश्वविद्यालयों के उस विश्वविद्यालय में कुछ कॉलेज कान्सटीट्यूएन्ट कालेज होंगे और कुछ कालेज एफिलियेटेड कालेज होंगे, यह नहीं करके हमने इस विश्व विद्यालय के नियमों में परिवर्तन किया है।

माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि कुछ रिकग्नाइज्ड कालेज कैटेगराइज कर दिये गये कि यह अमुक कालेज तो कान्सटीट्यूएन्ट कालेज होंगे और अमुक कालेज एफिलियेटेड कालेज होंगे।

मैं, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विश्वविद्यालय की संरचना के बारे में हमारी स्थिति क्लियर नहीं कि इस विश्वविद्यालय में कौन से कान्सटीट्यूएन्ट कालेज होंगे और कौन से एफिलियेटेड कालेज होंगे। इसके बारे में स्थिति क्लियर नहीं की उस परिवर्तन के आधार पर यदि हम परिवर्तन करना चाहे तो,

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय सभापति महोदय, इस बात का द्योतक है कि इस विश्वविद्यालय में परिवर्तन करने की जो आकांक्षायें और अपेक्षायें हैं वह केवल मात्र इमिजियेट नीड्स जो, रेज हुई हैं, को फुल-फिल करने के लिये अमेन्डमेन्ट्स के द्वारा बिल लाकर परिवर्तन करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि कोई भी एक्ट बनता है उसके पीछे मन्शा यह होती है कि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं उनको हम फोर सी करें कि आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालय में क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं और उसकी स्थिति क्या रही है। इन सब बातों को समझ कर भविष्य में क्या हो सकता है, बिल इसके आधार पर बनाकर एक्ट में परिवर्तन करते तो, माननीय सभापति महोदय, यह कैटेगराइजेशन जो किया गया कान्सटीट्यूएन्ट कालेज, एफिलियेटेड कालेज और रिकगनाइज्ड कालेज का, मुझे तो ऐसा लगा है कि केवल मात्र कमला नेहरू वूमेन कालेज का जो स्टेटस था उस स्टेटस के बारे में, हमारे सैक्रेटेरियट का जो मानस था वह क्लियर नहीं था, उसको क्लियर करने के लिये इन्होंने परिवर्तन किया है। कमला नेहरू वूमेन कान्सटीट्यूएन्ट कालेज होगा, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट के लिये यह मान भी लें कि इनमें से यह कान्सटीट्यूएन्ट कॉलेज होगा, यह एफिलियेटेड कॉलेज होगा, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह मापदण्ड क्या थे, वह आधार क्या थे जिन आधारों के आधार पर आपने कैटेगराइजेशन किया कि कमला नेहरू वूमेन कॉलेज कान्सटीट्यूएन्ट कॉलेज होगा, एफिलियेटेड कालेज क्यों नहीं होगा। इसमें, माननीय सभापति महोदय, हमको यह भी स्थिति क्लियर नहीं है, वह मापदण्ड सदन के सामने रखें कि वे कौन से मापदण्ड हैं जिनके आधार पर हम किसी कॉलेज को कान्सटीट्यूएन्ट कालेज में कैटेगराइज करेंगे या एफिलियेटेड कॉलेज करेंगे। मैं इसके स्टेटमेन्ट ऑफ आब्जेक्ट्स एन्ट रीजन्स को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि केवल मात्र इस कन्ट्रोवर्सी को ओवर कम करने के लिये आपने बिना किसी नियम के, बिना किसी आधार बनाये हुये इस कॉलेज को कान्सटीट्यूएन्ट कॉलेज में कैटेगराइज किया है। माननीय सभापति महोदय, आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि इन्होंने कैटेगराइज किया है उसके अन्दर यह दिशा और दी गई है जब भी चाहे....

The State Goverment may, in consultation with the university, by notification published in the official gazette, enumerate such other colleges as it deems fit to be constituent or affliated college of the university.

आपने कैटेगराइज कर दिया कान्सटीट्यून्ट कॉलेज में और यह पावर भी दी गई है कि भविष्य में गजट नोटिफिकेशन के आधार पर और कैटेगराइज कर देंगे, माननीय सभापति महोदय, इस अमेन्डमेन्ट से यह जो स्थिति है वह स्पष्ट नहीं होती है। इसलिये पहले यह स्पष्ट करना चाहिये था कि किन मापदण्डों के आधार पर किसी

(श्री सी. पी. जोशी)

भी कॉलेज को कन्सटीट्यूएन्ट कॉलेज में कैटेगराइज करेंगे या एफिलियेटेड करेंगे। अब तीन कॉलेज तो, माननीय सभापति महोदय, एफिलियेटेड कालेज में कैटेगराइज किये हैं :–

1. लाढ़मल मेमोरियल विज्ञान महाविद्यालय।

2. महेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय।

3. ओंकारमल सोमानी वाणिज्य महाविद्यालय

और कान्सटीट्यूएन्ट कॉलेज में।

1. कमला नेहरू महिला महाविद्यालय।

2. सायंकालीन अध्ययन संस्थान,

माननीय सभापति महोदय, इस जोधपुर विश्वविद्यालय का जो जुरिस्डिक्शन है वह मैं जहां तक समझ पाया हूं और जो कुछ ज्ञान है, इस जोधपुर यूनिवर्सिटी का जुरिस्डिक्शन म्यूनिसिपेलिटी लिमिट के अन्दर है। जब जुरिस्डिक्शन सारा म्युनिसिपेलिटी लिमिट के अन्दर है तो क्या आवश्यकता थी कि हम सब कॉलेज का कैटेगराइजेशन करें। और करना ही था तो कान्सटीट्यूएन्ट कालेज बनाते, उसके स्वरूप की संरचना करते, लेकिन यह काम भी हमने नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी विश्व विद्यालय के एक्ट ऑफ स्टेट्यूट के अन्दर जो रिप्रजेन्टेशन मिलता है स्टूडेन्ट्स को, टीचर्स को, उसके मैनेजमेन्ट में, एकेडेमी में उसके अन्दर यह बिल्कुल केवल मात्र कान्सस्टीट्यूएन्ट कॉलेज के जो स्टाफ के मैम्बर हैं, उनके स्टूडेन्ट्स हैं, नॉन-टीचिंग स्टाफ के मेम्बर हैं उनकी सर्विस के रूल्स बनाने, उनका एम्पलॉयमेंट करने, उसमें एकेडेमिक मैटर का काम करने का है वह विश्व विद्यालय कान्सटीट्यूएन्ट कालेज काम करता है।

माननीय सभापति महोदय, आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि हिन्दुस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो नियम बने हुये हैं एफिलियेटेड कॉलेज और कान्सटीट्यूएन्ट कॉलेज को बनाने के लिये, उनके नियमों को देखते हुये आपने उसमें सीनेट और सिन्डिकेट के टीचर्स कौन से होंगे. इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, कान्सटीट्यूएन्ट का आदमी कौन वोट कास्ट करेगा वह सारा इस बात का द्योतक है, माननीय सभापति महोदय, इसके पीछे हमारी मन्शा यह है हम तत्काल नीड्स पूरी कर रहे हैं। यह बात हो सकती है, सभापति महोदय, विश्व विद्यालय के उप कुलपति को कोई तकलीफ हो, दूसरी बात हो सकती है कि वहां के उपकुलपति महोदय कुछ चीजों के बारे में अपने आपको क्लियर नहीं रखते हों। मुमकिन है सभापति महोदय, किसी ऑर्डिनेन्स या अमेण्डमेंट लाने के आधार पर हम किसी विश्वविद्यालय की संरचना करना चाहते हैं तो, माननीय सभापति महोदय, यह विश्व विद्यालय बनाने का जो कन्सेप्ट है,

(श्री सी. पी. जोशी)

विश्व विद्यालय बनाने, संरचना का जो आधार है वह आधार, सिद्धान्त खतम हो जायेगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस ओब्जेक्ट में कम से कम यह तो क्लियर कर दें कि कौनसा कन्सेप्ट है जिनके आधार पर जोधपुर विश्वविद्यालय के कॉलेज का कैटेगराइजेशन किया है। माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र स्थिति यह है। मैं नहीं समझता कि हिन्दुस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर लिख दिया कि कान्सटीट्यूएन्ट कॉलेज होंगे, अफिलियेटेड कॉलेज होंगे और एक बात यह लिख दी इन्होंने—

"The concept of the recognised college, according to the existing pattern of college of the University was considered superfluous."

This statement is not sufficient to justify the amendment proposed in the Bill.

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आज यह आवश्यकता पड़ गई आपको कि दो कॉलेज को कान्सटीट्यूएन्ट बनाया, तीन कालेज को आपने एफिलियेटेड कालेज बनाया। आप यह पावर भी सदन से ले रहे हैं कि आने वाले वर्षों में, कालेज को और भी बाइफरकेट कर सकेंगे। तो कम से कम इसका जो मापदण्ड है, जिन आधारों पर उनको डिवाइड करना चाहते हैं, वह इसके साथ होना बहुत आवश्यक था। यह इसलिए आवश्यक है, माननीय सभापति महोदय, एफिलियेटेड कालज जो हैं उनके एम्प्लॉयमेन्ट में, उनके रिक्रूटमेन्ट में, उनके सारे जो नियम प्रक्रिया हैं उसमें विश्व विद्यालय के मैनेजमेन्ट का कोई रोल नहीं होता। अब एक तरफ तो आपने यह सारे अधिकार एफिलियेटेड कालेज को दे दिये और दूसरी तरफ आपने इसमें अमेण्डमेन्ट प्रपोज किये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, एक इन्होंने प्रपोज किया है पेज 5 पर :—

"(xxiv) eight teachers, other than the Heads of University Departments and Principals or Heads of constituent and affiliated colleges of the University (by whatever name designated) elected by the teachers from amongst themselves."

माननीय सभापति महोदय, यह कैसी विचित्र स्थिति हो गई कि एफिलियेटेड कालेज के रिक्रूटमेन्ट के अन्दर, सारे सर्विस रूल्स के अन्दर विश्व विद्यालय के सिण्डीकेट का कोई रोल नहीं। लेकिन चूंकि हमने तो कैटेगराइजेशन कर दिया इसलिए टीचर्स के इलेक्शन के अन्दर एफिलियेटेड कालेज के टीचर भी वोट कास्ट करेंगे। माननीय सभापति महोदय, यह जो फण्डामेन्टल हमारा यूनिवर्सिटी का कन्सेप्ट है उस कन्सेप्ट के बिलकुल कान्ट्राडिक्टरी अमेण्डमेन्ट है, यह तो मैंने आपसे

Page No. 96

(56)

(श्री सी. पी. जोशी)

पहले भी निवेदन किया था। इस तरह के जितने भी अमेण्डमेन्ट प्रपोज किये हैं चाहे टीचर्स इलेक्शन के हों, चाहे प्रिन्सिपल या हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट के नोमिनेट करने के हों, चाहे स्टूडेन्ट्स के जो रिप्रजेन्टेटिव हैं, स्टूडेण्ट्स यूनियन को उनमें वोट डालने का अधिकार हो, उन सब जगहों पर एफिलिएटेड कालेज के इस तरह के जो अमेण्डमेन्ट किये हैं, माननीय सभापति महोदय, चाहे मन्त्री महोदय को याद हो या नहीं हो लेकिन हमने उदयपुर विश्वविद्यालय की जो स्थिति थी उस विश्वविद्यालय की स्थिति में एफिलियेटेड कालेज को अलग किया है। एक तरफ राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी में हम एफिलियेटेड कालेज को अलग करना चाहते हैं और दूसरी तरफ दूसरी यूनिवर्सिटी में इस तरह का अमेण्डमेन्ट करना चाहते हैं कि एफिलियेटेड कालेज के टीचर और वहां के स्टूडेन्ट, यूनिवर्सिटी की सीनेट और सिन्डीकेट के अन्दर वोट कास्ट करेंगे। यह दोनों एक दूसरे के काण्ट्रेडिक्टरी हैं, माननीय सभापति महोदय। इसलिए मैं चाहूंगा इस समय भी सदन को गम्भीरता से सोचना चाहिये कि क्या यह अमेण्डमेन्ट हमारी तात्कालिक नीड को पूरा करता है या आगे आने वाली नीड को कम्पलीट करता है।

माननीय सभापति महोदय, इस में इन्होंने यह भी रखा है :—

"According to the existing clause (xxiii) of sub-section (2) of section 15 of the principal Act, two persons, not being teachers, were required to be elected to the Senate by the registered graduates of the University."

अब, माननीय सभापति महोदय, यह जो प्रिविलेज था कि किसी विश्वविद्यालय से निकलने वाला ग्रेजुएट अपने दो रिप्रजेन्टेटिव को सीनेट के अन्दर भेजे, सीनेट के रिप्रजेन्टेटिव के अन्दर भी जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर कुछ स्थितियां थीं, उनका बदलाव करने के लिये नियमों में परिवर्तन किये। विश्वविद्यालय के स्टूडेन्ट के रिप्रजेन्टेटिव थे उनके अन्दर उन्होंने परिवर्तन किये, इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह सारा अमेण्डमेन्ट रिडन्डेन्ट है। जब तक आप इस बात को क्लियर नहीं करेंगे कि विश्वविद्यालय का मतलब केवल मात्र कान्स्टीट्यून्ट कालेज होता है और किसी विश्वविद्यालय के कालेज को केवल मात्र उनका एग्जामिनेशन कण्डक्ट करने का जो अधिकार है वह विश्वविद्यालय का है। लेकिन इसमें एक तरफ से छूट देकर उनके टीचर्स और स्टूडेण्ट्स को इन्वाल्व करके उनको सीनेट और सिण्डीकेट के मेम्बर बनाकर, एकेडेमिक कौन्सिल में मैम्बर बनाकर अमेण्डमेन्ट किया है। यह विश्वविद्यालय के सारे स्वरूप को बदलने की जो प्रक्रिया है वह हिन्दुस्तान में अपने आप में एक यूनिक होगी। विदिन राजस्थान जो उदयपुर विश्वविद्यालय का आपका अनुभव है उस अनुभव से भी हमने सबक नहीं लिया और एटरेन्डम एक यह

(श्री सी. पी. जोशी)

चेन्ज कर दिया, मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये फारसाइटेडनेस की, जो सोचने की प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके बिल्कुल विपरीत है, सभापति महोदय।

इसमें एक बात और कही गई है, माननीय सभापति महोदय :

"According to the existing Ordinarce of the University, an enquiry against a teacher could be made only by a committee of three teachers. Difficulty was felt in holding enquiry against teachers...."

माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय बता दें कि जोधपुर विश्वविद्यालय में आज दिन तक कितने टीचर्स के खिलाफ इन्क्वायरी हुई। मेरी जानकारी जहां तक है, माननीय सभापति महोदय, केवल मात्र तीन केसेज आज तक रिपोर्ट हुए। उन तीन केसेज में दो केसेज के अन्दर तो इन्क्वायरी ड्राप कर दी गई है। अब इतना बड़ा नम्बर नहीं, मात्र तीन इन्क्वायरी को इन्स्टीट्यूट करने का आपको मौका मिला उन तीन इन्क्वायरीज में आपको डिफिकल्टी महसूस हुई। समझ में आता अगर 50, 60, 70, 100 ऐसी इन्क्वायरीज होतीं, तब समझ में आता कि डिफिकल्टी इनको महसूस हुई। केवल मात्र तीन केसेज को आधार बनाकर पूरा एटरेन्डम

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सारे टीचर्स के अधिकार को विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर के हाथ में सौंपना, सभापति महोदय, आप तो वकील हैं, नेचुरल जस्टिस के भी विपरीत हैं। आप उसको मौका ही न दें और वाइस चान्सलर को पावर दे दें, वह चाहे जिस टीचर के खिलाफ इन्क्वायरी कर लें। इसका मतलब तो हुआ कि विश्वविद्यालय का कोई भी अध्यापक फ्री ली अपनी ओपिनियन वाइस चान्सलर के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पायेगा। यह आपने एक इकोनियन जो नियम बनाया है, माननीय सभापति महोदय, यह किसी भी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। इसलिए मैं चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, हमें गम्भीरता से इस बात को सोचना चाहिये क्या हम एक विश्वविद्यालय में, ऐसा करें उदयपुर विश्वविद्यालय में नहीं हुआ, राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं हुआ, जोधपुर विश्वविद्यालय में ऐसी कौनसी स्थिति पैदा हो गई जिससे हम केवल मात्र जोधपुर विश्वविद्यालय के टीचर्स को इस अधिकार से डिबार करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की आवश्यकता भी नहीं है जिसके कारण उसको चेन्ज करने की आवश्यकता पड़ती। माननीय सभापति महोदय, इसमें एक और लिखा है :

"The existing provisions contained in sub-section (6) and sub-section (7) of section 11 of the principal Act regarding filling up of vacancy in the office of the Vice Chancellor of the University

(श्री सी. पी. जोशी)

were inconsistent and overlapping. This inconsistency deserved to be removed and the provision regarding filling up of vacancy in the office of Vice Chancellor needed to be harmonised."

अब, माननीय सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय की संरचना का एक और ड्राबेक है। उदयपुर विश्वविद्यालय के अनुभव को उपयोग में नहीं लिया और यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के सेवा नियमों में इस तरह से करना चाहते हैं। इस एक्ट के अन्दर सैक्शन 6 और 7 में फन्क्शन्श चेन्ज किये। माननीय सभापति महोदय, जो अखबार पढ़ते हैं उनको यह बात मालूम है कि इस प्रोविजो को चेन्ज करने के बाद कभी उन्होंने इस बात को एण्टीसिपेट किया है कि जो आज वेस्ट बंगाल के अन्दर हुआ है वही की वही स्थिति राजस्थान के अन्दर होगी। राजस्थान की सरकार यह कहे कि अमुक आदमी वाइस चान्सलर नियुक्त होना चाहिये और वहां के गवर्नर यह कहें कि अमुक आदमी वाइस चान्सलर नियुक्त होना चाहिये। यह जो इन्कन्सिस्टेन्सी वेस्ट बंगाल के सामने आई उससे भी हमने कुछ सीखा नहीं। यह जो हम एक पूरी पावर लेना चाहते हैं उस पावर में, माननीय सभापति महोदय, गवर्नमेन्ट के पास कोई अधिकार नहीं, चान्सलर महोदय जो चाहेंगे वह इसके अन्दर स्टोप-गैप अरेन्जमेन्ट से जैसी भी व्यवस्था चाहेंगे वैसी व्यवस्था करेंगे और जब परमानेन्ट वेकेन्सी होगी उस वेकेन्सी के अन्दर एक प्रोविजो दे रखा है उसके आधार पर वह सलेक्शन करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जब एक्ट में अमेन्डमेन्ट करते हैं तो हमें यह एन्टीसिपेट करना चाहिये कि भविष्य में इस तरह की स्थिति बन सकती है। उस स्थिति को मीट आउट करने के लिये हमने क्या किया या विश्वविद्यालय के एक्ट में कालेज को बाइफरकेट कर दिया। कालेज को बाइफरकेट करके उनके सीनेट-सिण्डीकेट की एकेडेमिक कौंसिल के कम्पोजीशन में एफिलिएटेड कालेज के आदमी को रिप्रेजेन्टेशन दे दिया हमने और जो हमारे इलेक्टेड और नोमिनेटेड मैम्बर हैं उनकी लाइफ हमने एक साल कर दी। यह कुल मिलाकर विश्वविद्यालय की संरचना के लिए, माननीय सभापति महोदय, ठीक नहीं है। मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना इस बात की है कि विश्वविद्यालय के अमेण्डमेन्ट को हम यह आधार बनाकर कि किसी विश्वविद्यालय के उपकुलपति उन कारणों से विश्वविद्यालय को ठीक नहीं चला पाते हैं, उनके लिए छोटे मोटे आर्डिनेंस लाकर इस एक्ट में यदि अमेण्डमेन्ट करने की प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं तो, माननीय सभापति महोदय, वह आर्डिनेन्स और एक्ट बनाने की सारी मन्शा समाप्त हो जायेगी। आवश्यकता इस बात की है, हमने जितने एक्ट बनाये, उन एक्ट को गम्भीरता से सोचें और हम लोगों को एक आधार दें। जोधपुर विश्वविद्यालय की रेजिडेन्शियल यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है उस यूनिवर्सिटी में यह एफिलियेटेड कालेज और

(श्री सी. पी. जोशी)

कान्स्टीट्यूएन्ट कालेज का जो कन्सेप्ट है वह कन्सेप्ट रिडन्डेन्ट है। इसलिए एफिलियेटेड कालेज में जहां उसका मैनेजमेन्ट, एम्प्लायमेन्ट, रिक्रूटमेन्ट का आपको अधिकार नहीं है, उस तरह से कैटेगराइज करके आप जो अमेण्डमेन्ट लाना चाहते हैं वह ठीक नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं वह स्वयं शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते वह स्वयं महसूस करते हैं कि शिक्षक को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उप कुलपति के मार्फत सही स्थिति, रख सके। उपकुलपति में यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि जब चाहे जैसे चाहे किसी के खिलाफ इन्क्वायरी कर दे। तो, माननीय सभापति महोदय, आपने शिक्षक की स्वायातता, उनकी एकेडेमिक फ्रीडम को समाप्त किया है। उसमें सोसायटी को गाइड करने के लिये अपनी बात कहने का सामर्थ्य है। जिन आधारों पर सारे विश्व के अन्दर, हर जगह पर, यह मानेंगे कि····

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री सी. पी. जोशी : यह समाज को गाइड करके समाज में बढ़ने वाले कुकृत्यों को समाज के सामने रख दे, उन अधिकारों से वंचित करने का जो नियम है यह उस महान आदमी, जिसने राजस्थान बनाने में अपना बड़ा योगदान किया जयनारायण जी व्यास, के नाम पर परिवर्तन के साथ यह अमेण्डमेन्ट का आधार, मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, ठीक नहीं है। विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन ऐसे व्यक्ति का लाभ उठाकर ऐसा अमेण्डमेन्ट करके हम उस महान आदमी को सही ट्रिब्यूट नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अभी भी कोई टाइम नहीं गया है; हमें इसको गम्भीरता से सोचकर पुराने विश्वविद्यालय के अनुभव और हिन्दुस्तान के अन्य विश्वविद्यालयों के अनुभव को लेकर कान्स्टीट्यूएन्ट कालेज और एफिलियेटेड कालेज का जो अन्तर है उसको समझें अन्यथा, माननीय सभापति महोदय, या तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के 120 कालेजों को, एफिलियेटेड कालेजों को राजस्थान यूनिवर्सिटी की सीनेट और सिण्डीकेट के मेम्बर बना दीजिये।

सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो सारी स्थिति है वह इससे काम्प्लीकेटेड हो जायेगी इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को पास करने के पहले आप इस पर गम्भीरता से सोच लें और फिर बाद में आप इस अमेन्डमेन्ट को जोधपुर यूनिवर्सिटी के एक्ट में लावें। अगर आप इसको गम्भीरता से देख कर करें तो ठीक होगा और इसका दूरगामी लाभ भी होगा अन्यथा इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

बस इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, जोधपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदल

(श्री महाराम चौधरी)

कर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो रखने के लिये सदन में बिल पेश हुआ है ···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने तो आपका नाम पुकारा ही नहीं है, आप कैसे बोलने लग गये।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री महाराम चौधरी : मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता था, सभापति महोदय, जोधपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी करने की बात आज इस सरकार को कैसे याद आयी ? यह कहीं उदयपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी रख रहे हैं इसलिये तो नाम याद नहीं आ गया ? सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से कि जयनारायण व्यास वह व्यक्ति थे जिन्होंने राजा-रजवाड़ों के जमाने में सामान्तवाद के खिलाफ में हमेशा लड़ाई लड़ी। उनके मरने के इतने साल बाद इस सरकार को आज यह बात याद आयी है। सभापति महोदय, इन्हीं लोगों ने उस व्यक्ति को दुत्कार दिया था और आज आप उसके नाम पर जोधपुर यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं। सभापति महोदय, जयनारायण व्यास राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने उनके भले के लिये कई काम किये जिससे उनको आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में याद करते हैं। सभापति महोदय, जोधपुर यूनिवर्सिटी का नाम आप उनके नाम पर परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप जो श्री व्यास के मन में लोगों के प्रति काम करने की भावना थी उसकी पूर्ति करें तो ठीक रहेगा। वरना यों ही आप अगर उनके नाम से ही उस यूनिवर्सिटी का नाम बदलना चाहते हैं। जो उनके मन की भावना थी, उनके जो काम थे उन्हें पूरा करें वरना तो श्री जयनारायण व्यास की आत्मा स्वर्ग में बैठी आप को दुत्कारेगी। इसलिये मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप उनके नाम से ही इस यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तन करते हैं तो उनकी जो भावना थी आप उसकी पूर्ति करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

श्री जयदेवसिंह इन्दोरिया (रतनगढ़) : आप, माननीय सदस्य, इसके विरोध में बोल रहे हैं या पक्ष में। यह बतावें कि आप पक्ष में या विपक्ष में बोलना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये, माननीय सदस्य। विपक्ष के नेता महोदय बोलना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने इस विधेयक

(भैरोंसिंह शेखावत)

को सदन में प्रस्तुत किया है। इसमें चर्चा इस बात की की गई है कि स्वर्गीय जयनारायण व्यास की स्मृति में जोधपुर विश्व विद्यालय का नाम बदलना चाहते हैं। सभापति महोदय, यह एक ऐसी बात है जिस पर सदन के किसी भी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं है। श्री जयनारायण व्यास के नाम पर अगर जोधपुर यूनिवर्सिटी का नाम, उनकी स्मृति में अगर नाम परिवर्तन होता है तो सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इनकी भावना यह नहीं है। इसके लिये मैं आपको एक बात बताना चाहता जिसकी कि जानकारी शायद सदन के कई माननीय सदस्यों को होगी भी कि श्री जयनारायण व्यास ने सन् 1952–53 में भीलवाड़ा में एक अस्पताल का उद्घाटन किया था। उस अस्पताल का जब उद्घाटन किया था तो एक शिलालेख पर लिखा हुआ था, सभापति महोदय, इस तारीख को श्री जयनारायण व्यास द्वारा उद्घाटन किया गया था। लेकिन खेद की बात है कि आज दिन तक उसको पूरा नहीं किया गया। राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी जब भीलवाड़ा गये तो उन्होंने उस पत्थर को तो अन्दर रखवा दिया और उसके बदले अपने नाम का पत्थर उस दरवाजे पर लगवा दिया। अगर सरकार इस प्रकार की भावना से नाम परिवर्तन जोधपुर यूनिवर्सिटी का करना चाहती है तो बात दूसरी है।

सभापति महोदय, जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वहां के क्या हालात हैं, उनके बारे में भी कहना नहीं चाहता हूं, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के लिये राजस्थान सरकार ने जो समय समय पर काम किये हैं उससे तो जोधपुर यूनिवर्सिटी को एक पुलिस स्टेशन ही बना दिया गया है। अब यह जो आप संशोधन करने जा रहे हैं इससे तो यह जोधपुर यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन की श्रेणी में ही आ जायेगी। सभापति महोदय, हम यूनिवर्सिटी को अगर लोकतान्त्रिक आधार पर या लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों पर या शैक्षणिक आधार पर चलाना चाहते हैं तो बात दूसरी है क्योंकि उसमें तो फिर संशोधन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। पर मैंने जो इसका विरोध किया, इसका कारण यह है कि उस यूनिवर्सिटी में लोकतन्त्र की व्यवस्था चल ही नहीं रही है। सभापति महोदय, अगर हम यूनिवर्सिटीज में मन से लोकतान्त्रिक तरीके से या लोकतान्त्रिक भावना से या लोकतान्त्रिक तरीके से, परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिये मुझे यह बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता ही समाप्त हो रही है। आज जो यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता होनी चाहिये वह नहीं है। आज जो स्थिति पैदा हो रही है उसमें तो आप एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता सौंपना चाहते है। इसमें चाहे आप एक वाइस चान्सलर के हाथ में सत्ता सौंप दें या चाहे आप चान्सलर के हाथ में सत्ता सौंप दें। जिस प्रकार कालेज शिक्षा का डाइरेक्टर अलग है और दूसरी शिक्षण संस्थाओं के लिये डाइरेक्टर आफ स्कूल एजूकेशन है उसी प्रकार की व्यवस्था आप यहां करने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जा रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि राजस्थान में यूनिवर्सिटीज में आई ए० एस० अधिकारियों को लगा रखा है। एक आई. ए. एस. अधिकारी आपने वाइस चान्सलर लगा रखा है, वह पिछले तीन सालों से वहां पर वाइस चान्सलर का काम कर रहा है। दूसरी जगह पर आपने एक आई. ए. एस. अधिकारी को रजिस्ट्रार लगा रखा है। तो मैं यह इस सदन को कहना चाहता हूं कि आखिर राजस्थान सरकार इन यूनिवर्सिटीज में क्या करना चाहती है। आज आपने वहां सरकारी अधिकारियों को लगा रखा है जबकि यह विश्वविद्यालय सरस्वती के मन्दिर होते हैं। वहां पर शिक्षा जगत के उच्च स्तर के लोगों को रखा जाना चाहिये ताकि वहां से अच्छे विद्यार्थी निकल सकें। पर सरकार की यह मंशा नहीं है। सरकार की मंशा यह है कि जिस तरह से कालेज शिक्षा का डाइरेक्टर या जिस प्रकार से स्कूल एजूकेशन का डाइरेक्टर है उसी तरह से इन यूनिवर्सिटीज में अमेन्डमेन्ट लाकर वही व्यवस्था कर दी जावे और सारी सत्ता सरकार के हाथ में आ जावे। सरकार सारी व्यवस्था अपने हाथ में लेना चाहती है। यह सरकार की मंशा है। अगर सरकार की मंशा यह नहीं है और अगर, सभापति महोदय, सरकार में दम हो तो मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे वह जोधपुर विश्वविद्यालय का मामला हो, चाहे वह उदयपुर यूनिवर्सिटी का मामला हो, वहां पर देखें कि क्या स्थिति है, वहां पर किस प्रकार से वाइस चांसलर काम कर रहे हैं। वहां किस प्रकार से वाइस चान्सलर चाहे जिसके खिलाफ में एक्शन ले रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज यूनिवर्सिटीज की क्या हालत है? आज दूसरी जगह पर जितना भ्रष्टाचार नहीं है उससे अधिक हमारे यहां पर राजस्थान की यूनिवर्सिटीज में है। वहां किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। आज वहां पर चाहे कोई मामला हो, चाहे कोई नियुक्ति का मामला हो, अपने चहेते लोगों को अपोइण्टमेंट दे दिया जाता है। आज चाहे जिसको सरकार अपोइन्ट करके उसका चाहे जहां पर स्थानान्तरण कर देती है। आज किसी के खिलाफ में कोई जांच हो तो भ्रष्ट लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है। सभापति महोदय, जब इस प्रकार की स्थिति हो तो क्या शैक्षणिक सुधार होगा, कैसे विद्यार्थियों का आप प्रोडक्शन करेंगे। सभापति महोदय, ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसे विद्यार्थियों का प्रोडक्शन होगा तो हमारे यहां भी शिक्षा का क्या हाल होगा।

सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों मैं जोधपुर गया था। वहां पर मैंने जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में जो सुना वह आपको निवेदन करना चाहता हूं। वहां मुझे पता चला कि एक चपरासी और विश्वविद्यालय के उप कुलपति के बीच झगड़ा चल रहा है। किस ने किस के थप्पड़ मारा, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन रिपोर्ट दर्ज हुई। चपरासी कहता है कि वी. सी ने मुझे मारा और वाइस चान्सलर कहता है कि चपरासी ने मुझे मारा। दोनों का विवाद पुलिस के हाथ में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चला गया। लोगों को पता चला कि वी. सी. ने चपरासी को पीटा तो समझौता कराने की कोशिश की। वह किस तरह से करवाया, किस तरह चपरासी को विश्व-विद्यालय कोष से पैसा दिलवाया। 50/- रुपये दे दिये विश्वविद्यालय कोष से और मारपीट का झगड़ा समाप्त कराने की कार्यवाही की। मैं पूछना चाहता हूं इस सदन से, जिस वाइस चांसलर के चरित्र का यह स्तर है कि चपरासी को पांच सौ रुपये देकर वह उस केस को कम्प्रोमाइज कर ले वह लोगों के सामने अपने चरित्र का क्या उदाहरण प्रस्तुत करेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। कई बार चिन्ता का विषय बनता है जब विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह स्थिति बनाकर चला रहे हैं कि मर्जी आये जिसको वाइस चांसलर बना दो, मर्जी आये जिसको प्रोफेसर बना दो, सिंडीकेट और सीनेट की बात नहीं मानो, एकेडेमिक कौंसिल की इम्पोर्टेंस खतम कर दो। लेक्चरार और प्रोफेसर, जो अपने जॉब में किसी तरह एक्स्पर्टाइज करके आये हैं, की बात को नहीं सुनें। यह विश्वविद्यालय किस बात का है ? सभापति महोदय, पिछले दिनों जोधपुर विश्व-विद्यालय में सलेक्शन हुआ, सलेक्शन होना था माइनिंग इंजीनियर्स का और वहां सलेक्शन कमेटी में बिठा दिया सिविल इंजीनियरी के आदमियों को। अब यह किस पर्पज के हैं ? वाइस चांसलर इस प्रकार की घटनायें करते हैं, कमेटियों की मीटिंग होती है उसमें कोरम पूरा नहीं होता और वाइस चांसलर कहते हैं कि कोई चिन्ता की बात नहीं है हमें आज के बिजनेस का पूरा ट्रांजेक्शन करना है इसलिए कोरम हो या नहीं हो, हमें कोई इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। सभापति महोदय, आज सुबह ही मैंने यह जोधपुर टीचर्स एसोसिएशन का ज्ञापन पढ़ा। पढ़ कर मुझे खुद को शर्म आती है कि यदि विश्वविद्यालय में इस प्रकार की स्थिति बन गई तो विश्वविद्यालय नहीं रहेंगे, यह मानव के प्रोडक्शन के सेंटर नहीं रहेंगे, यह दुष्टों के प्रोडक्शन के सेंटर हो जायेंगे। देश को और सोसाइटी को इसका भुगतान करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा जो चार्ज हैं, वह चार्ज एक पेज पर हैं, यहां पर कुलपति ने चौकीदार को पीटा, चौकीदार को लेकर जा रहे हैं इसका भी फोटो दिया हुआ है। लेकिन कुछ चार्जेज ऐसे हैं, एक्जामिनेशन सम्बन्धी चार्जेज हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिससे इनकी सारी व्यवस्था के बारे में, विश्व-विद्यालय के उप कुलपति, जिनको योग्यता पर भरोसा करके आप सीनेट को ताक पर रखना चाहते हैं, को इंक्वायरी आफिसर बनाकर कैसे प्रोफेसर्स को सजा देने का अधिकार देना चाहते हैं, ऐसे वाइस चांसलर के और उसकी व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है :—

"On 7.8.83, students walked out of paper IV of examination of B. E. Final examination of Mining Engineering. As per the rules of the University, the boy-cotted examination could not be re-held and the boys were asked to take supplementary examination. The boys agitated and as a

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

consequence thereof even without the boys having taken a fresh examination, they were declared successful."

क्या इस बात के लिए विश्वविधालय है कि लड़के परीक्षा का बहिष्कार करते है ? उसके बाद एक्जामिनेशन में एपीयर नहीं हों और नहीं होने की स्थिति में भी उनको सक्सेसफुल घोषित कर दिया जाए, ऐसा उदाहरण सारे हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिल सकता जैसा जोधपुर विश्वविद्यालय में मिलता है, जिसके वाइस चांसलर को आप अधिकार देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार मर कहां गई, सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं होती । विश्व विद्यालय न तो सरकार की बपौती है, न इस सदन की बपौती हे, यह सारे राजस्थान की जनता की बपौती है। उस जनता के साथ विश्वासघात करना चाहते हैं, केवल इसलिए कि कुछ लोगों का चयन करना चाहते हैं, कुछ लोगों को किसी प्रकार का पक्षपात करके अच्छे स्थान पर लाना चाहते हैं। यदि यही आपका दृष्टिकोण है तो, माननीय राज्य मंत्री जी, मै नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि न इस कुर्सी पर आप परमानेंट बैठने वाले हो, न शिवचरण माथुर परमानेंट बैठने वाले हैं। आप विश्व विद्यालय का सत्यानाश स्थाई रूप से करके चले जाओगे। लड़के और राजस्थान की पीढ़ियां आपको याद करेंगी, आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। व्यास जी का नाम रखा जाए, मुझ आपत्ति नहीं हो सकती, आपको आपत्ती नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे कारनामे जो वाइस चांसलर करता है, उस वी. सी. को आप अधिकार देने की बात सोचते हैं, यह भला आदमी नहीं सोच सकता है, यह वही सोच सकता है जिसका निहित स्वार्थ हो । मैं चार्ज लगाना चाहता हूं सरकार के ऊपर कि आप अपने निहित स्वार्थ के कारण विश्वविद्यालय का ढांचा खराब करने पर उतारू हैं

"If an enquiry is made, it may be found that the marks received by boys in actual assessment of answer books left by them at the time of boycott will be zero in many cases. When questioned in Senate on 1?-3-84, the Vice Chancellor refused to give details of actual marks or as to why what the marks were raised from zero."

मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से वाइस चांसलर को किस कानून के अन्तर्गत अधिकार मिले हुए थे कि जिन विद्यार्थियों के जीरो मार्क्स आये थे, उनके मार्क्स बढ़ा दिये ? क्या कानून के अन्दर अधिकार है ? क्या जोधपुर विश्वविद्यालय के कानून के अन्दर वाइस चांसलर को इस प्रकार का कोई अधिकार दिया हुआ है ? क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई आदेश दिये हैं कि जिन विद्यार्थियों ने एक्जामिनेशन में कापियां नहीं भरीं और भरीं तो भी उनको जीरो नम्बर दिया जाय, उस विश्वविद्यालय के लड़कों को पास कर दिया जाए, यह कौन-सी व्यवस्था है, किस के आदेश हैं ? सभापति महोदय, तीसरा है-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

"In the Examination of B. Ed. Second Paper of examination of 1983, the students threatened boycott of the paper after about 15 minutes of its start. The Vice Chancellor came at demand of students and to pacify them dictated a question to be added to the paper. It may be seen that a paper is set and moderated as per certain rules and no one is authorised to alter this. There is also a specific resolution of Academic Council and Syndicate forbidding this. What is more, it took about 45 minutes to pacify the boys and in this time they had left their seats and talked to each other and even had access to books. Yet the boys were allowed to take the examination."

मैं समझता हूं इससे ज्यादा और कोई घिनौनी बात नहीं हो सकती। पांच विद्यार्थी आन्दोलन कर रहे हैं, वाइस चांसलर साहब उनकी रेस्क्यू में आ जायें और वह नया पेपर डिक्टेट करवाकर चले जायं कि तुम इसका उत्तर नहीं दो, जो मैं डिक्टेशन देता हूं उसका उत्तर दो। यह क्या वाइस चांसलर है? यह क्या विश्वविद्यालय है? आगे लिखा है—

"Appointments without sanctioned posts— In the absence of sanctioned posts, a person was appointed to draw his salary from, Materials Grant."

रॉ-मेटीरियल कचरा भी होता है, वह कोई सामान भी होता है। रॉ-मेटीरियल के खाते में से रुपये जमा करवा दिये। क्यों जमा करा दिये, अन-सैंक्शन्ड पोस्ट पर एक आदमी की नियुक्ति करनी थी, जिसका कोई प्रोविजन नहीं है, उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन आपने नियुक्ति कर दी और रॉ-मेटीरियल ग्रांट मिलनी चाहिए, उस ग्रांट से पैसा जमा करवा दिया—

"Another was appointed to work at the residence of an officer and his salary was debited to Building Works."

एक दूसरे आदमी को और नियुक्त कर दिया। वहां के यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं उच्च अधिकारियों के पास एक चपरासी, रोटी बनाने वाले, कपड़े धोने वाले की नियुक्ति करनी है, कोई पैसा नहीं था, पोस्ट नहीं थी तो बिल्डिंग के खाते में से, उसके अगेंस्ट खर्च करके पैसा दिलवाया गया। अब, सभापति महोदय, वाइस चांसलर ऐसी गड़बड़ी कर सकता है उसको फिर आप अधिकार देना चाहते हैं ताकि कोई बोल नहीं सके। यह यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, जिन्होंने हिम्मत की वाइस चांसलर के खिलाफ ऐसी बातें लिखने की, मैं समझता हूं आप आर्डिनेंस पास कर दें उसके बाद कोई प्रोफेसर, टीचर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के खिलाफ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने अधिकार दे दिया कि कोई कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं इन्क्वायरी करेगा। आप भी मुझे सजा दें तो मैं विधायकों के सामने जाऊंगा, लोअर कोर्ट में जाऊंगा। वह सजा दे दे तो सैशन कोर्ट जाऊंगा। सैशन कोर्ट सजा दे दे तो हाई कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट सजा दे दे तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा दे दे तो मर्सी पिटीशन लेकर मैं प्रेसीडेंट के पास जाऊंगा। लेकिन आप कानून बना रहे हैं, विश्वविद्यालय जो फैसला कर ले हिन्दुस्थान में कहीं उसकी अपील नहीं होगी। ऐसे विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर को प्रोटेक्शन देकर इस विश्वविद्यालय की स्थिति क्या करना चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आता। सभापति महोदय, जो लड़के फेल हो गए, जो आपको डंडा दिखायें, घर के ऊपर आपको आंख दिखायें, आपका घेराव कर लें, मंत्रीजी को काले झण्डे दिखायें और सारे विश्वविद्यालय में इस बात का उत्पात मचा दें वह विद्यार्थी तो फेल पास कोई जरूरत नहीं है, न उनको आन्सर बुक लिखने की जरूरत है, आन्सर बुक में चाहे क्रास करके लिखकर आ जायें। मुझे याद है, एक व्यक्ति ने आन्सर बुक में कुछ नहीं लिखा 'पंडित जवाहर लाल की जय हो, पंडित जवाहर लाल की जय हो, पंडित जवाहर लाल की जय हो—यह आन्सर बुक में सारा लिखकर आ गया। ऐसा लड़का यदि पास हो जाता है तो, कल्ला साहब, मैं भी समझता हूं, आप भी मन से इस बात को स्वीकार नहीं करोगे, ऐसे स्टूडेन्ट को पास किया जाये। लेकिन जोधपुर यूनिवर्सिटी में तो हालत यह हो गयी कि एग्जामिनेशन में नहीं गये उनको नैक्स्ट क्लास में आपने प्रमोशन दे दिया और वह भी मार्क्स के बेसिस पर नहीं। मुझे याद है, कुछ स्टूडेन्टस ने मुझे लिखकर दिया था कि हम थोड़े से नम्बर से रह गये, हमने परीक्षायें दीं, आन्सर बुक को बड़ी सिंसियरिटी से भरा और जो कुछ मेहनत कर सकते थे वह मेहनत की लेकिन हमको प्रमोशन नहीं मिल सका और जिन स्टूडेन्टस ने दादागिरी की उनको प्रमोशन मिल गया, जो सिफारिश लेकर आये थे उनको प्रमोशन मिल गया। वाइस चांसलर ने प्रमोशन के आदेश निकाल दिये और हम रोते रह गये। जिन्होंने पढ़ा नहीं आज वह प्रमोशन लेकर नैक्स्ट क्लास में चले गये। सभापति महोदय, आगे फिर लिखते हैं—

"Although the Act forbids a person interested in any candidate to sit on the Selection Committee, a V. C. selected his own grand daughter who did not fulfil minimum qualifications prescribed by Ordinances."

सभापति महोदय, यह वही वाइस चांसलर हैं जिन वाइस चांसलर को आप अधिकार देना चाहते हैं। यह सामान्य व्यवस्था है, प्रशासन की सामान्य व्यवस्था है और विधान सभा में भी आपने प्रतिबंधित कर रखा है नियमों के अन्तर्गत, मेरी किसी मामले में कोई व्यक्तिगत चिरु

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो तो तो मैं उस संबंध का न प्रश्न पूछ सकता हूं, न उस संबंध का मैं प्रस्ताव रख सकता हूं, न उस संबंध पर मैं चर्चा कर सकता हूं। एक सामान्य व्यवस्था है वह चाहे आप प्रशासन में देख लें लेकिन यहां पर वाइस चांसलर की ग्रांड डाटर का सलेक्शन किसी प्रकार से हो जाये और उसमें जो इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति है वही यदि सलेक्शन में बैठ गया तो, सभापति महोदय, फिर तो आप मानकर चलिये कि परिणाम क्या निकलने वाला है। मैं समझता हूं, कल्ला साहब, आप इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे।

"One V. C. conducted a selection without the Committee having quorum and got the recommendations signed by a Member coming later."

सभापति महोदय, बिना कोरम के कोई सलेक्शन नहीं होता। बिना कोरम के सलेक्शन नहीं हो सकता तो भी सलेक्शन करना था वह कर लिया। बाद में कोई मैम्बर आया, उसको कहा कि इसके ऊपर दस्तखत करो। दस्तखत कर दिये, सलेक्शन हो गया। भई, यह कोई कम्पलेन्ट नहीं कि कोरम होना चाहिए था या कोरम नहीं होना चाहिए था लेकिन सलेक्शन हो गया।

"**Change in examination marks by V. C.** : One V. C. raised marks obtained by some candidates in Tabulation Register. Later, after enquiry from Chancellor, colluded with a Dean to forge minutes of Results Committee. No action has been taken inspite of Chancellor's directive to initiate proceedings."

अब इससे ज्यादा और क्या सीरियस मामला होगा। टेबुलेशन में फोर्जरी हो जाये, किस को कितने मार्क्स मिले उसे काट-छांटकर बढ़ा दिया जाये और घटा दिया जाये, सभापति महोदय, साधारण व्यक्ति कोई करता तो सीधे थाने में चार सौ बीस के मामले में, फोर्जरी के मामले में गिरफ्तार करके रख दिया जाता। लेकिन हमारे वाइस चांसलर हैं, हम उनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते। सम्माननीय व्यक्ति हैं, उनकी अपील या तो भगवान सुनता है या फैसला वह करते हैं। बीच में किसी प्रकार का कोई स्तर नहीं रहा, जहां आदमी जाकर कुछ कर सके। ऐसी स्थिति में जब वाइस-चांसलर इस प्रकार की घटनायें कर सके कि मिनट्स में फोर्जरी हो जाये, चांसलर आर्डर दे कि जांच होनी चाहिए और उसके बाद में भी कोई इन्क्वायरी नहीं हो तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार वाइस-चांसलर के ऊपर है या यह सरकार वाइस चांसलर के ऊपर है या यह सरकार वाइस चांसलर की गुलाम है। इन दोनों में से सरकार फैसला करे। हम यदि राजस्थान के शिक्षा स्तर का सुधार करने का दावा करते हैं तो वाइस चांसलर की गुलामी से निकलें, ईमानदारी से इस सारे प्रश्न पर विचार करें। आज टीचर्स की इन्क्वायरी करने के लिए तो वाइस चांसलर को अधिकार देते हैं, फिर वाइस चांसलर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की इन्क्वायरी की क्या व्यवस्था है ? वहां हम यह कहेंगे कि हम वाइस चांसलर की इन्क्वायरी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसकी आटोनामी डिस्टर्ब होती है, स्वायत्तता डिस्टर्ब होती है, उसके स्वतंत्र कार्यों पर फंक्शन पर एक प्रकार का अंकुश रहता है इसलिए हम उसकी स्वायत्तता को भंग करना नहीं चाहते। और कैसे क्या किया ? उदयपुर से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री राजदान सिंह को, अकारण, क्योंकि गवर्नमेन्ट नहीं चाहती थी, एक विद्वान व्यक्ति को अपमानित करके घृणित कार्य जितना राजस्थान की सरकार ने किया है उतना हिन्दुस्तान की किसी सरकार के इतिहास में नहीं, हुआ इतना घृणित काम। उस राजदान सिंह को ह्यूमिलियेट करके राजस्थान से निकाला, वह मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के ऊपर कलंक था, ऐसा कलंक है जो कभी मिट नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं, सभापति महोदय, एग्जामिनेशन मार्क्स में चेन्ज कर दिया जाये :

"**Creation of posts without sanction of Government**—In Jodhpur University only some 40 posts have been created without sanction of Government, another 40-50 upgraded and over and above this, at least a dozen are working without any post. In Government, for irregularity of this dimension, the Head of Department may face serious discipinar y action."

सभापति महोदय, यह आज जोधपुर विश्वविद्यालय की हालत है। उस विश्व विद्यालय में यदि आप यह चाहें कि टीचर्स इस प्रकार का रिप्रजेन्टेशन नहीं करें, विश्व विद्यालय की अनियमितताओं को जनता के सामने नहीं लायें, विश्वविद्यालय में क्या कार्यवाही हो रही है, राजस्थान सरकार को उसकी जानकारी नहीं मिले, राजस्थान की जनता को उसकी जानकारी नहीं मिले और इसलिए इन सारी एक्टीविटीज को कर्ब करने का एकमात्र तरीका है कि इनको जो अधिकार अभी तक इन्क्वायरी करने का नहीं था,

"Without prejudice to the powers of the Chancellor under sub-section (2) of section 10, the Vice-Chancellor shall have for good and sufficient cause, power to make an enquiry himself or to cause it to be made, by such sufficient cause, power to make an enquiry himself or to cause it to be made, by such officer or officers of the University as he may direct, against a teacher and to impose such penalty as may be prescribed by Statute."

मैं कहना चाहता हूं कि किस वाइस चान्सलर को आप अधिकार दे रहे हैं ? कमेटी में आपका कान्फीडेन्स क्यों नहीं है ?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आज दो प्रोफेसर का या दो टीचर्स का कोई अपाइन्टमेंट होता है, मैं जानता हूं राजस्थान में जितने वाइस चान्सलर बने हैं अधिकांश वाइस चान्सलर वही हैं जिनका यूनिवर्सिटीज के अन्दर टीचर्स के रूप में अपाइन्टमेन्ट हुआ था। जो पहले टीचर बने और बाद में जाकर वाइस चान्सलर बने। प्रोफेसर यूनीयाल यहीं पर प्रोफेसर थे, डाक्टर एम. पी. माथुर यहीं पर प्रोफेसर थे, डाक्टर मलहोत्रा यहीं पर प्रोफेसर थे। यहीं पर उन्होंने अपाइन्टमेन्ट लिया और यहीं पर वाइस चान्सलर बने। जिस आदमी के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, हिन्दुस्तान में अपना नाम कमा सकता है अपनी शैक्षणिक योग्यता के कारण से आज वही व्यक्ति टीचर की स्थिति में रहता है, तो आप टीचर्स की कमेटी या आफिसर्स की कमेटी या प्रोफेसर्स की कमेटी के अ॒ इन्क्वायरी नहीं कराके, एक वाइस चान्सलर को अधिकार देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में अधिकार क्यों नहीं दिये ? उदयपुर यूनिवर्सिटी में आप यह अधिकार क्यों नहीं देते ? मैं नहीं समझता कि वहां हैं या नहीं लेकिन राजस्थान में एक व्यक्ति हैं; वाइस चान्सलर जो जांच करेगा एक यूनिवर्सिटी में, दूसरी नियूवर्सिटी में कमेटी जांच करेगी और तीसरी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार जांच करेगा। एक इस प्रकार की अव्यवस्था आप क्यों फैलाना चाहते हैं ? इसके पीछे पर्पज क्या है ? मैं नहीं समझ पाता कि सी. पी. जोशी ने बिल्कुल साफ कहा कि दो तीन इन्क्वायरी के मामले आपके सामने आये, दो तीन इन्क्वायरी में इन्क्वायरी कमेटी का दोष नहीं है, वहां पर कहीं गवर्नमेंट जांच में आ गयी, कहीं वाइस चान्सलर बीच में आ गया तो किस नाम से किस बात का अधिकार लेना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया, सभापति महोदय।

इसी प्रकार से जो आगे के क्लाजेज में अमेन्डमेन्ट्स किये हैं "after considreing the views of the Senate"

आपको क्या दिक्कत आ गयी। सैक्शन 24 यह है पहले का :

"Ordinances how made.—(1) Ordinances shall be made by the Syndicate, but no such Ordinance shall take effect until it has been approved by the Chancellor after considering the views of the Senate."

अब यह वर्ड को हटाना चाहते हैं:—

"After considering the views of the Senate."

अब इसके कारण क्या परेशानी आयेगी। अगर सीनेट की सुनवाई करने के बाद में भी फैसला करे, तो चांसलर कर सकता है। आपको कहां दिक्कत आ रही है ? अब इसमें जब कोई दिक्कत नहीं है तो इन वर्ड्स को हटाने का मतलब क्या है ?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

"Ordinances shall be made by the Syndicate, but no such Ordinance shall take effect until it has been approved by the Chancellor after considering the views of the Senate."

अब इसमें कहां दिक्कत आ गयी, चान्सलर यदि सीनेट की ओपीनियन फिर ले ले, आपको परेशानी किस बात की हो रही है ? मैं समझता हूं कि दो बार विचार होगा तो कमियां रहेंगी उन कमियों को दूर किया जा सकता है। यदि कमियां नहीं रहेंगी तो जो ओपीनियन आई है उस ओपीनियन के आधार पर चान्सलर आर्डिनेन्स इश्यू कर देगा। लेकिन इसके लिए कोई आर्डिनेन्स इश्यू करके अधिकार लेना चाहें तो ऐसा कौन सा राजस्थान में संकट आ गया था, ऐसा कौन सा भार आ गया था, आपातकालीन स्थिति ऐसी कौनसी पैदा हो गयी थीं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि इस छोटे से मसले पर इस राजस्थान सरकार ने आर्डिनेन्स लाकर अपने स्तर का परिचय दिया है। राजस्थान सरकार आर्डिनेंस के प्रश्न को न गम्भीरता से लेती है, किन प्रश्नों के ऊपर आर्डिनेन्स इश्यू किया जाये इसकी भी इनको चिन्ता नहीं। इन दो मामलों के लिए आर्डिनेन्स इश्यू कर दिया।

तीसरा अमेंडमेंट लाये हैं—

In sub-section (1) of section 24 of the principal Act, the words "after considering the views of the Senate"

इसको डिलीट कर रहे हैं। यह संशोधन लाये हैं। 18 में संशोधन लाये है। अब 18 क्या है।

"The elected members and nominated members shall hold office for a period of three years and one year respectively from the date of election or nomination, as the case may be."

सभापति महोदय, मैं इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे हिन्दुस्तान में कोई कानून बता दें, सभापति महोदय, कानून पिछले 30 वर्षों से इस विधान सभा में ही बहुत पास हुए हैं, मेरा भी उसमें कुछ न कुछ कन्ट्रीब्यूशन है, मुझे भी थोड़ी बहुत कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी जानकारी है। मैं माननीय राज्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं राजस्थान में, हिन्दुस्तान में एक कानून बता दें जिसमें यह लिखा हुआ हो कि इलेक्टेड मेम्बर्स की तीन वर्ष की अवधि होगी, नॉमिनेटट मैम्बर की केवल एक वर्ष की अवधि होगी ? यहां पर हाउसिंग बोर्ड बना हुआ है, यहां पर राजस्थान स्टेट स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन बना हुआ है, यहां खादी बोर्ड बना हुआ है, यहां कोऑपरेटिव बैंक्स बने हुए हैं और बाकी की सब चीजें बनी हुई हैं, पंचायत समिति है जिसमें कई बार शिड्यूल्ड कास्ट और महिला का नॉमिनेशन होता है, जिला परिषद है, कोई भी मुझे ऐसा कानून बता दें, हिन्दुस्तान की धरती

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर जिसमें यह लिखा हुआ हो कि इलेक्टेड मैम्बर्स की अवधि तीन वर्ष की होगी लेकिन नॉमिनेटेड मैम्बर की अवधि एक वर्ष की होगी। इसके पीछे, सभापति महोदय, निहित स्वार्थ है, मैम्बर हम एक्सपेक्ट करें इन्डिपेन्डेंटली यूनिवर्सिटी के अफेयर्स में कन्ट्रीब्यूशन करें, वह इन्डिपेन्डेंटली नहीं कर सके he should live on the mercy of the Vice-Chancellor.

जब वाइस चांसलर नाराज हो जाये, नामिनेशन खतम, और यदि वी. सी. को ज्यादा खुश रखे, नामिनेशन फिर दूसरे साल हो जायेगा, क्योंकि बैन नहीं है कि एक बार नामिनेशन होने के बाद दूसरी बार नामिनेशन नहीं होगा, तीसरी बार नामिनेशन नहीं होगा। इसलिये यदि वी. सी. की इच्छा के विपरीत इन्डिपेन्डेंटली वह काम करने की तैयारी करे तो एक साल के बाद नामिनेशन खतम। यदि वाइस चांसलर की गुलामी करता रहे, नामिनेशन फिर उसका चालू हो जायेगा। मैं इसलिये कहना चाहता हूं, माननीय कल्ला साहब, यह कोई जल्दी का सवाल नहीं है। व्यास जी को आप सम्मानित करना चाहते हैं, हम भी सम्मानित करना चाहते हैं। व्यास जी के बारे में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। आपने इन तीन यूनिवर्सिटीज के बिल पेश किये हैं, जोधपुर यूनिवर्सिटी का, उदयपुर यूनिवर्सिटी का और राजस्थान यूनिवर्सिटी का। सभापति महोदय, इस सरकार को मैं केवल एक आश्वासन दे सकता हूं, आप 10, 12 सदस्य, जो यूनिवर्सिटोज के अफेयर्स से परिचित हों, जो आपके शिक्षा शास्त्री हों, वे सब इकट्ठे हो जायें, मुख्य मंत्रीजी को आप साथ लें, हमारे विरोधी पक्ष से बाबू राजबहादुर जी जैसे विद्वान व्यक्ति को और बाकी के लोगों, जिनको आप उचित समझें, को भी साथ लें और एक बार यूनिवर्सिटीज के बारे में हाउस में नहीं तो हाउस के बाहर ब्राड-डिस्कशन कर लें। इन यूनिवर्सिटीज की गिरती हुई हालत में इस तरह के कानून पास करा लेने से आपकी बहादुरी नहीं होगी कि कल्ला साहब ने कानून पास करवा लिया या शिवचरण जी ने कानून पास करवा लिया या राजस्थान की केबिनेट ने कानून पास करवा लिया। बहादुरी इसमें होगी, कल्ला साहब, आप ऐसे मूलभूत सुधार यूनिवर्सिटीज के ढांचे में कर जायें कि राजस्थान की जनता कल्ला को याद करे, शिवचरण माथुर को याद करे और दोनों को याद करके यह कहे कि वास्तव में यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का सुधार हुआ है। आप इसको कोई राजनैतिक प्रपंच न समझें, आप यह न समझें कि मैं विरोधी पक्ष में बैठा हूं मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं जब कई बार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुझ से मिलते हैं, चांसलर से भी मेरी बात होती है, प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंटस से मेरी बात होती है, तो मैं खुद भी दुखी होता हूं, सभापति महोदय, इन विश्वविद्यालयों की हालत में किस प्रकार सुधार किया जाये। इस सुधार करने के लिये यदि सरकार सीरियस हो तो मैं आपको निश्चित कह सकता हूं without any reservation of any kind in my mind, I will co-operate with the Govemment कि आज किस तरह से यूनिवर्सिटीज की हालत को सुधारा जाये ? इसलिये मैं आपसे नम्रतापूर्वक

(श्री हेमाराम चौधरी)

निवेदन करना चाहता हूं यह न आपकी प्रेस्टिज का सवाल है, न मेरी प्रेस्टिज का सवाल है, इस कानूनों को तो आप रखें–दो, तीन दिन, मुख्य मंत्रीजी से बैठकर सब मसलों पर ब्राड डिस्कशन्स होने के बाद यह सारे कानून पारित करवाने के लिये विधान सभा में पेश किये जायें। यह राजस्थान के विश्वविद्यालयों के लिये अच्छा होगा, सरकार के लिये अच्छा होगा और जो विश्वविद्यालयों में लड़के पढ़ते हैं उन लड़कों के लिये अच्छा होगा। इसके आधार पर आप चिन्तन करें। जवाब देने की आवश्यकता नहीं, आप सरकारी स्तर पर इस पर विचार कर निर्णय लें।

श्री सभापति : श्री हेमाराम।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : सभापति महोदय, जो यह बिल जोधपुर यूनिवर्सिटी के चेन्ज आफ नेम अमेंडमेंट का पेश किया इसके ऊपर माननीय जोशी जी और विरोधी दल के नेता ने अपने जो विचार रखे, उन विचारों में मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं। सभापति महोदय, जो यह बिल पेश हो रहा है इसमें वाइस चांसलर को इतने वाइड अधिकार दिये जा रहे हैं कि सर्वेसर्वा यूनिवर्सिटी के अन्दर वाइस चांसलर ही हो जायेगा और जो आज दिन तक सिंडीकेट था उसका महत्व नहीं रहेगा। सिंडीकेट के जो भी अधिकार थे उससे भी ज्यादा अधिकार वाइस चांसलर को इस कानून के जरिये दिये जा रहे हैं। सिंडीकेट के अन्दर भी किसी टीचर के खिलाफ कोई इन्क्वायरी या पनिशमेंट का फैसला करना है तो उसमें भी टू-थर्ड मेजोरिटी से करने का प्रावधान है, लेकिन यहां पर केवल एक व्यक्ति को यह अधिकार दिये जा रहे हैं कि वह ही इन्क्वायरी करे या अपने द्वारा किसी भी व्यक्ति से इन्क्वायरी करवा करके वह इसमें निर्णय करे। यहां तक ही नहीं, उसके बाद में उसके फैसले के खिलाफ में कहीं पर अपील करने का कोई प्रावधान नहीं। सभापति महोदय, आप भी कानून के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, ऐसा कानून आज दिन तक हमने तो कभी न पढ़ा, न सुना जिसके अन्तर्गत अपील का कहीं कोई प्रोवीजन न हो। लेकिन इस कानून के जारिये एक व्यक्ति को इतने अधिकार दे देना और उसके बाद में उसमें अपील तक का भी प्रोवीजन न रखना, सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय के अन्दर अध्यापकों के अधिकारों पर यह बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। इस तरह से वाइस चांसलर अपनी मनमानी और मोनोपोली यूनिवर्सिटी में चलाने लगेगा जिससे कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे और हर काम में उसका इतना हस्तक्षेप हो जायेगा कि विश्वविद्यालय के अन्दर स्वतंत्र रूप से कोई भी काम नहीं हो पायेगा। यही नहीं, सभापति महोदय, सिंडीकेट के अन्दर जो व्यक्ति पहले तीन साल के लिये वाइस चांसलर द्वारा नॉमिनेट किया जाता था उनकी भी अवधि अब एक साल की इस कानून के जरिये की जा रही है। तो, सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है, यदि इस तरह से जो नामिनेट दो डीन, दो प्रोफेसर करने हैं उनकी अवधि भी एक साल कर दी जाती है तो जो समय है वह

(श्री हेमाराम चोधरी)

बहुत कम होने की वजह से उनको हमेशा वाइस चांसलर की जी हजूरी में रहना पड़ेगा। अगले साल फिर यदि उनको नामिनेशन करवाना है तो बिलकुल ही उनको एक तरह से वाइस चांसलर के अधीन होकर चलना पड़ेगा। इसलिये, सभापति महोदय, यह तीन साल से एक साल का जो प्रोवीजन किया जा रहा है ऐसा करने से मैं समझता हूं यूनिवर्सिटी के अन्दर बहुत हस्तक्षेप होगा। इसके अलावा, सभापति महोदय, पहले इस यूनिवर्सिटी में जो चार व्यक्ति सिंडीकेट में यूनिवर्सिटी की तरफ से लिये जाते थे वे पहले सीनियोरिटी से वाई रोटेशन लिये जाते थे। बीच में कानून बदल करके वाइस चांसलर को नॉमिनेशन की पावर दे दी गई। इसलिये, सभापति महोदय, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि वाइस चांसलर को जो चार नामिनेशन, दो डीन और दो प्रोफेसर, नामिनेट करने की पावर्स हैं यह भी गलत दी हुई हैं। इसमें भी अमेंडमेंट की जरूरत है। यह चार, दो डीन और दो प्रोफेसर्स जो सिंडीकेट में लिये जाते हैं, वह भी सीनियोरिटी से वाई रोटेशन लिये जावें और उनका जो कार्यकाल है वह दो वर्ष या तीन वर्ष, जो भी कम हो, इस तरह का प्रोवीजन किये जाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, राजस्थान में किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा कहीं भी कानून में प्रावधान नहीं है कि हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट किसी भी गजेटेड ग्राफिसर को सस्पेण्ड कर दे।

(3·00 म. प.)

लेकिन इस कानून के जरिये यह एक ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि वाइस चांसलर के हाथ में जिनकी नौकरी का सवाल रहता है यदि वे जिस दिन उनसे नाखुश हो जायेंगे उसी दिन उन पर किसी तरह के चार्जेज लगाकर सेवा से मुक्त कर सकते है। तो इस तरह का जो कानून बनाया जा रहा है, सभापति महोदय, मैं समझता हूं हमारे मंत्री महोदय इस पर पुनः विचार करेंगे और इसमें निश्चित रूप से सुधार करेंगे।

आई. ए. एस. ऑफिसर्स होते हैं उनको भी सस्पेन्ड करने का जहां तक प्रश्न है वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। उस पर भी केबिनेट बैठकर निर्णय ले सकती है। तो यहां पर इस तरह का यह अधिकार एक व्यक्ति को देने की क्या जरूरत आ पड़ी, मैं समझ नहीं पाया। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करें। विरोधी दल के नेता महोदय ने जो सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालयों के बारे में जो जानकारी रखने वाले माननीय सदस्य हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनके साथ हमारे मंत्री महोदय अथवा मुख्य मंत्री जी बैठकर विचार विमर्श करने के बाद कोई निर्णय लें तो मैं समझता हूं उचित होगा। नहीं तो एक बार जब कोई कानून बन जायेगा तो उसके बाद में अध्यापकों के अन्दर बड़ा भारी असन्तोष होगा इसलिए इस पर ध्याज देने की जरूरत है।

दूसरा सभापति महोदय, किसी भी कानून में ऐसा प्रावधान है कि अपाइन्टिंग

(श्री हेमाराम चौधरी)

आथोरिटी कोई हो, उनको सस्पेन्ड करने टर्मिनेट करने की पूरी आथोरिटी हो। इस कानून में अपाइन्टिंग आथोरिटी सिन्डीकेट है और सस्पेंशन टर्मिनेशन की जो पावर दी जा रही है वह वाइस-चान्सलर को दी जा रही है। तो मैं समझता हूं यह बड़ी भारी विसंगति है। दूसरे जितने भी सेवाओं के नियम हैं या प्रावधान हैं उनमें किसी भी व्यक्ति की अपाइन्टिंग आथोरिटी ही सस्पेन्ड या टर्मिनेट कर सकती है। लेकिन इसमें यह प्रावधान किया जा रहा है, सभापति महोदय, इस कानून में कई विसंगतियां रह गई हैं जिनके बारे में श्री जोशी साहब ने और शेखावत साहब ने भी निवेदन किया। मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय भावना को समझ गये होंगे और जो विसंगतियां इस कानून में है उनको पहले दूर करेंगे और फिर आगे कदम उठायेंगे। हमारे विश्वविद्यालयों के टीचर्स ने जो ज्ञापन विरोधी दल के नेता को दिया है वह मुझे भी दिया है। सभापति महोदय, मैं इसका दुबारा जिक्र करना भी उचित नहीं समझता हूं लेकिन जब विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की घटनायें हों और वाइस चान्सलर इस प्रकार की घटनायें कर सकता हो तो एक व्यक्ति के हाथ में पावर सौंपने की जो बात है उससे बहुत असन्तोष फैल जायेगा। प्रजातन्त्रीय प्रणाली में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक व्यक्ति को इतने ब्राइड अधिकार दे दें कि वह सब कुछ अपने ही स्तर पर कर सकता है या मन मर्जी मुताबिक कोई भी एक्शन ले सकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि जो भी इस बिल के बारे में मेरे से पूर्व वक्ता बोले और मेरे बाद में भी बोलेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे और उनकी भावनाओं को समझ कर पुनः विचार करके आगे की कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : सभापति महोदय, हम कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति हैं, मुझे बड़ा अफसोस है कि कानून को बनाने के लिये हम यहां पर बैठते हैं और चार चार बिल यहां पर रख कर एक दिन में कुछ समय निर्धारित करके पास करवाना चाहते हैं.....।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आप विराजें। आपके सुझाव पर ही दोनों बिलों के लिये आधा आधा घंटा दिया गया है।

(व्यवधान)

आपके कहने पर ही दो बिल लिये गये है।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, सरकार पिछले अनुभव से कुछ सीखती और इस प्रकार का अमेन्डमेंट लाने

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

से पहले कुछ विचार करती, इसकी अपेक्षा, की जाती थी। यह भी पहले हमने····

(व्यवधान)

और वह भी ऊपर से रिजेक्ट होकर आया····।

श्री यदुनाथ सिंह : इस तरह का बिल इतनी जल्दी पास नहीं हो सकता है।

श्री सभापति : आप भाषण न दें, मैंने आपका नाम नहीं लिया है। माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने अपने विचार प्रकट कर दिये····

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस प्रकार आप हमारे फन्डामेन्टल राइट्स छीनने जा रहे हैं, किसी की स्वायत्तता को छीनने जा रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से इस प्रकार के अधिकार लेने जा रहे हैं।

श्री यदुनाथसिंह : यह षड़यन्त्र क्या हो रहा है, यह बता दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, आप कानून के विशेषज्ञ हैं, कानून पढ़े हुए व्यक्ति हैं। सभापति महोदय,····

(3.05 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस बिल में जो खण्ड (10) में यह व्यवस्था की गई है कि चांसलर की शक्तियों का अतिक्रमण करते हुए वाइस चांसलर किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच स्वयं कर सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार प्रकट किये हैं, उन विचारों के साथ में अपनी सहमति प्रकट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के के द्वारा हम ऐसे अधिकारों को छीनना चाहते हैं और इस प्रकार के अधिकार व्यक्ति में निहित करना चाहते हैं जिसको हमारा संविधान बिलकुल भी इजाजत नहीं देता है। इस सारे बिल को पास करने से पहले मेरा निवेदन है कि हम अच्छी तरह सोचें और पिछली गलतियां न करें। आज एक गांव का आदमी भी समझता है कि पिछली जो गलतियां हैं वे आगे न हों। आप अपने पिछले अनुभव के आधार पर यह बिल लाये परन्तु अपनी गलतियों पर विचार नहीं किया और किसी की राय नहीं जानी। यदि हम कानून नहीं समझते हैं तो यह नहीं है कि लोगों को आमन्त्रित ही न करें और किसी एक व्यक्ति के कहने से कानून बनाकर ले आयें और फिर बार बार उसमें संशोधन करें। आज संशोधन केवल इसीलिये कर रहे हैं कि ऊपर से आ गया है। यह इसमें डिफेक्ट है। हर एक को अधिकार दिया हुआ है, उन अधिकारों के तहत प्रिकाशन लेना चाहिये और अच्छे प्रपोजल्स आपको देने चाहिये। मैं कहता हूं कि यदि जयनारायण व्यास की स्मृति में कुछ करना चाहते हैं, उसमें किसी माननीय सदस्य को आब्जेक्शन नहीं है लेकिन जहां पर किसी की स्वायत्तता को छीनना चाहते

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

हैं, जहा पर एक व्यक्ति में अधिकारों को निहित करना चाहते हैं, जो यह आप करने जा रहे हैं उससे लोग बोल नहीं पायेंगे। वहां की सारी स्वायत्तता एक में निहित कर रहे हैं एक व्यक्ति को अधिकार देकर जो यह कर रहे हैं वह बिलकुल गलत है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस पर सब मैम्बर्स बोलेंगे। यह तो यूनिवर्सिटी पर मीसा लागू कर रहे हैं। इस मीसा का हम विरोध करेंगे।

श्री अध्यक्ष : इस सदन के कुछ माननीय सदस्य मुझसे मिले थे और यह बताया था कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो नाम को बदलने से ही सम्बन्धित नहीं है इसलिये इस पर वर्तमान में थोड़े समय के लिये विचार स्थगित किया जाता है। मंत्री जी उसके बाद में जवाब देंगे, फिर उस प्रस्ताव पर मतदान किया जायगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने ··

श्री अध्यक्ष : इसमें आपकी ओर से उत्तर बाद में दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों अमेण्डमेण्ट्स विथड्रा कर रहे हैं ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : मेरे को बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : वर्तमान में विचार स्थगित किया गया है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : नहीं, जवाब स्थगित किया गया।

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री अध्यक्ष : अब विधेयक लिया जायेगा, राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) अध्यादेश, 1983.

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : तीनों तरह के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे जायेंगे और उस बारे में माननीय सदस्य एक साथ ही अपने विचार व्यक्त करें।

[निम्नांकित परिनियत संकल्प तथा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—]

1. "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर, 1983 को प्रख्यापित राजस्थान के विश्वविद्यालय तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1983) को अस्वीकार करता है।"]

2. "राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को एक

माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"

3. "राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह विशेष शर्तों के सम्बन्ध में यहां पर एक संशोधन लाया जा रहा है कि न तो कोई प्राध्यापक, व्याख्याता सूट कर सकेंगे, न रिट ला सकेंगे। इस सम्बन्ध में यह पोजीशन लाये जाने की कोशिश है कि जितने भी विश्वविद्यालय के संकाय है उनके तीन-तीन प्राध्यापकों के वरीयता सूची में नाम मांगे जायें और यदि किसी भी संकाय में वरीयता सूची में अगर एक का नाम आयेगा तो उनको वरीयता नहीं दी जा सकेगी। मैं समझती हूं, यह बिल्कुल गलत स्थिति है और यह अधिकार को मारने की प्रक्रिया है, जो अधिकार हैं कोर्ट में जाने के, रिट करने के, यह अधिकार छीनने के लिए प्रक्रिया की जा रही है, मौलिक अधिकारों का भी हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगी, माननीय मन्त्री महोदय, इस तरह राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) नाम से जो संशोधन विधेयक आप लाने जा रहे हैं इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाय। बाद में दूसरी रीडिंग में बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल। संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) अध्यादेश, 1983

(3.13 म. प.)

(श्री हरिसिंह कुम्हेर, सभापति, पीठासीन)

के सम्बन्ध परिनियत संकल्प मैंने दिया है, इस अध्यादेश को ही निरस्त किया जाय। क्यों निरस्त किया जाय, इसका कारण भी मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके सामने रखना चाहता हूं। विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में क्या तो कल्पना है सरकार की और क्या वह करना चाहती है? यह अलग अलग संशोधन आ रहे हैं, अलग अलग इस तरह से प्रावधान यहां लाये जा रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। न केवल दूरगामी परिणाम होंगे, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की उच्च शिक्षा का नक्शा कैसा बनेगा, राजस्थान की उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय, जो राजस्थान में चिन्तन के मंच होने चाहिए, जिनमें विचारों की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, जिनमें शैक्षणिक स्वायत्तता होनी चाहिए को किस तरह धीरे धीरे यह सरकार एक प्रतिबद्ध, एक

(श्री कैलाश मेघवाल)

कुण्ठित और एक तानाशाही की स्थिति में लाना चाहती है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह इसलिए, माननीय सभापति महोदय, अध्यादेश जारी किया, यह अध्यादेश क्यों जारी किया ? इसका कारण इन्होंने लिखा है, वही मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कारण है, "विश्वविद्यालय में नियुक्त प्राध्यापकों और उपाचार्यों को इस तथ्य के बावजूद कि वे पदोन्नति के लिए अन्यथा योग्य होते थे, पदोन्नति के अवसर सुलभ नहीं हैं। उपाचार्यों और प्राचार्यों के उच्चतर पदों की ही संख्या इतनी सीमित थी कि अधिकतर प्राध्यापक और उपाचार्य उसी पद पर रुके रह जाते थे जिस पर प्रारम्भिक रूप से उनकी नियुक्ति हुई होती थी और पूरे सेवाकाल के दौरान कोई भी पदोन्नति प्राप्त किये बिना अन्ततः उसी पद से सेवा निवृत्त हो जाते थे। ऐसे रुके हुए और योग्य प्राध्यापकों और उपाचार्यों को प्रोत्साहन देने और उनके लिए पदोन्नति के अवसर सुलभ कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया कि कैसे विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय में इस तरह की पदोन्नतियां दी जायं।" यह मैंने आपके सामने एक कारण पेश किया। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार इस कारण के प्रति ईमानदार है ? अगर ईमानदार है तो क्या यह ईमानदारी, इस अध्यादेश, जो लाया गया है, के माध्यम से परिलक्षित होती है ? माननीय सभापति महोदय, यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह आज का मसला नहीं है, मसला बहुत पुराना है। यह जो माना गया कि पदोन्नति के अवसर विश्वविद्यालयों में कम होते हैं इस आधार पर राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने अपने संगठन के द्वारा, अपने ज्ञापनों के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर खींचा कि सेवा में, पढ़ाई-लिखाई में प्रेरणा बनी रहे, इन्सेन्टिव बना रहे इसलिये एक न एक पदोन्नति एक प्राध्यापक के सेवाकाल में उसको मिलनी चाहिए। यह मांग जब उठी, माननीय सभापति महोदय, बड़े लम्बे समय से यह मांग उठती चली आ रही थी और इस मांग के आधार पर सबसे पहले इसी विधान सभा में घोषणा की गयी। सभापति महोदय, घोषणा जो की गयी वह 22-4-83 को सबसे पहले की गयी। वह घोषणा क्या थी वह मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ....

श्री सभापति : किसके द्वारा घोषणा की गयी ?

श्री कैलाश मेघवाल : राज्य सरकार के द्वारा, इसी विधान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री के द्वारा।

"राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालयों में नियुक्ति सम्बन्धी अधिनियमों में संशोधन किया जाकर सेवारत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए प्रावधान किया जावे। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नियमों के अनुसार 18 वर्ष से सेवारत व्याख्याता तथा 12 वर्ष से सेवारत रीडर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। इनकी पदोन्नति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत पदों के विरुद्ध की जायेगी जो कि विभिन्न संकायों में पदोन्नति के लिए

(श्री कैलाश मेघवाल)

एलिजेबल अध्यापकों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होंगे। प्रत्येक शिक्षक को इस योजना के तहत अपने सेवाकाल में एक पदोन्नति दी जा सकेगी।"

यह मैंने आपके सामने इसलिए पढ़कर सुनाया, माननीय सभापति महोदय, यह घोषणा यहां हुई लेकिन उद्देश्य क्या था कि एक सेवाकाल में एक पदोन्नति दे दी जानी चाहिए ? अब यह जो आपके सामने अध्यादेश पेश किया है, इस अध्यादेश में इन्होने एक प्रावधान रखा है प्रावधान जो रखा है, माननीय सभापति महोदय, वह रखा है कि 1/3प्रत्येक बार। एक तिहाई हर पहली जनवरी को, 1/3 पद, जो कुल प्राध्यापकों और अध्यापकों के पद हैं, पदोन्नति के लिए निर्धारित किये जायेंगे और उन 1/3 पदों की पदोन्नति निर्धारित करने के बाद विषय कौन तय करेगा ? यह मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं, माननीय राज्य मत्री जी यहां नहीं हैं, राज्य सरकार की ओर से माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी यहां बैठे है, मैं सीधा–सीधा उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जो अध्यादेश निकाला है इस अध्यादेश में प्रत्येक अध्यापक को अपने सेवाकाल में एक पदोन्नति मिल जायेगी ? इसका जवाब आप दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो आप ईमानदार नहीं, अगर नहीं देते हैं तो आप राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके साथ फरेब कर रहे हैं। इतना इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, अरे ! कुछ चीज दूसरी जगह से भी ले लो। पदोन्नति की व्यवस्था या पदोन्नति के प्रावधान पहली बार अपने ही विश्वविद्यालयों में नहीं हो रहे हैं। यह पदोन्नति की मांग सारे देश में उठी है। जब देश में उठी है तो मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों में 13 वर्ष की सेवा और पी. एच. डी. की उपाधि वाले प्राध्यापकों को एक पदोन्नति दे दी जाती है। जिन्होंने पी. एच. डी. नहीं कर रखी है, माननीय सभापति महोदय, उसको 16 वर्ष की अवधि के बाद पदोन्नति दे दी जाती है। एक पदोन्नति उसको निश्चित रूप से मिलती है। यह प्रावधान वहां 1982 से चालू है। इसमें किसी तरह का कोई प्रतिबन्ध, किसी तरह की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। स्पष्ट प्रावधान है कि अगर यह सेवाकाल पूरा हो चुका है तो उसको पदोन्नति मिलेगी।

यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, बिहार में भी इस तरह का प्रावधान है। बिहार विश्वविद्यालय में 13 वर्ष की सेवा और पी. एच. डी. की उपाधि या 18 वर्ष कि सेवा बिना पी. एच. डी. के, एक प्राध्यापक को पदोन्नति मिल सकती है। यह प्रावधान वहां पर 1980 से चालू है, माननीय सभापति महोदय। यही नहीं दिल्ली के जो विश्वविद्यालय और कालेज हैं माननीय सभापति महोदय, वहां विश्वविद्यालय में 15 वर्ष की सेवा और पी. एच. डी. या बिना पी. एच. डी. के 12 वर्ष की सेवा, यह होने पर एक पदोन्नति दे दी जाती है। इस प्रकार से सारे देश के विश्वविद्यालयों में, माननीय सभापति

Page No. 120

(श्री कैलाश मेघवाल)

महोदय, बिना किसी प्रतिबंध के बिना किसी बायस के, बिना किसी लिमिटेशन के यह प्रावधान किया हुआ है। मुझे अफसोस है कि राजस्थान में नौकरशाही किस तरह से हावी है और यह इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कल एक सवाल मैंने पूछा था और वह सवाल बड़ा गम्भीर था, और वह गम्भीर इसलिए था कि नाम परिवर्तन का एक अमेंडमेंट आया। नाम हम रखते हैं मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, हमने यहां एक अधिनियम बना करके नाम रखा और उसको एक प्रशासनिक आदेश से कर दिया सुखाड़िया विश्वविद्यालय। मैंने एक प्रोपराइटी का सवाल किया था और मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि राज्य मंत्रीजी इस नौकरशाही का दिया हुआ एक रटा रटाया जवाब लेकर आ गये कि साहब यह प्रशासनिक सुविधा के लिए हमने कर दिया। कौन सी होती है यह प्रशासनिक सुविधा? क्या है वह? लेकिन इनमें हिम्मत नहीं। मैंने इनको स्पष्ट पूछा था, क्या यह अधिकार है इनको, सवाल ही नहीं उठता। मुझे अफसोस है एक प्रोफेसर रहे हुए आदमी ने, किस तरह से × × × जवाब दिया और वही राज्य मंत्री उस बिल को पायलेट कर रहा है जो प्रोफेसर होते हुए जो राजस्थान के प्राध्यापकों को × × × बनाने की ओर आगे ले जाएगा, और इसलिए ले जायेगा, माननीय सभापति महोदय, कि क्या प्रावधान है इसमें? एक तिहाई से ज्यादा हम करेंगे नहीं और जिन विषयों पर जिन विभागों में यह पदोन्नति दी जाएगी उसका निश्चय कौन करेगा? माननीय सभापति महोदय, उसका निश्चय करेगी एक कमेटी। उस कमेटी में कौन कौन होंगे जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब किसी विश्वविद्यालय की किसी संकाय में राज्य सरकार द्वारा कैडरवार पद सृजित कर दिए जावेंगे तो संकाय विशेष में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के भीतर ऐसे पदों का वितरण सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संकाय के डीनों और शिक्षा सचिव से मिल कर बनी समिति द्वारा किया जाएगा। शिक्षा सचिव–हर जगह सरकार अपना दखल रखना चाहती है और यह दखल इसलिए रखना चाहती है, माननीय सभापति महोदय, कि सरकार जिस तरह की आज कल हर क्षेत्र में नीति अपना रही है, पूरे शिक्षा जगत में अपने संरक्षण प्राप्त, अपने × × × और जिन पर मेहरबानी करनी है और जिनके द्वारा की गई होगी, उसके प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिल गये। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं यहां के राज्य मंत्री शिक्षा के जो यहां बैठे हैं यह आर्डिनेंस लाने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में एक ऐसा प्रमोशन कर दिया गया जिसका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन कौन तय करेगा? विभाग? कौन उसको तय करेगा? राजस्थान विश्वविद्यालय में आज एक आई. ए. एस. को रजिस्ट्रार बिठा दिया, शिक्षा सचिव और मिल गए और एक रजनी माथुर। जो इस तरह की किसी भी पात्रता में नहीं आती। 25–25 साल

× × × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

वाले लोगों की उपेक्षा करके ऐसे विभाग में पद सृजित कर दिया गया और वहां पर प्रमोशन दे दिया गया । यह पहला प्रमाण है । मैं राज्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरह की बेइमानी × × × करने के लिए यह एक्ट लाये हैं । आखिर कारण क्या है, माननीय सभापति महोदय । मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा जगत को आज इन लोगों ने समझा क्या है । मैं निष्कर्ष के आधार पर सवाल कर रहा हूं । उन्होंने एक कोंफिडेंशियल रिपोर्ट प्रोड्यूस की । सचिवालय में बैठने वाले किसी बी. ए. या एम. ए. की क्वालिफिकेशन क्या होती है । दुर्भाग्य या सौभाग्य से कोई आई. ए. एस. बन जाता है, सैक्रेटरी, जोइन्ट सैक्रेटरी बन जाता है । विभाग मिलने पर वह शिक्षा शास्त्री बन जाता है और स्वार्थों में लिपटे लोग उसको शिक्षा शास्त्री मान लेते हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे कोई समझाये तो सही कि इन में कोंफिडेंशियल रिपोर्ट करने का प्रावधान किया गया है और कोंफिडेंशियल रिपोर्ट का किस का प्रावधान किया है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं । कौन लिखेगा – हैड आफ दी डिपार्टमेंट । और अगर हैड आफ दी डिपार्टमेंट हिस्ट्री का कोई विद्यार्थी है, उसका स्पेशलाइजेशन या रिसर्च हिस्ट्री का है और कोई अध्यापक ओल्ड या एनशियेंट हिस्ट्री पढ़ाने वाला है उसका इवैल्यूएशन वह कैसे लिखेगा, माननीय सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आता । इस तरह एक ही नहीं अनेकानेक कई डिसिप्लीन्स होते हैं, माननीय सभापति महोदय । कैमेस्ट्री में जिसका हैड आफ दी डिपार्टमेंट है, अगर कैमेस्ट्री का विशेषज्ञ है वह बायो-कैमेस्ट्री पढ़ाने वाले अध्यापक का कैसे इवैल्यूएशन करेगा । लेकिन जिस तरह से आज × × × बना रहे हैं अध्यापकों को और × × × बनाने के बाद अपने स्वार्थों, अपनी पदोन्नति, अपने को आगे बढ़ाने के अवसरों के लिए यह हमारी पगचम्पी करेंगे, हमारी × × × करेंगे और हम उनको जब चाहें तब स्वरूप देंगे । यह आज एक स्थिति पैदा की है, माननीय सभापति महोदय । मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कोई व्यक्ति जो पिगल का है, माननीय सभापति महोदय, हिन्दी में कोई विशेष उसका हैड आफ दी डिपार्टमेंट है, क्या इवैल्यूएशन करवाना चाहते हो, लेकिन नौकरशाही का यह तरीका, यह सचिवालय का जिस तरह का काम चलता है, दूसरे सरकारी दफ्तर जिस तरह से चलते हैं और जैसा माननीय विपक्ष के नेता अर्ज कर रहे थे कि धीरे-धीरे इन विश्वविद्यालयों को जिनके ऊपर यह उत्तरदायित्व है कि देश की शिक्षा को स्वतंत्र रूप से चलायें, स्वतंत्र चिन्तन हो उनको अपने कब्जे में करना, उनको अपना × × × बनाना, यहां काम करने वाले सारे लोगों को अपने अंगूठे के नीचे रखने का जो षड्यंत्र चल रहा है, माननीय सभापति महोदय, और उस षड्यंत्र को समझने की राजस्थान के आज

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री कैलाश मेघवाल)

के मंत्रियों में न अक्ल है, न योग्यता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, एक प्रोफेसर ने इस तरह का बिल पायलेट किया है जिसके आधार पर यह सारी बातें होंगी। अब पात्रता कैसे जांची जायेगी? कांफिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर। कौन देगा यह पदोन्नति? कमेटी देगी। उस कमेटी में कौन होगा? राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि होगा। और वह प्रतिनिधि राज्य सरकार के इशारे पर, और ऐसा हो चुका है, माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार के इशारे पर जिस पर सरकार की मेहरबानी होगी। अब सरकारी मेहरबानी, आप भी सरकारी पक्ष के हैं, किस तरह से होती है, कैसे होती है, क्या उसके पैमाने हैं, माननीय सभापति महोदय, आप भी उस जानकारी से अनभिज्ञ नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शिक्षा, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा के ऊपर यह आक्रमण, यह हस्तक्षेप जो सरकार का हो रहा है, यह आप किस मायने में ठीक समझते हैं? यह अध्यादेश का पहला कारण है। और पहला कारण, अगर आज मांग बढी है, राजस्थान की सरकार में और आखिर में उनसे समझौता किसने किया? तत्कालीन शिक्षा मंत्री सुरेन्द्र व्यास ने। ऐसा नहीं है, हर लेवल पर, हर मंच पर, माननीय सभापति महोदय, इन विषयों पर चिन्तन हो चुका है और इन विषयों पर चिन्तन हो करके और उस चिंतन के आधार पर मिनिट्स बन चुके। मुझे आज अफसोस है यह कहते हुए, इसी सरकार का शिक्षा मन्त्री जो उच्च शिक्षा को संभालता था उसने राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके चर्चा की और उस चर्चा से जो निचोड़ निकला, वह निचोड़ क्या था वह मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय :—

Minutes of the meeting of a dlegation of RUTA, JUTA and UUTA with the Minister for Higher Education held on 8th April, 1983 at 9 A. M. at his residence, in continuation of earlier meeting held with him on 5th April 1983 at 3.30 P M. in his chamber. Members present: (1) Hon'ble Shri Surendra Vyas, Minister for Higher Education, (2) Dr. S. D. Mishra, President, RUTA, (3) Shri S. N. Joshi, President. UUTA, (4) Shri B. M. Kothari, Secretary, JUTA (5) Dr. U. C. Pant, Secretary, RUTA, (6) Shri T. L. Dashora, Member Syndicate.

The anomalies in the announced Promotion Scheme and the subsequeut Executive Order issued by the Government of Rajasthan on 5/6th April, 1983 were pointed out to the Minister. It was further pointed out that in the proposed scheme for promotion,

(श्री कैलाश मेघवाल)

hardly 5% of teachers might be covered and under the separate Executive Order of the Government hardly 1 or 2 teachers in the universities will be covered. The teachers who have rendered the service ranging between 20 years to 38 years are not even covered under such an Executive Order. The Minister appreciated the inadequacy and anomalies of the Executive Order. The Minister informed that in fact the Government decided to fix the lecturers at the next stage of the grade 1200-1900, who have rendered continuous service of 20 years or more. But since such cases are apparently not covered, the Government would remove the anomalies to the advantage of teachers. The Minister, however, expressed that the Executive Order may be so modified as to provide next grade to the lecturers of 20 years of service or 50 years of age and he further expressed that the improvement and modification in the promotion scheme can also be negotiated, provided the teachers clarify their stand about the boycott of examinations and withdraw their call.

सरकार को शिक्षकों ने चुनौती दी थी, हड़ताल का आह्वान किया था, परीक्षाओं से बहिष्कार करेंगे। सरकार दबी थी और दबने के साथ कहा था कि वाजिब बात हम सुनेंगे। यह दुर्भाग्य की स्थिति है। वाजिब बात चाहे एक व्यक्ति कहे या पत्र द्वारा आये या ज्ञापन के द्वारा आये उसको सुना जाना चाहिये, उस पर अमल किया जाना चाहिये, उस पर एक्शन किया जाना चाहिये। लेकिन हमारी सरकार में जिस तरह के लोग विराज रहे हैं, जिस तरह के शिक्षा जगत को डुबोने वाले लोग बैठे हैं, सभापति महोदय, विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने आह्वान करके कहा कि ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज करेंगे तभी इनकी नस दबेगी, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा। हर जगह टेढ़ी अंगुली करवाने की इच्छा रखती है सरकार। उस समय सरकार ने कहा था कि हड़ताल वापस ले लो। इसमें यह स्पष्ट भावना है जो मैंने आपके सामने आर्डर, मिनिट्स पढ़ कर सुनाई, सभापति महोदय। मैं पूछना चाहता हूं राज्य मन्त्री जी से, यह मिनिट्स सच हैं या नहीं? अगर सच हैं तो क्या उनकी भावना का उद्घोष उसका स्पष्टीकरण यह जो अध्यादेश आप लाये हैं इसमें है या नहीं? आखिर जल्दी क्या है, करना क्या है? इसलिये, सभापति महोदय, मैं आज आपके सामने यह जो अध्यादेश है उसको निरस्त करने के लिये यह प्रस्ताव रख रहा हूं।

एक बात और, बीस साल कहा। एक बात मान लें, जब यह बात सिद्धांततः मान ली गई कि भई इंसेंटिव देना है तो हम को वह बताइये, जैसा कि मैंने पढ़ा कि बहुत

(श्री कैलाश मेघवाल)

कम पदोन्नतियां हो सकेंगी, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति को एक पदोन्नति मिल जाय इस तरह की गारन्टी वाला यह अध्यादेश है? यह गारण्टी वाला अध्यादेश नहीं है इसलिए इस अध्यादेश को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। दूसरा कारण, सभापति महोदय, यह बताया इस अध्यादेश को लाने का, रजिस्ट्रार को हम सरकार की ओर से प्रतिनियुक्ति पर भेजें, उसको ठीक माना जाय। इसकी पृष्ठभूमि यही है, सभापति महोदय, रजिस्ट्रार को नियुक्त करेंगे, हाई कोर्ट में उसको चुनौती दी जायगी। एक अच्छी सरकार होती, ठीक ढंग से काम करने वाली सरकार होती तो मैं यह मानता हूं कि इस विषय पर सही ढंग से चिन्तन करके कानूनी कदम उठाती, शिक्षा जगत् को कलुषित वातावरण देने की कोशिश नहीं करती। लेकिन एक कदम उठाया, अब वह कदम किसी भी कारण से उठाया, सुधार हो, सुधार होने भी चाहिये, कौन व्यक्ति कहां है; इस पर मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन आज हालत यह है, जरा एक और इंस्टांस लीजिये–रजिस्ट्रार आई. ए. एस. और एक संपत्ति अधिकारी, प्रापर्टी आफिसर जो स्टेट आफिसर होता है, सभापति महोदय, वह सरकारी प्रतिनियुक्ति पर किया हुआ होता है। उसके बाद कंट्रोलर, वित्तीय कंट्रोलर, जिसके द्वारा वित्तीय नियंत्रण किया जाता है यह सरकार से प्रतिनियुक्ति पर जाता है। अब, सभापति महोदय, आप समझ लीजिये कि सारे विश्वविद्यालय का सरकारीकरण हो गया कि नहीं? क्या बचा है? जब इस तरह का सरकारीकरण हो गया तो इसमें दूसरा संशोधन किया। रजिस्ट्रार सरकार को दरख्वास्त करे। दरख्वास्त कैसे आयेगी? वाइस चांसलर किसी समस्या के लिये मिलने जायेंगे। अच्छा, लिख दो एक पत्र, चलो, यह काम करवाना है, चलो हमारा रजिस्ट्रार ले लो। इस तरह की बात इसमें बड़ी इन्नोसेंटली कही है। प्रतिनियुक्ति का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार अपना आदमी वहां रजिस्ट्रार के रूप में लगाना चाहती है, सरकार इस पर नियंत्रण करना चाहती है और इसके मुख्य उद्देश्य को, भावना को, पवित्रता को नष्ट करना चाहती है और वह भी इस तरीके से कि हमारी चालाकी, हमारी चतुराई, × × × स्पष्ट रूप से प्रकट न हो। इसमें है, वी. सी. के कहने पर। वी. सी. किस प्रकार से कहेंगे? किस प्रकार के वी. सी. है यह, माननीय सभापति महोदय, आपसे छिपा हुआ नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार सैक्रेटरी होता है सारे विश्वविद्यालय का, जो एक्ट है, उसका जो अधिनियम है चाहे तीनों विश्वविद्यालयों के अधिनियम उठा कर देखें, सभापति महोदय, रजिस्ट्रार की एक ही पोजीशन है इस विश्वविद्यालय में। कई माने में वी. सी. सैरेमोनियल हैड हैं, कई माने में, कुछ कमेटियों के साथ एग्जीक्यूटिव हैड हैं कई माने में कुछ इमरजेंसी पावर हो सकती है लेकिन रजिस्ट्रार तो की मैन है, हर एकेडेमिक कौंसिल का सैक्रेटरी है, बोर्ड आफ कंट्रोल का सैक्रेटरी है, आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का सैक्रेटरी है और परीक्षा करने-कराने, पेपर सैटिंग परीक्षा के स्थान पर भेजने चयन समिति

(श्री कैलाश मेघवाल)

बनाने, किस किस काम के लिये किस किस को बुलाया जाय, ये यह सारे महत्वपूर्ण काम रजिस्ट्रार करता है। आज सरकार चाहती है इस अध्यादेश के द्वारा कि इस प्रकार के हमारे लगाये हुए रजिस्ट्रार को कानूनी जामा पहना दिया जाय, प्रतिनियुक्त कर दिया जाय। तो, सभापति महोदय, सरकार का उच्च शिक्षा में हस्तक्षेप का यह अप्रत्यक्ष प्रयास है, अपना दखल करने का प्रयास है जो इस अध्यादेश के द्वारा किया गया है। इस प्रोवीजन को भी कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, इसमें एक संशोधन और किया है, राज्य मंत्री जी तो हैं नहीं, चेतराम जी, आप ही जवाब दे दो। इसमें आपने प्रावधान किया, आप सड़कें बनाते बनाते कुछ शिक्षा के संबंध में भी सीख लो, आखिर मंत्रिमण्डल में बैठते हो।

एक माननीय सदस्य : यह इनकी समझ के बाहर की बात है।

श्री सभापति : उत्तर तो बाद में आ जायेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, इसमें एक और लिखा है, पदों का आरक्षण और इसका सीधा संबंध मेरे से है। दुर्भाग्य से, सभापति महोदय, पिछले 8-10 सालों से लगातार इस तरह के निर्देश हैं इस सरकार के, केन्द्रीय सरकार के, अनुसूचित जाति और जन जाति के कमिश्नर के निर्देश हैं कि इन विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू होना चाहिये। यह तो ठीक है लेकिन आरक्षण क्या लागू कर दिया ? वहां अभी भर्तियां नहीं हुईं। आरक्षण को जिस प्रकार बनाया गया है, विश्वविद्यालय है, काम्पिटेण्ट है, कोई आ रहा है काम्पिटेण्ट योग्यता लेकर, एडिशनल पेपर की क्वालिफिकेशन लेकर, एम. ए. इन सच सब्जेक्ट, पी. एच. डी. इन सच सब्जेक्ट, एक्सपीरियेंस आफ सच सब्जेक्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के साथ, लेकिन इसमें भी 16 और 12 प्रतिशत का, एक आरक्षण किया है। माननीय राज्य मंत्री जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह 16 प्रतिशत क्यों किया ? कहां से लाये 16 प्रतिशत का फिगर ? मैं आपको बताऊं, यह सच है कि आरक्षण का संविधान में लिखा है अनुपात, जनसंख्या का अनुपात होगा। सभापति महोदय, आज हम 1984 में खड़े हैं तो किसको फुरसत है। पिछली बार जे. डी. ए. का एक एक्ट आया था जिसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के एक्ट का एक एक पैरा उठा कर लिख दिया गया। जब बहस पर आये तो पोल खुली। कुछ एक्ट्स लेकर बैठ गये और एक पैरा यहां से, एक वहां से ले लिया। आज कौन मेहनत करता है। आपका आरक्षण जनसंख्या के अनुसार, संविधान की भावना के अनुसार देना था, तो, माननीय सभापति महोदय, 1981 की जनसंख्या के फिगर सरकारी फिगर सैंसस आफ इंडिया 1981 के अनुसार राजस्थान स्टेट की टोटल जनसंख्या 3,42,61,862 और उस समय शिड्यूल्ड कास्ट्स की जनसंख्या 58,38,879 है। इस प्रकार यह 17

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रतिशत से कुछ ऊपर बनता है। अरे भले मानसों, संविधान के किसी प्रावधान के किसी निर्देश का पालन कर रहे हो तो आंकड़े तो सही दो। मुझे अफसोस है, सभापति महोदय, इस प्रकार आरक्षण 17 प्रतिशत के बजाय 16 प्रतिशत रखा गया और 17 प्रतिशत भी होगा या नहीं, इसके लिये कभी अलग से इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें लिखा गया है उसकी पालना नहीं हो रही है। सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे अध्यादेश को क्यों लाना चाहते हैं ? इस अध्यादेश को लाकर क्या करना चाहते हैं ? इस तरह से यह अध्यादेश राजस्थान के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले हजारों प्राध्यापकों, उपाचार्यों के मन में कोई सन्तोष पैदा नहीं करता। उनको × × × बनाने के लिये आपने यह तलवार लटकाई है, × × × यह एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। माननीय सी.पी. जोशी, नाथद्वारा से आने वाले विधायक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। विश्वविद्यालय को यह स्वतंत्रता है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, टीचर, रीडर राजनीति में सीधे भाग ले सकते हैं। आज इस तरह की राजनीति को विकारग्रस्त बना दिया जाय, इस तरह के ओछे हथकण्डे राजनीति में अपनाये जाने लगें इसका आधार यह होगा कि कांग्रेस के मंत्रियों को माला पहनाने वाले कांग्रेस के लोगों की जगह जगह सेवा पूजा करेंगे तो प्रमोशन पायेंगे और आगे बढ़ेंगे और इस तरह से शिक्षा कलुषित हो जायेगी, विकारग्रस्त हो जायेगी, उसका सत्यानाश हो जायेगा, एक × × × संस्कृति पैदा करने वाली होगी। आपके मन में चोट पहुंचनी चाहिये, माननीय सभापति महोदय, चाहे किसी भी दल से आप आयें लेकिन शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और अच्छे रूप को उभारने में आपको और हम को भागीदार बनना चाहिये। इसलिये मैं परिनियत संकल्प द्वारा इस अध्यादेश को निरस्त करने का निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही अहम् मुद्दा उदयपुर विश्वविद्यालय का है यह शायद राजस्थान में आने आप में एक विशेष प्रकार का विश्वविद्यालय बन गया है। अब तक शायद हम में से किसी को यह ध्यान में नहीं आया होगा कि लेक्चरर को एजुकेशन विंग में नहीं मानते हैं। उसको नॉन टीचिंग में इन्होंने एडजस्ट कर दिया। इस कारण से जो लोग इस पद पर कार्य कर रहे हैं, 63 लोग, उनके प्रमोशन के बारे में क्या होगा ? यह बहुत बड़ा विवाद और एक ऐसा विषय खड़ा कर दिया कि लेक्चरर को हम एजुकेशन में मानें या न मानें। उसको नान टीचिंग स्टाफ में माना। हमारे यहां के बुद्धिमान वाइस चांसलर साहब ने बड़ी अपनी बुद्धि का तकाजा लगाकर किस तरह से इन लोगों के हकों को मारा जाये इसके कारण से नान टीचिंग में इसको एडजस्ट कर दिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस ओर ध्यान दिलाना चाहता

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(87)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हूं कि यह जो उदयपुर यूनिवर्सिटी एक्ट है, उसके 47 में, जब यह बात है, उसमें कौन कौन लोग आते हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसियेट प्रोफेसर हैं, असिस्टेन्ट रीडर हैं, असिस्टेन्ट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं और इन्स्ट्रक्टर हैं, यह सब लोग टीचिंग स्टाफ में आते हैं, लेकिन हमारे यहां इनको नान टीचिंग में कर के उनके साथ न तो यू० जी० सी० की ग्रेड और यह जो प्रोविजन जो कुछ भी लगंड़ा, लूला कर रहे हो उससे भी इन लोगो को वंचित कर के आप उनके साथ क्या करना चाहते हो ? क्या वास्तव में यह विश्वविद्यालय है ? या एक अमेण्डमेंट आप अपनी बुद्धि पर तरस खा कर ले आओ और इन सारे विश्वविद्यालयों को समाप्त कर दो और यह कह दो कि यह सारे गवर्नमेंट कालेज हैं और इनके द्वारा चलते रहेंगे और शिक्षा होती रहेगी । या तो यह मानस बना लीजिये कि जैसे आई ए. एस. आफिसर कोई ऐसी दवा खाकर आया है कि हर मर्ज की दवा वही है, उसी ने बुद्धि का ठेका लिया है, मानों उसने पास क्या कर लिया, उसके दिमाग में यह गलतफहमी आ गई कि वही बुद्धि का ठेकेदार बन गया । इसके कारण से लगातार चाहे जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर के केवल × × × पैदा करने के लिये यह तरीका अपनाया जा रहा है । इसका कारण यह नहीं है । उदयपुर के 63 लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गये । इसमें कोर्ट का फैसला हुआ है लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि कोर्ट के फैसले को हमारे वाइस चांसलर मानने के लिये तैयार नहीं हैं । केवल एक आदमी को प्रमोशन उनको देना था, 700 से 1600 की ग्रेड में, यू.जी. सी. का, वह दे दिया । बाकी लोगों को वह भी नहीं है । अगर इस तरह से आप इस नौकरशाही के भरोसे इन विश्वविद्यालयों का बलिदान करना चाहें तो कृपा करके इनको धीरे धीरे मत मारो । एक साथ हो कोई ऐसा आर्डिनेन्स ले आओ जिस से यह हमेशा के लिये मर जायें । या फिर हम को इस बारे में यह विचार करना पड़ेगा कि आखिर किस तरह से जो कुछ हमको मिला है, वन थर्ड का यह क्या लगा दिया, जो समझ में नहीं आता । जब आपने यह बना दिया, कि उसकी बीस साल की सर्विस हो या उसकी 50 साल की उम्र हो, उसको आप प्रमोशन देंगे, जो इस सीमा में आ जाता है, उसको दे दीजिये फिर टोटल स्ट्रेन्थ या वन थर्ड का क्या मतलब । उदयपुर यूनिवर्सिटी में 600 लोग कार्यरत हैं । वन थर्ड का आपका मतलब है कि उसमें से 200 लोगों को प्रमोशन दे देंगे । अगर 200 लोगों का प्रमोशन दो, तीन, चार साल में पूरा होगा तो उसके बाद जो लोग आयेंगे उनके प्रमोशन का रास्ता क्या रहेगा । यह वन-थर्ड का हम को समझ में नहीं आ रहा है । अगर आपका अभिप्राय वन-थर्ड टोटल स्ट्रेन्थ है तो फिर इसका मतलब है यह प्रमोशन आप नहीं दे रहे हैं । केवल प्रमोशन के नाम पर, बाकी जितने प्रदेश हैं, उनमें जो कुछ हो रहा है, उसका एक पूंछड़ा पकड़ कर आप भी वह

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर गंगा पार होना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हिन्दुस्तान के बाकी सभी प्रदेश इसको लागू कर सकते हैं और उन्होंने जब लागू कर दिया चाहे उत्तरप्रदेश हो, चाहे बिहार हो, पंजाब हो, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडू, केरल इन सब में जब दिया जा सकता है और इनमें तो हम से भी कम सर्विस पर तो फिर, सभापति महोदय, आपके ध्यान में होगा, इसमें लिखा है सलेक्शन के बाद 18 साल की नौकरी पर। अगर सलेक्शन आप नहीं करें. दस साल तक यूनिवर्सिटी में, तो उस टीचर का क्या गुनाह है जिस ने आकर के आपके यहां नौकरी ज्वाइन कर ली। वह तो पहले दिन से आपके यहां पर नौकरी कर रहा है और आपने अगर दस साल के बाद, इस वर्ष या पिछले साल में सलेक्शन किया और आप उसके साथ यह कन्डीशन लगा रहे हैं आफ्टर सलेक्शन, इसका मतलब सलेक्शन आपने कल किया, इसका मतलब 18 साल तक इन्तजार करना पड़ेगा और तब तक वह रिटायर होकर घर चला जायेगा। आखिर इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता कि सलेक्शन का क्या मतलब है। जब वह आलरेडी आपके यहां पर सलेक्ट हुआ तभी तो लगा। आपकी गलती के कारण से, आपकी नासमझी के कारण से, आपकी लापरवाही के कारण से उस व्यक्ति का सलेक्शन समय पर नहीं हुआ उसको आप बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? आखिर उसको आप अपनी इस दया पर क्यों जिन्दा रखना चाहते हो? श्रीमन्, यही नहीं, हमारे यहां पर यह माथुरवाद चला है न, यहां तो ऐसा लगता है जैसे माथुर बन जाने का मतलब सारी जड़ी-बूटियों का एक ही नुस्खा तैयार हो गया है। हमारे यहां पोलीटेक्निक का आदमी जो हमारी इस कैडर में नहीं आता, विश्वविद्यालय के कैडर में नहीं आता, हमारे पोलीटेक्निक का अभी मर्जर हुआ, उस पोलीटेक्निक के एक माथुर का हमारे यहां पर प्रमोशन किया गया, जिनकी नौकरी हमारी यूनिवर्सिटी में 8 साल की है। अब यह आपका 18 साल का प्रोविजन लगा कर देखो इस पर कहां लगता है। क्या यह अपनी सर्विस के आधार पर आ सकता है? क्या इसकी मेरिट लिस्ट बनी थी। सीनियोरिटी लिस्ट में सब से नीचे था और नीचे होने के बाद भी क्या उसको प्रमोशन मिल सकता है? क्योंकि वह भगवान के घर से ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसका आज राज है। अगर यह क्राइटेरिया है, अगर इसके आधार पर हम विश्वविद्यालय चलाना चाहेंगे तो भगवान के लिये कृपा करो, राजस्थान पर। इस तरह से आप विश्वविद्यालय को × × × वाली जगह मत बनाओ। कम से कम विश्वविद्यालय में जो व्यक्ति आता है, वह इसलिये आता है कि वहां उसको स्वतन्त्रता है। हम मानते हैं कि वह राजनीतिक पार्टी में भाग ले सकता है, वह राजनीतिक पार्टी का केन्डीडेट बन सकता है, चुनाव प्रचार कर सकता है। आप उसकी सी. आर. लिखोगे। क्या सी. आर. लिखोगे? सी. आर. लिखने का

× × × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No. 129

(89)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मतलब क्या ? + + × पैदा करोगे वहां पर। यह सी. आर. कम से कम विश्वविद्यालय में नहीं हो सकती। मैं चाहूँगा अगर किसी अध्यापक की सी.आर. लिखानी है तो ये अधिकारी क्या लिखेंगे ? आपको सी. आर. लिखानी है तो उन से पढ़े हुए बच्चों से लिखाइये। वह आपको सही सी. आर. लिख कर देंगे। कार्य की सी. आर. की जगह + + + की सी.आर. पैदा करना चाहते हो। अगर वास्तव में यह हमारा मानस बन गया है कि हमें इस तरह से विश्वविद्यालयों में + + + की फौज तैयार करनी है और जब हमारे विश्वविद्यालय के अध्यापक जिन पर गर्व करते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, जिन में कई आई. ए. एस. को पढ़ाने वाले वहां पर बैठे हैं, उनका जब लोग अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, इस तरह की स्थिति अगर देश के विश्वविद्यालयों में रहेगी····

(व्यवधान)

राजनार्यसिंह के बारे में मैं जब उदयपुर विश्वविद्यालय का बिल आयेगा तब बोलूंगा। इस तरह से घृणित कार्य केवल इस आधार पर अगर विश्वविद्यालयों में होते रहेंगे तो क्या होगा। मेरी यह मंशा है कि इन बातों को देखा जाये और केवल सलेक्शन वाली जो बात है उसको नहीं डाल कर जब से सलेक्शन उसका हो गया सर्विस में, जब से जो इन किया है तब से उनकी 18 साल की सर्विस मान कर उनको प्रमोशन दिया जाये।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त करें।

आप बोलना चाहते हैं।

प्रभारी मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 पर, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही एक परिनियत संकल्प लाकर कि इसको सदन में विचारार्थ नहीं लिया जाये या इस पर आगे विचार नहीं किया जाय। मैं इस सन्दर्भ कहना चाहूंगा कि उक्त अधिनियम 1974 से लागू है। इसके अन्तर्गत राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियां की जाती है। अधिनियम को जब क्रियान्वित किया गया उस समय काफी कठिनाइयां सामने आयीं। उन कठिनाइयों के कारण से इसमें संशोधनों के कई प्रस्ताव इस संशोधन विधेयक के माध्यम से लेकर हम आये हैं। यह देखा गया कि जो लेक्चरर, रीडर्स कई वर्षों से विश्वविद्यालयों में काम कर रहे थे, उनको पदोन्नति के अवसर नहीं मिल रहे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों, रीडर्स और उनसे सम्बन्धित यूनियनों के प्रस्ताव हमारे सामने आये

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

और इन संगठनों ने इस बात की मांग की कि हमको 'एक्स–कैडर प्रमोशन दिया जाये। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ने एक्स–कैडर प्रमोशन के लिये योजना बनायी। उसी योजना के अन्तर्गत हमने इस संशोधन अधिनियम में पेश किया है। इस संशोधन विधेयक के अन्तर्गत वे प्रवक्ता जो 18 साल तक प्रवक्ता के रूप में काम कर चुके हैं और जो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की लेक्चरर के लिए न्यूनतम योग्यता रखते हैं उनको एक्स–कैडर प्रमोशन रीडर के रूप में मिल सके इसकी व्यवस्था इसमें की है। इसके साथ साथ जो रीडर 12 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव रखते हैं और जो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के आधार पर रीडर की न्यूनतम योग्यता रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को एक्स–कैडर प्रमोशन के रूप में प्रोफेसर बनाया जा सकता है। इन सभी के बाद हमने इस स्कीम को लागू किया है। मैं, सभापति महोदय, यह कहना चाहूंगा कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रिजर्वेशन 16 से 17 प्रतिशत किया जाय। इस संबंध में मेरा कहना है कि जो राजकीय सेवा है, उन राजकीय सेवाओं में 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए और 12 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लिए है। ऐसी की ऐसी व्यवस्था हमने इस विधेयक में की है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो संकल्प इस सदन में प्रस्तुत किया है इसको आप सदन की आज्ञा से निरस्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय राज्य मंत्रीजी से एक बात पूछना चाहता हूं यह 18 साल की सेवा और लेक्चरर की योग्यता, 12 साल की सेवा और रीडर की योग्यता, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को इसमें प्रमोशन मिल जायेगा या नहीं, स्पष्ट कीजिये ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से इल्लीजेबल व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत प्रमोशन मिलेगा।

(3.52 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी अभी हमको एक संशोधन की सूचना मिली है, शायद माननीय राज्य मंत्रीजी को प्राप्त नहीं हुई है। आप एक बार देख लें। इसमें क्या लिखा है।

"खण्ड 11 के द्वारा मूल अधिनियम में अन्तः स्थापित किये जाने के लिए यथा–प्रस्थापित धारा–11 की उप धारा–1 में अभिव्यक्ति " तथापि यह इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए हो सकेगा कि उपाचार्यों अथवा प्राचार्यों के, सृजित काडर–बाह्य पदों की कुल संख्या किसी भी समय बिन्दु पर किसी भी संकाय में ऐसे समय पर प्राध्यापकों अथवा यथास्थिति, उपाचार्यों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, लोपित किया जाय।"

(श्री अध्यक्ष)

यह शिवचरण जी माथुर ने प्रस्ताव किया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : किस नियम के तहत किया, कौन से नियमों में प्रावधान है ?

श्री अध्यक्ष : खण्डश: विचार होगा उस समय इस पर विचार कर लेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव किया कि जो संकल्प माननीय सदस्य ने इस सदन में पेश किया है उसको सदन की आज्ञा से अस्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं फिर आग्रह करूंगी, जब भी ध्वनि मत का सवाल आता है उसके यहां पर कोई नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है। हम कितना भी जोर से बोलें, कितना भी धीरे बोलें उसका उल्टा परिणाम घोषित होता है। लोक सभा की तरह.....

श्री अध्यक्ष : मेरे कान काफी ट्रेंड हैं इस मामले में।

मंत्रीजी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द

(श्री अध्यक्ष)

किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड-2, 3, 4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, 3, 4, स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड-2, 3, 4, स्वीकार किये गये।

खण्ड-5। प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला : खण्ड-11 अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : खण्ड-5 है, खण्ड-5।

श्री बुलाकी दास कल्ला : खण्ड-5, अध्यक्ष महोदय, उप खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये —

"(ग) इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (vii) में, शब्दों "की अनुसूची" के स्थान पर, शब्द "की कोई अनुसूची" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन खण्ड-5 में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : संशोधन की भाषा क्या है ? अध्यक्ष महोदय, हमको कोई संशोधन की प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : इसकी सूचना दे दी है। जो दूसरी सूची है उसके अन्दर वितरित किया है इसलिए आपत्ति निरस्त की गई।

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : संशोधन की प्रति वितरित नहीं की गई है। केवल खण्ड-11 की सूची हमें प्राप्त हुई है। इस संशोधन की सूची नहीं मिली है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : कल या परसों के कागजात सम्भालिये, सक्यूलेट कर दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने पढ़ी होगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 6 से 10 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 से 10 स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड 6 से 10 स्वीकार किए गये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं। "विधेयक के खण्ड 11 के द्वारा मूल अधिनियम में अन्तः स्थापित किये जाने के लिए यथा प्रस्थापित धारा–11 की उप धारा (1) में अभिव्यक्ति 'तथापि यह इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए हो सकेगा कि उपाचार्यों अथवा प्राचार्यों के, सृजित काडर-वाह्य पदों की कुल संख्या किसी भी समय-बिन्दु पर किसी भी संकाय में ऐसे समय पर प्राध्यापकों अथवा, यथास्थिति, उपाचार्यों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी,' लोपित की जाये।"

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, श्री नाथूसिंह। अभी मंत्री जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका उद्देश्य समझ लिया आपने?

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा उद्देश्य दूसरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन दूसरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, "नई जोड़ी गई धारा 10 में प्रयुक्त अंक व चिन्ह" 16% "को अंक व चिन्ह" 17% "द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय।"

नई जोड़ी गई धारा 11 की उप धारा (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "तथापि यह इस शर्त के अध्यधीन रखते हुए हो सकेगा कि उपाचार्यों अथवा प्राचार्यों के सृजित काडर-वाह्य पदों की कुल संख्या किसी भी समय-बिन्दु पर किसी भी संकाय में ऐसे समय पर प्राध्यापकों अथवा, यथास्थिति, उपाचार्यों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।" को लोपित किया जाय।

नई जोड़ी गई धारा 11 की उपधारा (13) के पश्चात् नई उप-धारा (14) निम्न रूप में जोड़ी जाय :–

"(14) उपरोक्त उप-धाराओं में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी विश्वविद्यालय में जिन शिक्षकों को एक ही पद पर लगातार सेवाएं 20 वर्ष की हो चुकी

(श्री कैलाश मेघवाल)

हैं उन्हें तुरन्त प्रभाव से अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया जावेगा।"

श्री बुलाकी दास कल्ला : अभी तो इसके बारे में विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष : खण्ड 11 के बारे में सभी संशोधन प्रस्ताव आ जायें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं बोलूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि एस. सी. और एस. टी. की जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें भारतीय संविधान का एक निर्देश है कि नौकरियों में या कहीं भी संरक्षण दिया जायेगा तो इन जातियों के प्रतिशत के अनुपालन में दिया जायेगा। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि 1971 के पहले की जनसंख्या के हिसाब से प्रतिशत अलग था। 1971 की जनसंख्या के बाद जो सैन्सस आया उसके हिसाब से 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 12 प्रतिशत अनुसूचित् जनजाति के अनुसार नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1981 का जो सैन्सस आया है उसके आकड़े यह हैं कि टोटल राजस्थान की जनसंख्या 3 करोड़ 42 लाख 61 हजार 862 है और उसमें से अनुसूचित जाति की संख्या 58 लाख 38 हजार 879 है, यह 17.04 प्रतिशत बनता है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह पदों का आरक्षण तो खण्ड 10 में है जिसको कि हम पारित कर चुके हैं। फिर भी माननीय सदस्य को यह निवेदन कर दूं कि 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण दूसरी नौकरियों, सेवाओं में है उतना ही किया है। 12 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण अन्य सेवाओं में है उतने का उतना ही विश्वविद्यालयों में किया है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को एतराज नहीं होना चाहिए। वैसे भी पदों का आरक्षण इस खण्ड में नहीं है। वह 10 वें खण्ड में है जिसको पारित कर चुके हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मंत्री महोदय, दसवें खण्ड में नहीं है इसको आप देखें। खण्ड 10 में नहीं है। पहले ठीक ढंग से बिल को पढ़ें। खण्ड 10 के उप खण्ड में है। 10 को तो पास कर चुके हैं। खण्ड 11 में पदों के आरक्षण में मेरा संशोधन है। मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि यह 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत तय करने की प्रक्रिया क्या है? अन्य नौकरियों में है, इसलिये आपने इसको नहीं निकाला है। संविधान के निर्देशों का पालन किया है, और संविधान में यह निर्देश है कि उनकी जातियों की संख्या के अनुपात में पदों का आरक्षण किया जायेगा। मैं आपको 1981 की सैन्सस का बता रहा हूं, अनुसूचित जाति की जनसंख्या राजस्थान में 17.04 प्रतिशत है। संविधान के निर्देशों की पालना में इतना प्रतिशत आपको रखना चाहिए। यह मेरा संशोधन उचित है इसलिये इसको आप स्वीकार करें। यह अन्य नौकरियों में है इसकी पालना की बात नहीं है, संविधान के निर्देशों की पालना करें।

(श्री कैलाश मेघवाल)

मेरा संशोधन बिल्कुल उचित है इसलिये इसको स्वीकार करना चाहिए या मंत्री महोदय यह बता दें कि इसको किस आधार पर रखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा भी है।

मूल अधिनियम को पुनः संख्यांकित धारा 9 के पश्चात् जोड़ी जाने वाली धारा 11 की उप-धारा 1 में प्रयुक्त शब्द "तथापि यह इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए होगा कि उपाचार्यों अथवा प्राचार्यों के सृजित काडर-बाह्य पदों की कुल संख्या किसी भी समय-बिन्दु पर किसी भी संकाय में ऐसे समय पर प्राध्यापकों अथवा, यथास्थिति, उपाचार्यों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।" को विलोपित किया जाये।

नवीन जोड़े जाने वाली धारा 11 की उप-धारा (13) के पश्चात् निम्नांकित नवीन उप-धारा (14) जोड़ी जाये :—

"उपरोक्त उपधाराओं में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी विश्वविद्यालय में जिन शिक्षकों की एक ही पद पर लगातार सेवाएं 20 वर्ष की हो चुकी हैं, उन्हें तुरन्त प्रभाव से अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया जायेगा।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 11 की उपधारा (1) में जो आपने डिलीट किया है उसके लिये तो आप बधाई के पात्र हैं लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। जो प्राध्यापक 20–20 साल से बड़ी लम्बी सेवा अवधि के बाद भी आज विश्वविद्यालय में हैं उनको प्रमोशन नहीं मिल पायेगा। जो आपकी शर्तें हैं उनको वह पूरा नहीं कर सकते क्योंकि जिस समय वह सेवा में आये थे, जिस समय उन्होंने सेवा प्रारम्भ की होगी, उस समय यह शर्तें नहीं थीं जो आज लगाना चाहते हैं। यह परिस्थितियां नहीं थीं। तो ऐसे लोगों को आज आप कहें कि पी एच. डी. करिये, बीस साल सेवा करने के बाद उनसे कहें कि पी एच. डी. करके आये, जैसे मान लो, अपने पिताजी से कहें कि आप मैट्रिक करके आइये, तो यह हास्यास्पद होगा। हालांकि उनमें योग्यता की कोई कमी नहीं है लेकिन अब डिग्री प्राप्त करने की उम्र नहीं है। उन लोगों का क्या करेंगे? आपने उन लोगों की आज तक कोई व्यवस्था नहीं की है। मेरा सुझाव है कि जिन लोगों की सेवा करते करते जिन्दगी बीत गयी है, सारी जवानी जिन्होंने आप पर खपा दी है, सारे लोगों को ज्ञान दिया वह उसी कैडर में पड़े रहेंगे क्योंकि वह पी एच. डी. नहीं कर सकते हैं या छोटी-मोटी टेक्निकल बातों को पूरा नहीं कर सकते हैं। यह सब बातें उनके प्रमोशन में आड़े नहीं आनी चाहिए। इसमें यह करें कि जो आदमी 20 साल की सेवा पूरी कर ले उसको एक प्रमोशन तो दे दो। उसने बीस साल सेवा कर ली, कोई शिकायत नहीं, अगर शिकायत होती तो उसको निकाल देते। आपने भी स्वीकार किया कि अच्छा गुरु है, आपने माना है। अगर आप उसको यह कहेंगे कि बीस साल की सेवा तेरी हो गयी लेकिन तुम पी एच. डी. करके आवो तो यह उचित नहीं होगा। इसलिये मेरा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

निवेदन है कि मेरे संशोधन को स्वीकार करिये। जो व्यक्ति बीस साल से विश्वविद्यालय में अबाध गति से, उचित तरीके से, ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं आप उनको आश्वस्त करें कि एक प्रमोशन तेरे को देंगे। अगर यह करेंगे तो यह माना जायेगा कि आपकी भावना वास्तव में प्राध्यापकों की सेवा में सुधार करने की है, आप सुधार करना चाहते हैं, प्रमोशन देना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि बिल इसलिये लाये है कि प्राध्यापकों की सेवा में सुधार करना चाहते है। इन्होंने हमारे प्राध्यापकों को भी चकमा दिया है और हमारे कई माननीय सदस्य भी भ्रम में फंस गये हैं कि ये प्राध्यापकों का भला करना चाहते हैं। कितना धोखा देना चाहते हैं, यह आप स्वयं देखिये। यह आपको क्यों लाना पड़ा, आप इसको क्यों लाये हैं, आपने एक आर्डिनेंस निकाला वह कब निकाला ?3.10.83 को। यह आपने 3.10.83 को क्यों निकाला ? 9.83 को तो विधान सभा थी, इसके बाद सितम्बर के महीने में 9.9.83. को विधान सभा चली और आपने 3.10.-83 को आर्डिनेंस निकाला। अब 2 तारीख, 2 अक्टूबर, 1983 को गांधी जयन्ती होती है तो आपको गांधी जी ने कहा होगा कि प्राध्यापकों का बेचारों का भी तो कुछ तो करो। इसलिए आप 3 तारीख को यह लाये हैं। हालांकि इसमें लिखा यह है कि प्राध्यापक लगातार मांग कर रहे थे कि हमारी सेवाओं में सुधार करो इसलिए हमारे मन में दया आ गयी, सहानुभूति जागी इसलिए हम इसको लाये लेकिन इसका असली कारण यह है कि आपने यहां पर एक रजिस्ट्रार का अपाइंटमेंट किया था। 4 अप्रेल को उस रजिस्ट्रार का अपाइंटमेंट किया। उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब आपको लगा कि यह हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है, इसमें कमियां हैं इसलिए हम हाई कोर्ट में हार जायेंगे। इसको ठीक करने के लिए आप इसको लाये है जिससे कि आप रजिस्ट्रार की नियुक्ति को वैध कर सकें। अगर केवल यह लाते कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति को वैध किया जाता है तो लोग आपसे पूछते कि यह गलती करी क्यों आपने ? अधिकारी क्यों लगाया आपने ? यह प्राध्यापक भी कहते कि गलत काम क्यों किया, आपने ? इसलिये उनका नाम लिया कि तुम्हारे सुधार के लिये आर्डिनेंस ला रहे है। उनका नाम जोड़कर यह बात कर दी। माननीय सदस्यों को भी भ्रम में डाल दिया। रजिस्ट्रार के अपाइंटमेंट पर आपकी हाई कोर्ट में पिटाई होती इसलिये आप यह लाये हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : अत्यन्त संक्षेप में।

इसमें यह लिखा है कि यह अपाइंटमेंट कर रहे हैं इस अपाइंटमेंट को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

An appointment of an officer of the State Government as Ragistrar of any University shall for all purposes be valid and shall not be liable to be questioned on the ground that the appointment has been made in contravention of any other provisions of this Act or of the relevant law whether such contravention relates to qualifications or experience laid down about eligibility for appointment to the post of Registrar in that University or to the procedure provided for selecting or appointing a person to such post in this Act or in such law.

क्या है यह क्या बनाया आपने ? जिस रजिस्ट्रार को अपाइंट कर रहे हैं उसको दुनियां में कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। यह आपने एक्ट में लिख दिया। यह आर्डिनेंस में दे दिया आपने कि आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज करने का ग्राउंड क्या होगा ? साहब, आपने ठीक आदमी का चयन नहीं किया, इसकी क्वालिफिकेशन ठीक नहीं थी। उसके अपाइंटमेंट में जो तरीके होने चाहिये थे वे आपने नहीं अपनाये। इसको चैलेंज इन्हीं बातों पर किया जा सकता था। आपने राइडर लगा दी कि हम जिसको मनमाने ढंग से चाहेंगे उसको अपाइंट करेंगे और आपको बोलने भी नहीं देंगे। आपने यह अधिकार भी छीन लिया। जब नागरिकों ने हाई कोर्ट में जाकर कहा कि विश्वविद्यालय में यह कांड हुआ है। हाई कोर्ट ने नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद आपकी स्थिति जब खराब हुई तो आप यह आर्डिनेंस के जरिये अमेंडमेंट ले आये। हाई कोर्ट से बचने के लिये यह लाये हो। आप भूल कर रहे हैं और मुगालते में डालते हैं लोगों को कि अब इन अध्यापकों की सेवा सुधारने के लिये लाये हैं। यह इसलिये नहीं लाये हो। आपने कारनामे किये थे उनको बचाने के लिये यह लाये हो, मजबूरी में लाये हो। फिर लाये क्या हैं ? जैसे जहर का घड़ा हो, अन्दर तो जहर भरा हो ऊपर से दूध रख दिया आपने, "विषकुम्भम् पयोमुखम"। यही इस संशोधन विधेयक की मन्शा है। इस विश्वविद्यालय को आप विषविद्यालय बनाना चाहते हो। विश्व से विष बनाना चाहते हो। यह मन्शा है आपकी, और इसीलिये जहर घोल रहे हो सारे का सारा इसमें। तो जब आपके रजिस्ट्रार के अपाइंटमेंट को चैलेंज कर दिया गया हाई कोर्ट में, जब आप फेल होने लगे तो आप इस नाम पर आर्डिनेंस ले आये कि भई, इस बार हम शिक्षकों के सुधार के लिये एक कानून ला रहे हैं। आर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी ? अगर आप यह मानते थे कि आपके अध्यापक कई वर्षों से दुखी हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उनके प्रमोशन में गड़बड़ी हो रही है तो, श्रीमान्जी, विधान सभा का सत्र कई बार हो चुका है और 2 तारीख को विधान सभा का सत्र समाप्त हुआ था, 2 सितम्बर को और 3 अक्टूबर को, गांधीजी के जन्म दिन के दूसरे दिन उनके निर्देशन पर जैसे मानो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आप यह आर्डिनेंस ले आये कि साहब आपकी सेवा में सुधार कर रहे हैं। This is all farce. यह आप धोखा दे रहे हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन यह है कि आपके मन में अभी भी इनकी सेवा सुधारने की बात नहीं है। यह जो आपने भूल की है उसको सुधारने के लिये आप कार्यवाही कर रहे हैं। जब आप से पार नहीं पडी तो फिर आपने यह एक कानून और पास किया है। आप जरा देखिये उसको।

The Syndicate at its meeting held on November 8, 1983 has resolved that the following two new paragraphs be added in ordinance No 357–C in the University Hand Book Part–II : 'No suit or writ petition shall be instituted against the University in respect of any selection/appointment/promotion/demotion/suspension/termination/fixation/retrenchment/dismissal or any other action taken by a competent authority in accordance with the University rules until the expiry of two months after a notice in writing in that regard is served upon the University in the name of the Registrar.'

अब आपने क्या कर दिया। आप सस्पेंशन करें, अपाइंटमेंट करें, दुनियां भर का कोई भी काम करें, कोई कोर्ट में नहीं जा सकते। कोई कोर्ट में अगर जायेंगे तो एक शर्त रख दी आपने कि कोर्ट में जाओगे तो पहले हमको नोटिस दोगे। जब दो महीने का नोटिस पूरा हो जायेगा तब आप कोर्ट में जा सकते हैं। यह क्यों लाये हैं आप यह इसलिये लाये हैं कि जैसे ही आप अपाइंटमेंट करते हैं लोग कोर्ट में चले जाते हैं और वह स्टे हो जाता है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अतः जैसे ही आपने कोई गलती की तो हर आदमी के लिये द्वार खुला था, वह कोर्ट में जाता और आपके इन सारे कारनामों के खिलाफ स्टे ले सकता था। अब आपने यह राइडर लगा दिया, आपने यह कानून बना लिया, अपने पक्ष में ! दो महीनें तक आप नहीं जा सकते, नोटिस दो हमको। जब तक आपको नोटिस देंगे तब तक आप अपाइंटमेंट करके चार्ज सम्भला देंगे तो कोर्ट यह कह देगी कि अब स्टे किस बात का। अब तो प्रोफेसर साहब लग गये। स्टे तो हो नहीं सकता। अब 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जब तुम्हारी किस्मत खुल जाय और कोई पक्ष में साइन हो जाय तो देखेंगे। तब तक वह नोकरी का इन्तजार करता रहेगा। तो वह झख मार कर दूसरी जगह चला जायेगा और आपके काले कारनामे दब जायेंगे। तो उसके बाद यह अमेंडमेंट लाये। यानि सारी बातों को आपने कवर कर दिया, और आगे लिख दिया–

"In respect of any selection/appointment/promotion/demotion/suspension/termination/fixation/retrenchment/dismissal or any other action."

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यानि आप कुछ भी काम कर लें कोई सा भी काम कर लें, आपके खिलाफ कोई अदालत में जाकर कार्यवाही नहीं कर सकता। और करेगा तो तब तक आप उस काम को पूरा कर लेंगे और जो न्यायालय में न्याय मिलने वाला है वह रिडन्डेन्ट हो जायेगा। उसका लाभ नहीं उठा सकेगा। तो आपकी मन्शा, वल्ला साहब, इनकी सेवाओं में सुधार करने की तो है नहीं। यह केवल आप जो कारनामे कर रहे हैं, जैसा माननीय सदस्य कैलाश जी मेघवाल ने कहा और माननीय विपक्षी दल के नेता ने भी जो फर्माया, आपकी मंशा धीरे-धीरे विश्वविद्यालयों पर कब्जा करने की है। विश्वविद्यालय पर कब्जा करने का तरीका यह है कि हम रजिस्ट्रार को भेजेंगे, रजिस्ट्रार का अपाइंटमेंट गलत होगा तो आप चाहेंगे तो भी चैलेंज नहीं कर सकते। यह जो इसमें कर दिया वह ठीक है तो असल तो आपका उद्देश्य यह था। और आर्डिनेंस लाने के जो रीजन्स लिखे हैं उसमें बड़े सुन्दर ढंग से लिख दिया आपने—

"As the teachers in Universities had been agitating their demand for personal promotion for quite a long time and validation of the appointment of Registrar of Rajasthan University was, in view of the pending writ petition, urgently necessary and as the Rajasthan Legislative Assembly was not in session, the Governor promulgated the Rajasthan Universities' Teachers and Officers Ordinance, 1983."

तो जब यह प्राध्यापक लम्बे अर्से से एजिटेशन कर रहे थे उसके बाद कई विधान सभा सत्र आ गये, कई बार आप विधान सभा में आ चुके। इनकी मांग लम्बे अर्से से पेंडिंग थी तो मुझे आप यह समझाइये कि जब आपके मन में सहानुभूति थी, इसको आप रीजनेबल समझते थे तो आप अमेंडमेंट लाते। इतने समय में जितने विधान सभा सत्र गुजर गये उनमें आपने यह अमेंडमेंट क्यों नहीं रखा? जैसा मैंने निवेदन किया कि 9 सितम्बर को ही विधान सभा समाप्त हुई। उसके बाद आप तीन अक्टूबर को यह आर्डिनेंस लाये। इस आर्डिनेंस की क्या जरूरत थी? इतनी तो आपके मन में ईमानदारी और रहमदिली नहीं है। आप कितने विह्वल हो गये इनके लिये, कितने उतावले और संवेदनशील हो गये कि अगर मान लें जब तक विधान सभा का सत्र आयेगा उस समय तक अगर इनकी सेवाएं सुधारी नहीं गयी तो न मालूम क्या बड़ी तकलीफ होगी, अनशन हो जायगा या आपको मूर्छा आ जायेगी। आप जो यह आर्डिनेंस लाये हैं, श्रीमान् जी, आप धोखा मत दीजिये, यह आर्डिनेंस आप इनके सुधार के लिये बिल्कुल नहीं लाये हैं। यह आर्डिनेंस लाये हैं केवल इसलिये कि भई, हमने जो बड़े कारनामे किये हैं, जो पहले रिट पिटीशन्स पेंडिंग हैं, उन रिट पिटीशन्स से पीछा छुड़ाने के लिये आप यह आर्डिनेंस लाये हैं। अगर आप सिंगल एक्ट के लिये आर्डिनेंस लाते तो आपकी बदनामी होती

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ज्यादा इसलिये आपने विषकुम्भम पयोमुखम् यानि घड़े में जहर भरा है ऊपर आपने दूध डाल दिया तो उसको देख कर कहेगा, साहब दूध का ही घड़ा है। अरे, इसके अन्दर देख, क्या भरा है? अन्दर जहर भरा हुआ है। तो वह स्थिति आपने इस एक्ट की की है। इसलिये मैं आपसे, माननीय राज्यमंत्री महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में आपके मन में ईमानदारी है, यद्यपि मैं कहता हूं कि वह नहीं है, तो आप यह साबित करिये कि जिन अध्यापक, प्राध्यापक का आपके यहां पुराने जमाने से केस पेंडिंग है, जिनको प्रमोशन नहीं मिलेगा इस वर्तमान व्यवस्था में, इस आर्डिनेंस को लाने के बाद भी नहीं मिलेगा। मेरा आपसे यह आग्रह है कि कम से कम आप इतना कर दीजिये कि जिसने 20 साल तक हमारे विश्वविद्यालय में सेवा की है उसको तो हम एक प्रमोशन देंगे ताकि वह स्वर्गवासी होने से पहले एक प्रमोशन तो आपसे ले जाय। जो 2 अक्टूबर के बाद 3 अक्टूबर को आपने फैसला किया वह ऊपर जाकर महात्माजी को कहेगा कि साहब, आपने उपदेश दिया उनको, इसलिये वे 3 अक्टूबर को आर्डिनेंस लाए और मेरा एक प्रमोशन तो हो ही गया। मेरा यह निवेदन है कि आपके मन में दिल में इनकी सेवाओं के सुधार का अगर दुःख है इसीलिये आप लाये हो तो मैं तो कहता हूं कि नहीं लाये हो आप। यह आपके जवाब से भी पता लग जायगा। तो हम इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है। अभी माननीय कैलाशजी ने भी आपसे कहा था, यह बात जो मैं कह रहा हूं यह कोई नयी बात कहने के लिये नहीं है। आपके शिक्षा मंत्री, जो श्री सुरेन्द्र व्यास थे, और विभिन्न संस्थाओं के जो प्रतिनिधि थे, प्राध्यापकों के, उनके बीच में बैठ करके समझौता हुआ है, लिखित में समझौता हुआ है, राइटिंग में, उसके बाद भी आपने नहीं माना। तो सरकार कोई समझौता करे उसको मानना जरूरी नहीं है। आपका जो करेक्टर है, आपकी जो संस्कृति है वह ऐसी नहीं है कि आप जो कहें वह कर ही लें। इस आर्डिनेंस में आपने जो यह कहा कि हमारा मन तो आर्डिनेंस और बिल लाने का इसलिये हुआ है कि हम उनकी सेवाओं में सुधार करना चाहते हैं। जब यह पूरा कर सकेंगे, प्रमाणित कर सकेंगे, तो मैंने जो अमेण्डमेण्ट दिया है, वह मैं समझता हूं, मतदान पर अगर बात जायेगी तो बात दूसरी है, बाकी जितने माननीय सदस्य विपक्ष में बैठे हैं, मेरे विपक्ष में बैठे हैं, उन से यदि आप पूछें तो मेरी राय से वह सहमत होंगे। अब यह दूसरी बात है कि आपकी व्हिप का डण्डा पड़े तब भी मेरा यह विश्वास है कि जैसे इंदोरिया जी, देवीदत्त जी साहब हैं, हमारे जोशी जी हैं, यह जो बहादुर लोग हैं, वे आपकी व्हिप के बावजूद भी मेरी बात का समर्थन करेंगे इन अध्यापकों के लिए जो विश्वविद्यालय में 20 साल से बेचारे तड़प रहे हैं। अब क्या होगा, जो कल आये हैं, जो इनके विद्यार्थी रहे हैं, उनको प्रमोशन मिलेगा। और यह जो आये हैं लोग····

श्री माधव सिंह दीवान : जब आप शिक्षा मंत्री थे तब कर दिया होता।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर अब मेरे ही शिक्षा मंत्री काल को फॉलो करना चाहते हो, अगर मेरा ही अनुसरण करना चाहते हो तो आप घोषणा करो कि हम आज भवरलाल शर्मा, जो शिक्षा मंत्री था, उसकी शरण में जाते हैं, उसका पालन करेंगे। या तो यह घोषणा करो, या मेरो शरण में आओ। वह भी आप करने को तैयार नहीं हो। फिर आप कुछ तो करो। अपने आप ही करो। अगर मेरी शरण में चलोगे, जैसा मैंने काम किया, वैसे करोगे तो कुछ नाम होगा आपका।

एक माननीय सदस्य : हारोगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : हार जाओगे? क्या हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : आपने किया वैसे करके यूनिवर्सिटी का भट्टा थोड़े ही ही बैठाना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका लक्ष्य चुनाव जीतना ही है क्या? सेवा करना थोड़े ही है। यही अन्तर आप और मेरे में है। हम हारें या जीतें, हमें चिन्ता नहीं है। हम सेवा करने के लिए आये हैं; सेवा करेंगे। वोट नहीं पड़ते हैं तो न पड़ें। आप सेवा के आधार पर वोट लेना नहीं जानते हो। आप तो इस काम में···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य, आपका एक संशोधन प्रस्ताव और है इसमें।

एक माननीय सदस्य : हम सेवा नहीं करते हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो के. के. बिड़ला को लाते हो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो के. के. बिड़ला को लाते हो। फिर के. के. बिड़ला को काहे के लिए लाये हो, सेवा करने वालों? क्या सेवा करोगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, विवाद में न पड़ें।

श्री भंवरलाल शर्मा : कल सेवा की थी आपने रामप्रसाद जी की। छोड़ी सेवा की बात को। सेवा की बात तो आप से मीलों दूर है। सेवा से क्या सम्बन्ध है आपका? हां, सुखलाल जी की की, महादेव सिंह जी की की, बहुतों की की। अभी नम्बर बाकी है। अगर विधान सभा पूरे साल चली तो, देखना, कइयों का नम्बर आयेगा। कई लोग हिट-लिस्ट में हैं। हिट लिस्ट में कई लोग हैं। यदि विधान सभा ही जल्दी खत्म हो जाय तो बात दूसरी है। अगर पूरी चली तो देखना, सदन की क्या दुर्गति होती है। सेवा से आपका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : भाषण का समय समाप्त हो रहा है, माननीय सदस्य, दूसरा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना है क्या?

(श्री अध्यक्ष)

आपका नाम पुकार लिया, नहीं, बैठ जायं। -

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह मेरा

श्री अध्यक्ष : आपका नाम पुकारा था, उस वक्त आप····

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा दूसरा संशोधन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सैकण्ड शिड्यूल दी है, उसमें कहा है, सलेक्शन कमेटी होगी उसन एजुकेशन सैक्रेट्री, गवर्नमेण्ट आफ राजस्थान····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, समय समाप्त हो रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : Or in his absence, the Director of College Education; यह आपने एक तो प्रोफेसर के सलेक्शन में किया है। दूसरा रीडर के सलेक्शन में किया है। उसमें यह कहा है कि Education Secretaıy of Govt. of Rajasthan or in his absmnce, the Director of College Education यह उसकी चयन समिति के सदस्य होंगे, जो अब तक नहीं थे। मैं आप से पूछना चाहता हूं, माननीय गुलाब जी कह रहे थे, क्या आई. ए. एस. सभी बीमारियों की दवा है क्या ? एजुकेशन में भी एक्सपर्ट है, अगर डाक्टरों का सलेक्शन हो तो उसमें भी एक्सपर्ट है, अगर इंजीनियरों का सलेक्शन हो तो उसमें भी एक्सपर्ट है, अगर बस ड्राइवर का सलेक्शन हो तो उसमें भी एक्सपर्ट है ? क्या आई. ए. एस. ऐसी दवा है ? तो जो एजुकेशन का क्षेत्र है, विश्व-विद्यालय का क्षेत्र है, यह कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर नहीं है, विश्वविद्यालय में जो पढ़ायेगा वह, कई तो इनकी योग्यताओं से चौगुनी योग्यता रखने वाले केण्डिडेट आते हैं। अपने अपने विषय के महान विद्वान होते हैं, जो इनको चार बार पढ़ा दें। शासन में एक्सपर्ट हो सकता है, आपकी सरकार को बनाये रखने में एक्सपर्ट हो सकते हैं. पर विश्वविद्यालय को चलाने में, वह कौन ठीक पढ़ायेगा, उसमें कई योग्यतायें होती हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, शीघ्र समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारी सरकार में यह अमेण्डमेण्ट नहीं हुआ, वह जो शिक्षाविद् थे, वही अपाइण्टमेण्ट करते थे। इसलिए हमारी नकल करनी है तो मिटा दो इसको....

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह जो सरकार का इन्टरफियरेन्स है, सलेक्शन से लेकर आगे तक, उसमें यह एजुकेशन सैक्रेटरी, डायरेक्टर आफ कालेज एजुके-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

शन, इसको डिलीट किया जाय। इसकी जगह जो शिक्षाविद् हैं जो सब बातों को समझते है, जो बडे प्रकाण्ड विद्वान हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हैं तो दूसरों से ले आइये, सारे देश के अन्दर बड़े विद्वान मौजूद हैं, जो सलेक्शन मे बैठेंगे, वह जो सलेक्शन करके देंगे वह इण्डिपेन्ट होगा, निष्पक्ष होगा, योग्य होगा, पर आपके मन में वह योग्यता नहीं है। आप तो चाहते हैं किसका सलेक्शन करवाना है। मदेरणा साहब को चिट्ठी आई है कि जोशी साहब का करवाना है, कैसे होगा यह....

श्री परसराम मदेरणा : क्या चिट्ठी आई है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : किसी भी मंत्री को यह चिट्ठी आई है कि वह अमुक

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बैठ जायं।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सेन्टेन्स पूरा कर दूं। जो सलेक्शन होगा, जिस व्यक्ति का होगा, वह उसके माध्यम से होगा। अपना एजुकेशन सैक्रेटरी या डायरेक्टर, कालेज एजुकेशन। बाकी तो पकड़ में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि वह तो विद्वान है, वह तो आप से ज्यादा योग्य हैं। यह जो आपने एजेन्सी कायम की है, करने की कोशिश की है कि यह आपकी चिट्ठी लेकर जायेगा, इनके पास टेलिफोन जायेगा कि ख्याल रखना, वह आ रहा है, मेरा भतीजा है। अहमद बक्श सिंधी की चिट्ठी जायेगी, यह नहीं हुआ तो इनका ट्रान्सफर, कि अच्छा, एजुकेशन में नहीं, अब आपको वहां भेज दिया है डवलपमेण्ट में, डवलपमेन्ट में जाओ आप। या तो यह होगा या आपका कहना मानेगे। विश्वविद्यालय की आप दुकान खोलना चाहते हो, विश्वविद्यालय की जो साख विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने रखी थी, उसको बिगाड़ना चाहते हो क्या ठेका लिया है उसको बिगाड़कर छोड़ने का ?

श्री परसराम मदेरणा : पोस्टें कितनी हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या एक ही पोस्ट है ? पोस्ट को छोड़ो पोस्ट क्या होती है ?

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त करें, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए. आर्डर, आर्डर, बैठ जायं श्री हरीसिंह कुम्हेर। प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : या आप कह दीजिए। आप बिना जानकारी के मत बोलो। यह एजुकेशन का मामला है ...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर, बैठ जायं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सिंचाई का थोड़े ही है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर) प्रस्ताव करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना अमेण्डमेण्ट प्रस्तुत किया है,

धारा 11 की उप-धारा (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "तथापि यह इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए हो सकेगा कि उपाचार्यों अथवा प्राचार्यों के सृजित काडर-बाह्य पदों की कुल संख्या भी समय बिन्दु पर किसी भी संकाय में ऐसे समय पर प्राध्यापकों अथवा, यथास्थिति, उपाचार्यों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी" को लोपित किया जाय।

यह इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है कि राजस्थान में कार्यरत, राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत जितने भी लेक्चरर्स, रीडर्स हैं, उनकी वाजिब मांगें यह चली आ रही थीं कि वह अपना कैरियर प्रारम्भ करते हैं जिस पद पर, उसी पद पर रिटायर हो जाते हैं। लेक्चरर 20-25 साल तक कार्यरत रहता है और रीडर 10-12 साल तक एक ही पोस्ट पर रहता है। उसी पद पर रिटायर हो जाते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा यह होता है कि उनको अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में अरुचि होने लगती है। यही नहीं, श्रीमान, राजस्थान की जो अच्छी प्रतिभाएं हैं वे हमारे विश्वविद्यालयों को छोड़कर बाहर के विश्वविद्यालयों में जाती हैं। यहां के लैक्चरर्स बाहर जाकर रीडर बने, यहां के रीडर बाहर जाकर वाइस चांसलर बने। हमारे यहां के जो अच्छे रीडर्स हैं उनको हमारे यहां रहना चाहिए। वह बाहर किसी भी कारण चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में एक बार भी प्रमोशन नहीं मिलता। सरकार और लेक्चरर्स की यूनियन के बीच में इस बात का आधार दिया गया था और उसमें इस फ्लोर पर समझौता हुआ था कि जीवन में एक बार निश्चित रूप से प्रमोशन दिया जायेगा। यह जो हमने लगाया, श्रीमन्, उसमें एक्ट में स्टिगमा लगा दिया कि टोटल स्ट्रेन्थ का 1/3 से ज्यादा लोगों के लिए एलिजिबिलिटी मानकर, प्रमोशन नहीं दिया जायेगा। उसमें मैंने यह अमेण्डमेण्ट मूव किया है कि जितने एलिजिबल हैं उन्हें हर साल 1/3 का प्रमोशन दें लेकिन जो टोटल स्ट्रेन्थ पर 1/3 की सीमा बांध दी है, वह उसमें नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विलोपित कर दिया है संशोधन में।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ठीक है, वही मैंने प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मंत्री महोदय। समय सीमा निश्चित है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी 11 खण्ड की कुछ धाराओं में संशोधन की बात की है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्लाज पास हो गया तो बिल के पारित होने में क्या रहा?

श्री अध्यक्ष : पारित नहीं करेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पारित नहीं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय क्लाज पास हो गया तो बिल पारित नहीं हो तो सैंस क्या है? झगड़ा तो इस क्लाज का ही है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : कर दिया न मैंने संशोधन। 1/3 का स्टिग्मा हटा दिया।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे बोलने नहीं दिया, मैं खड़ा भी हुआ था।

श्री अध्यक्ष : वह स्टेज तो चली गयी।

श्री सी. पी. जोशी : स्टेज का क्या सवाल है? मैंने अपना प्रस्ताव किया। आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे, यह कैसे होगा? मैं हाउस में बैठा हूं।

श्री अध्यक्ष : में समय सीमा निश्चित की हुई है। 1/3 का था, उसको तो विलोपित कर दिया है।

श्री सी. पी. जोशी : महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने जो सुझाव रखा था, वह यह था कि सुरेन्द्र व्यास जी ने, जो उस समय राज्य मंत्री थे, ने जो कमिटमेण्ट किया था, उसको पूरा किया जाय। वह पूरा इनके संशोधन से तो होता नहीं है। या तो वह कह दें कि सुरेन्द्र व्यास जी ने जो कमिटमेण्ट किया वह गलत था, सरकार उसको नहीं मानती है।

श्री अध्यक्ष : सरकार की अब क्या नीति है, यह उसको प्रदर्शित करता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो यह मानकर चलें कि उस समय सुरेन्द्र व्यास जी ने राज्य मन्त्री की हैसियत में जो किया ...

श्री अध्यक्ष : व्यक्तियों से क्यों जोड़ते हैं, कानून है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कानून की बात दूसरी है। गवर्नमेण्ट की आखिर कोई न कोई, कहीं न कहीं प्रतिष्ठा है। आज मंत्रिमण्डल के सदस्य बदलते रहते हैं और कोई बदलते रहते हैं, एक मंत्री कहे, वादा कर ले, और जुबानी नहीं, लिखित में दे दे और उसके बाद उसका पालन नहीं किया जाय और दूसरा मंत्री आकर यह कहे कि मैं पालन नहीं कर रहा हूं, यह उचित बात नहीं है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : यह कौन कह रहा है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये गवर्नमेंट यह क्लियर करे कि सुरेन्द्र जी व्यास ने कोई समझौता किया था या नहीं किया? और वह समझौता गवर्नमेंट के बिहाफ पर या इन्डिविजुअल कैपेसिटी में किया था ...

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी अपने उत्तर में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उत्तर तो देंगे लेकिन आप यह कह रहे हैं कि संशोधन हो गया इसलिये उस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है, मंत्री जी के बोलने के बाद इस क्लाज पर विचार नहीं होगा, जनरल डिस्कशन होगा, जनरल डिस्कशन में हम इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं। इस पर्टीकुलर क्लाज में अमेन्डमेन्ट हो, इसमें इन्ट्रस्टेड हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उसमें तो माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते थे। सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये, मंत्री जी ने भी अपना एक संशोधन प्रस्ताव किया है। अब जो विचार होगा वह मूल धारा में होगा। उसके साथ जो संशोधन प्रस्ताव आये हैं उनको लेकर विचार हो सकता है, उसके बाहर तो विचार नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विचार हो क्यों नहीं सकता ? मैं इस क्लाज का विरोध करना चाहता हूं उस पर हो सकता है....

श्री अध्यक्ष : विरोध करना चाहते हैं उसके लिये तो आपको पूरे सदन को प्रभावित करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं करूंगा। पहले उनको बोलने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : प्रतिपक्ष के नेता महोदय यदि विरोध करना चाहते हैं पर्टीकुलर क्लाज का—If clause 11 is deleted out of this bill which is before the House, ____________ यह कब्ल हो जायेगा, कान्स्टीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह होना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : वह नहीं हो सकता है। आपको कान्स्टीट्यूशनल अमेन्डमेंट करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी, संक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्री सी. पी. जोशी : मैं कोई भी बात रिपीट नहीं करूंगा, जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

मैं सदन का और माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान सबसे पहले इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि टीचर का मतलब केवल मात्र एजुकेशन विंग में काम करने वाले टीचर ही नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय ने शिड्यूल दिया है जिसमें लिखा है कि प्रोफेसर और रीडर के सलेक्शन के अन्दर Education Secretary, Government of Rajasthan or in his absence Director of College Eduction of Rajasthan. माननीय अध्यक्ष महोदय, आप शायद इस बात को जानकर आश्चर्य करेंगे कि उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर लगभग 800 से लगाकर 1000 तक टीचर्स एक फैकल्टी के अन्दर काम करते हैं। उनमें से आधे टीचर्स एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन के अन्दर हैं और आधे टीचर्स रिसर्च के अन्दर हैं। मैं,

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस चीज की ओर इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 के अन्दर यह एन्टीसिपेट ही नहीं किया गया है कि राजस्थान के अन्दर विश्वविद्यालय के अन्दर एक फैकल्टी ऐसी भी है जिसमें एग्रीकल्चर के टीचर्स काम करते हैं । अब आप बड़े आश्चर्य की बात देखेंगे कि रीडर्स और प्रोफेसर्स के प्रमोशन के अन्दर एजुकेशन सेक्रेटरी या डाइरेक्टर आफ कालेज एजुकेशन होंगे और वह एग्रीकल्चर के एक्सटेन्शन और रिसर्च के काम करने वाले आदमी का सलेक्शन करेंगे ।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विनम्र शब्दों में पहले भी कहा है कि यह एक्ट में अमेन्डमेन्ट किया गया है वह अल्टीमेटली हमारे इन्ट्रेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पायेगा । इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आप इस बात को देखें कि टीचर का मतलब केवल मात्र एजुकेशन विंग में काम करने वाले टीचर्स से नहीं है । इस राजस्थान के उदयपुर विश्वविद्यालय में काम करने वाले सैकड़ों और हजारों, लगभग हजार जो एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन और रिसर्च में काम कर रहे हैं, उन लेक्चरर्स और रीडर्स का इवेल्यूएशन करने का काम यदि राजस्थान का एजुकेशन कमिश्नर करता है तब तो एग्रीकल्चर कमीशन की कोई आवश्यकता भी नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को और माननीय मंत्री महोदय को इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि टीचर्स की सेवा शर्तों के अन्दर अमेन्डमेन्ट करते समय क्या हमने यह एन्टीसिपेट ही नहीं किया कि उदयपुर विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर फैकल्टी भी काम कर रही है ? इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह अमेन्डमेन्ट अपने आप में परफेक्ट नहीं है । जो बहुत बड़ी फैकल्टी हमारी है वह इससे वंचित रह जायेगी और इनके इवेल्यूएशन करने के लिये कोई चीज नहीं होगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात को जानते हैं, आपका विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रहा है, दो तरह से सलेक्शन होते हैं, एक डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट से और एक राजस्थान सरकार और माननीय मंत्री महोदय ने एक्स-कैडर को मौका दिया है, अच्छी बात है । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय को शायद यह याद नहीं हो, मैं उनको खाली यह याद दिलाना चाहता हूं कि वह क्वालिफिकेशन क्या है लेक्चरर्स की यूनिवर्सिटी के अन्दर डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट की और रीडर्स की क्वालिफिकेशन क्या है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी स्मरण शक्ति ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको लेक्चरर कहते हैं, रीडर्स के प्रमोशन के लिये थ्रू-आउट सेकन्ड क्लास, पी. एच. डी. और फाइव ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियेन्स काफी है एप्लीकेन्ट बनने के लिये । जब एक आदमी पी. एच. डी. की क्वालिफिकेशन, 5 साल के टीचिंग एक्सपीरियन्स के बाद

(श्री सी. पी. जोशी)

यूनिवर्सिटी में डाइरेक्टर कम्पीट कर सकता है रीडर और प्रोफेसर के लिये····

श्री परसराम मदेरणा . Seniority-cum-merit.

श्री सी. पी. जोशी : Direct selection. I am not saying about ex-cadre. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जब डाइरेक्ट सलेक्शन के लिये क्वालिफिकेशन है पी. एच. डी. और 5 years teaching experience, he is entitled to compete for the post of Reader. वहां आप देखिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्स-कैडर प्रमोशन के लिये हमने 18 साल और 12 साल का रखा है। इसका मतलब यह है कि आज हमने एक्स कैडर के प्रमोशन ऐवेन्यू को अवेल करने वाले की क्वालिफिकेशन नार्मल सलेक्शन में कम्पीट करने वाले की क्वालिफिकेशन से ज्यादा रखी है। यह इसका उद्देश्य नहीं था, माननीय अध्यक्ष महोदय। इस एक्स कैडर प्रमोशन का उद्देश्य यही था कि जिन लोगों को····

श्री अध्यक्ष : विधेयक के उद्देश्य के बारे में जब खण्डशः विचार हो रहा हो और एक खण्ड विचाराधीन हो तो उस स्थिति में फिर

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सलेक्शन कमेटी के लिये लिखा है, मैं हाउस में बैठा हुआ हूं, मैं खड़ा हूं आप मुझे बोलने का अवसर नहीं दें, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहें तो मैं बैठ जाऊं। आपकी आज्ञा होगी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन मैं सदन का ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : सलेक्ट कमेटी वाली जो स्टेज थी वह तो चली गई।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेज तो····

श्री अध्यक्ष : अब तो इस खण्ड पर ही विचार हो सकता है, कई खण्ड तो हमने पारित कर दिये हैं····

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसको खण्ड में करें या पारित करें, आप स्वयं जानते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी का और जिस कान्स्टीट्यूएन्सी का मैं आदमी हूं, मैं कम से कम सदन को अवगत तो करा दूं, होना जाना तो आप भी जानते हैं, मुझे वही करना पड़ेगा जो मेरी पार्टी के····

श्री अध्यक्ष : विधेयक को पारित करने जायं, उस वक्त आप चर्चा में हिस्सा लीजिये और उस वक्त अपनी राय है वह दीजिये····

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2–3 चीजें, जो इस एक्ट के अन्दर हैं, आपके माध्यम से हाईलाइट करना चाहता हूं। उसके बाद में आप जैसा चाहें वह कर लेना। मुझे आपकी

(श्री सी. पी. जोशी)

आज्ञा हो तो मैं संक्षेप में बता दूं आपके सामने ?

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा है कि जब पारण का प्रस्ताव आये उस समय भी यह बातें आप कह सकते हैं। खण्ड 11 में यह सब बातें....

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 11 पर नहीं, मुझे आप अलाउ करें तो मैं अभी बोल लेता हूं और नहीं अलाउ करें तो, जब आप अलाउ करेंगे तब बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, पारित किया जाय, यह प्रस्ताव आ जाय उस वक्त आप अपनी बात पूरी कह सकते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मेरा सलेक्ट कमेटी को देने का मतलब ही क्या हुआ ?

I have given in writing to the House. I was in the House. I stood and I was eligible to speak. What is my fault ?

श्री अध्यक्ष : लेकिन वह....

श्री सी. पी. जोशी : I was in the House. I stood, I tried to catch your eye, but you did not. Then what I should do ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, लेकिन वह तो स्टेज चली गई ना....

श्री सी. पी. जोशी : अब स्टेज तो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, स्टेज जाय या रहे

श्री अध्यक्ष : आपको मैं दुबारा अवसर दे दूंगा जब इसको पारित किये जाने का प्रस्ताव आयेगा

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसको ऐसे ही पारित करा दें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एक्ट में ये ये खामियां हैं। आप....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : मैं जो कुछ यहां पर कार्य करता हूं, सदन की जैसी मन्शा होती है, उसका जैसा आदेश होता है, उनके अनुसार करता हूं। तो खण्डशः पहले इस पर विचार कर लें, उसके बाद में जब पारित करने की स्टेज आये उस वक्त हम सिद्धान्तों पर विचार कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं है। जब खण्ड पारित हो जायेगा उसके बाद बचेगा क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : खण्ड पारित हो जाये और यदि विधेयक पारित नहीं हो तो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात, अध्यक्ष महोदय, जब खण्ड पारित होता है तो खण्ड भी विधेयक का हिस्सा है। जिस खण्ड पर सबसे ज्यादा रोष हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : जहां तक यहां की परम्परा रही है, खण्ड पर जो कानून के विशेषज्ञ होते हैं, कहां कोमा हो, कहां फुलस्टाप हो, कहां कौन सा शब्द जोड़ा जाय, और आम तौर से तो बड़े नेता प्रारम्भ में बोल देते हैं और जब पारित किया जाय या नहीं किया जाय, उस स्टेज पर

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस बिल का प्राण तो यह खण्ड है। यह आप निकाल देंगे तो गवर्नमेन्ट ही नहीं लायेगी क्योंकि कन्ट्रोवर्सल विषय ही यही है। बाद में तीसरी रीडिंग में ···

श्री अध्यक्ष : कितना समय लेंगे, आप बोल दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और दूसरे सदस्य बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : समय निश्चित किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, समय का निश्चित किया जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है या ऐसा विधेयक पारित कर देना जिससे जनता में ज्यादा से ज्यादा असंतोष पैदा हो? मैंने आपके चेम्बर में रिक्वेस्ट की थी····

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के माननीय नेता महोदय से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो समय विधेयकों के लिये निश्चित होता है, एकाएक, एकदम नहीं होता है, उसकी प्रक्रिया है। सदन के समक्ष विधेयक आते हैं, उसके पश्चात् कार्य सलाहकार समिति बैठती है। वह, उनमें कितना समय लगेगा इस बात पर विचार करती है और उसके लिये समय दिया जाता है। उसके बाद मैं 3–4 मान लो विधेयक हों तो किस पर कितना समय दिया जाय, वह आसन तय करता है। चार विधेयक आज पारित किये जाने के लिये रख दिये, उसके बाद बहुत ज्यादा गुंजाइश बच जाय और बड़ी लम्बी डिबेट हो, यह तो संभव नहीं होगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो जोशी की तरफ से आपको अवसर दे दूंगा और जब पारित करने का प्रस्ताव आयेगा····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

ये तीन विधेयक आज पेश किये गये हैं, एक जोधपुर यूनिवर्सिटी का, एक उदयपुर यूनिवर्सिटी का, एक राजस्थान यूनिवर्सिटी का। यह बात सही है कि तीनों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के बारे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक बार....

श्री अध्यक्ष : एक बार नहीं, दो बार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो बार।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आप यह मानकर चलें कि उस समय तक किसी सदस्य ने इस विधेयक को ठीक प्रकार से पढ़ा नहीं।

श्री अध्यक्ष : हमने तो पढ़ रखा था उस समय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो केवल इतना सा पढ़ा था कि जयनारायण जी व्यास के नाम से है।

श्री अध्यक्ष : जब सन्तुष्टि नहीं हुई और उसमें कुछ और तथ्य निकल आये ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब वह निकल आये, वही तो अर्ज कर रहा हूं। उतना ही हमने पढ़ा कि भई जयनारायणजी व्यास का नाम इसमें लगाना चाहते हैं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब इसको देखा....

श्री परसराम मदेरणा : पढ़ने–पढ़ने में बहुत फर्क है।

श्री अध्यक्ष : वैसे मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं कोई जज हो करके यहां फैसला तो देता नहीं, अगर शान्ति से कार्यवाही चल रही है, माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, आप बोलते रहिये लेकिन जब बाधा पैदा की जाय या कोई अड़चन आ जाये तब मैं बीच में आता हूं। इसलिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़े और मेरी राय कोई उस मायने में कोई बहुत ज्यादा कीमत रखती हो ऐसी बात नहीं है। वैसे वोट भी आसन तो तब देता है जब बराबरी की स्थिति बन जाय। आपको तो फिर भी मजबूर हो करके कौनसे विचारणीय विषय हैं उस हिसाब से पहले देखना पड़ता है। जज हो तो उसे पूरे केस को समझना पड़ता है। तो यह स्थिति और परिस्थिति में फर्क है, लेकिन माननीय सदस्यों से यह हम आशा लेकर के चलते हैं कि जो कोई भी विचारणीय विषय होंगे उसके सम्बन्ध में उनकी पूरी जानकारी होगी, तदनुसार उस पर समय निर्धारित किया जायेगा और उसी हिसाब से उसके ऊपर निर्णय लिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई आपत्ति नहीं,यह बात सही है सदस्य को ज्योंही विधेयक की प्रति मिले उस समय से तैयारी आरम्भ करनी चाहिये, लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसा नहीं होता। तैयारी माननीय सदस्य उस समय करते है जिस समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश के अनुसार दिन निश्चित किया जाता है कि अमुक दिन अमुक विधेयक के ऊपर चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष : उस दिन भी नहीं, उस दिन जब खण्डशः विचार होने लगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, खण्ड पर विचार होने नहीं लगे। खण्ड पर विचार नहीं करते तो प्रत्येक माननीय सदस्य ने संशोधन दिया है, वह संशोधन नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : वह समय के पश्चात् आये थे और मैंने उदारता का परिचय देते हुए आखिरी समय तक संशोधन स्वीकार किये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी उदारता के लिए तो मैं अब भी विश्वास करता हूं कि आप उसी प्रकार से उदार बने रहेंगे जिस प्रकार कि आपने लेट आने पर भी संशोधन स्वीकार कर लिये। मैं एक दूसरी बात निवेदन करता हूं, अभी ये तीन विधेयक हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश के अनुसार पांच बजे तक इनको पास करना है। चार में से एक पास हो गया और तीन को पास करना है। मैंने आपसे आपके चेम्बर में भी यह रिक्वेस्ट की थी कि तीनों विधेयक कण्ट्रोवर्शल हैं, इन तीनों विधयकों के सम्बन्ध में आप यह कह सकते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपने समय क्यों रखा। इसके लिए मैं अपने आपको दोषी मानता हूं और मैं इस सेन्स में दोषी मानता हूं कि इन विधेयकों में क्या क्या संशोधन किये जा रहे हैं उस समय तक मैंने इनको पढ़ा नहीं था। केवल नाम चेन्ज करने के आधार पर हम सरकार का विश्वास करके....

श्री अध्यक्ष : आपके पक्ष के विशेषज्ञ भी तो होंगे जो कि कानूनी पक्ष को देखते हैं, कोई वित्तीय पक्ष को देखते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिल्कुल सही है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं थे विशेषज्ञ। अब विशेषज्ञ जब बोले तब पता लगा कि इस बिल के अन्दर क्या था।

श्री परसराम मदेरणा : कौन से विशेषज्ञ ? माननीय सदस्य जो हवा महल से आने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप विशेषज्ञ अपना बदलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अगर ये विशेषज्ञ हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, विरोधी पक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने एक विशेषज्ञ तो माना। यहां इस पूरे हाउस में इन के पास किसी विषय का का कोई विशेषज्ञ नहीं है, कोई भी नहीं है, आप बता दीजिये, शिक्षा के कौन विशेषज्ञ हैं आपके पास, आप बताइये।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो ऐसा है कि इस सदन में कोई भी किसी विषयों का एक्सपर्ट नहीं है It is a general on this House. We are all not jacks here.

(श्री परसराम मदेरणा)

We are masters of certain subjects. Definitely हम हैं एक्सपर्ट्स की इसमें क्या बात है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिल्कुल सही है ।

श्री परसराम मदेरणा : डेफिनेटली हम एक्सपर्ट्स हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय भंवरलालजी के नाम पर चौंके थे, इसलिए मैंने पूछा था कि भई आपका कोई शिक्षा शास्त्री या शिक्षा का कोई विशेषज्ञ हो तो उनको बता दें हमें ज्ञान उनसे हो जायगा ।

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मन्त्री जी प्रोफेसर हैं और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य प्रोफेसर हैं । विरोधी पक्ष के नेता महोदय को मालूम होना चाहिये कि मैं वाइस चान्सलर सलेक्शन कमेटी का मेम्बर हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो मुझे क्यों रखते वहां पर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के विशेषज्ञ यदि वाइस चान्सलर के सलेक्शन के लिए नियुक्त किये गये हों तो विश्वविद्यालय को भगवान ही बचावे इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री परसराम मदेरणा : अगर ये एक्सपर्ट माने गये तो बंटाधार हो जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों को निकाल दें सदन का बंटाधार नहीं होगा ।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं, माननीय मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं उन्होंने भी इस चर्चा को गम्भीरता से सुना होगा । इन तीनों बिलों में कण्ट्रोवर्शल चीजें हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्धित हैं, कुछ टीचर्स के प्रमोशन या उनके भाग्य से सम्बन्धित है और कुछ का सम्बन्ध उससे आता है, गवर्नमेन्ट ने एक विषय में कमिटमेन्ट किया था, गवर्नमेन्ट अपने कमिटमेन्ट को पूरा नहीं करना चाहती । मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीनों विधेयकों पर इस हाउस के बाहर मन्त्री महोदय जिस दिन चाहें उस दिन चर्चा कर लें ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन कई दफा तो आप यह फरमाते रहते हो कि जब सदन चल रहा हो उस समय सदन की बात न मान कर के सदन के सामने तो बात नहीं करें और यह कहें अन्यत्र कहीं फैसला किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप ही की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में नहीं अनुमति से जब जयपुर डवलपमेन्ट आथोरिटी का विधेयक आया मैंने मुख्य मन्त्री जी से निवेदन किया था कि सदन में इस पर चर्चा होगी तो विधेयक एक महीने में भी पास नहीं होगा । अगर आप इस विधेयक को पारित कराना चाहते हैं और इस विषय के ऊपर सदन में चर्चा भी हो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसको भी नहीं रोकना चाहते तो यह उचित होगा कि दोनों पक्षों के सदस्य बैठ जायं। आपको याद होगा, अध्यक्ष महोदय, पहली मीटिंग हुई होगी, तब लगातार 24 घण्टे हमने सिटिंग की और 24 घण्टे की सिटिंग के बाद में उसमें जितने भी संशोधन मुमकिन हो सकते थे आपसी समझौते के आधार पर किये उस समझौते के बाद में जो भी अमेण्डेड फोर्म में बिल आया वह एक दिन में पास हो गया। उस वक्त उसमें हमारी कुछ बातें मन्जूर हुईं, हमारी बातें कुछ मन्जूर नहीं हुई लेकिन डिस्कशन पूरा हुआ। उसके बाद हाउस में रिपोर्ट कर दी। आज इसमें आपत्ति क्या है ? यह तीनों विधेयक आज ही सरकार पास कराना चाहती है, इन तीनो विधेयकों के लिये एक कमेटी के रूप में, कुछ हमारे पक्ष के लोग, कुछ सरकारी पक्ष के बैठें। मुख्य मन्त्री, यहां तो राज्य मन्त्री जी या मन्त्री बिना पूछे कोई संशोधन कर नहीं सकते। मुख्य मन्त्री की आवश्यकता हो तो वह उपस्थित हों, और तीनों विधेयकों के ऊपर बैठ कर दो ढाई घण्टे चर्चा हो जाय और चर्चा करने के बाद जो भी संशोधित रूप में या किसी रूप में विधेयक सदन के सामने आये, पारित कर दिये जायें। सरकार को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना भी कहता हूं कि यूनिवर्सिटीज में किसी प्रकार की कोई अनुचित चीज हो उसके ऊपर विचार करने के लिये समय चाहिये तो हमारे काम के लिये या और किसी काम के लिये जो समय निर्धारित है उसमें से भी आप कोई कटौती करना चाहें तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए मेरी तो यह रिक्वेस्ट है कि जल्दी में इस कानून को बनाने के बजाय माननीय मन्त्री महोदय, दो तीन और सदस्य बैठ कर इसके ऊपर हाउस के बाहर विचार कर सकते हैं और विचार करने के बाद में जिस रूप में भी सदन, वह कमेटी चाहे या सरकार चाहे, उसको कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा निवेदन अध्यक्ष महोदय, आपसे यही है कि आप मुझे अनुमति दें, इस एक्ट में और कई खामियां बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : खामियां हैं, बता दीजिये आप।

श्री सी० पी० जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो बताऊं अभी, अमेण्डमेंट के अन्दर, इसमें यह नहीं दिया कि एग्रीकल्चर फैकल्टी में भी टीचर काम करते हैं। यह जो सारा कम्पोजीशन किया गया है सलेक्ट कमेटी का उसमें एजूकेशन सैक्रेटरी और डाइरेक्टर कॉलेज एजूकेशन का रख दिया इसलिए उन फेकल्टीज के टीचर्स के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जायगी जो एग्रीकल्चर फेकल्टी में काम करते हैं जिनका वर्क एग्रीकल्चर और रिसर्च है। मैं समझता हूं कि इस पार्ट को इसमें बिल्कुल ही ओमिट कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय इसके साथ

(श्री सी. पी. जोशी)

आपके सामने दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर एक रेगुलर सलेक्शन बोर्ड बना रखा है। माननीय मन्त्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पेज 8 पर—

The ex–cadre posts of Readers shall be filled in by personal promotion on the basis of seniority cum merit.

और इसके ऊपर लिख रखा है, The ex–cadre posts of Professors created in a year shall be filled in by personal promotion on the basis of merit alone.

अब दो तरह के, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्स–केडर प्रमोशन होंगे, एक के लिए तो आपने लिखा सीनियोरिटी–कम–मेरिट का और दूसरे के लिये लिखा है माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरिट से करेंगे। यह दोनों एक दूसरे के कान्ट्रेडिक्टरी है। यह कौनसा न्याय है कि 18 साल की सर्विस है इसलिए तो हम सीनियोरिटी–कम–मेरिट से करेंगे और 12 साल की सर्विस है इसलिए हम सीनियोरिटी–कम–मेरिट से नहीं, केवल मेरिट से करेंगे। मैं समझता हूं यह भी उस टीचर के साथ अन्याय है जो लम्बे समय से सर्विस कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा इसमें सबसे बड़ा लेकूना यह है कि 1976 में राजस्थान गवर्नमेन्ट ने यू.जी.सी. पे-स्केल लागू करते समय यह कन्डीशन लगाई थी कि लेक्चरर पी. एच. डी. होगा।

अगर उसके पास पी० एच०डी० डिग्री नहीं है तो उस का इन्क्रीमेंट तब तक नहीं लगेगा जब तक कि वह डिग्री हासिल नहीं करे। अब 1976 के पहले अगर आप क्वालिफिकेशन एधर करें तब तो बात समझ में आ सकती है। जो लोग 1960 में या 1965 में लेक्चरार बन गये उस समय the qualifications prescribed by the then academic committee of the University थी

उस समय सैकिन्ड क्लास और थर्ड क्लास आदमी भी लेक्चरर बन गये। इस सेक्शन में अगर आप कहते हैं कि १९७६ की आपकी एकेडेमिक कोन्सिल को प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन का आप नहीं मानेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका जो उद्देश्य है वह सारा समाप्त हो जायेगा। जो 60 पुराने टीचर्स हैं जो कि आज की प्रेजेन्ट क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं वह इससे वंचित रह जायेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो यह भी इसमें बहुत बड़ा लेकूना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा इसमें सबसे बड़ा लेकूना यह है कि राजस्थान और उदयपुर यूनिवर्सिटी के बारे में जानता हूं, पांच–पांच साल और 6–6 साल लेक्चरर्स टेम्प्रेरी और एडहाक वहां पर काम करते हैं। अब इसमें एक वर्ड लगा दिया कि रेगुलर सलेक्शन के बाद में 18 साल और 12 साल बाद हम

(श्री सी. पी. जोशी)

उसको कन्फर्म करेंगे। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति, जिसने किसी भी यूनिवर्सिटी में टेम्प्रेरी या एडहाक रूप में काम किया उसकी पांच साल और 6 साल की सर्विस उसके प्रमोशन में काम नहीं आयेगी। माननीय अध्यक्ष, यह भी उसके साथ में अन्याय है। अब तीसरा लेकुना है उसमें लिखा है--

For the purpose of counting eighteen years' service as Lecturer under clause (b) of sub-section (5), service rendered as a Lecturer, Vice-Principal or Principal after regular selection as Lecturer in any college established or run by the State Government shall also be taken into account.

इसका मतलब जो लोग किसी प्राइवेट कालेज में वाइस प्रिन्सिपल या प्रिन्सिपल का काम कर चुके हैं, ऐसे लोगों की सर्विस तो काउन्ट कर देंगे लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कोई लेक्चरर यदि प्रिन्सिपल नहीं बना और किसी प्राइवेट कालेज में लेक्चरर था तो जब वह यूनिवर्सिटी में आयेगा तो ऐसे प्रमोशन के एक्पीरियेन्स को, उस सर्विस को काउन्ट नहीं करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय नहीं है तो क्या है। यह पार्शल एटीट्यूड नहीं है तो क्या है जो प्रिन्सिपल या वाइस प्रिंसिपल कहीं रह गया है वह अगर प्राइवेट सर्विस में रहेगा तो भी उसकी सर्विस काउन्ट करेंगे। एडेड कालेज में रह गया तो काउन्ट करेंगे पर कोई लेक्चरर यदि प्राइवेट कालेज में या एडेड कालेज मे रह गया और पांच साल बाद यूनिवर्सिटी में आकर लेक्चरर रहा तो प्राइवेट कालेज और एडेड कालेज की पांच साल की सर्विस का काउन्ट नहीं करेंगे। यह उस टीचर के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जायेगा इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन के आधार पर जो डिस्क्रीमनेशन की सम्भावना है उसको मैं उस आधार पर सम अप करना चाहूंगा कि जो रेगुलर सलेक्शन की क्वालिफिकेशन है वह उससे एक भी ज्यादा नहीं हो सकती है, पहली चीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज रीडर के सलेक्शन के लिये आपने सीनियोरिटी-कम-मेरिट रखा और रीडर के प्रमोशन प्रोफेसर के लिये आपने मेरिट लिखा, यह भी डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि जो प्रिन्सिपल या वाइस प्रिन्सिपल किसी प्राइवेट कालेज या एडेड कालेज में है, उसकी तो सीनियोरिटी काउण्ट होगी लेकिन जो लेक्चरर रह गया प्राइवेट कालेज में या एडेड में उसकी सर्विस काउन्ट नहीं होगी यह उसके साथ अन्याय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक इसी प्रकार जो यूनिवर्सिटी के अन्दर यूनिवर्सिटी के एक्ट में कोई गड़बड़ होने के कारण या यूनिवर्सिटी की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जिन लोगों ने पांच साल और छः साल टेम्प्रेरी या एडहाक रूप में टीचिंग इम्पार्ट किया उन लोगों की सर्विस को आप काउन्ट नहीं करें यह उन के साथ अन्याय है। इसलिये मैं कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप काम्प्रीहेंसिव बिल लायें, उसमें इन सब चीजो को आधार

(श्री सी.पी. जोशी)

बनायें, 1976 के पहले जिन लोगों ने नौकरी जोइन की उस समय की एकेडेमिक कौन्सिल में या सलेक्शन बोर्ड ने जो क्वालिफिकेशन रखी उसको फुलफिल करते हैं और १८ साल की सर्विस है तो इर्रेस्पेक्टिव आफ दी प्रेजेन्ट क्वालिफिकेशन प्रेस्काइब्ड बाई दी एकेडेमिक कौसल, उनकी १८ साल की सर्विस हो गयी हो तो उनका प्रमोशन होना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के साथ मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूं। अब रजिस्ट्रार के लिये आपने जो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं कहना, मन्त्री महोदय जानते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रार अगर काम्पिटेण्ट है तो रजिस्ट्रार बनाइये, किसी यूनिवर्सिटी में आई०ए०एस० काम्पिटेण्ट है तो वहां पर आप वाइस चान्सलर बनाइये आई०ए० एस० को, और किसी यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार काम्पिटेण्ट है तो उसे बनाइये।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय आधे घन्टे के लिये बढाया जाता है।

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री सी०पी० जोशीः तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तीसरा जो क्लाज अमेन्ड किया रजिस्ट्रार का, किसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं कहना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि तीनों यूनिवर्सिटी के जितने आफिसर्स हैं उन सबके लिये प्राब्लम आयेंगी। आज उदयपुर यूनिवर्सिटी के अन्दर स्टेट आफिसर की पोस्ट है, उदयपुर यूनिवर्सिटी में कन्ट्रोलर की एक पोस्ट है, उदयपुर यूनिवर्सिटी में डी०एम० एफ० की एक पोस्ट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या एन्टीसिपेट नहीं कर पाते कि वहां के लिये भी कुछ लाना पड़ेगा। क्योंकि रजस्थान के अन्दर हमने एक आई०ए०एस अधिकारी को रजिस्ट्रार बना दिया, उसमें, हाई कोर्ट में रिट पिटिशन हो गयी इसलिये उसको अमेन्ड करने के लिये अमेन्डमेन्ट ले आये मैं समझता हूं इसमें भी हमारी फोरसाइटेडनेस की पिक्चर नहीं है। हम चाहेंगे कि जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट क्रियेटेड हैं उन पर, जिन–जिन पोस्टो पर आप आदमियों को लेना चाहते हैं उन आदमियों के लिये क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब कर दीजिये।

(4.55. म.प.)

[**श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सभापति, पदासीन**]

आप जानते है, सभापति महोदय,

(श्री सी. पी. जोशी)

आप जान कर आश्चर्य करेंगे कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनने के लिये पांच साल का एक्जीक्यूटिव एक्सपैरियेन्स रखते हैं यह कौनसा न्याय है ? विश्व-विद्यालय की डिमान्ड एक तरह की हैं उनकी नीड्स एक तरह की हैं उसमें आप क्वालिफिकेशन रख रहे हैं कि रजिस्ट्रार वह बन सकता है जिसको पांच साल एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है। तो स्टेट एडमिनिट्रेशन का अनुभव का उपयोग रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिये क्या काम आ सकता है ? मैं समझता हूं कि यह जो निर्णय लिया है वह भी हमने हेस्ट में निर्णय लिया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में हमने जो 16 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट और 12 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड ट्राइब रखा है, माननीय मन्त्री महोदय, पता नहीं इस बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे कि राजस्थान मे आज जितने टीचर अवेलेबल है शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के, जो आप की यू० डी० सी० की क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हमने कागज में तो रख दिया, 16 पर्सेन्ट और 12 पर्सेन्ट रहेंगे। लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब का कोई आदमी यू०जी०सी० की क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने वाला नौकरी में नहीं है तो प्रमोशन का मतलब ही क्या रहा। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि जिन शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का हम इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वह इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पायेंगे। जब लोगों को मालूम पड़ेगा तब ज्यादा पढ़ाई करेंगे और पी०एच०डी० करेंगे लेकिन आज दिन तक की जो स्थिति है मैं समझता हूं कि यह 16 प्रतिशत और 12 पर्सेन्ट की स्थिति है इसका हमें कटु अनुभव है तो यह अगले बीस साल तक पोस्ट भरी नहीं जायेंगी इसलिये आपका जो प्रस्ताव है वह रिडन्डेन्ट है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस एक्ट में अमेन्डमेन्ट करना चाहते हैं उदयपुर यूनिवर्सिटी में एक्सटेन्शन, रिसर्च और टीचिंग का विंग है हमें एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन और रिसर्च को दिमाग में रखना चाहिये अमेन्डमेन्ट करने के लिये। अब, माननीय सभापति महोदय, एक आदमी उदयपुर यूनिवर्सिटी में 15 साल 20 साल अपना जीवन रिसर्च में ही काम करके गंवा देता है उसमें प्रमोशन का रास्ता कहां है। मुझे कोई तकलीफ नहीं, अब राजस्थान सरकार के मन्त्री और सरकार यह समझती हो कि एजूकेशन कमिश्नर काम्पिटेन्ट है, बहुत बढ़िया, भटनागर साहब काम्पिटेन्ट है मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हर कोई भटनागर साहब हो सकता है, इस बात को आधार मानकर यह अमेन्डमेन्ट किया है तो वह ठीक अमेन्डमेन्ट नहीं है इसके बनिस्बत चान्सलर के द्वारा नोमिनेट किया हुआ कोई एजूकेशनिस्ट हो चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे वह एजूकेशन फील्ड का हो, अगर इस कमेटी में मेम्बर होगा तो इसमें न्याय होगा। माननीय सभापति महोदय, उसकी तनख्वाह कितनी है ? आज एक चपरासी का सलेक्शन करने के लिये प्राब्लम आती है लेकिन एजूकेशन

(श्री सी. पी. जोशी)

कमिश्नर उस प्रोफेसर का सलेक्शन करेगा, जिसकी ग्रेड 1900 से 2500 है, उस रीडर का करेगा जिसकी ग्रेड 1600 से 1900 है, ऐसी हायर पोस्ट के सलेक्शन के लिये एजूकेशन कमिश्नर रखा है। माननीय कल्ला साहब, यह कोई चपरासी का सलेक्शन नहीं है। यह कोई केजुग्रल लेबर का सलेक्शन नहीं है। यह उसकी सर्विस, जिसमें उसने सर्विस रेन्डर की, ग्रौर उस के इवेल्यूएशन का मामला है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस मामले को ग्राप ध्यान से देखें।

. एक इसमें बड़ी चीज है, सभापति महोदय, The expression 'Academic work' in this sub-section shall mean and include guidance of research work, publication of books and research papers in standard journals.

ग्रब, माननीय सभापति महोदय, माननीय कल्ला साहब मुझे बता दें कि ग्रपने इस एजूकेशन फील्ड में स्टेण्डर्ड जनरल कौन कौन से हैं ? क्या उनकी कोई लिस्ट है ? क्या उनका कोई मापदण्ड है ? इसका मतलब हे जिसे स्टेण्डर्ड जनरल मान लेंगे कि यह स्टेण्डर्ड जनरल है उसका तो एक्पीरियेन्स काउन्ट कर लेंगे, जिनको नहीं मानेंगे उनका काउन्ट नहीं करेंगे। यह यार्ड स्टिक नहीं है क्वालिफिकेशन का। ग्रापने यह भी लिखा है उसमें, पब्लिकेशन ग्राफ बुक्स। ग्रब पब्लिकेशन ग्राफ बुक्स कौनसा ? कोई जयपुर का राज प्रकाशन का मानेंगे या कोई स्टेण्डर्ड बुक्स पब्लिकेशन है उसको ग्राप मानेंगे यह भी यार्ड स्टिक क्लियर नहीं है। इसलिये माननीय सभापति महोदय, जो ग्रापने एक्सप्लेनेशन लिखा है

The expression 'Academic work' in this sub section shall mean and include guidance of research work, publication of books and research papers in standard journals.

ग्रब गाइडेन्स ऑफ रिसर्च वर्क है, माननीय सभापति महोदय, कोई काम करवाता है उसको ग्राप गाइडेन्स वर्क मानेंगे, कोई रिसर्च वर्क कराता है उसको ग्राप गाइडेन्स वर्क मानेंगे या उसका कोई वर्क ज्यादा है, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, गवर्नमेन्ट ग्रॉफ इण्डिया उनको स्कालरशिप दे रही है, क्या उसका वह काम गाइडेन्स में ग्रायेगा या नहीं ग्रायेगा, यह इसमें क्लियर नहीं है, या पी. एच. डी. करने वाला है उसको ग्राप मानेंगे, या कोई प्रोजेक्ट गवर्मेन्ट ग्राफ इंडिया का एग्रीकलचर में चल रहा है उसको मानेंगे जो ग्रलग ग्रलग ग्राई. सी. ए. आर. में लोग हैं, उनके प्रोजेक्ट में काम करने वाले ग्रादमी को ग्राप रिसर्च मानेंगे या नहीं मानेंगे यह भी इसमें क्लियर नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर मैं चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यदि एक्स कैडर प्रमोशन करना है तो इसके पीछे जो हमारी मंशा थी वास्तव में वो ग्रध्यापक लम्बे समय तक इस विश्वविद्यालय में है ग्रौर जिनके प्रमोशन के एवेन्यू नहीं हैं उनके प्रमोशन एवेन्यू हों।

(श्री सी. पी. जोशी)

आज एक आदमी आर. ए. एस. अधिकारी बनता है तो, माननीय सभापति महोदय, उसको सलेक्शन ग्रेड मिलती है, सीनियर स्केल मिलेगी और आई. ए. एस. आफिसर भी बनेगा। एक आई. ए. एस. आफिसर बैठा हुआ है उसको सीनियर ग्रेड मिलेगी और उसको सुपर टाइम स्केल भी मिलेगी। आश्चर्य की बात है कि इस विश्वविद्यालय में काम करने वाले मास्टर की यह हालत कर दी की केजुअल लेबर से भी ज्यादा हालत खराब है, उसकी १२ साल की सर्विस, उसकी १८ साल की सर्विस है उसका इवेल्यूएशन भी करेगा, एजूकेशन कमिश्नर। माननीय सभापति महोदय, यह उन सब टीचर्स के साथ अन्याय है जिनका अपना स्वतन्त्र काम करने का तरीका है। विश्वविद्यालय टीचर के इवेल्यूएशन का मापदण्ड यदि हम चपरासी और केजुअल लेबर के आधार पर करना चाहें तो, माननीय सभापति महोदय, मेरे जैसे व्यक्ति को कम से कम यह कहना पड़ेगा कि यह टीचिंग के प्रति एकेडेमिक आनेस्टी नहीं है। हो सकता है कि आज जो विश्वविद्यालय की स्थितियां हैं उन स्थितियों के लिये हम टीचर्स भी जिम्मेदार हैं। लेकिन उन टीचर्स की जिम्मेदारी के लिये हम समझते हैं कि कुछ आई. ए. एस. ऑफिसर कुछ सुधार कर सकते हैं तो मैं उसे सही नहीं मानता हूं।

इसलिए मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी इंटेंशन कितनी भी फेयर हो, लेकिन जो प्राब्लम है उसको सोच कर आने वाले सालों में जो स्थिति बन सकती है उसके आधार पर कानून बनायें। कानून की मंशा यही होती है। हम यहां रहें या नहीं रहें, सदन के सदस्य रहें या न रहें, एजूकेशन कमिश्नर रहें या नहीं रहें, कल्ला साहब मंत्री रहें या न रहें, जो लिखा जा रहा है, जो सही है उसका इवेल्यूएशन हो, यही इसका मापदण्ड बनना चाहिए। आपको इस दृष्टि के साथ विचार करना चाहिये। आशा करेंगे कि जो हमारे तात्कालिक शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है टीचर्स के बारे में, जो अपेक्षा करते हैं उन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित होकर उनके साथ न्याय होगा। उनको प्रमोशन का सही लाभ मिले, इस पर आप गम्भीरता से सोचकर इस पर निर्णय लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समय तो बढ़ा दें।

श्री सभापति : आधा घण्टा के लिए बढ़ा दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा निवेदन करना यह है कि इस चर्चा का अन्त नहीं होगा। अभी चीफ व्हिप से इस सम्बन्ध में मेरी बातचीत हुई है कि इसके ऊपर बाद में विचार-विमर्श कर लिया जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, अभी अध्यक्ष महोदय के कक्ष में विरोधी दल के नेता, सिंचाई मंत्री और मैंने विचार विमर्श किया है कि

(श्री खेतसिंह राठौड़)

इसमें कुछ ऐसे क्लाज हैं जिनके बारे में निश्चित तौर पर बैठकर एक दफा और विचार कर लिया जाए। विरोधी दल के नेता यह चाहते हैं कि इस क्लाज को यहीं रखकर मिनिस्टर साहब का रिप्लाई नहीं हो। अपन बैठकर तय करेंगे जिस तरह से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण का बिल लिया था और उसको पास किया था उसी प्रकार इस पर विचार कर पास कर लेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि डिबेट को यहीं समाप्त करते हुए आज सभा की कार्यवाही स्थगित की जाए।

श्री सभापति : सभा की कार्यवाही कल दिनांक 29 मार्च, 1984 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.03 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 29 मार्च, 1984 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 38 की सूची

जयपुर मण्डल

क्र. स.	जिले का नाम	पुरुष (रिक्त पद)				महिला (रिक्त पद)				
		I	II	III	योग	I	II	III	योग	कुल योग
1.	जयपुर	4	42	+	46	+	3	+	3	49
2.	अजमेर	1	36	+	37	+	+	+	—	37
3.	अलवर	3	9	11	23	1	+	+	1	24
4.	भरतपुर	1	13	19	33	1	+	+	2	34
5.	धौलपुर	+	5	+	5	1	+	+	1	6
		9	105	30	144	3	3	+	6	150

उदयपुर मण्डल

क्र. सं	जिले का नाम	पुरुष (रिक्त पद) I	II	III	योग	महिला (रिक्त पद) I	II	III	योग	कुल योग
6.	उदयपुर	5	5	+	10	+	+	+	—	10
7.	भीलवाड़ा	+	+	+	—	+	+	+	—	—
8.	चित्तोड़गढ़	6	2	+	8	+	+	+	—	8
9.	बांसवाड़ा	17	2	+	19	+	+	+	—	19
10.	डूंगरपुर	7	2	+	9	+	+	+	—	9
		35	11	+	46	+	+	+	—	46

चूरू–बीकानेर मण्डल

क्र. सं	जिले का नाम	पुरुष (रिक्त पद) I	II	III	योग	महिला (रिक्त पद) I	II	III	योग	कुल योग
11.	चूरू	5	3	+	8	+	5	10	15	23
12.	सीकर	2	8	+	10	+	2	25	27	37
13.	झुंझुनू	4	4	+	8	1	5	25	31	39
14.	श्री गंगानगर	4	36	+	40	2	12	17	31	71
15.	बीकानेर	+	5	7	12	+	4	4	8	20
		15	56	7	78	3	28	81	112	190

कोटा मण्डल

क्र. सं.	जिले का नाम	पुरुष (रिक्त पद) I	II	III	योग	महिला (रिक्त पद) I	II	III	योग	कुल योग
16.	कोटा	9	+	+	9	+	1	1	2	11
17.	टोंक	5	+	+	5	+	1	1	2	7
18.	बूंदी	3	+	8	11	+	+	1	1	12
19.	झालावाड़	5	+	+	5	+	+	1	1	6
20.	सवाईमाधोपुर	5	+	9	14	2	+	11	13	27
		27	+	17	44	2	2	15	19	63

जोधपुर मण्डल

क्र. सं.	जिले का नाम	पुरुष (रिक्त पद) I	II	III	योग	महिला (रिक्त पद) I	II	III	योग	कुल योग
21.	जोधपुर	+	10	+	10	1	3	3	7	17
22.	पाली	10	7	+	17	+	8	7	15	32
23.	सिरोही	4	2	+	6	2	+	3	5	11
24.	जैसलमेर	4	1	26	31	+	+	5	5	36
25.	बाड़मेर	9	3	+	12	+	3	18	21	33
26.	नागौर	3	18	8	29	1	2	+	3	32
27.	जालौर	4	4	+	8	+	2	13	15	23
		34	45	34	113	4	14	49	71	184

125

शिक्षा विभाग राजस्थान

मण्डल का नाम	रिक्त पद (पुरुष) 1	2	3	योग	रिक्त पद (महिला) 1	2	3	योग	कुल योग
जयपुर	9	105	30	144	3	3	+	6	150
उदयपुर	35	11	+	46	+	+	+	—	46
बीकानेर–चूरू	15	56	7	78	3	28	81	112	190
जोधपुर	34	45	34	113	4	18	49	71	184
कोटा	27	+	17	44	2	2	15	19	63
	120	217	88	425	12	51	145	208	633

	1	2	3	योग
पुरुष	120	217	88	425
महिला	12	51	145	208
	132	268	233	633

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की बसेज

373. श्री सुरजाराम टाक (नौखा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या 20 सूत्रीय सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति जनजाति/अन्य दलित गरीब तबके के व्यक्तियों को राजस्थान वित्त निगम से ऋण सुविधायें उपलब्ध कर बसें दिलवाई गई थीं ?

(2) क्या बसें राज्य पथ परिवहन निगम में अनुबन्धित के रूप में लगाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितनी बसें 4 सालों के लिए अनुबन्धित की गई थीं ? कृपया नाम मालिक, पता, बस नम्बर एवं अनुबन्धित किये जाने का वर्ष इत्यादि की सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सभी बसें चल रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कितनी बसें बन्द पड़ी हैं तथा क्यों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि परिवहन निगम की कठोर शर्तों एव दरों में मुनासिब बढ़ोतरी नहीं किये जाने से इन बसों को बन्द करना पड़ा ?

(5) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जन जाति के गरीब परिवारों/व्यक्तियों के हितार्थ नियमों में छूट देकर व बसों की रेटों में बढ़ोतरी कर बसों को पुनः चलाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) 79 ऐसी बसें अनुबन्ध पर लगाई गई थीं । वान्छित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) इन बसों में 9 बसें स्वेच्छा से अनुपस्थित हैं तथा एक बस को राजस्थान वित्त निगम द्वारा नीलाम कर दिया गया है व एक बस को राष्ट्रीयकृत मार्ग पर अनधिकृत रूप से चलते हुए पकड़े जाने पर अनुबन्ध मुक्त कर दिया गया है । तत्सम्बन्धी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) जी नहीं ।

(5) अनुबन्धन स्वेच्छा से है । अतः किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिये गये लोन के अन्तर्गत अनुबन्धित वाहनों की सूची

क्र. सं.	वाहन संख्या	नाम मालिक व पता	अनुबन्ध किये जाने का वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	आर.आर.जेड. 289	श्री किशनलाल भंवरलाल, परवतसर, नागौर	1982	
2.	आर.एन.बी. 1921	श्री भागीरथमल मूलचन्द, जयपुर	1982	
3.	आर.एन.बी 1952	श्री ओम प्रकाश हरिकिशन, सवाई माधोपुर	1982	
4.	आर.एन.बी. 4232	श्री भंवरलाल सत्यनारायण, जयपुर	1982	
5.	आर.जे.पी. 3903	श्री बनवारीलाल बीरबल, झुन्झुनू	1981	
6.	आर.आर.एन 5148	श्री नन्दकिशोर हजारीलाल, जोधपुर	1981	
7.	आर.एन.बी 8885	श्री श्यामलाल मदनलाल, पिलानी	1982	
8.	आर.आर.जेड. 183	श्री बन्सीलाल भंवरलाल, पोस्ट ब्यावर, अजमेर	1982	
9.	आर.एन.बी. 339	श्री कृष्णगोपाल भगवानसहाय श्री माधोपुर, सीकर	1982	स्वेच्छा से अनुपस्थित
10.	आर.एन.बी. 1955	श्री रामखिलाड़ी भरोसीलाल सवाई माधोपुर, हिण्डोन	1 82	
11.	आर.जे.एक्स. 2528	श्री नन्दकिशोर सूरजमल, देवली, टोंक	1982	
12.	आर.एस.जेड. 9714	श्री मोहनलाल हरजी, ब्यावर, अजमेर	1981	
13.	आर.एस.जेड 9731	श्री रोशनलाल प्रहलादकुमार, अजमेर	1981	अनधिकृत संचालन करती पकड़े जाने के कारण अनुबंध

(128)

1	2	3	4	5
				फरवरी 83 को समाप्त कर दिया गया।
14.	आर.आर.जेड. 287	श्री रामदेव आशाराम, किशनगढ़, अजमेर	1981	
15.	आर.एन.बी. 9327	श्री सोहनलाल धनस्वरूप, जयपुर	1981	
16.	आर.एन.बी. 1051	श्री रामेश्वरलाल हरलाल, झुन्झुनू	1981	
17.	आर.जे.टी. 8733	श्री बन्सीलाल चुन्नीलाल, पाली	1982	
18.	आर.जे.पी. 3918	श्री नन्दलाल रामेश्वरलाल, झुन्झुनू	1981	
19.	आर.एस.जेड. 9624	श्री धारूलाल गोपीचन्द, ब्यावर, अजमेर	1981	
20.	आर.जे,ई. 7619	श्री प्यारचन्द उदयलाल, भीलवाड़ा	1982	
21.	आर.एन.बी. 2607	श्री गणपतलाल बाबूलाल	1982	दि. 22-2-83 से स्वेच्छा से अनुपस्थित
22.	आर.आर.जेड. 311	श्री प्रहलाद बैरवा राधाकिशन नागौर	1982	
23.	आर.एन.बी. 368	श्री बनवारीलाल बन्शीधर, जयपुर	1981	
24.	आर.एन.बी. 117	श्री हीरालाल भगवानदास, चौमू	1981	
25.	आर.एन.बी. 1655	श्री रामचन्द्र सुरेशचन्द, सीकर	1982	
26.	आर.एन.बी. 914	श्री किशोरलाल पन्नाचन्द, जयपुर	1981	
27.	आर.एन.बी. 7959	कुमारी सुमनलता नानकचन्द, भैंसावर, भरतपुर	1982	
28.	आर.जे.डब्लू. 3211	श्रीमती लीला बाकोलिया, बस्तीराम, जयपुर	1982	

1	2	3	4	5
29.	आर.एन.बी. 224	श्री प्रभूलाल, भागोता, सवाई माधोपुर	1982	
30.	आर.एन.बी. 1072	श्री डूंगरमल सोहनलाल, जयपुर	1981	स्वेच्छा से माह जून, 83 से अनुपस्थित है
31.	आर.एस.ए. 3637	श्री प्यारेलाराम कन्हैयालाल, अलवर	1982	राजस्थान वित्त निगम द्वारा नीलाम की जा चुकी है।
32.	आर.आर.एन. 4135	श्री झावरदास परसराम, जोधपुर	1981	
33.	आर.एन.बी. 6125	श्री मांगीलाल उदयराम, जोधपुर	1982	
34.	आर.आर.एन. 5817	श्री लालचन्द मनोहर, जोधपुर	1982	माह मार्च, 83 से स्वेच्छा से अनुपस्थित है।
35.	आर.जे.एक्स. 2557	श्री रमेशचन्द रामगोपाल, उनियारा, टौंक	1982	
36.	आर.एस.ओ. 3005	श्री हेमराज भवानीशंकर, मांगरोल, कोटा	1981	
37.	आर.आर.जेड. 85	श्री फूलचन्द गिरधारीलाल	1981	
38.	आर.एस.डी. 3105	श्री रामलाल यादराम	1982	
39.	आर.एन.बी. 8021	श्री किशनलाल परमानंद जयपुर	1982	स्वेच्छा से अनुपस्थित
40.	आर.एन.बी. 7095	श्री लालचंद बाबूलाल, जयपुर	1982	
41.	आर.एन.बी. 6050	श्री जगदीश प्रसाद मुंशीराम, जयपुर।	1982	
42.	आर.एन.बी. 6115	श्री रामेश्वरप्रसाद गणपतराम, जयपुर	1982	
43.	आर.एस.ए. 3789	श्री रामप्रसाद रामावतार, अलवर	1982	
44.	आर.एस.एफ. 2698	श्री पन्नाराम रामूराम, बीकानेर	1982	

1	2	3	4	5
45.	आर.आर.वाई. 4653	श्री सुन्दरलाल चौथमल, उदयपुर	1982	
46.	आर.एन.बी. 5011	श्री नन्दराम मदनलाल, दांतारामगढ़, सीकर	1982	
47.	आर.एन.बी. 3242	श्री ईशर ओमप्रकाश, जयपुर	1982	
48.	आर.एन.बी. 3264	श्री चुन्नीलाल पांचीदेवी, सांगानेर, जयपुर	1982	
49.	आर.जे.वी. 3946	श्री सुवालाल गोपीलाल, पचार, सीकर	1982/1984	
50.	आर.एस.डी. 3627	श्री वीसाराम करणसिंह, भरतपुर	1982	
51.	आर.आर.वाई. 3215	श्री प्यारचंद सोहनलाल, उदयपुर	1982	
52.	आर.एन.बी. 2791	श्री तुलसीराम मोहनलाल, ब्यावर, अजमेर	1982	
53.	आर.एन.बी. 5940	श्री करोड़ीलाल जमनालाल जयपुर	1982	
54.	आर.एन.बी. 7885	श्री धनपतराज राजकुमार, जयपुर	1982	
55.	आर.एन.बी. 6522	श्री मालचंद जुगलकिशोर, झुन्झुनू	1982/1984	
56.	आर.एन.बी. 5415	श्री रामचन्द्र मदनलाल, जयपुर	1982	
57.	आर.एन.बी. 3413	श्री गोबिन्दराम केदार, सवाई माधोपुर	1982	स्वेच्छा से माह अप्रेल,83 से अनुपस्थित है।
58.	आर.एन.बी. 6289	श्री रामनारायण देवेन्द्रकुमार सामोद, जयपुर	1982	
59.	आर.एस.ए. 3933	श्री सम्पतराम अशोककुमार, अलवर	1985	

1	2	3	4	5
60.	आर.एन.बी. 2247	श्री सभावचंद बनवारीलाल, प्रतापपुरा, झुंझुनू	1982	5-7-83 से स्वेच्छा से अनुपस्थित
61.	आर.एस.डी. 3081	श्री गिरवरप्रसाद टीकमसिंह, नदबई, भरतपुर	1982/1984.	
62.	आर.एस.डी. 3691	श्री नत्थीलाल अमरसिंह, बयाना, भरतपुर	1982	
63.	आर.एस.डी. 3673	श्री ईश्वरसिंह मंगलसिंह, बयाना, भरतपुर	1982	
64.	आर.जे.यू. 2919	श्री हरीचरणलाल मांगीलाल, सवाई माधोपुर	1982	
65.	आर.एन.बी. 1971	श्री चमनलाल दीपककुमार, जयपुर	1982	10-2-83 से स्वेच्छा से अनुपस्थित
66.	आर.एस.ए. 5862	श्री फतेहसिंह बुद्धराम मीणा, अलवर	1983	
67.	आर.जे.यू. 3026	श्री छाजूराम नानगराम मीणा सवाई माधोपुर	1982	
68.	आर.एन.डी. 351	श्री बिरधीलाल राजाराम, बूंदी	1982	
69.	आर.एस.ए. 5354	श्री शंकरलाल रामबक्स, अलवर	30-11-82	
70.	आर.जे.जी. 3725	श्री शिवशंकर ट्रांसपोर्ट, हिण्डोली, बूंदी	1982	
71.	आर.एस.डी. 4315	श्री कन्हैयालाल मीणा, टोडा भीम, सवाई माधोपुर	1982	
72.	आर.जे.वी. 4181	श्री कुन्दनलाल मल्लीराम मीणा सीकर	1982	5-7-83 से स्वेच्छा से अनुपस्थित है

(132)

1	2	3	4	5
73.	आर.एस.डी. 4172	श्री बटाईसिंह मोहनसिंह, धौलपुर	1982	
74.	आर.एस.ए. 4837	श्री ओमप्रकाश लक्ष्मीनारायण अलवर	1982	
75.	आर.जे.यू. 2838	श्री रमेशचन्द गंगापुर, सवाई माधोपुर	1982	
76.	आर.आर.जेड. 881	श्री कैलाशचन्द भूथालाल खटीक, नागौर	1982	
77.	आर.आर.जेड. 867	श्री भंवरलाल रामदेव, ब्यावर अजमेर	1982	
78.	आर.एन.बी. 7587	श्री कैलाशचन्द रामकरण मीणा दौसा	1982	
79.	आर.एन.बी. 2841	श्री मूलचन्द लक्ष्मणदास, आतेला, जयपुर	19-7-83	

राजस्थान वित्त निगम से ऋण लेकर अनुसूचित जाति जन/जाति के व्यक्तियों द्वारा परिवहन निगम के साथ अनुबन्ध पर लगाई गई वाहनों में से स्वेच्छा से अनुपस्थित एवं अनुबन्ध से हटाई गयी वाहनों की सूची—

क्र. सं. 1	वाहन संख्या 2	मालिक का नाम व पता 3	विवरण 4
1.	आर.एन.बी. 339	श्री कृष्णगोपाल भगवानसहाय श्री माधोपुर, सीकर	माह सितम्बर, 82 से स्वेच्छा से अनुपस्थित
2.	आर.एम.जेड. 9731	श्री रोशनलाल प्रहलादकुमार, अजमेर	अनधिकृत संचालन करती पकड़ी जाने के कारण अनुबन्ध फरवरी, 83 को समाप्त कर दिया गया ।

1	2	3	4
3.	आर एन.बी. 2607	श्री गणपतलाल बाबूलाल	दिनांक 22-2-83 से स्वेच्छा से अनुपस्थित
4.	आर.एन.बी. 1072	श्री डूंगरमल सोहनलाल, जयपुर	स्वेच्छा से माह जून, 83 से अनुपस्थित है।
5.	आर एस.ए. 3637	श्री ख्यालीराम कन्हैयालाल, अलवर	राजस्थान वित्त निगम द्वारा नीलाम की जा चुकी है।
6.	आर.आर.एन. 5817	श्री लालचन्द मनोहर, जोधपुर	माह मार्च, 83 से स्वेच्छा से अनुपस्थित है।
7.	आर.एन बी. 8021	श्री किशनलाल परमानन्द, जयपुर	दिनांक 12-1-84 स्वेच्छा से अनुपस्थित
8.	आर.एन.बी. 3413	श्री गोविन्दराम केदार, सवाई माधोपुर	स्वेच्छा से माह अप्रेल, 83 से अनुपस्थित
9.	आर.एन.बी. 2247	श्री सुभाषचन्द बनवारीलाल, प्रतापपुरा, झुन्झुनु	दिनांक 5-7-83 से स्वेच्छा से अनुपस्थित
10.	आर.एन.बी. 1971	श्री चमनलाल दीपककुमार, जयपुर	दिनांक 10-2-83 से स्वेच्छा से अनुपस्थित
11.	आर.जे.बी. 4181	श्री कुन्दनलाल मालीराम मीणा सीकर	दिनांक 5-7-83 से स्वेच्छा से अनुपस्थित है।

विराटनगर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना

374. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही कि विराटनगर, जिला जयपुर महाभारत कालीन, बौद्ध-कालीन, व मुगलकालीन संस्कृति का केन्द्र रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां

(श्री भंवरलाल शर्मा)

प्राकृतिक मनोहारी छटा भी है ? फिर भी इसे अब तक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित न किये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही कि वहां के महत्व-पूर्ण शिलालेख भी सरकार की उपेक्षा के कारण नष्ट हो रहे हैं ? यदि हां, तो इनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है ?

(4) विराटनगर की खुदाई में मिले अवशेष कहां कहां भेजे गये हैं ? उन्हें विराटनगर में वापस मंगाकर संग्रहालय कायम क्यों नहीं किया गया ? क्या राज्य सरकार इस दिशा में कुछ कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह मूलतः पुरातात्विक स्थल है।

(3) ये शिलालेख एवं स्थल केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। इनकी देखरेख का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है।

(4) विराट नगर की खुदाई में मिली वस्तुएं हवामहल संग्रहालय में रक्खी गई हैं।

रामगढ़ रोड से निकलने वाली ड्रेनेज का निर्माण कार्य

375. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :** क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल नगर में रामगढ़ रोड से दो ड्रेन निकल रही हैं ? जिनको अधूरी ही छोड़ होने से शहर में पानी के फैल जाने से गंदगी हो रही है।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उक्त अधूरी ड्रेनों को पूरा कराने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो उक्त अधूरे कार्य को अभी तक पूर्ण नहीं कराये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार उक्त अधूरी ड्रेनों को शीघ्र पूरी कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। एक ड्रेन का कार्य पूर्ण हो चुका है व दूसरी ड्रेन नं. 29 का वह भाग जो प्राकृतिक नाले में खोदना है, का कार्य शेष है। यह कहना सही नहीं है कि ड्रेनों को अधूरी छोड़ देने से ही कस्बे में गन्दगी हो रही है। गन्दगी होने का कारण प्राकृतिक नाले में कस्बे की गन्दगी व कूड़ा करकट डालने से नाले के बहाव में रुकावट आना है।

(2) जी हां, यह सही है। आश्वासन देने के अनुसार वर्ष 1983–84 में विभाग द्वारा कार्य शुरू करवाया गया है। दो ड्रेनों में से एक ड्रेन का कार्य पूरा हो चुका है व दूसरी ड्रेन भी 1640 फीट खोदी जाकर प्राकृतिक नाले में लगभग 500 फीट की

(सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री)

लम्बाई में कार्य करना शेष है (नालाटेनिंग) शेष कार्य जहां करना है वहां पर शहर की अत्यधिक गन्दगी व कूडा करकट पड़ा हुआ है, जिसको नगर पालिका द्वारा सफाई करने के उपरान्त ही खुदाई का कार्य सम्भव हो सकेगा।

(3) जी हां, जैसे ही नगरपालिका प्राकृतिक नाले में पड़ी हुई शहर की गन्दगी एवं कूड़ा करकट को हटवा देगी, शेष कार्य पूरा करवा दिया जावेगा।

कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी

376. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1983–84 में कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 9 रुपये प्रतिदिन नहीं मिलने के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा क्या निराकरण किया गया? कृपया जयपुर जिले से सम्बन्धित सूचना पंचायत समितिवार सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

वर्ष 83–84 में इस सम्बन्ध में केवल 2 शिकायतें क्लेम प्राधिकारी न्यूनतम वेतन अधिनियम, बांसवांड़ा के यहां विचाराधीन हैं।

जयपुर जिले में भी न्यूनतम वेतन से कम भुगतान देने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अतः पंचायत समितिवार सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम किढाना के उ. मा. विद्यालय भवन का जर्जरित अवस्था में होना

377. **श्री राजबहादुर (भरतपुर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम किढाना तहसील चिड़ावा का उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन कुछ वर्ष पूर्व से अत्यन्त जर्जरित अवस्था में चल रहा है?

(2) क्या सम्बन्धित अधिकारियों का और सरकार का इस ओर बारम्बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद अभी तक इस विद्यालय भवन की हालत सुधारने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है और विद्यालय भवन के टूट कर गिरने का खतरा ज्यों का त्यों बना हुआ है?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों के हित में समय रहते भवन की दशा सुधारने के लिये कुछ करने का विचार करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। भवन जर्जरित नहीं है। मरम्मत की अवश्य आवश्यकता है।

(2) विद्यालय भवन की मरम्मत हेतु वर्ष 1981–82 में रु 2100/– की राशि आवंटित की गई। जिससे आवश्यक मरम्मत

(शिक्षा मंत्री)

की जा चुकी है तथा इस वर्ष भवन की मरम्मत हेतु 16000/– रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं।

(3) भवन की आवश्यक मरम्मत हेतु धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

मुफ्त कानूनी सहायता योजना

378. **श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) एवं श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में मुफ्त कानूनी सहायता योजना कब से आरम्भ की गई ?

(2) इस योजना से अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं कृपया जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार मुफ्त कानूनी सहायता योजना के क्रियान्वयन से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो इसे व्यावहारिक बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में मुफ्त सहायता कानूनी योजना वर्ष 1975 से प्रारम्भ की गई है।

(2) इस योजना से अब तक 2566 लोग लाभान्वित हुए हैं। लाभान्वित लोगों के सम्बन्ध में जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) राज्य सरकार मुफ्त कानूनी सहायता योजना के क्रियान्वयन से सन्तुष्ट है और इस योजना को अधिक कारगर बनाने व जरूरत मन्दों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की भरसक कोशिश की जा रही है। इस योजना को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए राजस्थान विधिक सहायता नियमों में संशोधन करके नये नियम बनाये जा रहे हैं।

विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	50	103	–	–	–	4	4	5	166
2.	अलवर	9	30	–	–	–	–	–	–	39
3.	बांसवाड़ा	10	19	–	–	–	–	–	–	29
4.	बालोतरा	7	18	–	–	–	1	1	–	27
5.	भरतपुर	30	60	–	–	1	–	–	–	91
6.	भीलवाड़ा	17	20	–	–	1	–	–	1	39
7.	बीकानेर	24	40	–	–	2	1	1	–	68
8.	बूंदी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	गंगानगर	3	11	–	–	–	–	–	–	14
10.	चूरू	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	डूंगरपुर	–	–	–	–	2	–	–	–	2
12.	जयपुर सिटी	20	48	–	–	12	21	34	12	147
13.	जयपुर जिला	18	18	–	–	–	–	–	–	36
14.	जोधपुर	5	45	–	–	–	–	–	998	1048
15.	जालौर	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	झालावाड़	–	–	–	–	–	1	2	–	3
17.	झुंझुनू	129	200	–	–	–	1	1	1	332
18.	कोटा	100	146	–	–	–	2	2	2	252
19.	मेड़ता	7	14	–	–	–	–	–	–	21
20.	पाली	14	20	–	–	–	1	4	3	42
21.	सवाईमाधोपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	सीकर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	प्रतापगढ़	25	98	–	–	2	–	–	–	124
24.	टोंक	–	–	–	–	1	–	–	–	1
25.	उदयपुर	21	50	–	–	10	1	2	–	84
	कुल योग	489	940	–	–	31	33	51	1022	2566

सीकर स्थित परिवहन निगम बस स्टेण्ड पर आवश्यक व्यवस्थाएं

379. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :** क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर स्थित परिवहन निगम के एकीकृत बस स्टेण्ड पर वर्षा के कारण चारों ओर पानी भर जाता है तथा यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यात्रियों की सुविधार्थ बस स्टेण्ड पर धूप, वर्षा संबंधी अनुकूल व्यवस्था नहीं है न ही अन्य सुविधायें पर्याप्त मात्रा में हैं ?

(3) क्या यात्रियों की संख्या को देखते हुए निगम वहां शेड, बैठने की व्यवस्था नागरिक सुविधायें आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही है कि माननीय यातायात मंत्री ने कुछ समय पूर्व सीकर बस स्टेण्ड पर आवश्यक व्यवस्था किये जाने का आश्वासन वहां के नागरिकों को दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी.हां।

(2) जी नहीं, वर्तमान में यात्रियों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं।

(3) वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त है।

(4) जी हां, दिये गये निर्देशों के बाद बस स्टेण्ड पर निम्न कार्य करवाये गये हैं :—

1. बस स्टेण्ड पर रु. 66,500.00 की लागत से यात्री प्रतिक्षालय तैयार करवाया गया है जिसमें 3 बुकिंग केबिनें भी बनवायी गयी हैं।

2. बस स्टेण्ड की चारदीवारी के निर्माण हेतु रु. 60,000.00 की राशि स्थानीय अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर के कार्यालय में दिनांक 14-12-83 को जमा करवायी जा चुकी है जिसका निर्माण कार्य उनके द्वारा शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है।

3. बस स्टेण्ड पर जन सहयोग से एक पक्की प्याऊ बनवायी गयी है।

4. यात्रियों के बैठने के लिए बैन्चें बनवाने हेतु वित्तीय स्वीकृति दिनांक 12-3-84 को जारी कर दी गयी है तथा बैन्चें शीघ्र ही तैयार करवायी जा रही हैं।

5. बस स्टेण्ड पर वाटर ड्रेनेज व मिट्टी भरवाने के कार्य से संबंधीत प्रस्ताव

(राज्य मंत्री यातायात)

व अनुमान अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर से प्राप्त हो चुके हैं जो विचाराधीन हैं।

पर्यटन विभाग में रिक्त पद

380. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत 1983-84 वर्ष में पर्यटन विभाग के अधीन कितने पद कब से कब तक रिक्त रहे और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि माउण्ट आबू के पर्यटन विभाग के उप निदेशक का पद ही जयपुर स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही कि विभाग में कार्यक्रम अधिकारी के होते हुए भी एक पर्यटन अधिकारी से यह काम लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 83-84 में पर्यटन विभाग के अधीन रिक्त पद, उनकी अवधि एवं रिक्त रहने के कारणों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

क्र0सं0	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त रहने की अवधि	रिक्त रहने का कारण
1	2	3	4	5
1.	निदेशक	1	दि० 23.8.83 से 20.10.83	तत्कालीन निदेशक के आकस्मिक स्वर्गवास के कारण अब दिनांक 21.10.83 से पद भर लिया गया है।
2.	अतिरिक्त निदेशक (माउन्ट आबू)	1	दि० 2.7.83 से निरन्तर	अधिकारी के स्थानान्तरण के कारण।
3.	सहायक निदेशक	2		
	(बम्बई)		(1) दि० 1.7.83 से निरन्तर	पूर्व अधिकारी के सेवा निवृत्त होने के कारण।
	(मुख्यालय)		(2) दि० 12.2.82 से निरन्तर	पूर्व अधिकारी के स्थानान्तरण के कारण।

1	2	3	4	5
4.	प्रशासनिक अधिकारी (मुख्यालय)	1	दि. 22.11.79 से 25.7.83 तक	यह पद दिनांक 26.7.83 से समाप्त हो गया है।
5.	पर्यटक अधिकारी	2		
	(सवाई माधोपुर)	(1)	दि. 21.10.82 से 1.5.83	पद नया स्वीकृत किया गया था एवं अब पदोन्नति से भर दिया गया हैं।
	(डवोक उदयपुर)	(2)	दि. 16.7.83 से निरन्तर	पूर्व में कार्यरत अधिकारी को पदावनत कर दिया जाने के कारण।
6.	आयोजना सहायक (मुख्यालय)	1	दि. 1.9.83 से निरन्तर	पूर्व में कार्यरत कर्मचारी के सेवा निवृत्त हो जाने के कारण रिक्त है। इस पद को पदोन्नति से भरने की कार्यवाही चल रही है।
7.	शीघ्र लिपिक–ग्रेड–II (माउन्ट आबू)	1	दि. 7.3.82. से 18.11.83	इस पद पर नियुक्ति राज. लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। दि. 19.11.83 से यह पद भर दिया गया है।
8.	सहायक पर्यटन अधिकारी (नई दिल्ली)	1	दि. 2.5.83 से 16.7.83 तक	पूर्व में कार्यरत कर्मचारी की पदोन्नति पर्यटन अधिकारी के पद पर होने के कारण। अब यह पद भर दिया गया है।
9.	इलेक्ट्रीशियन-कम-वायर मैन (मुख्यालय)	1	दि. 21-10-82 से निरन्तर	पूर्व में राज्य सरकार द्वारा नवीन नियुक्तियों पर पावन्दी लगाये जाने के कारण यह नव सृजित पद रिक्त रहा। जिस पर दिसम्बर, 83 में

(142)

1	2	3	4	5
				छूट प्रदान की गई थी अब इस पद को भरने की कार्य-वाही की जा रही है।
10.	कनिष्ठ लिपिक	5		कनिष्ठ लिपिक की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग करता है।
	(1) बीकानेर	1.	दि. 28–5–81 से 17–6–83 तक	
	(2) कोटा	2.	दि. 28–5–81 से 31–5–83 तक	प्रथम दो नियुक्तियां राज. लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई है। क्रम संख्या 3 व 4 की नियुक्तियां 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनु० जाति के सदस्य द्वारा भरी गई है। क्रम संख्या 5 पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति से की जावेगी। जिसकी कार्य-वाही जारी है।
	(3) मुख्यालय	3.	दि. 3–1–83 से 3–6–83 तक	
	(3) अहमदाबाद	4.	दि. 8–4–80 से 15–6–83 तक	
	(5) सिन्धी कैम्प (जयपुर)	5.	दि. 15–9–82 से निरन्तर	
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4		
	(1) कलकत्ता	1.	दि. 25–10–81 से निरन्तर	राज्य सरकार द्वारा नवीन नियुक्तियों पर पाबन्दी लगाये जाने के कारण पद रिक्त है।
	(2) बम्बई	2.	दि. 10–2–81 से निरन्तर	
	(3) जोधपुर	3.	दि. 3–4–83 से निरन्तर	
	(4) मद्रास	4.	दि. 28–5–81 से 25–7–83 तक	यह पद दिनांक 26–7–83 से समाप्त हो गया है।

भादरा तहसील के कोलोनाइजेशन क्षेत्र के गांवों को आउट आफ फ्लो घोषित करना

381. श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भादरा तहसील के कोलोनाइजेशन क्षेत्र से 30 गांव आउट आफ फ्लो लाइन थे ? क्या उपरोक्त गांवों में से 7 गांवों को आउट आफ फ्लो लाइन घोषित कर काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने का कार्य चल रहा है ?

(2) क्या भादरा तहसील के 23 गांव जो आउट आफ फ्लो लाइन है अभी तक उनको वैसा घोषित नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कोलोनाइजेशन क्षेत्र से आउट आफ फ्लो लाइन घोषित करने से पहले इन गांवों के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता ? यदि हां, तो सरकार कब तक उपरोक्त 23 गांवों को कोलोनाइजेशन क्षेत्र से आउट आफ फ्लो लाइन घोषित कर काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान करा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील भादरा के इन तीस गांवों में से 7 गांवों को आउट आफ फ्लो लाइन घोषित किया जाकर उन गांवों के काश्तकारों को नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष गांवों के सम्बन्ध में उक्त कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) शेष गांवों में जो क्षेत्र भाखरा परियोजना से सिंचित नहीं होगा उसे आउट आफ फ्लो लाइन घोषित कराने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) जी हां। आउट आफ फ्लो लाइन घोषित करने से पहले कोलोनाइजेशन क्षेत्र में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाते।

प्रदेश में अनाधिकृत खनन कार्य

382. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) एवं

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में किन–किन स्थानों पर अनधिकृत खनन कार्य हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में व्यापक पैमाने पर अनधिकृत खनन कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो उससे राज्य सरकार को अनुमानतः कितनी क्षति हो रही है ?

(3) राज्य सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार को

(खनिज मंत्री)

अनधिकृत खनन कार्य होने की सूचना प्राप्त नहीं है ।

(2) जी नही ।

(3) राज्य सरकार ने अनधिकृत खनन कार्य की रोकथाम के लिए 6 उड़न दस्तों का गठन किया जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में समय समय पर चेकिंग कर अनधिकृत खनन की रोकथाम का कार्य करते हैं । इसके अलावा सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता स्वयं द्वारा एवं उनके कार्यालय में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों द्वारा भी समय समय पर क्षेत्र की चेकिंग की जाती है । चेकिंग के दौरान जो मामले अनधिकृत खनन अथवा बिना रवन्ना खनिज भेजने के सामने आते हैं उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

पंचायत काया और बारापाल का विद्युतीकरण

383. **श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति गिर्वा की पंचायत काया और बारापाल के दोनों ओर से बिजली की लाइनें खिंची हुई हैं किन्तु इन पंचायतों के 16 किलोमीटर क्षेत्र में बिजली की सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1984 में पंचायतों को बीस सूत्री कार्यक्रम के "गांवों में उजाला" सूत्र में लिया जावेगा ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि इन गांवों के नागरिकों से प्रार्थना-पत्र भी मांगे गये हैं ? यदि हां, तो उनको कनेक्शन देने की क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) ग्राम काया एवं बारापाल उदयपुर के दक्षिण में स्थित है । इन ग्रामों की सीमान्त लगे ग्राम बलीचा और सेठ जी की कुण्डाल विद्युतीकृत है । काया और बारापाल विद्युतीकरण की स्वीकृति नहीं होने के कारण वर्ष 1984 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम "गांवों में उजाला" सूत्र में विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं है ।

(2) जी नहीं । विद्युतीकरण से पूर्व उक्त ग्रामों में कनेक्शन देना सम्भव नहीं है ।

लक्ष्मणगढ़ में मुन्सिफ कोर्ट का अभाव

384. **श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में मुन्सिफ कोर्ट नहीं होने से यहां के नागरिकों को काफी परेशानियां होती है ? यदि हां, तो यहां मुन्सिफ कोर्ट कब तक खोली जायेगी ?

उत्तर

मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

बस डिपो, नागौर की बसेज

385. **श्री महाराम चौधरी (नागौर)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर बस डिपो में राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें किस-किस माडल की क्रियाशील हैं ?

(2) डिपो बनने से अब तक प्रत्येक वर्ष में बसों की मरम्मत व रख रखाव पर कितना खर्चा होता रहा है ?

(3) क्या नागौर डिपो की बसों में शिकायत एवं सुभाव पुस्तिका और प्राथमिक चिकित्सा का सामान, हार्न, स्टेपनी, टूल उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक उपलब्ध करा दिये जावेंगे ?

(4) नागौर बस डिपो से पिछले एक वर्ष में कितनी बार बस सेवायें रद्द व ब्रेक डाउन किस-किस मार्ग पर हुई और किन-किन कारणों से ?

उत्तर

(1) नागौर आगार में 41 वाहनें हैं जो निम्न माडल की हैं :

वर्ष	वाहनों की संख्या
1973	6
1974	6
1975	1
1976	3
1978	2
1980	18
1981	4
1983	1

(2) नागौर आगार कीर स्थापना से जनवरी, 1984 तक मरम्मत एवं रख रखाव पर निम्न खर्चा हो रहा है जो कि निम्न प्रकार है—

वर्ष	मरम्मत एवं रखाव पर खर्चा
1978-79 (अक्टूबर से)	10-58 लाख
1979-80	35-86 ,,
1980-81	45-80 ,,
1981-82	56-18 ,,
1982-83	58-36 ,,
1983-84 (जनवरी, 84 तक)	42-12 ,,

(3) नागौर आगार की वाहनों में शिकायत पुस्तिकाओं की कोई कमी नहीं है। शेष सामग्री समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है, खर्च होती रहती है एवं उसका पुनर्भरण होता रहता है।

प्राथमिक चिकित्सा सामान—यह उपलब्ध कराये जाते रहे हैं परन्तु यह पाया गया कि यह सामान शीघ्र ही समाप्त हो जाता है अतः निगम ऐसी व्यवस्था के लिये प्रयत्नशील है कि आवश्यकता होने पर प्राथमिक चिकित्सा सामान उपलब्ध हो सके।

(4) वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" और "ब" पर है।

परिशिष्ट "अ"

माह जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983 तक निरस्त की गई बस सेवाओं का मानचित्र

माह	दिनांक	परिचक्र	परिचक्र का नाम	समय	निरस्तीकरण का कारण
1	2	3	4	5	6
जनवरी, 83	1.1.83	1	नागौर–जोधपुर	1215	यात्री भार की कमी
	1.1.83	2	नागौर–डीडवाना	1230	वाहनों की कमी (प्राइवेट मार्गों पर वाहन संचालन करने के कारण)
	3.1.83	1	नागौर–बीकानेर	0930	,, ,,
	5.1.83	1	नागौर–जोधपुर	0900	,, ,,
	8.1.83	1	नागौर–अजमेर	1100	,, ,,
	16.1.83	1	नागौर–अजमेर	1600	यात्रीभार की कमी
	17.1.83	1	नागौर–बीकानेर	1215	,, ,,
	22.1.83	1	नागौर–जोधपुर	1215	,, ,,
	21.1.83	1	नागौर–जोधपुर	1130	,, ,,
	24.1.83	1	नागौर–जोधपुर	1615	वाहन दुघटना होने के कारण
फरवरी, 83	2.2.83	1	नागौर–बीकानेर	0815	चालक के कारण
	7.2.83	1	नागौर–बीकानेर	0700	चालक के कारण
	16.2.83	1	नागौर–अजमेर	0600	यात्री भार की कमी
		2	नागौर–खीवसर	1745	,, ,,
		3	नागौर–डीडवाना	1430	,, ,,
	17.2.83	1	नागौर–अजमेर	0600	,, ,,
		2	नागौर–खिवसर	1745	,, ,,
मार्च, 83	3.3.83	1	नागौर–डीडवाना	1430	चालक के कारण

1	2	3	4	5	6
	17.3.83	1	नागौर–बीकानेर	0730	चालक के कारण
		2	नागौर–जोधपुर	0930	,, ,,
	25.3.83	1	नागौर–बीकानेर	0930	परिचालक के कारण
	28.3.83	2	नागौर–अजमेर	0700	यात्रीभार की कमी होली के कारण
		2	नागौर–कुचेरा	1630	,, ,,
		3	नागौर–डीडवाना	1430	,, ,,
		4	नागौर–जोधपुर	1230	,, ,,
		5	नागौर–बीकानेर	0815	,, ,,
		6	नागौर–डीडवाना	0830	,, ,,
		7	नागौर–नावां	1530	,, ,,
	29.3.83	1	समस्त संचालन	—	धुलण्डी के कारण
	30.3.83	1	नागौर–डिडवाना	1215	चालक के कारण
अप्रेल, 83	6.4.83	1	नागौर–बीकानेर	1330	चालक के कारण
	17.4.82	1	नागौर–जोधपुर	0717	परिचालक के कारण
मई, 83	15.5.83	1	नागौर–अजमेर	0600	परिचालक की कमी से
		2	नागौर–जोधपुर	0700	,, ,,
		3	नागौर–डीडवाना	0730	,, ,,
		5	नागौर–मेड़ता	1700	,, ,,
	16.6.83	1	नागौर–बीकानेर	G815	,, ,,
		2	नागौर–जोधपुर	1215	,, ,,
		3	नागौर–अजमेर	0600	,, ,,
		4	नागौर–डीडवाना	1215	,, ,,
		5	नागौर–डीडवाना	1430	,, ,,
	20.5.83	1	नागौर–डीडवाना	1430	चालक की कमी
		2	नागौर–अजमेर	0600	,, ,,
		3	नागौर–बीकानेर	0930	,, ,,

(402)

1	2	3	4	5	6
	21.5.85	1	नागौर–डीडवाना	1430	चालक की कमी
जून, 83	7.6.83	1	नागौर–कुबेरा	1900	यात्रीभार की कमी
	21.6.83	1	नागौर–जोधपुर	1230	कार्यशाला से
	23.6.83	1	नागौर–जोधपुर	1230	कार्यशाला से
	27.6.83	1	नागौर–डीडवाना	1215	परिचालक के कारण
	29.6.83	1	नागौर–जयपुर	0500	प्राइवेट वाहन ब्रेक डाउन होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई
	30.6.83	1	नागौर–जौधपुर	1230	कार्यशाला से
जुलाई, 83	31,7.83	1	नागौर–बीकानेर	0930	वाहनों की कमी
	26.7.83	1	नागौर–जोधपुर	0930	वर्षा के कारण यात्री
	27.7.83	1	नागौर–जोधपुर	0930	भार की कमी
		2	नागौर–अजमेर	0600	,, ,,
		3	नागौर–अजमेर	0700	,, ,,
		4	नागौर–नावा	1600	,, ,,
	28.7.83	1	नागौर–कोटा	1815	,, ,,
		2	नागौर–डीडवाना	1215	,, ,,
अगस्त 83,	18.8.83	1	नागौर–अजमेर	1445	कार्यशाला से
	20.8.83	1	नागौर–बीकानेर	0815	यात्रीभार की कमी
सितम्बर, 83	10.9.8··	1	नागौर–जोधपुर	0930	कार्यशाला से
अक्टूबर, 83	5.10.83	1	नागौर–अजमेर	1445	परिचालक के कारण
नवम्बर, 83	19.11.83	1	नागौर–जोधपुर	1215	यात्रीभार की कमी
	30.11.83	1	नागौर–बीकानेर	1745	,, ,,

1	2	3	4	5	6
दिसम्बर, 83	1.12.83	1	नागौर–बीकानेर	1745	यात्रीभार की कमी
	10.12.83	1	नागौर–बीकानेर	0830	,, ,,
	12.12.83	1	नागौर–बीकानेर	0830	,, ,,
	11.12.83	1	नागौर–बीकानेर	0830	,, ,,
	13.12.83	1	नागौर–बीकानेर	0830	,, ,,
	14.12.83	1	नागौर–बीकानेर	0830	,, ,,
	15.12.83	1	नागौर–बीकानेर	0830	,, ,,
	24.12.83	1	नागौर–बीकानेर	0700	चालक के कारण
	28.12.83	1	नागौर–जोधपुर	1215	यात्रीभार की कमी
	29.12.83	1	नागौर–जोधपुर	1215	,, ,,
	30.12.83	1	नागौर–जोधपुर	1215	,, ,,
	31.12.83	1	नागौर–जोधपुर	1215	,, ,,

परिशिष्ट—(ब)

माह जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983 तक ब्रेक डाउन हुई बस सेवाओं का मानचित्र

क्रम संख्या	माह मय दिनांक	वाहन संख्या	ब्रेक डाउन होने का स्थान	ब्रेक डाउन का कारण	मार्ग नागोर से
1	2	3	4	5	6
माह जनवरी, 1983					
1.	1.1.81	आर आर एम 399	मेड़ता	ब्रेक फेल	अजमेर
2.	5.1.83	आर एस बी 4524	कुचेरा	डाइनामो ब्रेक	अजमेर
3.	7.1.83	आर आर एम 614	खीवसर	ब्रेक फेल	जोधपुर
4.	7.1.83	आर आर बी 1508	पादू	क्लच प्लेट	अजमेर
5.	8.1.83	आर आर एम 857	नोखा	ब्रेक फेल	बीकानेर
6.	13.1.83	आर एस बी 4122	मेड़ता	प्रेशरप्लेट	अजमेर
7.	13.1.83	आर आर एम 9735	श्रीबालाजी	सी बी रबर	बीकानेर
8.	14.1.83	आर आर बी 6704	जायल	इन्जेक्टर पाइप	डीडवाना
9.	19.1.83	आर एस जी 5284	मेड़ता	प्रेशर प्लेट	अजमेर
10.	20.1.83	आर एस बी 4122	सोयला	सी बी रबर	जोधपुर
11.	20.1.83	आर आर एम 857	टाकला	व्हील निकलने से	जोधपुर
12.	22.1.83	आर आर बी 6015	भेरून्दा	डाइनामा एसम्बली	अजमेर
13.	23.1.83	आर आर एम 1461	सेला	हेड गैस किट	डीडवाना
14.	23.1.83	आर आर एम 871	मेड़ता	ब्रेक डीजल पाइप	अजमेर
15.	24.1.83	आर आर बी 6015	बीकानेर	ब्रेक फेल	बीकानेर
16.	25.1.83	आर एस एम 7157	नोखा	डीजल टैंक	बीकानेर

1	2	3	4	5	6
17.	25.1.85	आर एस बी 4137	जोधपुर	टायर	जोधपुर
18.	25.1.83	आर एस एम 7736	डीडवाना	डाइनामो	डीडवाना
19.	28.1.83	आर एस बी 4 27	नोखा	डीजल पाइप ब्रोकन	बीकानेर
20.	30.1.83	आर एस बी 4137	नोखा	टायर	बीकानेर
माह फरवरी, 1983					
1.	1.2.83	आर एस जी 5284	पुष्कर	इंजन में आवाज	अजमेर
2.	1.2.83	आर एस एम 8112	मेड़ता	गियर बक्स	अजमेर
3.	1.2.83	आर एस एम 9180	बालाजी	टायर	बीकानेर
4.	2.2.83	आर एस बी 8819	फडोद	क्लच प्लेट	डीडवाना
5.	3.2.83	आर एस जी 5284	पुष्कर	इंजन में आवाज	अजमेर
6.	3.2.83	आर एस एम 9180	जोधपुर	टायर से	जोधपुर
7.	5.2.83	आर एस बी 534	भेरून्दा	इंजन में आवाज	अजमेर
8.	6 2.83	आर एस एम 9180	रातड़ी	ब्रेक फेल के कारण	जोधपुर
9.	8.2.83	आर आर एम 3369	जायल	टायर	डीडवाना
10.	10.2.83	आर आर एम 3369	मेड़ता	डाइनामो	अजमेर
11.	15.2.83	आर एस बी 4157	पादू	रेडियेटर से	अजमेर
12.	17.2.83	आर आर एम 871	खीवसर	सी आयल से	जोधपुर
13.	17.2.83	आर आर एम 614	पुष्कर	ब्रेक से	अजमेर
14.	19.2.83	आर एस बी 4087	रातड़ी	एयर लोक	जोधपुर
15.	21.2.83	आर एस बी 4087	जायल	एयर लोक	डीडवाना
माह मार्च, 1983					
1.	2.3.83	आर आर एम 1461	नोखा	एयर लोक	बीकानेर
2.	3.3.83	आर आर एम 5452	पादु	डीजल पाइप ब्रोकन	अजमेर

1	2	3	4	5	6
3.	4.3.83	आर एस बी 4087	बावड़ी	एयर लोक	जोधपुर
4.	5.3.83	आर एस बी 6427	जोधपुर	वाटर बोडी, रेडियेटर	जोधपुर
5.	6.3.83	आर आर एम 3369	जायल	ब्रेक फेल	डीडवाना
6.	12.3.83	आर एस जी 5284	बावड़ी	टायर	जोधपुर
7.	20.3.83	आर एस एम 9325	फडोद	पिछला व्हील निकलने	डीडवाना
8.	21.3.83	आर आर बी 1471	थावला	वाटर पम्प से	अजमेर
9.	23.3.83	आर आर एम 614	नोखा	ब्रेक फेल	बीकानेर
10.	27.3.83	आर एस एम 8112	गोगेलाव	टायर से	बीकानेर
11.	24.3.83	आर एस एम 9734	भांकरोड	डीजल पाइप टूटने से	जोधपुर
12.	27.3.83	आर एस जी 5284	खींवसर	ब्रेक फेल	जोधपुर
13.	31.3.83	आर एस जी 5284	खोडापा	सी बी रबर	जोधपुर
14.	31.3.83	आर आर बी 6075	मेड़ता	रेडियेटर	अजमेर
15.	31.3.83	आर आर बी 1471	भैरून्दा	प्रेशर प्लेट	अजमेर
माह अप्रेल, 1983					
1.	4.4.83	आर आर एम 5452	मेड़ता	एयर लोक	अजमेर
2.	4.4.83	आर एस बी 4098	खींवसर	सेन्टर बियरिंग रबड़	जोधपुर
3.	4.4.83	आर एस एम 9180	रेनडी	डीजल पाइप लीक	जोधपुर
4.	5.4.83	आर एम बी 6703	सरवाड़	डीजल टैंक	कोटा
5.	6.4.83	आर एस बी 4122	नोखा	टायर	बीकानेर
6.	9.4.83	आर आर एम 1461	डीडवाना	गियर ऐक्सल	डीडवाना
7.	13.4.83	आर एस बी 7840	नोखा	टायर	बीकानेर
8.	14.4.83	आर एस बी 4095	नोखा	व्हील सिलेण्डर वाशर	बीकानेर
9.	14.4.83	आर एस एम 5455	अजमेर	एयर लोक	अजमेर

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	16.4.83	आर एस बी 4598		नोखा	सेन्टर बियरिंग रबड़		बीकानेर
11.	17.4.83	आर एस एम 7723		रातड़ी	टायर से		जोधपुर
12.	17 4.83	आर आर एम 857		नोखा	ब्रेक फेल		बीकानेर
13.	18.4.83	आर आर एम 1491		मेड़ता	ब्रेक व प्रेशर प्लेट से		अजमेर
14.	20.4.83	आर आर एम 1461		नोखा	शाफ्ट प्रोपूलर		बीकानेर
15.	22.4.83	आर एस एम 8112		बावड़ी	सेन्टर बियरिंग से		जोधपुर
16.	25.4.83	आर एस एम 7465		अजमेर	प्रेशर प्लेट से		अजमेर
17.	10.4.83	आर एस जी 5284		खीवसर	सेन्टर बियरिंग रबड़		जोधपुर
18.	26.4.83	आर एस बी 4127		नोखा	रेडियेटर से		बीकानेर
19.	28.4.83	आर आर एम 857		नोखा	हैडलाइट से		बीकानेर

माह मई, 1983

1.	2.5.83	आर एस बी 6427		बावड़ी	डायनोमा ब्रेकट से		जोधपुर
2.	2.5.83	,, आर बी 1508		भीनासर	डीजल पाइप व रेडियेटर		जोधपुर
3.	4.5.83	आर आर एम 614		बीकानेर	एयर कन्ट्रोल वाल्व		बीकानेर
4.	7.5.83	आर एस बी 4129		नोखा	टायर से		बीकानेर
5.	14.5.83	आर आर एम 857		नोखा	टायर से		बीकानेर
6.	17.5.83	आर एस एम 7465		मेड़ता	क्लच प्लेट से		अजमेर
7.	18.5.83	आर एस एम 7723		बीकानेर	टायर पंचर		बीकानेर
8.	19.5.83	आर एस बी 534		भैरुंदा	गेयर में आवाज आने से		अजमेर
9.	19.5.83	आर एस बी 4095		सोहीला	ब्रेक फेल से		जोधपुर
10.	24.5.83	आर एस एम 7465		खीवसर	ब्रेक फेल से		जोधपुर

(154)

1	2	3		4	5	6
11.	25.5.83	आर आर बी	1471	तरनाऊ	टायर ब्रस्ट	डीडवाना
12.	25.5.83	आर एस बी	4095	नागड़ी	ब्रेक फैल से	जोधपुर
13.	27.5.83	आर एस बी	4524	पुष्कर	एयर लोक के कारण	अजमेर
14.	27.5.83	आर एस एम	7465	खींवसर	डीजल ओवर फ्लो पाइप	जोधपुर
15.	29.5.83	आर एस एम	7723	श्रीबालाजी	ब्रेक फैल	बीकानेर
16.	30.5.83	आर आर एम	1461	नोखा	सेंटर बियरिंग रबड़	बीकानेर
17.	31.5.83	आर एस बी	4119	नोखा	टायर से	बीकानेर
18.	31.5.83	आर आर एम	857	लोडियाना	टायर से	अजमेर

माह जून, 1983

1.	3.6.83	आर आर एम	6 4	भैरून्दा	ब्रेक फैल	अजमेर
2.	5.6.83	आर एस एम	9325	फिराडेड	कमानी टूटने से	डीडवाना
3.	6.6.83	आर आर एम	5452	बावड़ी	सेन्टर बियरिंग रबड़	जोधपुर
4.	7.6.82	आर एस एम	9325	पुष्कर	ब्रेक फेल	अजमेर
5.	8.6.83	आर एस बी	4129	नोखा	डीजल पाइप से	बीकानेर
6.	9.6.83	आर एस बी	4098	जोधपुर	ब्रेक फैल से	जोधपुर
7.	9.6.83	आर आर एम	614	नोखा	सेन्टर बियरिंग रबड़	बीकानेर
8.	11.6.83	आर आर बी	1508	नोखा	कमानी पत्ते टूटने से	बीकानेर
9.	12.6.83	आर एस एम	9180	बावड़ी	सेन्टर बियरिंग रबड़	जोधपुर
10.	13.6.83	आर आर एम	871	अजमेर	टायर से	अजमेर
11.	19.6.83	आर एस बी	6427	मेड़ता	प्रेशर प्लेट से	अजमेर
12.	23.6.83	आर एस एम	4098	नोखा	टायर से	बीकानेर
13.	24.6.83	आर एस जी	5284	आचल	टायर से	डीडवाना
14.	25.6.83	आर आर एम	2139	पादू	वाटर बोडी से	अजमेर
15.	25.6.83	आर एस एम	9180	भैरून्दा	व्हील स्टण्ड	अजमेर

155

1	2	3	4	5
16. 26.6.83	आर एस एम 8099	परबतसर	इंजन हैड स्टड	परबतसर
17. 29.6.83	आर आर एम 3369	जोरावरपुरा वाटर बोडी से		जोधपुर
18. 30.6.83	आर आर एम 399	देशनोक	स्टेयरींग फ्री होने से	बीकानेर
माह जुलाई, 1983				
1. 1.7.83	आर एस बी 534	मेड़ता	व्हील स्टड ब्रोकन	अजमेर
2. 1.7.83	आर एस बी 4124	मेड़ता	ब्रेक फेल	अजमेर
3. 4.7.83	आर एस बी 4224	कुचेरा	एयर लोक से	अजमेर
4. 5.7.83	आर. आर एम 614	नोखा	टायर व रेडियटर से	बीकानेर
5. 9.7.83	आर एस बी 4122	देशनोक	डाइनमों से	बीकानेर
6. 9.7.83	आर आर एम 2139	खींवसर	सी वी रबर से	जोधपुर
7. 15.7.83	आर एस बी 4127	मेड़ता	सी वी रबर से	अजमेर
8. 19.7.83	आर आर एम 399	पुष्कर	ब्रेक फेल	अजमेर
9. 19.7.83	आर एस एम 7723	खेड़ापा	ब्रेक फेल	जोधपुर
10. 20.7.83	आर एस बी 4127	मेड़ता	सी वी रबर	अजमेर
11. 22.7.83	आर एस एम 9180	बावड़ी	डीजल फ्लेम्पीयल पाइप	जोधपुर
12. 23.7.83	आर एस एम 7465	भीमासर	ब्रेक फेल	बीकानेर
13. 27.7.83	आर एस बी 4099	नोखा	एयर लोक	बीकानेर
14. 28.7.83	आर एस बी 4129	जोधपुर	व्हील स्टड ब्रोकन	जोधपुर
माह अगस्त, 1983				
1. 5.8.83	आर आर एम 857	खींवसर	टायर	जोधपुर
2. 5.8.83	आर आर एम 871	डीडवाना	सी वी रबर	डीडवाना
3. 7.8.83	आर एस बी 4129	बावड़ी	व्हील जाम	जोधपुर
4. 7.8.83	आर आर एम 1461	देशनोक	सी बी रबर व क्लच	बीकानेर
5. 8.8.83	आर एस बी 4095	नागड़ी	टायर से	जोधपुर
6. 10.8.83	आर एस बी 4087	नोखा	ब्रेक फेल	बीकानेर

1	2	3	4	5
7. 18.8.83	आर आर एम 857	नोखा	सी बी रबर	बीकानेर
8. 19.8.83	आर एस बी 4096	लापोलाई	गीयर बाक्स से	अजमेर
9. 19.8.83	आर आर बी 6704	खीवसर	एयर लोक	जोधपुर
10. 19.8.83	आर आर एम 2139	नोखा	सी बी रबर	बीकानेर
11. 20.8.83	आर एस एम 4524	अलाय	रियर एक्सल	बीकानेर
12. 20.8.83	आर आर एम 2139	नोखा	ब्रेक फैल	बीकानेर
13. 22.8.83	आर आर बी 6016	डोडीयाना	डोजल टैंक	अजमेर
14. 23.8.83	आर एस बी 4124	बावड़ी	डाइनमों से	जोधपुर
15. 23.8.83	आर आर बी 6015	भैरून्दा	क्लच प्लेट सैट	अजमेर
16. 24.8.83	आर एस बी 4124	जोधपुर	व्हील स्टड ब्रोकन	जोधपुर
17. 25.8.83	आर एस एम 7465	नोखा	रेडियेटर से	बीकानेर
18. 26.8.83	आर आर एम 399	भैरून्दा	टायर पंचर से	अजमेर
19. 31.8.83	आर आर एम 399	डीडवाना	सी बी रबर से	डीडवाना

माह सितम्बर, 1983

1. 3.9.83	आर एस एम 7465	बकड़ागी	वाटर पम्प	अजमेर
2. 4.9.83	आर आर बी 6015	भैरून्दा	टायर	अजमेर
3. 4.9.83	आर आर बी 1471	मेड़ता	टायर	अजमेर
4. 5.9.83	आर आर बी 6704	खीवसर	कमानी के टूटने से	जोधपुर
5. 5.9.83	आर एस बी 4095	जोरावरपुरा	टायर	जोधपुर
6. 7.9.83	आर आर एम 3369	मेड़ता	टायर	अजमेर
7. 7.9.83	आर एस एम 7736	नोखा	टायर	बीकानेर
8. 8.9.83	आर एस एम 4129	खेडापा	टायर	जोधपुर
9. 8.9.83	आर आर बी 2139	नोखा	टायर	बीकानेर
10. 9.9.83	आर आर बी 6704	गोगालाव	टायर	बीकानेर
11. 9.9.83	आर एस बी 4122	नागौर	टायर	नागौर

1	2	3	4	5	6
12.	11.9.83	ग्रार ग्रार बी 3369	सिपासनी	टायर	जाधपुर
13.	15.9.83	ग्रार ग्रार एम 9325	नागौर	टायर	नागौर
14.	16.9.83	ग्रार एस एम 871	नोखा	टायर	बीकानेर
15.	17.9.83	ग्रार एस बी 399	बावड़ी	सी बी रबर	जोधपुर
16.	18.9.83	ग्रार एस एम 2139	मेडता	सी बी रबर	ग्रजमेर
17.	18.9.83	ग्रार ग्रार बा 6427	बावड़ो	डीजल मैन पाइप	जोधपुर
18.	18.9.93	ग्रार एस बी 6704	नागौर	टायर	नागौर
19.	21.9.83	ग्रार ग्रार एम 3369	नोखा	टायर	बीकानेर
20.	22.9.83	ग्रार एस एम 2139	नोखा	इलेक्ट्रिक वायर	बीकानेर
21.	24.9.83	ग्रार ग्रार एम 4729	नागौर	इलेक्ट्रिक वायर	नागौर
22.	26.9 ა3	ग्रार एस बो 4127	खींवसर	टायर	जोधपुर
23.	27.9.83	ग्रार ग्रार बी 1508	नागोर	टायर	नागौर
24.	27.9.83	ग्रार एस एम 9180	नागौर	सी बी रबर	नागौर
25.	27.9.8›	ग्रार एस बी 4127	नागौर	टायर	नागौर
26.	28.9.83	ग्रार ग्रार एम 2139	नोखा	टायर	बीकानेर
27.	29.9.83	ग्रार ग्रार बी 6704	खींवसर	टायर	जोधपुर
28.	30.9.83	ग्रार ग्रार एम 399	जायल	टायर	डीडवाना

माह अक्टूबर, 1983

1	2	3	4	5	6
1.	3.10.83	ग्रार एस बी 4124	पादू	टायर	ग्रजमेर
2.	8.10.83	ग्रार एस बी 4122	नागौर	टायर	नगौर
3.	8.10.83	ग्रार एस बी 4124	नोखा	टायर	बीकानेर
4.	9.10.83	ग्रार ग्रार एम 857	नोखा	टायर	बीकानेर
5.	10.10.83	ग्रार एस बी 4087	खींवसर	टायर	जोधपुर
6.	12.10.83	ग्रार ग्रार बी 6704	डीडवाना	टायर	डीडवाना

1	2	3	4	5	6
7.	12.10.83	आर एस बी 4127	रातडी	सी बी रबर	जोधपुर
8.	13.10.83	आर एस एम 9180	नागडी	टायर	जोधपुर
9.	14.10.83	आर आर बी 6704	नागडी	टायर	जोधपुर
10.	14.10.83	आर एस बी 8840	रणसीसर	टायर	डीडवाना
11.	16.10.83	आर एस बी 4122	मोहल्ला	टायर व स्प्रिंग	जोधपुर
12.	17.10.83	आर आर एम 857	अलाय	टायर से	बीकानेर
13.	20.10.83	आर एस टी 4124	श्रीबालाजी	ब्रेक फेल	बीकानेर
14.	21.10.83	आर एस एम 9325	नोखा	टायर से	बीकानेर
15.	22.10.83	आर एस बी 534	नोखा	टायर से	बीकानेर
16.	23.10.83	आर आर एम 1461	जायल	टायर से	डीडवाना
17.	23.10.83	आर आर एम 2139	जायल	रेडियर	जोधपुर
18.	25.10.83	आर एस एम 7465	मेड़ता	रेडियर टायर	अजमेर
19.	27.10.83	आर एस एम 9325	जायल	टायर	डीडवाना
20.	28.10.83	आर एस बी 4524	भामसतसर	एयर लाक	बीकानेर
21.	29.10.83	आर एस बी 4525	,,	टायर से	बीकानेर
22.	30.10.83	आर एस बी 4124	भैरून्दा	टायर से	अजमेर

माह नवम्बर, 1983

1.	2.11.83	आर आर एम 1461	खीवसर	टायर से	जोधपुर
2.	2. 1.83	आर एस बी 7819	कुचामन	टायर से	कुचामन
3.	4.11.83	आर एस बी 4127	रासीसर	टायर से	डीडवाना
4.	11.11.83	आर आर बी 6704	मेड़ता	टायर से	अजमेर
5.	15.11.83	आर आर एम 857	खरनाल	टायर से	जोधपुर
6.	15.11.83	आर आर बी 6704	मेड़ता	टायर	अजमेर
7.	19.11.83	आर आर एम 2139	पुष्कर	ब्रेक ड्रम ब्रोकन	अजमेर
8.	21.11.83	आर एस एम 7465	नेतड़िया	गियर एक्सल	अजमेर
9.	21.11.83	आर आर एम 1471	पुष्कर	रियर बाक्स	अजमेर

1	2	3	4	5	6
10.	22.11.83	आर एस बी 4122	नौखा	ब्रेक फेल	बीकानेर
11.	22.11.83	आर एस बी 6427	बाठड़ी	टायर	जोधपुर
12.	26.11.83	आर एस बी 4122	बाठड़ी	क्लच प्लेट ब्रोकन	जोधपुर
13.	28.11.83	आर एस बी 8 99	दौलतपुर	टायर से	कुचामन
14.	29.12.83	आर आर एम 871	मैंकन्दा	सी बी रबर	अजमेर
15.	30.11.83	आर आर एम 614	कुचेरा	एयर लोक	अजमेर
16.	30.11.83	आर एस एम 9180	श्रीबालाजी	एयर लोक	बीकानेर
माह दिसम्बर, 1983					
1.	1.12.83	आर एस बी 4524	खीवसर	स्प्रिंग लोक ब्रोकन	जोधपुर
2.	2.12.83	आर एस बी 8099	डीडवाना	टायर से	डीडवाना
3.	3.12,83	आर आर बी 6015	रेठा	टायर से	अजमेर
4.	5.12.83	आर आर बी 1508	जोरावरपुरा	एयर लोक	जोधपुर
5.	6.12.83	आर एस बी 7840	मेड़ता	टायर से	अजमेर
6.	7.12.83	आर आर एम 2139	गंग शहर	एयर लोक	बीकानेर
7.	7.12.83	आर एस एम 9325	बरागी	ब्रेक से	अजमेर
8.	11.11.83	आर एस बी 6427	बाठड़ी	टायर से	जोधपुर
9.	12.12.83	आर आर एम 857	बांवड़ी	सी बी रबर	जोधपुर
10.	16.12.83	आर एस बी 4124	चकढाणी	सी बी रबर	अजमेर
11.	19.12.83	आर आर एम 399	बीकानेर	टायर से	बीकानेर
12.	19.12.83	आर एस बी 4127	कुचेरा	एफ आई पम्प	अजमेर
13.	19.12.83	आर आर बी 6704	खेड़ापा	फ्रंट एक्सल	जोधपुर
14.	19.12.83	आर आर बी 1508	खीवसर	टायर	जोधपुर
15.	26.12.83	आर एस बी 6427	जोधपुर	इंजन	जोधपुर

राज्य होटल निगम संचालक मंडल

386. श्री अमीन खां (शिव) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड के वर्ष 1982–83 में संचालक मण्डल में कितने सदस्य रहे तथा कितनी अवधि के लिये रहे ? निगम के संचालक मण्डल की वर्ष 1982–83 में हुई बैठकों की संख्या क्या थी और प्रत्येक बैठक में संचालकों की उपस्थिति क्या रही ?

(2) क्या उक्त संचालक मण्डल द्वारा होने वाली बैठकें समस्त वैधानिक अहर्ताएं पूर्ण करती हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड के वर्ष 1982–83 में संचालक मण्डल में निम्न सदस्य निम्न प्रकार से रहे :—

सदस्य का नाम	अवधि
1. श्री आनन्द प्रसाद	1.4.82 से 31.3.83 तक
2. श्री सुधीर वर्मा	1.4.82 से 24.8.82 तक
3. श्री एस. पी. विश्नोई	27.9.82 से 31.3.83 तक
4. श्रीमती कृष्णा भटनागर	1.4.82 से 31.3.83 तक
5. श्री शाह कस्तूरमल	1.4.82. से 31.3.83 तक

निगम के संचालक मण्डल की वर्ष 82–83 (1.4.82 से 31.3.83) में कुल चार सभायें बुलाई गई थीं परन्तु दिनांक 31.12.82 को बुलाई बैठक को आगामी तिथि तक स्थगित कर दी गई थी। इन प्रत्येक सभाओं में संचालकों की उपस्थिति निम्न प्रकार रही :—

सभाओं की तिथि	संचालकों की उपस्थिति की संख्या
16 जुलाई, 1982	3 (तीन)
14. सितम्बर, 1982	2 (दो)
21 जनवरी, 1983	4 (चार)

(2) संचालक मण्डल की तीन बैठकें हुईं। तीनों ही बैठकों में कोरम पूर्ण था तथा सभाएं वैधानिक अहर्ताओं के अनुसार नियमित रूप से हुईं।

(161)

चम्बल सिंचित क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति में गिरावट

387. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र में इस क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है व उसका कारण यह नहीं है कि क्षेत्र में दायीं मुख्य नहर क्षेत्र में जो कुछ वर्षों से चावल की पैदावार प्रारम्भ हुई थी वह समाप्त प्रायः हो गई ? यदि हां, तो इस हेतु राज्य सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की ? कृपया विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि दायीं मुख्य नहर के सिंचित क्षेत्र में जो पांच साल में चावल में रकबा था वह भी नहरों में पूरा पानी न मिलने से घटता चला जा रहा है ? यदि हां, तो कृपया गत तीन वर्षों में पंचायत समिति लाडपुरा की सुल्तानपुर, इटावा एवं अन्ता क्षेत्र में बोई जाने वाली चावल की फसल के आंकड़े सदन में प्रस्तुत करें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां ।

पंचायत समिति लाडपुरा, सुल्तानपुर अन्ता एवं इटावा के कमाण्ड क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में चावल की जो खेती हुई है उसकी वर्षवार सूची (अ) संलग्न है ।

तालिका (अ)

(चावल का सिंचित रकबा एकड़ों में)

वर्ष	पंचायत समिति लाडपुरा	पंचायत समिति सुल्तानपुरा		पंचायत समिति इटावा	पंचायत समिति अन्ता	
	दायीं नहर	बायीं नहर	योग नहर	दायीं नहर	दायीं नहर	दायीं नहर
1	2	3	4	5	6	7
1981	809	1151	1960	157	–	37
1982	437	397	833	47	–	1
1983	666	1174	1840	59	–	9

पटवारियों के तबादले

388. **श्री चाव खां** (कामां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पटवारियों के तबादले स्वयं की तहसील से दीगर तहसीलों में नहीं करने के सम्बन्ध में शासन के आदेश हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस नीति पर पुनर्विचार करके पटवारियों का पदस्थापन उनकी स्वयं की तहसील के बजाय निकटतम तहसील में करने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पटवारियों का पदस्थापन सामान्यतया अपने गृह तहसील में किये जाने के आदेश हैं, किन्तु प्रशासनिक कारणों से उसी जिले की अन्य तहसील में भी पटवारी का पदस्थापन किया जा सकता है।

(2) सम्पूर्ण परिस्थितियों पर गहनता से विचार कर पटवारियों के पदस्थापन के सम्बन्ध में हाल ही में राज्य सरकार ने आवश्यक नीति निर्देश जारी कर दिये हैं।

निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर में नये स्कूल खोलना

389. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर के निम्नांकित स्थानों पर सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूलों के लिए जनता व जन प्रतिनिधियों द्वारा बराबर मांग करते रहने के बावजूद वहां पर स्कूल नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं ? अब कब तक सरकार इन गांवों में स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

केसरीसिंहपुरा छात्रा हायर सैकण्डरी स्कूल, धमूर में सैकण्डरी स्कूल लड़कों के लिए, चक 2 वी., मलकाना खुर्द, फुसेवाला दौलतपुरा पक्की, करी, कोनी, धूपालेवाला, ढींगां वाली, राठान, लड्ढावाली, चक 13 क्यू, मोहनपुरा, खाटा, कालया, भड्यांवाली सभी में सैकण्डरी स्कूल तथा मिर्जावाला, हिन्दूमल कोट में लड़कियों का सैकण्डरी स्कूल।

(2) क्या यह भी सही है कि ये सभी क्षेत्र शिक्षा के लिहाज से काफी पिछड़े हुए हैं एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1983–84 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है।

(2) राजस्थान के अनेक हिस्से अभी

(शिक्षा मंत्री)

भी काफी पिछड़े हैं जिन्हें उन्नत करने का प्रयास किया जा रहा है ।

सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित हनुमानजी के मन्दिर की भूमि

390. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले की सांचोर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित हनुमानजी के मन्दिर को भूतपूर्व जोधपुर रियासत द्वारा रु. 5/– धर्मादा शुल्क लेकर दी गई 50 × 50 वर्ग गज जमीन को मन्दिर के पुजारियों ने अवैध रूप से बेच दिया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बेचान के विरुद्ध जनता द्वारा शिकायतें भी की गई हैं ? यदि हां, तो क्या उन शिकायतों की जांच हो चुकी है और अब कब तक कार्यवाही करवा कर यह बेचान निरस्त करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सांचौर जिला जालोर में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर नहीं है ।

(2) भूमि को विक्रय करने सम्बन्धी कोई शिकायत देवस्थान विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

प्रान्त में सब तहसीलों को तहसील का दर्जा

391. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 1 अप्रेल, 1981 से अब तक प्रान्त में कौन-कौन सी सब-तहसीलों को तहसील का दर्जा दिया गया है ?

(2) उक्त सब-तहसीलों की कितनी कितनी आय भू-राजस्व से गत तीन वर्षों में रही है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त तहसीलों में कितने कितने ग्राम थे तथा कितनी आबादी थी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1981 से अब तक राज्य में जिला बाड़मेर में गुडामालानी, जोधपुर में भोपालगढ़, चित्तौड़गढ़ में अरनोद उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया गया है एवं जिला डूंगरपुर में धम्बोला उप तहसील को क्रमोन्नत कर सीमलवाड़ा नई तहसील बनायी गई है ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(164)

सूची

क्र.सं.	नाम पूर्व उप तहसील	भू-राजस्व से आय		
		1981-82,	1982-83	1983-84 (29.2.84) तक
1	2	3	4	5
1.	गुढामालानी	300262	185198	600142
2.	भोपालगढ़	इस तहसील का निर्माण ओसियां व बिलाड़ा के ग्रामों को मिलाकर किया गया था अतः भोपालगढ़ से संबधित भू-राजस्व वसूली का लेखा तहसील ओसियां व बिलाड़ा के साथ रखा जाता था। गत तीन वर्षों से यह क्षेत्र अभावग्रस्त घोषित होने से भू-राजस्व की वसूली निरन्तर स्थगित रही।		
3.	अरनोद	295000	280500	505282
4.	धम्बोद	272567	243434	523890

भाग-3

क्र.सं.	नाम पूर्व उप तहसील	ग्रामों की संख्या	आबादी
1.	गुडामालानी	182	167824
2.	भोपालगढ़	54	69102
3.	अरनोद	174	66465
4.	धम्बोला	503	109680

(165)

वर्ष 1982 की हड़ताल के दौरान दी गयी अग्रिम राशि

392. **श्री तेजपाल यादव (चौमू)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 1982 के दौरान मण्डल कर्मचारियों द्वारा की गयी हड़ताल का मुकाबला करने के लिये सहायक अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ताओं को कितनी अग्रिम राशि दी गयी ?

(2) क्या हड़ताल के समय दी गयी अग्रिम राशि का समायोजन कर लिया गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि का समायोजन किया गया ?

(3) क्या हड़ताल के समय खर्च की गयी राशि का आडिट करवा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल में 1982 के दौरान हड़ताल का मुकाबला करने के लिये अधिशाषी अभियन्ता एवम् सहायक अभियन्ताओं को निम्न राशि अग्रिम दी गई थी:—

अधिशाषी अभियन्ता	24,90,122.00
सहायक अभियन्ता	2,49,45,220.00
	2,74,35,342.00

(2) हड़ताल के दौरान दी गई कुल अग्रिम राशि में से रु. 2,62,39,721.00 का समायोजन किया जा चुका है ।

(3) जी हां, राज्य में वर्ष 1982 में विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल के व्यय का आडिट संबंधित लेखाधिकारियों द्वारा समायोजन से पूर्व कर लिया गया है तथा 1982-83 तक के व्यय का आडिट महालेखाकार, राजस्थान द्वारा अन्य खर्चों के साथ भी किया जा चुका है ।

राष्ट्रीयकृत मोटर यातायात में लगी पूंजी

393. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राष्ट्रीयकृत मोटर यातायात में कितनी पूंजी लग चुकी है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा इसमें वर्ष 1977-78, 1979-80 व 28 फरवरी, 1981 तक कितनी धनराशि, पूंजी, ऋण अथवा अन्य रूप में लगाई गई ?

(3) इसमें कर्मचारियों के वेतन व भत्ते तथा गाड़ियों की मरम्मत का खर्च क्या है ? कृपया अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

(162)

(राज्य मंत्री यातायात)

में दिनांक 31-3-83 को निम्न प्रकार पूंजी लग चुकी है :-

	लाख रुपयों में
1. राज्य सरकार द्वारा पूंजी अंशदान	2132.50
2. केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी अंशदान	908.81
कुल नियोजित पूंजी	3041.31

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1977-78, 1979-80 व 28 फरवरी, 81 तक परिवहन निगम में नियोजित की गई पूंजी का विवरण मानचित्र परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) वांछित विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

(लाख रुपयों में)

मद	1977-78	1979-80	28 फरवरी, 81
1. राज्य सरकार द्वारा पूंजी अंशदान	638.00	1388.00	1703.00
2. मुख्य मंत्री कोष से ऋण	141.50	72.00	30.00
3. भारत सरकार के ऋण (द्वारा राजस्थान सरकार)			
(क) परिवहन विभाग (नगर वाहन सेवा में सुधार हेतु)	19.50	16.50	16.50
(ख) ई. पी. पी. (हाल्फ ए मिलियन जोब प्रोग्राम के तहत)	6.71	6.71	6.71
कुल योग	805.71	1483.21	1756.21

परिशिष्ट "ख"

निगम में वर्ष 1977–78 से वर्ष 1982–83 तक कर्मचारियों के वेतन व भत्ते एवं गाड़ियों की मरम्मत पर खर्च का विवरण पत्र

(लाख रुपये में)

क. सं.	मद	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	1981–82	1982–83
1.	**कर्मचारियों के वेतन व भत्ते**						
	(क) प्रशासन कर्मचारी	58.38	74.64	89.45	205.67	239.06	260.01
	(ख) कार्यशाला कर्मचारी	183.16	219.88	266.53	248.83	294.60	310.84
	(ग) यातायात कर्मचारी	420.42	540.85	709.51	767.43	835.84	825.60
	(घ) पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेचुएटी एवं अवकाश वेतन	46.22	54.12	83.10	152.99	171.11	174.57
	(ङ.) बोनस	45.89	49.27	65.27	65.04	84.96	87.48
		754.07	938.76	1213.86	1439.96	1625.57	1658.50
2.	गाड़ियों की मरम्मत पर खर्च	282.83	372.01	398.92	518.43	608.99	715.59

नोट :—वर्ष 1977–78 से वर्ष 1979–80 के खर्चे निगम के अन्तिम लेखों से लिये गये हैं एवं 1980–81 से 1982–83 तक के खर्चे निगम के प्रोविजनल लेखों से लिये गये हैं ।

कबीर पंथी अस्थल श्रीपुरा, कोटा की भूमि का विवाद

394. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कबीर पंथी अस्थल श्रीपुरा कोटा की 119 बीघा 6 बिस्वा भूमि आराजी भोजा गामच तहसील बूंदी के विवाद का फैसला राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 23–7–64 को करने पर भी अभी तक उक्त भूमि श्रीपुरा अस्थल के नाम दर्ज नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है उक्त मामले में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 125 के अन्तर्गत इन्द्राज दुरुस्ती की कार्यवाही चालू की गई थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 23–7–1964 के राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुसार इस भूमि संबंधी अमलदरामद क्यों नहीं हुआ। इसकी जांच के आदेश दिये जा रहे हैं।

(2) जी, हां। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 125 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही दिनांक 19–10–81 को उपखण्ड अधिकारी बूंदी द्वारा खारिज की गई।

पीपलिया इंजीनियरिंग वर्क्स को कनेक्शन

395. **श्री सुखलाल संणचा** (रायपुर) **एवं श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली जिले के पीपलिया ग्राम में पीपलिया इंजीनियरिंग वर्क्स को बिजली कनेक्शन इसी नाम से दिया हुआ था ? यदि हां, तो कब से ?

(2) यदि नहीं, तो इस उद्योग में उत्पादन कैसे हुआ ?

(3) क्या उक्त उद्योग को जेनरेटर से बिजली दी गई ? यदि हां, तो कितने हार्स पावर की क्षमता के जेनरेटर की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई ?

उत्तर

(1) पीपलिया ग्राम में मैसर्स पीपलिया इंजीनियरिंग वर्क्स को विद्युत कनेक्शन दिनांक 21.9.1977 को इसी नाम से दिया हुआ है।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) उक्त उद्योग को दिनांक 4.2.1981 को 29 के०वी० ए० व दिनांक 15.3.82 को 100 के०वी०ए० क्षमता के जेनरेटर सैट लगाने की विद्युत मण्डल द्वारा अनुमति दी गई है।

राज्य में कृषि कनेक्शनों पर रोक

396. **श्री समरथलाल** (राजगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री समरथलाल)

(1) क्या यह सही है कि पिछले कई महीनों से राजस्थान में कृषि के कनेक्शन बन्द कर रखे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त नीति के अन्तर्गत ही अलवर जिले में भी कनेक्शन बन्द कर रखे हैं ? यदि हां, तो सरकार कनेक्शन कब से देना शुरू करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, कृषि कार्यों हेतु विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

उदयपुर जिला खण्ड और शहर खण्ड, हैण्ड पम्प विभाग में नियुक्तियां

397. **कमलेन्द्र सिंह** (बल्लभनगर) : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उदयपुर जिला खण्ड और शहर खण्ड, हैंड पम्प में नियुक्तियां दी गई जिसकी जानकारी उदयपुर नियोजन कार्यालय में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या नियोजन अधिकारी को इन नियुक्तियों की कोई शिकायत की गई ?

(3) यदि हां, तो नियोजन अधिकारी उदयपुर ने इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां। नियोजन कार्यालय के माध्यम से जो नियुक्तियां की गई हैं उनकी जानकारी विभाग को है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Page No. 210

(172)

परिशिष्ट 3

अतारांकित प्रश्न संख्या 475 की सूची

नहरवार सिंचाई इन्टेंसिटी वर्ष 1970–71 1971–72 एवं 1972–73

दाईं नहरखण्ड सी. ए. डी. अन्ता (प्रतिशत में)

क्र. सं.	नाम नहर	सी. सी. ए.	इन्टेंसिटी 70–71 खरीफ	रबी	योग	इन्टेंसिटी 71–72 खरीफ	रबी	योग	इन्टेंसिटी 72–73 खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1–	नया माइनर	520	1	61	62	—	69.40	69.4	1.9	67.5	69.4
2–	भट्टीपुरा मा	450	—	56.8	56.8	—	63.5	63.5	6	64.9	70.9
3–	मुडला मा,	421	—	14.09	14.9	—	23.9	23.09	1	24.04	24.04
4–	मुडला सब मा.	177	—	20.00	20.00	—	05.00	05.00	—	4.00	4.00
5–	खेडला मूडला मा.	559	1	58.02	59.02	—	73.05	73.05	4.01	74.08	78.09
6–	राजगढ़ मा.	589	1	48.09	49.09	0.5	52.00	52.05	3.05	49.06	53.01
7–	रामगढ़ मा.	427	—	64.09	64.09	—	80.06	80.06	—	82.07	82.07
8–	गुलाबपुरा मा.	423	—	11.03	11.03	—	50.08	50.08	2.08	97.02	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9-	धाकड़खेड़ी मा.	280	1	63.03	64.03	2.04	65.01	67.05	5.08	72.08	78.06
10-	वमूलिया मा.	830	1.08	58.01	59.09	1.02	57.09	60.1	3.0	62.02	65.06
11-	वमूलिया सब माइनर	367	1.02	34.08	36.00	1.02	38.01	39.03	2.08	38.01	40.09
12-	दुगारी मा.	870	3.05	56.00	59.05	3.06	64.05	68.01	7.05	60.02	67.07
13-	मोलकी मा.	485	4.01	50.9	55.00	2.05	45.05	48.00	9.08	52.05	62.03
14-	अन्तामैन मा. एवं सब मा.	639	1.02	68.01	69.03	2.05	75.06	78.01	12.05	73.06	86.01
15-	अन्ता कालोनी माइनर	320	6.9	52.5	59.4	3.4	63.2	66.6	24.1	61.2	85.3
16-	अन्ता स्टेशन मा. एवं सब मा.	732	2.1	50	52.1	6	57	63	12	57	69
17-	रातड़िया मा.	1199	0.8	68.2	69	—	73.6	73.6	12.08	76.7	89.5
18-	बालाखेड़ा मा.	939	3.1	75.7	78.8	0.3	80.2	80.5	12.5	83.1	95.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19–	बालाखेडा सब मा. लैफ्ट	542	—	72.5	72.5	—	68.8	68.8	6.9	78.7	85.6
20–	बालाखेडा सब मा. राइट	330	0.6	93.3	93.9	—	95.7	95.7	15.8	99.7	115.4
21–	धतूरिया डिस्ट्रिब्यूटरी	1108	0.9	68.4	69.3	—	72.6	72.6	14.5	74.1	88.6
22–	पेपेलकलांखुर्द माइनर	841	0.7	59.2	59.9	—	59.9	59.9	4.6	64.7	69.3
23–	पवेलकलां मा.	399	24.4	64.8	89.2	8.0	59.4	67.4	26.8	72.9	99.7
24–	पवेलकलां सब मा. I	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25–	पवेलकलां सब माइनर II	311	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26–	सरकन्या डिस्ट्रि	2827	0.9	60.1	61	0.3	69.5	69.8	9.3	73.3	82.6
27–	बडगांवमैन मा.	1061	3.4	61 3	64.7	1.3	71.6	72.9	10.1	71.5	81.6
28–	बड़गांव मा.	162	—	88.3	88.3	—	72.8	72 8	3.7	34.6	38.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29–	वडगांव सबमा लेफ्ट	331	—	71.09	71.9	—	42.6	42.6	6.6	45.3	52.2
30–	बडगांव 11 मा.	149	2.5	6	8.5	—	43.6	43.6	18.1	87.8	95.9
31–	बडगांव सब मा. राइट	212	5.7	48.1	53.8	—	60.8	60.8	17.0	66.6	83.6
32–	गुडला मा.	117	—	66.7	66.7	—	76.1	76.1	19.7	94.0	113.7
33–	मुडला मा. राइट	195	—	35.4	35.4	—	67.2	67.2	24.1	52.8	76.9
34–	घोडीगांव मा.	932	—	46.1	46.1	—	55.6	55.6	7.0	69.3	76.3
35–	घोडीगांव सब मा.	600	—	51.8	51.8	—	71.2	71.2	3	74.2	77.2
36–	छतरपुरा मा.	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37–	मूडली मा.	1028	1.8	75	76.8	—	74.5	74.5	7.5	81.2	88.7
38–	सरकन्या मा.	156	18.6	46.8	65.4	4	67.8	71.8	20	62.1	82.1
39–	रायथल मा. एवं सब मा.	1748	1,7	55.2	56.9	0.5	59.5	60	11.2	64.8	76.0
40–	पयायथा सब ब्रांच	72.20	7.4	75.7	83.1	6.4	80	86.4	17.4	84.7	102.1
41–	अमलसरा मा.	469	12.2	65	77.2	12.8	83.1	95.9	19.4	85.9	105.3
42–	अमलसरा सब माइनर	675	4.7	61.5	66.2	4.7	65.4	70.1	9.5	67.5	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43–	पलायथी मा.	954	9.9	76.0	85.9	6.8	74.8	81.6	17.2	72.1	89.3
44–	पलायथी सब मा.	303	0.7	63.3	64	2	77.2	79.2	5	67.3	72.3
45–	गोपालपुरा मा.	763	10.8	43.6	55.4	5.4	91.7	97.1	10.9	87.4	98
46–	ठीकरिया मा.	699	16 9	79.1	96	11.2	73.2	84.4	15.2	78.1	93.3
47–	नागदा मा.	533	·3	63.5	65.5	3	58.2	61.2	13.7	67.7	81.4
48–	बिशनखेडी मा.	333	6	41.7	42.3	—	40.9	40.9	9	40.5	41.4
49–	भोज्याखेडी मा.	270	5.9	58.1	64	6.5	60.4	66.9	12.2	100	112.2
50–	लदवाडा मा.	563	0.4	70.8	71.2	—	76.6	76.6	21.8	89.7	111.5
51–	ग्राकीपुरा मा.	263	2	65.8	67.8	4	94.3	94.7	16.9	74.3	91.2
52–	तीकोद मा.	463	4.5	79.7	84.2	3.4	82.1	85.5	22.2	83.8	106
53–	रूपपुरा मा.	827	1	69.1	70.1	0.5	72.6	73.1	13.1	85.2	98.3
54–	पाव्दन्दा मा.	757	4	60.2	64.2	0.7	76.3	77	15.7	76.1	91.8
55–	पाव्दन्दा सब मा.	598	—	38.8	38.8	—	31.1	31.1	1.3	51.1	52.4
56–	पागडली मा.	1013	2.7	30.5	33.2	3.1	38.7	41.8	5.2	49.1	54.3
57–	पापडली सब मा.	399	1 3	34.0	35.3	0.2	41.4	41.6	1	36.4	37.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58–	पलायथा टेललेफट मा.	370	1.3	63	64.3	—	67.0	67.0	15.4	90.3	105.7
59–	पलायथाटेल मा. राइट	523	—	45.1	45.1	—	40.4	40.4	2	56.8	58.8
60–	पलाययाटेल मा. राइट	516	—	44.2	44.2	—	40.7	40.7	12.2	57.6	69.8
61–	टेलराइटसब मा.	308	2.8	61.5	64.3	—	57.5	57.5	3.6	76	79.6
62–	पटावा ब्रांच	15395	9.2	50.8	50.8	1.1	55	56.1	1.4	69.8	71.2
63–	महुम्रा मा.	229	2.2	60.7	62.9	1.5	56.1	57.6	9	81.8	90.8
64–	नवलपुरा डिस्ट्री.	1980	0.1	34.1	34.2	—	29.4	29.4	5.4	44.3	49.7
65–	नवलपुरा मा. लेफ्ट	628	0.8	45.7	46.5	—	58.8	58.8	9.4	40.1	49.5
66–	नवलपुरा मा. राइट	292	1.4	73.6	75	1.4	59.2	60.6	24	69.1	93.1
67–	शाहपुरा डिस्ट्री	2447	2.7	67.2	69.9	3.2	69.1	72.3	13.6	79.8	93.4
68–	पाकलखेडा I	197	0.5	50.3	50.8	2.5	49.8	52.3	22	55.7	77.7
69–	पाकलखेडा II	638	0.2	50	50.2	—	52.2	52.2	12.1	52.5	64.6
70–	पाकलखेडासब मा.	237	1.7	51.0	52.7	—	67.1	67.1	5	58.3	63.3
71–	सीसवाली मा.	278	9	—	9	—	—	—	27	29.5	56.5
72–	सीसवाली लेफ्ट मा.	335	—	49	49	7	55.1	62.1		29.6	29.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73–	सीसवाली राइट मा.	231	1.3	58	59.3	—	74	74	13.4	91	104.4
74–	बन्द्राहेडी मा.	553	0.6	68.5	59.1	1.3	79.4	80.7	14.3	86.1	100.4
75–	तिसाया मा.	404	—	62.1	62.1	0.8	68.0	68.8	8	75.4	83.4
76–	जलौदा डिस्ट्री.	3342	0.5	82.3	82.8	0.5	82.8	83.3	20.5	80.5	101
77–	दौलतपुरा मा.	800	—	35.8	35.8	—	40.9	40.9	1.6	53.2	54.8
78–	कोलाना मा.	945	0.2	52.7	52.9	0.1	62.1	62.2	5	83.8	88.8
79–	खेडली मा.	1516	—	33.8	33.8	0.2	24.1	24.3	4	40.7	44.7
80–	कोलाना मा टेल	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81–	कांकरा डिस्ट्री	1668	0.6	71.2	71.8	0.1	68.9	69.0	—	80.3	80.3
82–	कांकरा मा. I	308	—	77.6	77.6	0.3	80.9	81.2	—	92.2	92.2
83–	कांकरा मा. II	283	—	90.5	90.5	—	96.1	96.1	—	98.9	98.9
84–	ज्यानी मा.	575	—	81.0	81.0	—	100	100	—	89.5	89.5
85–	दूधली मा.	306	—	88.6	88.6	—	84.6	84.6	—	87.9	87.9
86–	डोरली मा.	574	0.4	64.6	65	0.2	69.3	69.5	—	38.3	30.3
87–	भगेना डिस्ट्री.	1356	0,8	63.4	64.2	0.5	36.1	36.6	—	67.3	67.3

(177)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88–	बिनायका मा.	927	—	19.3	19.3	—	56.6	56.6	—	19.3	19.3
89–	बिनायका सब मा. I	560	—	81.4	81.4	—	41.2	41.2	—	94.6	94.6
90–	बिनायका सब मा.	256	0.4	80.1	80.5	—	60.6	60.6	—	91.4	91.4
91–	मूंडली मा.	338	—	95.6	95.6	—	96.9	96.9	—	97.6	97.6
92–	वान्दा मा.	1260	0.3	51.7	52.0	0.1	53.8	53.9	—	55.3	55.3
93–	गगेरागंज मा.	712	0.4	76.8	77.2	1	70.9	71.9	—	81.9	81.9
94–	रणोदीया मा.	1011	0.7	67.1	67.8	0.5	58.2	58.7	—	88.3	88.3
95–	खेड़ली मोहदा मा.	429	—	42	42	—	52.7	52.7	—	78.1	78.1
96.	खेरदा मा.	299	—	59.2	59.2	—	71.6	71.6	—	95	95
97.	लक्ष्मीपुरा मा.	1484	—	48.6	48.6	0.1	47.1	47.2	—	55.1	55.1
98.	इटावा कालोनी	661	3	46.6	49.6	0.7	55.7	56.4	—	70.3	70.3
99.	हनुमान मा.	222	0.5	95.4	95.9	—	89.6	89.6	—	98.6	98.6
100.	गेंता डिस्ट्री.	6138	0.9	74.8	75.5	0.3	76.6	76.9	—	90.7	90.7
101.	डडवाडा मा.	446	—	43.3	43.3	—	44.8	44.8	—	85.6	85.6
102.	रामपुरा मा.	1502	—	60	60	—	51.4	51.4	—	85.5	85.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.	गेंता मा.	472	—	30.5	30.5	—	29.4	29.4	—	28.2	28.2
104.	बमूलिया मा.	910	—	71.1	71.1	—	68.7	68.7	—	68.1	68.1
105.	राजपुरा मा.	577	—	53.7	53.7	0.6	45.0	45.6	—	56.3	56.3
106.	शेरगंज माइनर	1436	—	43.0	43.0	....	52.00	52.00	—	44.00	44.00
107.	कररावाद माइनर	1294	0.2	42.8	43	0.3	41.4	41.7	—	44.8	44.8
108.	सीनोता माइनर	649	0.3	42.8	43.1	—	45.8	45.8	—	27.0	27.0
109.	चक ककरावदा मा.	375	0.3	16.8	17.1	—	23.5	23.5	—	8.8	8.8
110.	करवाड माइनर	1432	—	55.4	55.4	0.1	49.9	50	—	62.6	62.6
111.	राजोपा माइनर	658	0.3	62	62.3	0.2	63.8	64	—	64.4	64.4
112.	खासाली मिडस्ट्री	3717	0.7	70.7	70.9	—	74.2	74.2	—	79.2	79.2
113.	कैशोपुरा माइनर	972	—	45.7	—	—	46.4	46.4	—	62.3	62.3
114.	भोपालगंज माइनर	964	—	51.0	51.0	—	54.0	54.0	—	75.2	75.2
115.	सो[illegible]गपुरा माइनर	1320	—	45.2	45.2	—	54.0	54.0	—	64.2	64.2
116.	खेडली माइनर	602	6.8	58.2	59.0	—	61.3	61.3	—	75.6	75.6
117.	जोरावरपुरा माइनर	557	—	56.6	56.6	—	73.1	73.1	—	76.5	76.5

179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.	भैरुपुरा माइनर	170	—	69.4	69.4	2.5	62.2	64.7	—	55.9	55.9
119.	छतरपुरा माइनर	852	—	42.5	42.5	—	54.1	54.1	—	40.6	40.6
120.	फरेरा माइनर	240	—	38.3	38.3	—	55	55	—	27.5	27.5
121.	फतेहपुरा माइनर	698	1	54	55	—	48.9	48.9	—	42.1	42.1
122.	खातोली माइनर	546	2	51.8	53.8	1.3	61.7	63	—	28.8	28.8
123.	तालाब माइनर	1903	—	46	46	—	56.5	56.5	—	71.3	71.3
124,	इथोली माइनर	1732	1	50.6	51.6	—	59.1	59.1	—	83.1	83.1
125,	खंजारी माइनर	1751	—	25.6	25.6	—	52.2	52.2	—	58.9	58.9
126.	बरनाहाली डिस्ट्री.	1883	1	53.2	54.2	0.4	48.4	48.8	—	58.7	58.7
127.	श्रीपुरा माइनर	392	1.5	59	60.5	—	74.2	74.2	—	93.4	93.4
128.	चकटोडी माइनर	580	0.8	31.1	31.9	0.2	39.3	39.5	—	36.7	36.7
129.	करनाहाली माइनर	289	0.3	44.7	45.0	—	77.8	77.8	—	70.9	70.9
130.	छापोल डिस्ट्री.	2754	—	21.8	21.8	—	30.3	30.3	—	26.2	26.2
131.	रायखेडा माइनर	261	—	59.8	59.8	—	42.9	42.9	—	52.1	52.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.	निमोला डिस्ट्री.	916	—	69.3	69.3	—	79.0	79.0	—	88.7	88.7
13 .	निमोला माइनर	482	—	66.4	66.4	—	40.2	40.2	—	59.5	59.5
134.	अचनगढ़ माइनर	222	—	65.8	65.8	—	84.7	84.7	—	57.7	57.7
135.	जटवाडी माइनर	425	2.5	99.4	101.7	—	32.3	32.3	—	93.3	93.3
136.	गोपालपुरा माइनर	860	—	65.8	65.8	—	58.6	58.6	—	49.8	49.8
137.	उदयपुरा माइनर	529	—	53.5	53.5	—	61.2	61.2	—	57.1	57.1
138.	गवाडी माइनर	343	—	37	37	—	59.4	59.4	—	70.5	70.5
139.	ई. बी. सी, टेल माइनर		—	53.4	53.4	—	10	10	—	7.3	7.3
140.	मूंडला माइनर	785	—	53	53	—	48	48	2	67	69
141.	सींघना माइनर	526	1.3	64.3	65.6	0.5	63.2	63.7	19	49.6	68.6
142.	सींघना माइनर	224	3	75.1	78.1	5	64.6	69.6	35	38.9	73.9
143.	भटवाडा माइनर	579	—	75.6	75.6	—	61.1	61.1	—	93.1	93.1
144.	इन्द्राहेडी माइनर	235	—	79.1	79.1	1	49.6	50.6	5	56.6	61.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145.	जड़ावादिया माइनर	2217	--	25.6	95.6	1.5	28.8	30.3	0.6	36.2	36.2
146.	मांगरोल माइनर	1119	5.5	66.5	72	--	68.6	68.6	13	65.8	78.8
147.	मांगरोल सब माइनर I	642	--	33	33	—	34.4	34.4	—	37.2	37.2
148.	मांगरोल सब माइनर II	332	—	--	—	-	--	--	--	--	--
149.	रीछ माइनर	5116	2	61.6	63.6	0.4	60.8	61.2	10	69.6	79.6
150.	रेलगढ़ माइनर	735	—	52.8	52.8	—	56.7	56.7	2	61.1	63.1
151.	मऊ डिस्ट्री०	1474	2	76.8	78.8	3.2	75.1	78.3	3.5	80.2	83.7
152.	खानपुरिया माइनर	579	2.5	66.6	69	—	64.6	64.6	2.3	72.4	74.7
153.	भावगढ़ माइनर	1093	—	53.6	53.6	—	61.1	61.1	0.4	63.6	64
154.	भावगढ़ सब माइनर	300	—	53.3	53.3	—	63.7	63.7	—	69.3	69.3
155.	भटेडिया माइनर	296	—	73.6	73.6	—	51.1	51.1	—	55.2	65.2
156.	काशीपुरा माइनर	1179	0.6	74.7	75.1	--	80.2	80.2	0.3	80.7	81
157.	काशीपुरा सब माइनर	192	5	83	88	3	90.2	93.2	7	91.6	98.6
158.	बमोरी कला माइनर	255	8	62.6	70.6	8	78.7	86.7	12	76.5	85.5
159.	स्याना ब्रांच	1321	5.6	69	74.6	--	71.1	71.1	12	88	100

(182)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160.	किशनपुरा डिस्ट्री०	3101	3.5	75.1	7[illegible].6	1	89.8	90.8	7.2	94	101.2
161.	बोरदा माइनर	568	0.3	76.1	76.4	—	67.6	67.6	8.5	76.4	84.9
162.	बोरदा सब मांइनर	340	—	93.5	93 5	—	61.2	61.2	1	73.2	74.2
163.	जलौदा माइनर	516	—	37.6	37.6	—	95.7	95.7	—	94 4	94.4
164.	भोज्या हेडी माइनर	852	1	71	72	—	94	94	4.5	99.9	104.4
165.	भोज्या हेडी सब. मा.	351	—	45	45	—	36.8	36.8	—	36.2	36.2
166.	स्याना डिस्ट्री.	4466	1.5	51.7	53.2	0.5	57.6	58.1	3	62.5	65.4
167.	माल बमोरी माइनर	779	1	51.9	52.9	—	64.4	64.4	5.3	67.1	72–4
168.	कंवलदा मा.	1[illegible]03	0.5	52	52.5	—	64	64	8	76	84
169.	विजयपुरा माइनर	904	1.3	50.5	51.8	—	51.4	51.4	8	57	64
170.	विजयपुरा सब माइनर	441	1	88.6	89.6	—	84.6	84.6	5	97.5	102.5
171.	वाघोली मा.	587	0.4	59.1	59.4	—	62.8	62.8	4	55.6	59.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172.	अयाना मा.	759	0.5	35.9	36.4	—	45.6	45.6	2.2	43.7	45.9
173.	अयाना सब माइनर	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174.	कजोलिया मा	3527	1	65.5	66.5	0.2	74.9	75.1	.2	71.7	73.7
175.	कजलिया सब माइनर	347	1.5	75.3	75.8	—	62.8	62.8	—	78:7	78.7
176.	खेड़ली पिपलदा मा.	926	0.2	34.1	43.3	—	63.6	63.6	—	56.3	56.3
177.	ख्यावदा मा.	408	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178:	कुमारिया मा.	989	0.6	51	51.6	—	59.2	59.2	4	67.1	71.1
179.	गणेशपुरा मा.	644	—	55.6	55.6	—	68.6	68.6	3	10.0	603.0
180.	गणेशखेड़ा माइनर	666	2	35.8	37.8	—	12.3	12.3	3	30	33
181.	गणेशखेड़ा व्राग माइनर	278	12	94	106.0	--	94	94	—	80.6	80.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182.	गणेशखेड़ा सब माइनर	189	—	—	—	—	—	—	4.5	0.5	5.0
183.	लुहा वद माइनर	480	1.3	42.2	43.5	2	54.7	56.7	—	57.7	57.7
184.	लक्ष्मीपुरा डिस्ट्री.	7030	0.3	78.4	78.7	0.1	82	82.1	5.8	87.4	93.2
185.	रामपुरा माइनर	348	—	66.9	66.9	—	65.8	65.8	1.8	87.6	89.4
186.	बालापुरा माइनर	564	1	60.5	61.5	5	44.4	49.4	14.4	71.7	85.7
187.	बालापुरा सब माइनर	555	20	71.2	81.2	—	98.2	98.2	23.8	75.3	98.1
188.	अरनिया माइनर	1023	0.2	82.7	82.9	—	86.4	86.4	2.7	87.7	90.4
189.	हरिपुरा डिस्ट्री.	3211	1.1	68.7	69.8	0.8	78.3	7[illegible].1	8.7	80.2	88.0

185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190.	बमोरी माइनर	225	4	58.2	62.2	4	69.3	73.3	12	69.4	81.4
191.	लक्ष्मीपुरा माइनर	652	—	74	74	—	86	86	3	94.9	97.9
192.	हरीपुरा सब माइनर	974	0.2	20	20.2	—	23.3	23.3	0.3	20.5	20.8
193.	लुहावदे माइनर	1877	—	60.4	60.4	—	60.9	60.9	—	63.6	63.6
194.	लुहावद सब माइनर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
195.	बमूलिया माइनर	724	—	37.6	37.6	—	63.7	63.7	0.8	55.9	56.7
196.	देव खेड़ली माइनर	671	—	57.5	57.5	—	59.9	59.9	14	64.4	78.4
197.	मीठोद माइनर	1217	—	57.7	57.7	—	56.4	56.4	3	58.9	61.9
198.	पीपल्दा माइनर	1827	1.3	51.6	52.9	—	66.0	66.0	8.9	71.2	80.1

(188)

नहर द्वार व इन्टेसिटी तालिका सन् 70-71, 71-72, 72-73

दाई, नहर खण्ड प्रथम चम्बल परियोजना सी. ए. डी. कोटा

(प्रतिशत में)

क.	नहर का नाम सी. ए. डी		इन्टेसिटी								
			70-71			71-72			72-73		
			खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कोटा माइनर	1163	19	27	46	12	12	24	13	13	25
2.	कोटरी माइनर	419	50	85	135	64	74	138	66	73	139
3.	किशनपुरा माइ.	2286	18	81	99	20	86	106	21	87	108
4.	हाथी खेड़ा मा.	1665	25	85	110	46	82	128	26	87	113
5.	माचपुरा माइ.	205	40	90	130	26	88	114	45	81	126
6.	हनुमन्त खुरेर माइ,	205	2	91	93	14	96	110	15	96	111
7.	बोरखेड़ा माइ.	165	10	26	36	13	25	38	15	25	40
8.	अर्जुन पुरा माइ.	1288	36	73	109	42	80	122	42	73	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	बोरखण्डी माई.	360	31	27	58	45	83	188	46	84	130
10.	बन्द्रखल माई.	977	23	81	104	25	79	104	26	80	106
11.	खारी बावड माई.	524	27	91	118	25	88	113	25	88	113
12.	रोटेदा माई.	506	37	76	113	26	95	121	28	100	128
13.	रंगलताव	284	11	81	92	18	74	92	19	73	92
14.	सोगरिया माई.	213	53	97	150	28	56	84	29	55	84
15.	रोटदा डिस्ती.	1075	33	83	11[illegible]	29	84	113	28	83	111
16.	नोटान माई.	1605	5	62	67						
17.	नोटा माइनर	473	1	69	70	11	77	88	11	76	87
18.	बदाना माई.	3[illegible]8	46	74	120	26	98	124	25	99	124
19.	गंगाबच माई.	209	27	78	105	60	97	157	65	100	165
20.	गंगा चमाई.	439	13	88	101	10	91	101	10	89	99
21.	गावडी माई.	181	2	80	82	12	93	105	11	92	103
22.	किशनपुरा एक्स्टेशन	859	6	73	79	6	85	91	7	87	94
23.	रंगपुर माई. प्रथम	801	2	86	88	3	55	58	2	54	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	रंगपुर माई.	339	1	31	32	2	59	41	1	20	21
25.	तेवड़ा माई.	285	1	9	10	3	15	18	4	15	19
26.	देवली माई.	353	7	34	41	14	36	50	15	35	50
27.	कनुमुवा माई.	213	28	53	81	23	55	88	35	54	89
28.	रायपुरा काई.	679	33	83	116	14	88	122	36	90	126
29.	सुखपुरा माई.	215	55	88	142	74	98	172	78	99	177
30.	राजनगर माई.	201	5	63	63	8	50	58	9	51	60
31.	धाकड़ खेड़ी माई.	439	10	50	60	80	83	163	82	80	162
32.	कंवपुरा माई.	711	27	90	117	30	88	118	35	89	124
33.	कंवरपुरा माई.	190	3	67	70	5	79	84	6	77	83
34.	उम्मेदपुरा माई.	111	11	29	40	25	59	84	27	60	87
35.	मोतीपुरा प्र.	665	6	57	63	5	70	81	4	75	79
36.	मोतीपुरा द्वि.	204	—	57	57	3	48	51	2	47	49
37.	भीमपुरा माई.	1775	8	80	68	24	63	87	22	61	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	भीमपुरा. माई.	136	60	75	135	34	84	151	76	82	158
39.	जाचपुड़ा माई. प्र.	225	13	63	76	20	59	79	19	58	77
40.	बालपुरा साब माई.	124	5	64	79	24	72	96	23	70	93
41.	आलनिया माई.	257	2	65	67	12	64	76	11	63	74
42.	लाडपुरा माई.	215	23	71	104	25	82	107	24	83	107
43.	कैथून माई.	333	14	36	50	17	42	59	18	41	59
44.	नैनपुरा माई.	341	4	58	62	15	44	59	14	41	55
45.	खेड़ारखूलपुरा माई.	1699	4	68	72	10	72	82	9	71	80
46.	उम्मेदपुरा माई.	253	4	84	88	11	80	91	9	89	98
47.	झालीपुरा डिस्टी.	1272	4	56	60	19	79	98	18	78	96
48.	अलनिया माई.	497	2	43	45	6	60	66	4	54	48
49.	,, द्वि	239	—	17	17	4	60	64	3	58	61
50.	भोजपुरा माई.	561	10	10	10	11	17	28	10	16	26
51.	मण्डनिया नाई.	250	4	84	88	39	94	133	38	93	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	दसलाना माई.	841	8	79	87	31	76	107	30	75	105
53.	बृजराजपुरा	385	7	77	84	15	87	102	14	86	100
54.	रानखुर्डली माई.	220	2	85	87	30	85	115	29	85	1·14
55.	तेवड़ा माई.	1661	0·7	52	52·7	6	71	77	5	70	75
56.	तेवड़ माई.	305	1	57	58	14	57	71	13	56	69
57.	रामराजपुरा माई.	825	2	25	.27	6	17	23	5	16	21
58.	बारलिमा माई.	530	9	65	74	19	69	87	18	67	85
59.	मानखगांव डिस्ट्री.	2708	3	83	86	14	92	106	13	91	104
60.	डगरिया माई.	778	3	40	43	10	53	63	10	52	62
61.	नवावगांव माई.	838	11	74	85	11	79	90	12	79	91
62.	मुडला माई.	1088	3	53	56	8	66	74	7	66	73
73.	काला माई.	155	1	90	91	9	95	104	9	94	103
7[illegible].	मानसगांव माई.	376	0.26	54	54.26	2	65	67	1	65	66
65.	घघटानका माई.	278	11	44	55	24	41	65	24	40	64

Page No. 231

(91)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	देवपुरा माई. प्र.	320	14	56	70	13	65	78	13	65	78
67.	दीगोद माई.	395	16	68	84	14	56	70	13	56	69
68.	कासमपुरा माई.	298	—	36	46	28	55	83	29	55	84
69.	शोली माई. प्र.	595	13	43	56	14	56	70	15	56	71
70.	मन्डावरी माई.	347	1	54	55	6	50	56	5	50	55
71.	कोटसुवा माई.	234	0.4	49	49.4	7	62	69	6	62	68
72.	कोटसुवा माई. टेल	203	25	77	102	31	94	125	32	95	127
73.	दीगोद डिस्ट्री	149	2	71	73	6	69	75	6	69	75
74.	देवपुरा माई. द्वि.	89	10	64	74	15	75	90	15	74	89
75.	दीगोद माई. द्वि.	437	11	53	64	14	61	75	14	60	74
76.	धोली माई.	475	24	46	88	20	50	70	29	49	78
77.	कांकड तलाई मा.	207	5	80	85	7	74	81	10	72	82
78.	फतेहपुरा सब. माई.	237	3	33	36	3	51	54	2	51	53
79.	फतेहपुरा माई.	1221	0·8	67	67.3	13	70	83	12	70	82

Page No. 232

(192)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.	उम्मेदपुरा माई.	267	·3	78	78·3	12	50	62	12	50	62
81.	भगवानपुरा माई.	316	·9	41	41.9	11	54	65	12	54	66
82.	अत्रालिया माई.	508	1	59	60	·8	70	70·8	·9	71	71
83.	अत्रालियास वमा. ई.	158	—	72	72	26	57	·83	27	57	84
84.	छीवड़ दास बमा.	240	4	83	87	7	91	98	6	92	98
85.	हरिपुरा माई.	578	4	69	73	11	79	90	10	79	89
86.	छीपड़दा माई	1870	2	65	67	6	80	86	5	80	85
87.	निमोदा डिस्ट्री	2510	3	60	63	6	73	79	7	72	79
88.	निमोदा माई.	244	—	37	37	16	80	96	16	80	96
89.	चन्द्रावला माई.	217	—	57	57	17	76	93	17	76	93
90.	कल्याणपुरा डिस्ट्री	4536	1·4	65	66·4	11	83	94	11	74	84
91.	कल्याणपुरा माई.	197	11	50	61	24	56	80	24	58	82
92.	उवल्दा माई.	524	12	61	73	19	69	88	19	69	83
93.	पडास लिबामाई.	946	7	57	64	13	84	97	14	81	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.	पड़ासलिया सत्र.	538	7	62	69	14	78	92	14	77	91
95.	कंवरपुरा माई.	163	6	74	80	10	60	70	10	60	70
96.	मेहन्दी माई.	521	·7	100	100·7	7	64	71	7	64	71
97.	कचोलिया माई.	534	·3	50	50	13	58	71	13	58	71
98.	तेरन माई.	575	·2	17	19	10	66	76	9	66	75
99.	झालीमपुरा माई.	572	·1	69	70	12	84	96	11	84	95
100.	झोटोली माई.	1246	—	40	40	11	49	60	1	49	50
101.	कालेश्वर माई.	1627	1	51	52	3	34	37	3	34	37
102.	सीमलिया माई.	236	29	38	67	28	30	58	29	30	59
103.	सीमलिया सबमाई.	85	14	85	99	27	54	81	28	54	82
104.	भोरा डिस्ट्री.	531	6	46	52	12	90	102	12	90	102
105.	गढ़ेपान माई.	1131	6	84	90	11	89	100	12	90	102
106.	खेड़ी महादेप	963	4	47	51	6	51	57	7	52	59
107.	वम्बोरी डिस्ट्री.	933	7	69	76	12	76	88	12	76	88
108.	ग्रामोरा माई.	606	3	68	71	6	83	89	7	81	91

(194)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.	दरबीजी माई.	459	3	66	69	4	76	80	5	76	81
110.	चांपड हैडी. माई.	1694	5	45	455	1	19	20	2	19	21
111.	झोपड़ी माई.	772	6	57	63	2	61	63	2	60	62
112.	डार ब्रान्च	3133	3	47	50	8	56	64	7	55	62
113.	धोरी माई.	846	5	81	86	16	88	104	15	88	103
114.	चौसा माई	380	5	81	86	17	90	107	15	88	104
115.	कच्चाबदा माई.	111	9	80	89	6	81	87	5	80	85
116.	सोमला माइनर	1127	30	37	67	3	61	64	2	60	62
117.	खेड़ली माइनर	516	3	96	99	7	93	100	7	72	79
118.	खेडली माइनर	276	–	55	55	6	42	48	5	42	47
119.	रीछाहेड़ी माइनर	192	–	67	67	7	62	69	7	62	69
120.	सुल्तानपुर	479	4	60	64	13	66	70	12	65	77
121.	सुरेला माइनर	275	4	38	42	12	117	129	12	117	129
122.	सुल्तानपुर मा. प्र.	373	5	75	80	10	83	93	10	82	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.	सुल्तानपुर मा. ड्रि.	252	6	53	59	20	51	71	19	50	69
124.	रामपुरा माइनर	382	2	39	41	6	49	55	6	48	54
125.	नयाबास माइनर	533	4	65	69	11	60	71	11	59	70
126.	शाहपुरा माइनर	953	3	58	61	9	66	75	9	65	74
127.	धनुवा माइनर	633	7	73	80	3	75	78	2	73	75
128.	नोतड़ा माइनर	568	1	69	70	4	73	77	3	73	76
129.	जहांगीरपुरा माइनर	507	—	58	58	—	72	72	—	71	71
130.	नीमली माइनर		—	70	70	—	68	68	—	66	66
131.	खेडली तोरान	239	8	70	78	—	86	86	—	85	85
132.	गेररोली माइनर	997	1	1	61	4	69	73	3	66	69
133.	खेडाभोपाल माइनर	1239	1	7	8	5	58	63	4	57	61
134.	पाली माइनर	500	1	42	43	4	52	56	3	51	54
135.	जोडा हेडी माइनर	325	3	49	49.3	2	72	74	1	71	72
136.	चोपड़ खेड़ी	395	2	78	80	7	91	98	6	80	86

Page No. 236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.	मंडावरा माइनर	637	1	18	19	4	17	21	3	16	19
138.	पीपल्दा सांड	255	2	52	54	6	73	79	6	73	79
139.	झाड लेव माइनर	378	.7	36	36.7	3	40	43	2	40	42
140.	नरपत खेडी माइनर	384	2	66	68	6	91	97	6	91	97
141.	भदारिया माइनर	111	3	81	84	9	99	108	8	100	108
142.	लखसली नो.	263	2	55	57	6	60	66	5	59	64
143.	रामनगर माइनर II	652	--	48	48	2	52	54	2	52	54
144.	आलसलीगर	251	3	59	62	8	72	80	47	71	78
145.	सन्तान पटेल माइनर	1514	.7	72	72.7	3	82	85	2	80	82
146.	बढोद ब्रांच	6659	2	74	76	6	80	86	6	80	86
147.	अमरपुरा सब	924	4	56	60	13	66	79	13	66	79
148.	मोरवा माइनर	2640	7	48	55	20	51	71	21	51	72
152.	किशोरपुर	842	2	41	43	5	51	56	5	50	55
153.	धनसूई माइनर	2579	4	64	68	12	78	90	12	77	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154.	चम्पाखेड़ा माइनर	63	6	38	44	20	48	68	19	46	65
155.	बराना	526	2	25	27	—	29	29	—	27	27
156.	हिनोदिया डिस्ट्री	2224	6	67	73	17	83	100	18	81	89
157.	बिसलाई माइनर	343	20	63	83	57	76	134	57	73	130
158.	सनीधा बावड़ी मा.	2256	2	43	45	64	63	127	66	61	127
159.	बनेठिया माइनर	360	10	25	35	3	39	42	2	37	39
160.	बैरबेड माइनर	254	6	60	66	48	62	80	18	60	78
161.	नैरुला माइनर	803	4	67	71	13	94	107	12	94	103
162.	किशनगंज डिसिटी.	4483	8	70	78	3	30	53	20	49	51
163.	तुडादौत माइनर	214	—	39	39	—	52	52	—	51	51
164.	,, द्वितीय	329	8	38	46	30	30	60	27	30	57
165.	हरीपुरा माइनर	420	7	60	67	20	86	106	21	85	106
166.	डाकरवाड़ा मा.	527	14	55	69	52	38	90	41	48	89
167.	कोटड़ा	449	—	62	62	—	62	62	—	160	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168.	दीपसिंह माइनर	266	—	4	4	44	14	58	62	2	64
169.	बमवादा माइनर	548	5	47	52	2	42	44	1	40	41
170.	ईदलगढ़ माइनर	222	—	28	28	—	78	78	—	76	76
171.	बड़ौद माइनर	1116	4	83	87	14	90	104	12	89	101
172.	उम्मेदपुरा माइनर	498	—	36	36	2	58	60	—	57	57
173.	गदेही माइनर	256	—	47	47	—	48	48	—	46	46

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 477 की तालिका

क्र. सं.	कारखाने का नाम	परिसर में कार्यरत श्रमिकों की संख्या	होम-वर्क्स की संख्या	वार्षिक सूचना प्राप्ति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स रामसिंह शंकरसिंह, अजमेर	14	375	5.4.83
2.	,, प्रेमचन्द इन्द्रसिंह, अजमेर	6	125	7.4.83
3.	,, त्रिलोकचन्द हंसराज, अजमेर	2	18	7.4.83
4.	,, सेवकराम बीड़ी वर्क्स, अजमेर	–	12	12.4.83
5.	,, खण्डेलवाल ब्रादर्स, अजमेर	2	60	28.4.83
6.	,, ठाकुरमल रेवाचन्द, अजमेर	2	95	7.5.83
7.	,, जनता बीड़ी फैक्टरी, अजमेर	3	74	11.5.83
8.	,, दिनेश पटेल फतह लाल, अजमेर	6	4	24.5.83
9.	,, नूहड़ दी शेर बीड़ी वर्क्स, अजमेर	1	9	27.5.83
10.	,, जबरीलाल प्रकाशचन्द्र, अजमेर	–	11	7.6.83
11.	,, गोपाल बीड़ी वर्क्स, अजमेर	–	10	17.6.83
12.	,, मोतीलाल सम्पतलाल, अजमेर	1	6	21.6.83

(200)

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 479 की सूची)

जिला बांसवाड़ा में भूमिहीनों द्वारा किये गये नाजायज
कब्जे की तहसील वार सूची ।

क्रम संख्या	तहसील	अतिक्रमी संख्या	रकबा [एकड़]
1.	बांसवाड़ा	1170	794
2.	गढ़ी	1505	1809
3.	घाटोल	624	426
4.	बागीदोरा	3522	3248
5.	कुशलगढ़	945	1500
		7764	7777

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 484 का विवरण

तहसील मारवाड़ जंक्शन में जून, 1980 से फरवरी, 1984 तक

आवंटित कृषि भूमि का ग्रामवार विवरण (रकबा बीघों में)

तारीख आवंटन	ग्राम	अनुसूचित जाति		अनु० जन जाति		सवर्ण जाति	
		व्यक्ति	रकबा	व्यक्ति	रकबा	व्यक्ति	रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8
16–7–80	बिलौडाकलां	6	20।)4	–	–	4	19॥)2
16–7–80	जोगडावास	–	–	–	–	1	10)2
	अगर कमाण्ड क्षेत्र में नहीं है तो						
16–7–80	सारडी	–	–	–	–	2	2।॥)2
17–7–80	घनला	4	24।॥)	–	–	1	11)4
18–7–80	मलसा अमडी	–	–	–	–	1	॥)3
18–7–80	फुलाद	–	–	–	–	11	17॥)2
19–7–80	ढाल	5	8।॥)2	–	–	16	24॥)4
19–7–80	डिगौर	–	–	–	–	2	1।॥)4
20–7–80	बैरीमादा	1	॥)	–	–	2	।॥)1
20–7–80	राडभालरा	–	–	–	–	4	2।॥)4
20–7–80	सारण	1	4॥)4	–	–	1	2।)4
20–7–80	सिरियारी	–	–	–	–	14	18।)4
21–7–80	भांगड़ा में सीलिंग कृषि भूमि आवंटन का रेकर्ड उपलब्ध नहीं है अपील में पेश है।						
30–8–80	चिरपटिया	2	॥)1	–	–	–	–
12–4–81	काराडी	–	–	–	–	1	1॥)6
24–6–82	बंटालिया	6	42)	–	–	6	43)2
20–1–83	शेखावांस	1	॥)3	–	–	1	9॥)3
6–1–83	बगंला	–	–	–	–	1	।॥)
23–8–83	चवाडिया	2	12।॥)4	–	–	–	–

(202)

तहसील देसूरी में जून, 1980 से फरवरी, 1984 तक हुए आवंटन की सूचना

क्र.सं.	ग्राम का नाम	अनु० जाति आवंटियों की सं.	अनु० जाति रकबा बीघा में	अनु० जन जाति आवंटियों की सं.	अनु० जन जाति रकबा बीघा में	अन्य आवंटियों की संख्या	अन्य रकबा बीघा में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पनोता	–	–	–	–	1	10
2.	सांसरी	–	–	–	–	2	29.15
3.	गुडादुर्जन	–	–	1	5	–	–
4.	कोलर	15	150	1	10	14	148
5.	सुभेर	2	8	–	–	1	10.10
6.	बिदोबा	1	2	–	–	–	–
7.	ढालोप	–	–	2	8	4	12
8.	दादाई	13	60	–	–	1	5
9.	धाणेरा	5	20	2	10	4	19
10.	छोथ	24	145	–	–	12	75
11.	खारड़ा	2	10	–	–	–	–
12.	मांडीगढ़	1	4	–	–	1	6
13.	केसूली	2	10	–	–	–	–
14.	अणेवा	5	20	–	–	10	54
15.	पिलोवनी	–	–	–	–	2	1
16.	माडपुर	3	18	–	–	2	12
17.	सिवाल	–	–	–	–	1	4
18.	मागोल	5	44	10	51	10	89

Page No. 243

203

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नाडोल	2	12	1	8	7	59
20.	गुडाकल्याण	1	15	–	–	1	10
21.	गुड कीटीया	1	10	–	–	1	6
22.	मगरतनाव	3	24	1	8	6	18
23.	गुडाजेताबताए	1	10	2	20	2	20
24	गुडादोलावी	13	108	–	–	13	117
25.	करणव	2	18	–	–	6	76
26.	कोटलोसंकियान	–	–	–	–	1	7
27.	पलानी	2	22	–	–	3	30
28.	तिगी	–	–	–	–	3	35

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 458 की सूची)

सूची I

खान एवं भू-विज्ञान द्वारा विभागीय पूर्वेक्षण कार्य हेतु आरक्षित क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	नाम क्षेत्र व जिला	नाम खनिज	क्षेत्रफल	आरक्षित करने की तिथि	गजट नोटिफिकेशन की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	बालदा, भामरकोटड़ा, लालपुरा, जिला उदयपुर	फोस्फराइट	84.5 व.कि.मी.	5-7-68	25-7-68
2.	निकट ग्राम अंजीनी, जिला उदयपुर	बेस मेटल और एसोसियेटड मिनरल	28.50 ,,	10-9-80	25-9-80
3.	निकट गांव जगतखोड़ी जिला उदयपुर	बेस मेटल खनिज	67.05 ,,	8-5-81	11-6-81
4.	निकट ग्राम भूगोर जिला अलवर	बेस मेटल एवं नोबल मेटल्स	228.00 हेक्टेयर	8-1-81	5-2-81
5.	निकट ग्राम खुइयाला हाबूर जिला जैसलमेर	लाइमस्टोन व बेन्टोनाइट	259.00 कि.मी.	21-10-78	9-11-78
6.	निकट ग्राम कटुन्डा जिला चितौड़गढ़	लाइमस्टोन	18.00 ,,	30-7-81	20-8-81
7.	निकट ग्राम परसरामपुरा जिला झुन्झुनू	लाइमस्टोन	8.25 ,,	17-9-81	8-10-81
8.	निकट ग्राम गोरला, चितोडिया आदि जिला भीलवाड़ा एवं चितोडगढ़	डोलोमाइट	17.856 ,,	14-4-82	10-6-81

1	2	3	4	5	6
9.	निकटग्राम दोलजी का खेड़ा हुमदपुरा जिला भीलवाड़ा	लाइमस्टोन	17.00 व.कि.मी.	19–4–82	22–4–82
10.	निकट ग्राम अमरथुन जिला बांसवाड़ा	बेस मेटल	10.50 ,,	29–4–82	13–5–82
11.	केरपुरा जिला भीलवाड़ा	क्ले	4.5 ,,	31–8–81	17–9–82
12.	निकट ग्राम खमेरा–भूगंडा जिला बांसवाड़ा	लाइमस्टोन	30.10 ,,	20–4–83	19–5–83
13.	निकट ग्राम चेनपुरा, सरदारपुरा एवं चाट, जिला अजमेर	बेस मेटल	9.00 ,,	3–5–83	2–6–83
14.	निकट ग्राम केला–मेना, जिला बांसवाड़ा	लाइमस्टोन	13.97 ,,	18–8–83	1–9–83

सूची नं. 2

खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा आरक्षित क्षेत्रों में किये गये प्रोस्पेक्टिंग कार्य का विवरण

क्र.सं.	नाम क्षेत्र व जिला	प्रोस्पेक्टिंग कार्य का विवरण जो विभाग द्वारा किया गया
1	2	3
1.	वाल्दा, झामरकोटड़ा, लालपुरा जिला उदयपुर	इस क्षेत्र में रॉक फास्फेट की खोज सन् 1968 के साथ ही विस्तृत भूगर्भित सर्वेक्षण एवं खनन कार्य प्रारम्भ हो गया था जो अभी तक चल रहा है । अब तक 488 छिद्रों द्वारा फरवरी, 83 तक 52,

(206)

1	2	3
		318–99 मीटर ड्रिलिंग झामरकोटड़ा क्षेत्र में की जा चुकी है और मार्च, 83 तक 72.5 लाख टन रॉक फास्फेट भण्डारों का पता लगाया जा चुका है। इसमें से 16.8 लाख टन उच्च श्रेणी के हैं। कार्य अभी प्रगति पर है।
	2. निकट ग्राम अंजनी, जिला उदयपुर	इस क्षेत्र में वर्ष 80–81 में ही बेस-मेटल हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अब तक इस क्षेत्र में 7 बोरहोल पूरे किये जा चुके हैं और दो चालू हैं। इस छिद्रन कार्य से 1–6 कि० मी० लम्बे गोलांग जोन में से लगभग 500 मीटर लम्बे भाग में 110 मीटर से 125 मीटर की गहराई पर 2–50 से 3–50 मीटर तक ताम्र अयस्क का पता लगाया गया है इसमें तांबे की मात्रा 1 से 1–30 प्रतिशत तक है। 20 से 60 पी–पी–एन चांदी भी पाई गई है।
	3. निकट ग्राम भूगोर, जिला अलवर	वर्ष 80–81 से 82–83 तक जियो केमिकल सेम्पलिंग क्षेत्रीय व विस्तृत भूगर्भित मान चित्रांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। छिद्रणों का कार्य अभी अभी प्रारम्भ किया गया है।
	4. निकट ग्राम जगतखेड़ी, जिला उदयपुर	इस क्षेत्र में बेसमेटल हेतु जियो केमिकल सेम्पलिंग क्षेत्रीय व विस्तृत भूगर्भित सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और अब छिद्रण द्वारा बेस मेटल भण्डारों का पता लगाना शेष है। जिसमें आगामी फील्ड सीजन में प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव हैं।

1	2	3
5.	निकट ग्राम खुइयाला, हावूर जिला जैसलमेर	वर्ष 78–79 में खुइयाला क्षेत्र में पूर्वानुदर्शन पूर्वेक्षण कार्य किया गया। वर्ष 80–81 में पूर्वानुदर्शन पूर्वेक्षण 50 व० कि० मी० क्षेत्र में क्षेत्रीय भूगर्भित मानचित्रांकन 5 व० कि० मी० क्षेत्र में जियो केमिकल सेम्पलिंग का कार्य किया गया जिसे लगभग 168 लाख टन केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन होने के अनुमान लगाये गये हैं। वर्ष 81–82 में क्षेत्रीय भूगर्भित व विस्तृत भूगर्भित मानचित्रांकन का कार्य किया गया है। छिद्रण द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण अब किया जायेगा।
6.	निकट ग्राम काटुण्डा, जिला चितोडगढ़	वर्ष 81–82 में क्षेत्रीय भूगर्भित व विस्तृत भूगर्भित मानचित्रांकन का कार्य किया गया एवं 82–83 में क्षेत्रीय व विस्तृत भूगर्भित मानचित्रांकन का कार्य किया गया। 201–75 मीटर छिद्रण कार्य किया गया था वर्ष 83–84 में कार्य जारी है।
7.	निकट ग्राम परसरामपुरा जिला झुन्झुनू	वर्ष 81–82 में विस्तृत व क्षेत्रीय भूगर्भित मानचित्रीकरण का कार्य किया गया एवं वर्ष 83–84 में 305 मीटर छिद्रण कार्य किया गया। यह परियोजना पूर्ण हो गई है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
8.	निकट ग्राम गोरला, चितोड़िया, आदि जिला भीलवाड़ा	वर्ष 83–84 में परियोजना पर क्षेत्रीय भूगर्भित मानचित्रीकरण का कार्य

1	2	3
		किया गया। इस परियोजना पर प्रोस्पेक्टिंग का कार्य अभी जारी है ।
	9. निकट ग्राम दोलजी का खेडा हमदपुरा, जिला भीलवाड़ा	इस क्षेत्र में वर्ष 82–83 व 83–84 से कार्य किया गया । विस्तृत भूगर्भित मानचित्रीकरण एवं छिद्रण कार्य किया जाकर परियोजना का कार्य इस वर्ष पूर्ण कर लिया गया है । रिपोर्ट लिखने का कार्य प्रगति पर है ।
	10. निकट ग्राम आरथुन, जिला बांसवाड़ा	वर्ष 82–83 के दौरान क्षेत्रीय व विस्तृत भूगर्भित मानचित्रांकन का कार्य किया गया । वर्ष 84–85 में छिद्रण द्वारा गहराई पर बेसमेटल की मात्रा का पता लगाने के प्रस्ताव हैं।
	11. केरपुरा, जिला भीलवाड़ा	वर्ष 83–84 के दौरान इस परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किया गया । इस वर्ष इस परियोजना में रिकोनोलेज क्षेत्रीय विस्तृत भूगर्भित मानचित्रांकन के प्रस्ताव हैं जिनके मार्च, 84 तक पूरे हो जाने की संभावना है।
	12. निकट ग्राम खमेरा–भूगंडा जिला बांसवाड़ा	इस परियोजना पर वर्ष 82–83 के दौरान पूर्वानुदर्शन क्षेत्रीय विस्तृत भूगर्भित मानचित्रांकन का कार्य किया गया जिसके फलस्वरूप खमेरा भूगंडा के लाइमस्टोन भण्डारों का पता चला। व खेरवा ग्राम के निकट चांदी का होना पाया गया । वर्ष 83–84 के दौरान क्षेत्रीय एवं विस्तृत भूगर्भित मानचित्रीकरण का कार्य किया गया व छिद्रण प्रारम्भ किया गया जो कि अभी जारी है।

1	2	3	4	5
13.	निकट ग्राम चेनपुरा, सरदारपुरा एवं चाट जिला अजमेर	इस परियोजना पर वर्ष 82–83 में पूर्वानुदर्शन व जियोकेमिकल सेम्पलिंग का कार्य किया गया। चालू वर्ष 83–84 में क्षेत्रीय व विस्तृत भूगर्भित मानचित्रांकन का कार्य तथा जियोकेमिकल सर्वे किया गया। इनकी रिपोर्ट आने पर अगले वर्ष छिद्रण कार्य प्रस्तावित किया जा सकता है।		
14.	केला–मेला जिला बांसवाड़ा	यह परियोजना इसी वर्ष प्रारम्भ की गई। वर्ष 83–84 के दौरान पूर्वानुदर्शन व क्षेत्रीय मानचित्रांकन किया गया। विस्तृत भूगर्भित मानचित्रांकन का कार्य प्रगति पर है।		

(210)

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 489 की पंजिका

दिनांक 31 जनवरी, 1984 को राजस्थान के नियोजन कार्यालयों की वार्षिक पंजिका पर उपलब्ध बेरोजगार आशार्थी

क्र सं.	नाम जिला नियोजन कार्यालय	पुरुष	महिला	योग
1.	2	3	4	5
1.	अजमेर	24910	3504	28414
2.	अलवर	21005	1420	22425
3.	बांसवाड़ा	5280	667	5947
4.	अजमेर	5525	275	5798
5.	भरतपुर	29903	1255	31158
6.	भीलवाड़ा	13559	1014	14275
7.	बीकानेर	13571	1458	15095
8.	बूंदी	6765	565	7330
9.	चित्तोडगढ़	14536	835	15371
01.	चूरू	9368	381	9749
11.	डूंगरपुर	6140	635	6775
12.	जयपुर	73505	5757	79262
13.	जैसलमेर	3641	134	3775
14.	जालौर	3848	138	3986
15.	झालावाड़	5897	542	6439
16.	झुंझुनू	19265	476	19741
17.	जोधपुर	27562	2557	30150
18.	कोटा	23819	2484	26303
19.	नागौर	16200	546	16746

1	2	3	4	5
20.	पाली	9487	557	10044
21.	सवाई माधोपुर	12996	464	13465
22.	सीकर	13906	333	14319
23.	सिरोही	3997	242	4239
24.	श्री गंगानगर	21213	1258	2 2471
25.	टौंक	9002	673	9677
26.	उदयपुर	32730	2206	34936
26.	पी. एण्ड ई. जयपुर	8273	2781	11054
28.	विशेष नियोजन कार्यालय (विकलांग) जयपुर	845	90	935
	योग:–	436529	33289	469818

नोट:– सांख्यिकी सूचना नियोजन कार्यालयों से प्रत्येक मास के अंतिम दिन की संकलित की जाती है ।

(212)

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 491 का विवरण

पंचायत समिति/तहसील का नाम	क्रम सं.	गांव का नाम
1	2	3
गिरवा तहसील		
	1	गूडली
	2	गूडेल
	3	कराकला
	4	सुलावास
	5	पालूखेडा
	6	नन्दीवेला
	7	सोमाखेडा
	8	फलेला
	9	चरमर
	10	कोट
	11	खोडाश
	12	फलोड़िया
	13	वलतलम
	14	सवतपुर
	15	ग्रावरा
	16	जवारा
	17	वांसा
	18	रोजदा
	19	दान्तेसर
	20	टोडी
	21	लालपुरा
	22	सुराका गुडा

1	2	3
	23	वोरी
	24	छरोलीखेडा
	25	आन्ट
	26	सियारा
	27	वेरन
	28	पहुना
	29	शिशर्ना
	30	करगेर
	31	जरनो की सराय

उदयपुर जिले में पंचायत समिति/तहसीलवार ऐसे ग्रामों की सूची जिसमें 10 या 10 से कम कृषि उपभोक्ता हैं :—

पंचायत समिति/तहसील का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
1	2	3
आर० ई० सी० बड़गांव :—		
	1	घसियार
	2	वारोडिया
	3	वाम्मलिया
	4	जिण्डोली
	5	कशनियावाड
	6	दुलावतों का गुडा
	7	राठोड़ों का गुडा
	8	कामलोन का गुडा

1	2	3
	9	बन्दनवाड़ा
	10	उपारा
	11	कुण्डा
	12	अमराजी का गुडा
	13	कदमाला
	14	सांगेट
	15	करणजी का गुडा
	16	कालोदा
	17	वाटीं
	18	मन्डक का गुडा
	19	कगमदारड़ा
	20	केसुली
	21	टोडा
	22	कठार
	23	मासवास
	24	दाडमी
	25	वरावालिया
	26	पीपलवास
	27	गमेतों का नोहरा
	28	कालोर
	29	कुण्डाला का गुडा
	30	पापामल
	31	राया
	32	गाटी का मठ
	33	भूमलियोन का गुडा
	34	बोरका कुआ

1	2	3
	35	श्यामजी का गुडा।
	36	मोन्जीला
	37	ढाणा
	38	कुण्डाला
	39	नगेडिया
	40	साइलिन का गुडा
	41	लीलोरियो का गुडा
	42	रायपुरिया
	43	सोडावास
	44	गोटेला
बड़गांव	45	गुडली
	46	जार सादडी
	47	शिशोवी की ढाणी
	48	दवेरो का गुडा
	49	पीपार
	50	वरवा
	51	नेतावलों की भागल
	52	वास
	53	पीलानी की भागल
	54	पुंचायतों की भागल
	55	हीरावतों की भागल
	56	इसवाल
	57	जालों का गुडा
	58	राठौड़ों का गुडा
	59	देलवाड़ा
	60	कैलाशपुरी
	61	रूपवास
	62	राभा
	63	शिशवी
	64	बरेल

(216)

उदयपुर जिले में पंचायत समिति/तहसीलवार ऐसे ग्रामों की सूची जिसमें 10 या 10 से कम कृषि उपभोक्ता हैं :—

पंचायत समिति/तहसील का नाम	क्रम सं.	ग्राम का नाम
1	2	3
पंचायत समिति ग्रामेट		
	1	किशनपुरिया
	2	देवरिया
	3	कावरी
	4	लोदीयाना
	5	बगपुर
	6	वीरपुर
	7	ठीकरर्सा
	8	तनवान
	9	देवली
	10	करणजी का गुडा
	11	ग्रासेन
	12	धोसुन्डी
	13	गडरियावास
	14	भगवानपुरा
	15	समराग्रो
	16	भीलमगरा
	17	जीलोला
	18	गोलेराकुग्रा
	19	सरनिया खेडा
	20	मुरडा
	21	धनकपुरा
	22	सिरोडी
	23	सुमाडिया

1	2	3
	24	पानोलिया
	25	ग्ररनिया
	26	केलासरिया
	27	गोपालपुरा
	28	वरनिया
	29	गंगाका गुडा
	30	फतहपुरिया
	31	राजपुरा

उदयपुर जिले में पंचायत समिति/तहसीलवार ऐसे ग्रामों की सूची जिसमें 10 या 10 से कम कृषि उपभोक्ता है :––

पंचायत समिति/तहसील का नाम 1	क्र.सं. 2	ग्राम का नाम 3
धरियावाद		
	1	सखीखेड़ा
	2	बध्वावाडा
	3	नरेला
	4	गडरियावास
	5	विजयपुरा
	6	सरवाडा
	7	कल्यानपुरा
	8	गरडा
	9	गंगागुडा
	10	नाद

Page No. 258

(210)

1	2	3
	11	लाडोया
	12	कुन
	13	जाखम डेम
	14	चीतोडिया
	15	गडवास
	16	नयाबोरिया
	17	लसाडोया
	18	बोरडा
	19	चारी
	20	माऊ
	21	उदावला
	22	करमल खुर्द
	23	कुराजी जा खेरा
	24	वलीचा
	25	चीताडीया
	26	रतूडा का खेडा
	27	रतूडा का सामलिया
	28	आद
	29	मान्डली
	30	अगाद
	31	धोलीया
	32	नाथीयाखेरा
	33	जुना बोरिया
	34	मगरोल
	35	गोथडा
	36	नापानिया
	37	कालीमीत

Page No. 259

(219)

1	2	3
	38	रेलवाड़ा
	39	ओजनी
	40	टाटाकिया
	41	थीकिया
	42	कुमारी
	43	धार्मनियागर
	44	कोटडी
	45	सागवारीया
	46	चीतोडिया
	47	घेराव
	48	चॉदजी का गुडा
	49	धोलपुर
	50	खेडी
	51	हजारी का गुडा
	52	वामेन गाव
	53	चौहान का खेडा
	54	बडा सोटा
	55	प्रतापगढ़ की भागल
	56	केलवा
	57	स्वमालीया अकालीया
	58	सोडाला
	59	साकलाडा
	60	मादावता
	61	थोडास
	62	सागवाडिया
	63	धुकातालाब

(220)

1	2	3
	64	उम्मेदपुरा
	65	चिकलदी
	66	छाडर्जी का गुडा
	67	धोलीमगरी
	68	देवालीया
	69	उलथान
	70	घोग्रागढ़
	71	केलकीगई
	72	वेगरी
	73	धमनियाखाला
	74	ग्रोवेरा
	75	ग्ररनिया
	76	सरगनातलाई
	77	मानपुर
	78	विरावतान का ग्रखिया
	79	कारसोलीया
	80	गोपालपुरा
	81	पयारा
	82	मूनिया
	83	वालीसीमा

पंचायत समित/तहसील का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
1	2	3
पंचायत समिति खैरवाड़ा		
	1	छानी
	2	चितरोडा
	3	बादला
	4	कटेवारा
	5	सुन्दरा
	6	नवागांव
	7	पलसिया
	8	दयारी
	9	भान्डा
	10	जावास
	11	करनुवा
	12	बलेवाडी
	13	खाड़ी आवरी फाला
	14	उपला नन्दवा
	15	निचला मण्डवा
	16	धोडी
	17	टापना
	18	जावली
	19	असारीवारा
	20	मोदीवासा
	21	वरना
	22	धेलाना
	23	कल्याणपुरा

(222)

1	2	3
	24	बागोर
	25	भाठिया पानबा
	26	साठेमकर गदारा दाम
	27	थानामाफी
	28	भूदार
	29	रतनपुरा
	30	खूटानेरी
	31	थापडवाली
	32	अन्जालिया
	33	पादेरी
	34	काजावेरा
	35	सुबेरी
	36	समीतरा
	37	भारडा
	38	भालून
	39	मोथली
	40	खैरवाड़ा
	41	जूसावारा
	42	पोगारा कलां
	43	गाटा
	44	सलाला
	45	सरारी
	46	कटार
	47	ग्ररसूरी वासा
	48	भावा
	49	हठिया

223

उदयपुर जिले में पंचायत समिति/तहसीलवार ऐसे ग्रामों की सूची जिसमें 10 या 10 से कम कृषि उपभोक्ता हैं :

पंचायत समिति/तहसील का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1	2	3
सलूम्बर तहसील		
	1	मिथुड़ी
	2	जामदड़ा
	3	कूड़नी
	4	माहासीना
	5	ओरवाडीया
	6	देवपुरा
	7	धूलजी गुढ़ा
	8	सराडी
	9	लोंदा
	10	पानी कोटरा
	11	कोटा
	12	गांवड़ा पाल
	13	जैलादत
	14	सिगावली
	15	कांट
	16	धोलपुरा
	17	कानपुरा
	18	बीरवा खुर्द
	19	कलतरा
	20	जैताना
	21	कराकला

1	2	3
	22	बीरवाबडी
	23	सलाव्ता
	24	शेषपुर
	25	भवराना
	26	अखेपुर
	27	बोरी
	28	माण्डवी
	29	पायरा
	30	धोलागिरी खेड़ा
	31	गुड़
	32	मातासुला
	33	सेरीया
	34	अकतानीया
	35	रोड़ा
	36	ईश्वरवास
	37	एर
	38	बस्सी
	39	नानगा
	40	डगार
	41	बरोड़ा
	42	बुडेल
	43	इडाना
	44	करांकली
	45	पाटन
	46	तालाब

1	2	3
	47	वुथेल
	48	खेरी
	49	भ्रदकालिा
	50	वस्सी भु्झावत
	51	वस्सी सामचोत
	52	देवगांव
	53	खोडलो
	54	इंटालीखेड़ा
	55	कुडली
	56	खेराड
	57	कनपुरा
	58	धारोड़

पंचायत समिति/तहसील का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1	2	3
पंचायत समित झाडोल		
	1	नयाकोहला
	2	फलासिया
	3	श्यामपुरा खुर्द
	4	श्यामपुरा कला
	5	बीझीवाड़ा
	6	तुमदार

Page No. 266

(226)

1	2	3
	7	आमीबाड़ा
	8	आमोद
	9	घोगीमरी
	10	खैराद
	11	भकारा
	12	कोलयारी
	13	लूनीयाड़ा
	14	जीनावारा
	15	किरन
	16	ठीकालीया
	17	दमाना
	18	मगवास
	19	खखार
	20	गोडाना
	21	लीलावास
	22	अवारदा
	23	गणेशपुरा
	24	देवगावास
	25	वानपुरा
	26	ओगाना
	27	बेलानीया
	28	दुदकीया
	29	खाकरीया खेरा

1	2	3
	30	नेमली
	31	श्राटोल
	32	छतरडी
	33	ब्राह्मणों का खेरवाड़ा
	34	छागला
	35	ग्रटारीया
	36	नन्देला
	37	सालु खेड़ा
	38	सरना
	39	कुपाचावार्का
	40	बोरा
	41	वदराना
	42	लाखा गुढ़ा
	43	शिवपुरा
	44	जोथाना
	45	कोचला
	46	सुल्तानजी का खेरवाड़ा
	47	बांसवराई
	48	चतरपुरा
	49	वीमारी
	50	वाउड
	51	लूनावतों का खेड़ा
	52	कंथारिया

(2260)

1	2	3
	53	ग्रदकालीया
	54	खाडीया
	55	गोदावाडा
	56	सेमला
	57	थाडोबेरी
	58	वड़ो

पंचायत समिति/तहसील का नाम 1	क्र. सं. 2	ग्राम का नाम 3
पंचायत समिति कोटड़ी		
	1	नोचला थाला
	2	लाम्बा हलदु
	3	नोचनी सुवरी
	4	विलवान
	5	ग्रन्तालोया
	6	गूजरी
	7	ग्रारीबाड़ा
	8	सारली
	9	पानेसर
	10	डिगावड़ी खुर्द
	11	चक ग्रन्तालीया
	12	मालदार खुर्द

1	2	3
	13	नालदिगावडी
	14	दिगावड़ी कलां
	15	जोगीवार
	16	पंडालवाडा
	17	कोचा
	18	घोर
	19	भूला की श्रामली
	20	दादमीया
	21	भियाता
	22	टांडला
	23	जूरा
	24	धनोदर
	25	उमरीपदार
	26	नयन
	27	काना पदार
	28	काथरीया
	29	उपली कुदाल
	30	निचली कुदाल
	31	पूनावली
	32	जूनापडार
	33	डुगारीया
	34	तालाब
	35	बाला
	36	पढारपड़ी
	37	गुढ़ा
	38	डेडमारिया

(230)

1	2	3
	39	उपला थाला
	40	खंथारिया
	41	कोटड़ा
	42	अम्बाडेह
	43	कोलदारा
	44	काजवा
	45	पोपटाली
	46	शिसबिया
	47	बूजा
	48	आदावेला
	49	कूकावास
	50	परलाइ
	51	खानपा
	52	उमारीया
	53	बवेल
	54	भूंरी डेहवर
	55	मांडवा
	56	कोदारमल
	57	अजनी
	58	भंभार
	59	काणवास
	60	छापर
	61	नगारावासऐरा
	62	रजिया खुना
	63	गौरीया
	64	सीरनी टांकड़ी
	65	बीकारनी

1	2	4
	66	छापरांया
	67	तीनसारा
	68	क्यारा
	69	रानोड़ा
	70	महुला
	71	सुलाम्रो
	72	बेकारीया बाड
	73	हार
	74	कालाखेतार
	75	खजूरीया
	76	थेप
	77	डडमाटा
	78	सनदमारीया
	79	कोलीया
	80	नालसदमारीया
	81	सन्दमारीया
	82	बागावत
	83	वेडाकटार
	84	नयावास
	85	सोन्दराफ
	86	गांधी सरहा
	87	उपली सूवरी
	88	वारला
	89	बारछा
	90	सुवरी की नाल

(232)

1	2	3
पं. स. कोटड़ा	91	गोदलवाड़ा
	92	भामेर
	93	नकोला
	94	मेरी
	95	छोगामारी
	96	देहरी
	97	चीखला
	98	वासेला
	99	चागीया
	100	गुरा
	101	पावन का क्यारा
	102	सारा
	103	नाल
	104	माहरी
	105	कुण्डल
	106	बोती खुर्द
	107	बारली
	108	बोती कलान
	109	गन पीपला
	110	चौकी मगरी
	111	अर्जुनपुरा
	112	अम्बावा
	113	नयावा
	114	मथानी
	115	झांक
	116	संदार

1	2	3
पं. स. कोटडा	117	पदावली कलां
	118	लोगें का वास
	119	परावली खुर्द
	120	लूनावतों का वास
	121	बयाना
	122	थपलीया खुर्द
	123	थपलीया कलां
	124	केलथाना
	125	मदरा
	126	खेड़ा
	127	वीरपुरा
	128	खाम्बीया
	129	कंथारीया
	130	जम्बुग्रा
	131	जिलाइ खुर्द
	132	नरसिंहपुरा
	133	अद्दोजीका वास
	134	सूरजवाड़ा
	135	घोया
	136	इन्दिरा का खेड़ा
	137	जिलाई कलां
	138	गारडा
	139	ढावरा
	140	मदरी
	141	चूडावतों का खेणा
	142	गडरीया वास
	143	समीजा
	144.	बम्ब

(234)

1	2	3
पं. स. कोटडा		
	145	ढेपरों के बोर
	146	अमरी
	147	उदावली
	148	ढिलरिया
	149	मथासुला
	150	पीपली खेड़ा

पंचायत समिति/तहसील का नाम	क्रम सं.	गांव का नाम
1	2	3
मावली तहसील		
	1	पावटा
	2	बोयना
	3	भंवरसिमा
	4	घवोलो
	5	रामकी भागल
	6	कुचोली
	7	ठाकरो का गुडा
	8	मांगथेला
	9	मग्नुड़ा
	10	नोवा
	11	ओरडी
	12	प्रकाशपुरा
	13	पलाना खुर्द
	14	विरधोलिया

पंचायत समिति/तहसील का नाम	क्रम. सं.	गांव का नाम
1	2	3
पंचायत समिति सराड़ा		
	1	पालूदरा
	2	देवडीखेडा
	3	देवपुरा
	4	पाडला
	5	अमरपुरा
	6	ज़रियाना
	7	अजवेरा
	8	अथवास
	9	सांभरिया
	10	जवाद
	11	नार्दजर
	12	सेमल
	13	दवाना
	14	सूनीजर
	15	जमूरा
	16	श्यामला
	17	डरडा
	18	चांदजी का गुडा
	19	कन्टरा
	20	सरांडा
	21	बडगांव
	22	वना कलां
	23	वना खुर्द
	24	नावडा
	25	करेली

1	2	3
	26	ताहरी
	27	बेहटी
	28	उदयपुरिया जागीर
	29	उदयपुरिया खालस
	30	देजपुर
	31	बन्डाली
	32	लालपुरा
	33	मून्डला
	34	सरसिया
	35	पालनाथरा
	36	दायली
	37	काटनवारा
	38	पाजसेपीरा
	39	पाल सरीडा
	40	पाल मगतारा
	41	सेमारी
	42	श्यामपुरा
	43	भीमपुरा
	44	पाल नीमर्डा
	45	जूनपुरिया
	46	मालडा
	47	मिपूर
	48	निवला गुडा
	49	बडावली
	50	जोधपुरिया
	51	दरजनपुरा
	52	खेरवा

1	2	3
	53	गुडियापास
	54	लोहारिया
	55	इन्टाली
	56	पाबोडा
	57	राथोडा
	58	ढानी
	59	बोरी
	60	अम्बाला
	61	नयारायनपुरा
	62	बाली
	63	कुन्डा
	64	टोकर
	65	जगतपुरा
	66	कराडिया
	67	खून खाण्ड का खोडा
	68	पन्डेर
	69	धाकरडा
	70	खेग्रोटा
	71	मगतरा
	72	नीमच
	73	बंगथाला
	74	केजडा
	75	वीरपुरा
	76	धाटोन
	77	सरोडा
	78	खखरिया
	79	सेपुरा

(238)

1	2	3
	80	देगडी
	81	छापरवाली थोरी
	82	मंगरावली थोरी
	83	पडतलिया
	84	गोपालपुरा

उदयपुर जिले में पंचायत समिति/तहसीलवार ऐसे ग्रामों की सूची जिसमें 10 या 10 से कम कृषि उपभोक्ता हैं।

पंचायत समिति/तहसील का नाम	क्र० सं०	ग्राम का नाम
1	2	3
पं० स० केलवाड़ा (कुम्भलगढ़)		
	1	सावत्री
	2	कसार
	3	किकाकी भोगल
	4	भोगुन्दा
	5	ककारीवा
	6	डूंगजी का गुढा
	7	जानावाद
	8	साथीया
	9	तालातरी
	10	दुग्रास
	11	मराना
	12	लोर
	13	मानसिहजी का गुढा

1	2	3
	14	धानिनि
	15	बडगांव
	16	खरनोता
	17	गुढलिया
	18	गुम्राता
	19	जावालीया
	20	थोरिया
	21	मुरचा
	22	समसेचा
	23	जस्सुजी का गुढा
	24	सोनियाना
	25	खेरलिया
	26	बोरोद
	27	अंतालिया
	28	कु आरिया
	29	जवारिया
	30	ओडा
	31	गिटोरिया
	32	मेवाणिवा
	33	कीतेला
	34	उमरवास
	35	हत्याजीका गुढा
	36	धोनायका
	37	जीतरीया
	38	टोडावाडा सोलकियान
	39	रातातलाई
	40	नीमड़ी

1	2	3
	41	अमरतिया
	42	कोयल
	43	खेड़ा
	44	भवानी का भोगल
	45	मुनिया टुकड़ी
	46	मनावतां का गुढा
	47	खरनी खेड़ा
	48	जोग
	49	जम्बू का तालाब
	50	कोयला
	51	सूखेर
	52	थुरावर
	53	आयातरी
	54	चन्द्रा की भोगल
	55	गुआर
	56	मवेलों का गुढा
	57	थोरिया भोगल
	58	अमली का गुढा
	59	चेचियों का गुढा
	60	पावना
	61	वाडी
	62	थोरिया वास
	63	वेदकी भोगल
	64	केलवाड़ा
	65	मोजेरा
	66	रीछेद
	67	भीलवाड़ा

1	2	3
पं. स. केलवाडा (कुम्भलगढ़)		
	68	लाम्बादी
	69	ओलादर
	70	ढोला का ओढ
	71	टोडवाडा सोलंकियान
	72	वन्सा
	73	गढ बोर

उदयपुर जिले में पंचायत समिति/तहसीलवार ऐसे ग्रामों की सूची जिसमें 10 या 10 से कम कृषि उपभोक्ता हैं :—

पंचायत समिति/तहसील का नाम 1	क्र. सं. 2	गांव का नाम 3
खमनोर		
	1	लालभादडी
	2	करोली
	3	करोली की धाणी
	4	डाबुन
	5	सलोदा
	6	मचीन्द
	7	कराई
	8	खेडी
	9	गोपालगुडा
	10	रामपुरिला
	11	मोरवाड़ा

1	2	3
खमनोर		
	12	परवल
	13	काइमोका खेडा
	14	कोटेला
	15	उसरवास
	16	मार्का
	17	चिकलवास
	18	जेटला
	19	काजियावास
	20	कोशीवाडा
	21	डिग्गला
	22	कामा
	23	विंजनौल
	24	लच्छीपुरा
	25	रूपावली
	2o	वरलियावा खेडा
	27	माल्ला खेडा
	28	सगरुन
	29	वाँसा कामेद
	30	जावियो का गुडा
	31	पाथलपुरा
	32	खेडलिया
	33	कलाखेडी पारिया
	34	धनवाड़ा
	35	चारणों की मदार
	36	हल्लावास
	37	अटरिया

1	2	3
	38	रावणजी की गुड़ाली
	39	वारणी की बागल
	40	स्वरूपपुरा
	41	रूपजी का गुडा
	42	ठिया की खेडी
	43	टाटोला
	44	वलीचा
	45	सरसुरिया
	46	नावगुडा
	47	नेनपुरिया
	48	उलपुरा
	49	दूधपुरा
	50	खुमानपुरा
	51	गुदला
	52	वाजुण्डा

उदयपुर जिले में पंचायत समिति/तहसीलवार ऐसे ग्रामों की सूची जिसमें 10 या 10 से कम कृषि उपभोक्ता हैं :—

पंचायत समिति/तहसील का नाम	क्रम सं.	गांव का नाम
1	2	3
भीडर (बल्लभ नगर)		
	1	रायेड
	2	नटवाला
	3	विपतपुरा
	4	**मुण्डोल**

(244)

1	2	3
	5	वालाथेल
	6	फाचेर
	7	हरटा
	8	दौलतपुरा
	9	जसवंतपुरा
	10	अलोरिया
	11	बाघेराकलां
	12	मन्दरका
	13	माचडी
	14	अरींडा
	15	पोरोलिया
	16	काईका खेडा
	17	श्योपुरा
	18	मालावारा
	19	बीलावाडा
	20	मावलीधाग्यान
	21	मनोरपुरा
	22	जसपुरा
	23	मन्डीनपुरा
	24	गुपडी
	25	गुत्था
	26	बदकीमलमल
	27	सतवाल
	28	वागड़
	29	चौहानों का गुढा
	30	गुपरा
	31	खुमनपुरा
	32	असावारा

1	2	3
	33	टांक
	34	भीम का खेडा
	35	पवितया
	36	काडियों का खेडा
	37	क्रीपाखेडी
	38	कीया खेडी
	39	मालखेजरी
	40	तेलनखेरी
	41	डोढ़ियों का खेडा
	42	मामींगपुरा
	43	जलाइयां
	44	गोटीया
	45	कांकरियों का खेडा
	46	बेरीपुरा
	47	राजपुरा
	48	गोगाखेडा
	49	जोरजी का खेडा
	50	गोटीया
	51	रंछोरपुरा
	52	हर्कवास
	53	धानी
	54	अकोदादा
	55	सराजना
	56	गडारयावास
	57	भीमना
	58	कासलिया
	59	गोकलपुरा
	60	सकरिया

1	2	3
	61	पान्डू
	62	जेतपुरा
	63	लालपुरा
	64	खोरथलाई
	65	नीमरी
	66	पदमाखेडा
	67	कुन्ठई
	68	कुन्थवास
	69	शवपुर
	70	अम्बाकागुढा
	71	रूपावली
	72	किकावास

उदयपुर जिले में पंचायत समिति/तहसीलवार ऐसे ग्रामों की सूची जिसमें 10 या 10 से कम कृषि उपभोक्ता हैं :

पंचायत समिति/तहसील का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1	2	3
गोगुन्दा		
	1	धीरजी का गुढा
	2	ग्रोवरा खुर्द
	3	ग्रोवरा कलां
	4	बड़की भागल
	5	नाहरों का गुडा
	6	सोवावास
	7	ढोल

1	2	3
	8	जोशियों की भागल
	9	कमोल
	10	उमरोद
	11	कानजी का गुढ़ा
	12	सयाड़ा
	13	सिगाडा
	14	जोरमा
	15	मोदर्डा देवस्थान
	16	विश्मा
	17	सांचली
	18	उमरना
	19	सेमार
	20	मंडार
	21	अजयपुरा
	22	सूरान
	23	जोशियों की भागल (95)
	24	श्रीमालियों का माडली
	25	कागती
	26	पनेरीयां की भागल
	27	सुग्रावतों का गुढा (63)
	28	सामोल
	29	पूनावरली
	30	पडराडा
	31	जालानी
	32	सुभार मोदरा
	33	लिम्राऊ
	34	तारवाल

1	2	3
	35	मादवा
	36	पलीदाना
	37	बरावली
	38	गट्लेतों का गुढा
	39	जुजरपुरा
	40	दुलावतों का गुढा
	41	झाडोली
	42	रानावतों का गुढा
	43	रानन
	44	कालजी का गुढा
	45	पुतिया
	46	चोर बावड़ी
	47	भादुई गुढ़ा
	48	सुआतों का गुढ़ा (146)
	49	नायों का गुढ़ा
	50	जोगीयों का गुढ़ा
	51	बांसड़ा
	52	माजम
	53	बगदुन्दा
	54	मजबाड़
	55	कुरालु
	56	बड्डोया
	57	मादा
	58	छाली
	59	उण्डीयाल
	60	सीमताल

Page No. 289

२४९

1	2	3
गोगुन्दा		
	61	वोनी
	62	मलारीया खुर्द
	63	मोरी
	64	रावलीया कलां
	65	सगदी का गुढ़ा
	66	छेपाल
	67	रावलीया खुर्द
	68	चुन्डावतों का गुढ़ा
	69	अवानी
	70	वागड़ा
	71	दिगारी
	72	वांसलिया
	73	पानेर
	74	औरों का गुढ़ा
	75	वड़ों का गुढ़ा
	76	तीरोल
	77	वड़गांव
	78	झालोनों का कलवाना
	79	ब्राह्मणों का कैलवाना
	80	वातेरी
	81	दियान
	82	टीकोरा
	83	भानपुरा
	84	गमठा
	85	भारोड़ी
	86	पाटीयान

(250)

1	2	3
	87	मोरवा
	88	भाटों का सयारा
	89	कुमारवास
	90	चालवा
	91	भालर
	92	काकन का गुढ़ा
	93	वाटन का गुढ़ा
	94	जीराई
	95	मदारदा
	96	[illegible]लावास
	97	मलारीया कलां
	98	भौरिया
	99	सेनवाडा
	100	नाल
	101	जसवन्तगढ़
	102	काम्बा

पंचायत समिति/तहसील का नाम 1	क्र.सं. 2	ग्राम का नाम 3
देवगढ़		
	1	ताल
	2	इसरमण्ड
	3	वलनलों की आटो
	4	कामली सार
	5	दोलपुरा

1	2	3
	6 मदारिया	
	7 नीमजर	
	8 लक्ष्मीपुरा	
	9 हीरा का खेड़ा	
	10 जीमाखेड़ा	
	11 नीमजा	
	12 प्रीतमपुरा	
	13 किशनपुरा	
	14 दलाजी का खेड़ा	
	15 सवाडरी ए	
	16 सवाडरी बी	
	17 मोयना	
	18 टेमी	
	19 पानेरी	
	20 सोलकियों का खेड़ा	
	21 भतपुरा बी	
	22 पाल डी	
	23 सलीमा का खेड़ा	
	24 भारतसिंह का गुडा	
	25 वारास का गुडा	
	26 वरवालरेक का खेडा	
	27 भछेरडिया	

(252)

पंचायत समित/तहसील ा नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
1	2	3
भीम		
	1	बगाना
	2	बरजाला
	3	पीपली
	4	बगर
	5	लाखागुडा
	6	छापली
	7	कच छबली
	8	मण्डावर
	9	चतोग्रासन
	10	बरार
	11	भीम
	12	कुकरखेडा
	13	ठीकरवास
	14	मेटागुडा
	15	खेराजीच

उदयपुर जिले में पंचायत समिति/तहसीलवार ऐसे ग्रामों की सूची जिसमें 10 या 10 से कम कृषि उपभोक्ता है :–

पंचायत समिति/तहसील का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम
1	2	4
रेलमगरा		
	1	श्योपुरा
	2	महेन्द्रारिया

(253)

1	2	3
	3	कुंडिया
	4	अन्जाना
	5	साँलिया खेरा
	6	चतरी खेरा
	7	पीपावास
	8	चावन्डिया
	9	भामा खेडा
	10	कारोलिया
	11	मेनीया
	12	मुरवाड़ा
	13	गमेरपुरा
	14	चाँदगा खेरा
	15	गंगास
	16	दामोदरपुरा
	17	पेमा खेरा
	18	माताजी का
	19	लक्ष्मीपुरा
	20	बकतपुरा
	21	मालीखेडा
	22	लछमीपुरा
	23	मालीखेडा
	24	छापरी

(254)

उदयपुर जिले में पंचायत समिति 33 तहसीलवार एसे ग्रामों की सूची जिसमें 10 या 10 से कम कृषि उपभोक्ता है :

पंचायत समिति/तहशील का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1	2	3
राजसमन्द		
	1	सोनियाना
	2	छापरखेडी
	3	देवरी का खेडा
	4	दोबर
	5	धनबल
	6	खाकरोदा
	7	मजा
	8	चिन्तामणी की भादडा
	9	वासनी
	10	पडासली
	11	सेबाली
	12	देवगाँव
	13	फतेहनगर
	14	नाखसी
	15	भगवान्दा खुर्द
	16	वमनदुवडा
	17	करेडा
	18	भटूखेडा
	19	मुन्डला
	20	चतरपुरा
	21	वाजुन्डा
	22	रघुनाथपुरा
	23	मोखमपुरा
	24	पाखुन्द
	25	भगवान्दा कलां
	26	सवाना
	27	मण्डावर
	28	कराजिया
	29	खारगालिया खेडा
	30	देबागा

(255)

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 493 की सूची

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं) पाली
पंचायत समिति छात्रवार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय

क्र.सं.	पंचायत समिति	विद्यालय
1	2	3
1–	पाली	श्री वागॅड राज. उ. वि. पाली
2–	रोहट	राज. उ. मा विद्यालय रोहट
3–	सोजत	राज. उ. मा. वि. सोजत
4–	सोजत	राज. उ. मा. वि. सोजत रोड
5–	सोजत	राज. उ, मा. वि. बगडी नगर
6–	सुमेरपुर	राज. उ. मा. वि. सुमेरपुर
7–	बाली	राज. उ. मा. वि. बाली
8–	बाली	राज. उ. मा. वि. सेवाडी
9–	बाली	राज. उ. मा. वि. बेडा
10–	जैतारण	राज. उ. मा. वि. जैतारण
11–	जैतारण	राज. उ. मा. वि. निमाज
12–	जैतारण	राज. उ. मा. वि. आनन्दपुरकालू
13–	मारवाड जं.	राज. उ. मा. वि. मारवाड जंक्शन
14–	रानी	राज. उ. मा. वि. रानी
15–	देसुरी	राज. उ. मा. वि. देसुरी
6–	देसुरी	राज. उ. मा. वि. नाडोल
7–	देसुरी	राज. उ. मा. वि. सादडी
8–	रायपुर	राज. उ. मा. वि. रायपुर

माध्यमिक विद्यालय

1–	पाली	राज. मा. वि. मिल क्षेत्र पाली
2–	पाली	राज. मा. वि. खैरवा
3–	पाली	राज. मा. [illegible]
4–	पालो	राज. मा. वि. गुडा एन्दला

(258)

1	2	3
5–	बाली	राज. मा. वि. बिजलपुर
6–	बाली	राज. मा. वि. मुण्डारा
7–	बाली	राज. मा. वि. चामुण्डरी
8–	बाली	राज. मा. वि. खिमेल
9–	बाली	राज. मा. वि. बीजापुर
10–	बाली	राज. मा. वि. भन्दर
11–	बाली	राज. मा. वि. भीमाणा
12–	बाली	राज. मा. वि, खुडाला
13–	बाली	राज. मा. वि. नाणा
14–	बाली	राज. मा. वि. लुणावा
15–	रानी	राज. मा. वि. जवाली
16–	रानी	राज. मा. वि. बूसी
17–	रानी	राज. मा. वि. खोड
18–	रानी	राज. मा. वि. चाचौडी
19–	रानी	राज. मा. वि. बीजोवा
20–	रानी	राज. मा. वि. खिवाडा
21–	सुमेरपुर	राज. मा. वि. साण्डेराव
22–	सुमेरपुर	राज. मा. वि. खिवान्दी
23–	सुमेरपुर	राज. मा. वि. कोशेलाव
24–	सुमेरपुर	राज. मा. वि. चाणोद
25–	सुमेरपुर	राज. मा. वि. दूजाना
26–	सुमेरपुर	राज. मा. वि. बाकली
27–	सुमेरपुर	राज. मा. वि. बामनेरा
28–	सुमेरपुर	राज. मा. वि. तखतगढ़
29–	सुमेरपुर	राज. मा. वि. पावा
30–	रायपुर	राज. मा. वि. बर
31–	रायपुर	राज. मा. वि. देवली कलां
32–	रायपुर	राज. मा. वि. पिपलिया कलां
33–	रायपुर	राज. मा. वि. कुशालपुरा

1	2	3
34–	रायपुर	राज. मा. वि. गिरी
35–	रायपुर	राज. मा. वि. सेन्दडी
36–	रायपुर	राज. मा. वि. बाबरा
37–	रोहट	राज. मा. वि. ढावर
38–	सोजत	राज. मा. वि. अट्बड़ा
39–	सोजत	राज. मा. वि. सरदार समन्द
40–	सोजत	राज. मा. वि. त्रिलावास
41–	सोजत	राज. मा. वि. रूपवास
42–	सोजत	राज. मा. वि. चण्डावल
43–	सोजत	राज. मा. वि. गुडा बींजा
44–	मारवाड जं.	राज. मा. वि. आउवा
45–	मारवाड जं.	राज. मा. वि. कण्टालिया
46–	मारवाड जं.	राज. मा. वि. फूलाद
47–	मारवाड जं.	राज. मा. वि. बान्ता
48–	मारवाड जं.	राज. मा. वि. जोजावर
49–	मारवाड जं.	राज. मा. वि. सिरियारी
50–	मारवाड जं.	राज. मा. वि. धनला
51–	जैतारण	राज. मा. वि. वलून्दा
52–	जैतारण	राज. मा. वि. रास
53–	जैतारण	राज. मा. वि. लाम्बिया
54–	देसूरी	राज. मा. वि. नारलाई
55–	देसूरी	राज. मा. वि. मादा
56–	देसूरी	राज. मा. वि. धाणेराव
57–	देसूरी	राज. मा. वि. दादाई

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 494 की सूची

पैरा 2 में वर्णित पुस्तकों का विवरण

क्रमांक	पुस्तक का नाम	1979 में विक्रय अनुज्ञा देने की तिथि/संख्या	1980 में मुद्रित प्रतियों की संख्या	विक्रय अनुज्ञा देने की तिथि	1981 में मुद्रित प्रतियों की संख्या	विक्रय अनुज्ञा देने की तिथि	1982 में मुद्रित प्रतियों की तिथि	विक्रय अनुज्ञा देने की तिथि	1983 में मुद्रित प्रतियों की तिथि	विक्रय अनुज्ञा देने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	माध्यमिक गद्यपद्य संकलन	27–6–79 85,000	30000	28–6–80	65000	9–6–81	82000	8–6–82	82000	24–6–83
2.	नवीन हा. सै. भूगोल–1	14–7–79 2 500	मुद्रित नहीं	———	3000	24–6–81	4000	12–7–82	4000	1–7–83
3.	नवीन हा. सै. भाग–2	19–7–79 2,500	,,	———	3000	15–7–81	4000	12–7–82	4000	23–6–83
4.	माध्यमिक गद्य संग्रह	28–6–79 25,000	20000	28–6–80	25000	23–7–81	20000	17–8–82	30000	22–7–83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	आधुनिक भौतिक		28–5–79 13,000	10000	3–7–80	19000	14–7–81	21000	29–6–82	21000	30–6–83
6.	आधुनिक जीव विज्ञान		——— मु. नहीं	———	———	5000	6–7–81	10000	29–6–82	10000	18–6–83
7.	सरल मा. गणित		25–6–79 40,000	5000	28–6–80	10000	9–7–81	8000	29–6–82	8000	30–6–83
8.	सामान्य विज्ञान परिचय भाग–1		9–7–79 30,000	65000	20–6–80	50000	8–6–81	80000	29–6–82	50000	23–6–83
9.	भाग–2		19–7–79 30,000	30000	19–7–80	65000	26–6–81	60000	27–5–82	50000	23–6–83
10.	उ. मा. प्रायोगिक रसायन		23–7–79 5,000	5500	18–7–80	8000	23–7–81	मुद्रित नहीं	———	10000	20–7–83
11.	इंगिलश रैपिड रीडर		10–7–79 45,000	80000	21–7–80	100000	9–6–81	,, ,,	———	80000	23–5–83
12.	न्यू इंगिलश कोर्स रीडर कक्षा–10		19–7–79 55,000	100000	20–6–80	80000	9–6–81	,, ,,	———	45000	3–5–83
13.	पद्य संग्रह		27–7–79 30,000	30000	10–7–80	30000	14–7–81	30000	8–7–82	30000	25–5–83

Page No. 300

(260)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	आधुनिक ना. शास्त्र भाग-1	मु. नहीं	11000	12–7–80	20000	17–7–81	20000	24–6–82	6000	21–7–83
15.	नवीन हा. सै. अर्थशास्त्र भा –2	19–7–79 20,000	11000	7–7–80	6000	17–7–81	मु. नही	——	5000	19–7–83
16.	त्रिविधा	2–7–79 24,000	30000	28-6–80	35000	27–7–81	30000	3–7–82	25000	14–7–83
17.	कहानी कुंज	10–7–79 30,000	50000	28–6–80	65000	16–7–81	75000	3–7–82	75000	14–7–83
18.	छंद अलंकार प्रवेशिका	7–7–79 20,000	20000	1–7–80	25000	16–7–81	30000	3–7–82	30000	14–7–83
19.	कथावलि	मु. नहीं	———	———	10000	25–6–81	15000	12–7–82	15000	29–6–83
20.	माध्यमिक रसायन	10–8–79 8,000	14000	28–6–80	10000	7–7–81	20000	24–7–82	20000	11–[illegible]–83
21.	नागरिक शास्त्र परिचय-1	20–7–79 30,000	25000	10–7–80	25000	25–6–81	20000	12–7 82	20000	29–6–83
22.	आधुनिक नागरिक शास्त्र–2	17–7–79 25,000	27000	7–7–80	25000	14–7–81	30000	26–7–82	27000	5–7–83

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	न्यू इंगलिश कोर्स रीडर कक्षा–11	12–8–79 45,000	मुद्रित नहीं	– ——	40000	14–7–81	25000	3–8–82	30000	21–7–83
24.	उ. मा. ना. शास्त्र भाग–1	10–7–79 15,000	10000	30–6–80	10000	14–7–81	11000	21–7–82	11000	[illegible]–7–83
25.	,, ,, भाग–2	21–7–79 15,000	10000	10–7–80	10000	3–8–81	11000	21–7–82	11000	6–7–83
26.	नवीन हा. सै. अर्थशास्त्र–1	20–7–79 17,600	9000	21–7–80	7000	7–[illegible]–81	9000	9–[illegible]–82	9000	15–7–73
27	हिन्दी व्याकरण और रचना	4–8–79	10000	28–6–80	10000	10–8–81	10000	29–7–82	मुद्रित नहीं	———
28.	माध्यमिक प्रा. भौतिक	13–7–79 5,000	7000	27–7–70	10000	25–6–81	10000	4–6–82	10000	27–6–83
29.	कथा प्रसून	2–7–79 10,000	10000	28–6–80	20000	25–6–81	25000	12–7–82	30000	30–6–83
30.	माध्यमिक प्रा. रसायन	——— 5,0000	20000	26–6–80	10200	19–6–81	13200	9–6–82	142000	21–6–83
31.	गद्यावलि	25–6–79 10,000	10000	5–7–80	62000	17–6–81	62000	19–6 82	10000	21–6–82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	उ. मा. रसायन	मु. नहीं	73000	19–7–80	4[illegible]000	19–6–81	72000	9–6–82	82000	21–6–83
33.	नवीन संस्कृत कथा	मु. नहीं	32000	23–7–80	मुद्रित नहीं	———	32000	24–6–82	4000	23–6–83
34.	नूतन काव्य संग्रह	2–7–79 23,000	25000	28–6–80	16000	10–8–81	11000	20–7–82	7000	25–6–83
35.	इंगलिश रैपिड रीडर कक्षा–11	मुद्रित नहीं	मुद्रित नहीं	——	50000	17–7–81	100000	,, ,,	60000	23–6–83
36.	संस्कृत गद्य भारती	27–6–79 2,000	45000	21–7–80	3000	7–7–81	4000	,, ,,	5000	20–6–83
37.	संस्कृत पद्य भारती	2–7–79 2,000	4500	24–7–80	3000	14–7–81	4000	,, ,,	5000	25–6–83
38.	नूतन संस्कृत पीयूषम्	9–7–79 40,000	55000	20–6–80	80000	9–6–81	70000	,, ,,	60000	23–7–83
39.	संस्कृत गद्य कुसमांजलि	23–6–79 5000	2000	20–7–80	10000	6–7–81	10000	,, ,,	10000	5–7–83
40.	हमारे रत्नदीप	25–6–79 1,30,000	50000	14–7–80	80000	1–8–81	70000	,, ,,	40000	15–7–33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	एकांकी संग्रह	28-6-79 70,000	50000	20-6-80	50000	30-6-81	70000	14-7-82	40000	20-6-83
42.	न्यू इंगलिश कोर्स रीडर कक्षा-9	20-7-79 48,000	50000	26-7-80	70000	2-7-81	50000	20-7-82	40000	30-6-83
43.	उ. मा. गद्यपद्य संग्रह	25-6-79 15,000	20000	14-7-80	30000	14-7-81	31000	14-7-82	25000	30-6-83
44.	इंगलिश रैपिड रीडर कक्षा-10	7-8-79 1,70,000	120000	10-7-80	60000	8-7-81	30000	30-8-82	30000	25-6-83
45.	सैकण्डरी नागरिक शास्त्र भाग-2	मु. नहीं	25000	7-7-80	20000	27-7-81	8000	20-7-82	7000	18-7-83
46.	माध्यमिक सामान्य विज्ञान	17-7-79 7,000	10000	27-6-80	10000	24-6-81	10000	3-7-82	10000	21-6-83
47.	माध्यमिक सामाजिक ज्ञान	14-7-79 12,000	20000	24-7-80	10000	4-7-81	17000	16-6-82	20000	30-6-83
48.	नवीन माध्यमिक इतिहास-2	14-7-79 3,000	6000	2-7-80	मु. नहीं	---	---	---	5000	30-6-83
49.	नवीन माध्यमिक ज्यामिति	23-6-79 5,000	10000	1-6-80	1000	7-7-81	15000	1-7-82	15000	25-6-83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.	मा. मुद्रा अधिकोषण एवं विनिमय	15–6–79 20,000	10000	10–7–80	10000	8–7–81	10000	16–6–82		10000	27–6–83
51.	अर्थशास्त्र के प्रारम्भिक सिद्धा.	17–8–79 5,000	मु. नहीं	———	3000	6–11–81	मु. नहीं	—	—	2000	4–7–83
52.	मा. अर्थशास्त्र भाग–1	14–7–79 18,000	18000	23–7–80	20000	22–7–81	10000	1–7–82		15000	30–6–83
53.	,, ,, भाग–2	मु. नहीं	20000	22–7–80	10000	4–7–81	15000	20–7–82		15000	4–7–83
54.	मा. व्यापार पद्यति	28–7–79 27,000	42000	2–7–80	35000	14–6–81	46000	25–6–82		46000	27–6–83
55.	प्राथमिक ज्यामिति एवं अवकलन	14–7–79 4,000	5000	27–6–80	5000	7–7–81	7000	6–7–82		8000	21–6–83
56.	नवीन उ. मा. बीजगणित एवं सदिश	23–7–79 3,000	5000	10–7–80	5000	4–7–81	7000	3–8–82		9000	21–7–83
57.	हा. सै. बहीखाता	28–7–79 7,000	7000	10–7–80	10000	31–7–81	8000	30–7–82		5000	5–7–83
58.	उ. मा. व्यापार पद्यति	मुद्रित नहीं	3000	18–7–80	2000	7–7–81	2000	22–7–82		2000	27–7–83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	आधुनिक वैदिक गणित	3–7–79 5,000	10000	9–7–80	5000	9–7–81	5000	16–7–82	5000	27–6 83
60.	प्रारम्भिक अर्थशास्त्र	27–8–79 5000	5000	3–7–80	5000	16–7–81	मु. नहीं	——	2000	3–7–83
61.	भारतीय अर्थशास्त्र	27 8–79 5,000	3000	15–9–80	मु. नहीं	——	——	——	2000	3–7–83
62.	प्रा. से बीजगणित एवं प्रा. सांख्यिकी	27–6–79 10,000	8000	26–7–80	मु नहीं	——	10000	16–6–82	10000	27–7–83
63.	भारत का व्यापारिक भूगोल	14–7–79 4,000	4000	2–7–80	4000	25–7–81	4000	20–7–82	3000	27–7–83
64.	विश्व का वाणिज्य भूगोल	19–7–79 4,000	3000	25–7–80	4000	18–7–81	5000	25–6–82	5000	20–7–83
65.	उ. मा. बैंकिंग	27–6–79 2,000	4000	12–6–80	5000	24–7–81	5000	22–6–82	5000	20–7–83
66.	मा. बहीखाता	18–7–79 34,000	48200	7–6–80	30000	7–7–81	50000	14–7–82	50000	30–6–83
67.	भारतीय इतिहास की मूल धाराएं–1	26–6–79 9,000	15000	3–7–80	10000	8–7–81	10000	20–7–82	10000	25–7–83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	भारतीय इतिहास की मूलधाराएं भाग–2	26–6–79 10,000	10000	26–6–80	10000	8–7–81	14000	9–7–82	13000	21–7–83
69.	पारसमणि	14–7–79 35,000	50000	26–6–80	25000	3–8–81	20000	9–7–82	20000	21–6–83
70.	विश्व इतिहास की मूलधाराएं	17–7–79 3200	45000	26–6–80	4000	1[illegible]–7–81	35000	20–7–82	5000	25–7–83
71.	भारतीय इतिहास सभ्यता एवं संस्कृति	17–7–79 32,000	4500	28–7–80	4 00	14–7–81	4000	9–7–82	5000	25–7–83
72.	भारत का इतिहास	12–7–79 5,000	3000	9–7–80	5000	25–6–81	4000	11–6–82	5000	27–6–83
73.	मुद्रा बैंकिंग के प्रा. सिद्धा.	मु. नहीं मु. नहीं		——	——	——	2000	2–6–82	2000	21–7–83
74.	प्रारम्भिक बहीखाता भाग–2	18–7–79 10,000	10000	15–7–80	15000	14–7–81	20000	2–6–82	25000	5–7–83
75.	संस्कृत व्याकरण एवं रचना प्रकाश	मु. नहीं मु. नहीं		——	20000	7–7–81	मु. नहीं	——	10000	20–7–83
76.	हिन्दी व्याकरण एवं रचना बोध	23–6–79 17000	23200	3–7–80	16000	4–7–81	20000	20–7–82	20000	5–7–83

267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	संस्कृत काव्य मन्जरी	23–6–79 8.200	13000	3–7–80	10000	14–7–81	10000	20–7–82	10000	16–8 83
78.	नूतन अनिवार्य गणित	23–6–79 6,0000	80000	21–6–80	85000	6–7–81	100000	21–6–82	100010	20–6–83
79.	नूतन गणित	23–6–79 6,000	8000	27–6–80	10000	6–7–81	5000	21–7–82	5000	20–6–83
80.	भारत का आर्थिक भूगोल	2–7–79 8,200	8200	13–6–80	10000	15–6–81	10000	20–7–82	9000	21–[illegible]–83
82.	उ. मा. प्रायोगिक भौतिकी	3–7–79 3,200	5000	28–6–80	6200	23–6–81	8200	9–6–82	10000	30–6–83
83.	उ. मा. भौतिकी	3–7–79 32000	32000	7–7–80	2200	25–6–81	3000	9–6–82	3000	30–6–83
84.	सामाजिक ज्ञान	मु. नहीं	7000	9–7–80	मु. नहीं	——	3000	17–7–82	——	——
85.	भौतिकी भूगोल	9–7–79, 4000	3000	27–6–80	2000	30–7–81	2000	9–7–82	——	——
86.	प्रादेशिक भूगोल	मु. नहीं	2000	28–6–80	2000	2[illegible]–7–81	2000	3–7–82	——	——
87.	माध्यमिक वाणिज्य परिचय	,,	7000	9–7–80	5000	11–8–81	5000	3–7–82	5000	5–7–83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	उच्च बीज गणित सदिश बीजगणित तथा मैट्रिक्स	मु. नहीं	2000	30-9-80	मु. नहीं	———	2000	18–9–82	2000	5–7–83
89.	सरल त्रिकोणमिति	9–7–79 3000	3000	16–9–80	2000	17–9–81	2000	18–9–82	2000	5–7–83
90.	नवीन माध्यमिक ज्यामिति	14–7–79 7,000	———	———	2200	26–6–81	3000	15–6–82	3000	10–6–83
91.	माध्यमिक भूगोल भाग–1	23–6–79 12,200	9200	28–6–80	6200	26–6–81	5000	15–6–82	5000	10–6–83
92.	माध्यमिक भूगोल भाग–2	23–6–79 12,200	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
93.	नवीन मा. बीज गणित एवं सांख्यिकी	23–6–79 7200	6200	28–6–80	5000	26–6–81	5000	15–6–82	5000	10–6–83
94.	हा. सै. इतिहास भाग–1	17–7–79 2,200	मु. नहीं	———	2200	26–6–81	3000	15–6–82	3000	10–6–83
95.	हा. सै. इतिहास भाग–2	17–7–79 2200	,,	———	,,	,,	,,	,,	,,	,,
96.	सैकण्डरी स्कूल ज्यामिति मैनशूरशन तथा त्रिकोणमिति	14–7–79 5000	15000	18–9–81	7000	6–7–81	3100	18–8–82	2000	4–7–83

Page No. 309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	माध्यमिक मुद्रा विनिमय तथा अधिकोषण	———	25000	2–7–80	2000	11–8–81	35000	18–8–82	30000	4–7–83
98.	हा. सै. निर्देशांक ज्यामिति तथा डिफरेशन केलकुलेशन	15–6–79 7,000	10000	18–9–80	4000	11–8–81	3.00	18–8–82	2000	4·7–83
99.	उ. मा. भौतिकी	30–6–79 8000	1000	8–7–80	8000	11–8–81	8000	18–8–82	8000	21–7–83
100.	उ. मा. व्यापार पद्धति ज्ञान	14–7–79 20,000	25000	8–7–80	20000	11–8–81	20000	18–8–82	20000	4–7–83
101.	शारदीया	26–6–79 85,000	60000	26–6–80	40000	20–7–81	10000	8–2–82	30000	8–6–83
102.	जयद्रथ वध	मु. नहीं	30000	26–6–80	25000	27–11–81	मु. नहीं	———	10000	1:–7–83
102.	इंगलिश प्रोज सलैक्शन	20–8–79 1100	मु. नहीं	—	2000	18–6–81	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—
103.	न्यू इंगलिश कोर्स रीडर वर्क बुक–10	13–8–79 62000	45000	20–6–80	मु. नहीं	—	10000	19–8–82	20000	23–5–83
104.	सलैक्टड रीडिंग इन इंगलिश प्रोज.	मु. नही	—	मु. नहीं	—	मु. नहीं —	800	23–10–82	मु. नही	—

1	2	3	3अ	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	सलैक्शन फार्म इंगलिश पोयट्री	मुद्रित नहीं	—	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	800	20-10-82	मु. नहीं	—
106.	ए रेपिड रीडर फार आप्शनल इंगलिश	,,	—	,,	—	,,	—	800	23-10-82	,,	—
107.	सुबोध अलापतान	,,	—	,,	—	,,	—	मु. नहीं	—	,	—
108.	गीत संग्रह	,,	—	,,	—	,,	—	,,	—	,,	—
109.	ताल प्रवेशिका	,,	—	,,	—	,,	—	,,	—	,,	—
110.	सितार प्रवेश	,,	—	,,	—	,,	—	,,	—	,,	—
111.	भूगोल वर्क बुक भाग-I	3200	04-8-79	3000	22-7-80	2000	03-11-81	2000	10-7-82	2000	17-8-83
112.	भूगोल वर्क बुक भाग-II	3200	04-8-79	3000	12-8-80	3000	28-11-81	3000	04-9-82	3000	21-7-83
113.	राजस्थानी गद्य संग्रह	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	1000	05-7-82	मु. नहीं	—
114.	राजस्थानी पद्य संग्रह	मु. नहीं	—	,,	—	1000	07-11-81	मु. नहीं	—	,,	—
115.	राजस्थानी कहानी संग्रह	,,	—	,,	—	मु. नहीं	—	1000	05-7-82	,,	—
116.	इंगलिश रेपिड रीडर-9	48000	02-7-79			50000	01-7-81	मु. नहीं	—	50000	20-5-83
117.	स्वास्थ्य विज्ञान स्वास्थ्य शरीर विज्ञान गृह परिचर्या एवं प्रा. चिकित्सा	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	3000	25-6-81	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—

1	2	3	3अ	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	स्वास्थ्य विज्ञान एवं शरीर विज्ञान	मु. नहीं	—	,,	—	3000	25-6-81	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—
119.	मातृकला शिशुपालन एवं बाल मनोविज्ञान	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	3000	25-6-81	,,	—	मु. नहीं	—
120.	न्यू इंगलिश कोर्स रीडर वर्क बुक-9	20000	02-7-79	20000	25-7-80	40000	27-7-81	50000	03-7-82	50000	14-7-83
121.	उ. मा. प्रायो. भौतिकी	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—
122.	उ. मा. भारतीय इतिहास	,,	—	,,	—	,,	—	,,	—	,,	—
123.	युगयुगीन संसार	—	—	,,	3000	,,	—	2000	—	,,	—
124.	आधुनिक सिलाई कला	4000	26-6-79	5500,	02-8-80	4000	14-7-81	4000	10-7-82	4000	20-7-83
125.	मा. अर्थशास्त्र	8000	26-6-79	4500	26-6-80	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—
126.	भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	,,	—	2000	08-6-82	,,	—
127.	आदर्श काष्ठकला	5200	27-6-79	5000	21-6-80	4200	21-6-81	4000	24-6-82	4000	20-6-83

Page No. 312

272

1	2	3	3अ	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	आदर्श सिलाई कला	13200	27-6-79	16000	03-7-80	20000	20-7-82	20000	20-7-82	20000	05-7-83
129.	आदर्श कताई बुनाई	3200	28-6-79	2000	21-6-80	2000	20-7-82	3000	24-6-82	3000	20-6-83
130.	मिट्टी कुट्टी का काम	मु. नहीं	—	2000	14-8-80	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—
131.	सामान्य अभियांत्रिकी	मु. नहीं	—	2000	27-7-80	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	2000	01-8-83
132.	धातुकला	मु. नहीं	—	2000	20-7-80	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—
133.	उ. मा. प्रायो. भौतिकी	,,	—	मु. नहीं	—	,,	—	,,	—	,,	—
134.	मा. अर्थशास्त्र भाग-2	6000	—	4000	09-7-80	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—
135.	सचित्र हिन्दी टाइपिंग	मु. नहीं	—	2000	09-7-80	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	2000	20-6-83
136.	सरल टाइप शिक्षा भाग-1	मु. नहीं	—	2000	02-8-80	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—
137.	कैलकुलेशन तथा निर्देशांक ज्यामिति	2000	09-7-79	मु. नहीं	—	2000	17-10-81	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—
138.	अदबी सिपारे हिस्सा नज्म	मु. नहीं	—	,,	—	मु. नहीं	—	,,	—	,,	—
139.	अदबी सिपारे हिस्सा नस्त्र	,,	—	,,	—	,,	—	,,	—	,,	—
140.	सरल गृह विज्ञान भाग-1	10200	23-6-79	5200	28-6-80	5000	18-6-81	5000	15-5-82	5000	10-6-83

1	2	3	3अ	4	5	6	7	8	9	10	11
141	सरल गृहविज्ञान भाग–2	10200	23–6–79	5200	28–6–80	3200	18–6–81	6000	15–6–82	5000	10–6–83
142.	धरती मेरा घर	मु. नहीं	—	30000	26–6–80	30000	02–7–81	मु. नहीं	—	मु. नहीं	—
143.	मलयालम भाषा परिचय										
144.	उच्च मा. राजस्थानी गद्य संग्रह										
145.	उच्च मा. राजस्थानी पद्य संग्रह										
146.	तमिल पाठमाला										
147.	जीव विज्ञान (उ० मा० स्तर)										
148.	न्यू इंगलिश कोर्स रीडर वर्क बुक–II			क्रमांक 143 से 152 तक की पुस्तकों का प्रकाशन बोर्ड अपने स्तर पर करवाता है।							
149.	अभिनव कथा संग्रह										
150.	अभिनव काव्य संग्रह										
151.	गुजराती व्याकरण										
152.	धोरन नवमु										

153 से 216 तक की पुस्तकें जिनके मुद्रण हेतु बोर्ड द्वारा कागज नहीं दिया जाता उनकी सूची ध्वज–"बी" पर है।

नोट :— जिन पुस्तकों के नाम के सम्मुख "–" किया गया है उसका आशय पुस्तक का उस सत्र में मुद्रित नहीं होना है।

बोर्ड से पुस्तकों का मूल्य निर्धारित नहीं कराने वाले प्रकाशक पुस्तकों की सूची

क्र. सं.	प्रकाशक एवं पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	स्तर	स्टाक	मूल्य	प्रतियां प्राप्त हुईं या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
(1)	मैसर्स जनरल एजेंसी. पुरानी मण्डी, अजमेर					
1.	साहित्यिक मोती	पी. एच. भूरानी	सै. (तृ. भा.)			
2.	न्यू सिन्धी ग्रामर एण्ड कम्पोजिशन	मोतीराम बलेचा	सै. (ऐ.)			
(2)	मैसर्स सुन्दर साहित्य पब्लिशिंग हाऊस. नवाब का बेड़ा अजमेर :					
1.	चन्दन हारू (नस्त्र)	दीपचन्द, त्रिलोकचन्द व अन्य	सै. (ऐ.)			
2.	चन्दन हारू (नज्म)	,,	,, ,,			
3.	राणा प्रताप	मेलाराम वासवाणी	,, ,,			
4.	राजपूत बलिदान	,,	हा. सै. (ऐ)			
5.	सिन्धी रत्नमाला	दीपचन्द एवं गोरधन महबूबानी	,, ,,			
(3)	मैसर्स आल लेंग्वेजेज शार्ट हैण्ड इन्स्टीट्यूट, कचहरी रोड, अजमेर :					
1.	आल लेंग्वेज शार्ट–हैण्ड भाग–1 व 2	जे.के., टण्डन	सै./हा.सै. सै. (ऐ.)			

1	2	3	4	5	6	7
(4)	मैसर्स चिनमय प्रकाशन जयपुर :					
	1. आंधी और आस्था (राजस्थानी) साहित्य	अन्नाराम सुदामा	हा. सै. (ऐ.)			
(5)	मैसर्स ओरियन्ट लांगमैन्स 3/5 आसफ अली रोड, नई दिल्ली :					
	1. गृह विज्ञान	(श्रीमती) हन्ना सेन व लेडी इरविन	सै. उद्योग			
	2. एग्जामिन योर इंगलिश	मारग्रेट एम. मैसन	हा. सै. (ऐ.)			
	3. मोबी डिक	हरमन मेलविल	,, ,,			
(6)	मैसर्स हेमकुण्ड प्रेस, ई-1/15, पटेल रोड, नई दिल्ली :					
	1. नवीन पंजाबी भाग-5		सै. (तृ. भाषा)			
(7)	मैसर्स सुरजीत बुक डिपो, पो. बा. 1425, नई सड़क, दिल्ली :					
	1. शिरोमणि पंजाबी आकरण मुहावरे	ज्ञानी संतोषसिंह	,, ,,			
(8)	मैसर्स नवयुग पब्लिशर्स प्लेजर गार्डन मार्केट, चांदनी चौक नई दिल्ली :					
	1. गरीब दी दुनिया (पंजाबी)	नानक सिंह	हा. सै. (ऐ)			

1	2	3	4	5	6	7
(9)	मैसर्स भारती भवन, नई, सड़क, दिल्ली :					
	1. केरियर कोर (पंजाबी)	पंजाबी मानसिंह एवं जसवंतसिंह	सै. (ऐ.)			
(10)	मैसर्स रायसाहब रामदयाल अग्रवाल, 265, कटरा रोड, इलाहाबाद :					
	1. तहजीबुल कवायद		सै./हा. सै.			
	2. इन्तिखाब अज गुलिस्तां वा बोस्ता		हा. सै. (ऐ.)			
(11)	मैसर्स यंगमैन एण्ड कं. 888, नई सड़क, दिल्ली :					
	1. हाई स्कूल उर्दू ग्रामर एण्ड कम्पोजीशन	मोहम्मद हुसैन खां नासिर	सै. (ऐ)			
	2. सरल गृह विज्ञान	गुप्ता एवं महेशचन्द्र	सै./हा. सै. (ऐ.)			
(12)	मैसर्स विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर :					
	1. चमड़े का काम	एस. सी. डेविड	सै. (उद्योग)			
(13)	मैसर्स सचिव महाराष्ट्र स्टेट टेस्ट बुक ब्यूरो, पूना :					
	1. गुजराती प्रवेशिका धोरण नवमु		सै. (तृ. भाषा)			
(14)	मैसर्स सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इण्डियन लेंग्वेजेज, मानस गंगोत्री, मैसूर :					
	1. अपनी बोली (मलयालम)		सै. (तृ. भाषा)			

(277)

1	2	3	4	5	6	7
(15)	मैसर्स समन्वय भारती प्रकाशन, 3 रामनाथ मजूमदार स्ट्रीट, कलकता :					
	1. बंगला भाषा प्रवेश (बंगाली)	बून्दू भुषणदास गुप्ता	सै. (तृ. भाषा)			
	2. हिन्दी-बंगाली डायग्राम्स	,, ,,	,, ,,			
	3. लर्न बंगाली योरसेल्फ	,, ,,	,, ,,			
(16)	मैसर्स बिशनचन्द एण्ड सन्स, उल्हासनगर, थाना, बम्बई :					
	1. श्योर सक्सेस इन सिन्धी ग्रामर	एल. बी. खान चन्दानी एव जुमानी	हा. सै. (ऐ)			
(17)	मैसर्स इण्डियन प्रेस, 36 पन्नालाल रोड, इलाहाबाद (यू. पी.)					
	1. पसन्दीदा अदबी अफसाने (उर्दू)	श्याम किशोर	हा. सै. (ऐ.)			
(18)	मैसर्स लाहौर बुक शाप 2 लाजपत राय मार्ग, सोसायटी सिनेमा के पास, लुधियाना (पंजाब)					
	1. जीवन लीला (पंजाबी)		हा. सै. (ऐ.)			
(19)	सचिव, पंजाब स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, मोहाली रोपड़ (पंजाब)					
	1. चोणवी पंजाबी कविता ते वार्तक	अमृता प्रीतम व कपूरसिंह	सै. (ऐ.)			

1	2	3	4	5	6	7
	2. चौणवी पंजाबी एकांगी अते कहानियां कुलवन्तसिह वर्क	बलवन्त गार्गी,	सै. (ए)			
	3. पंजाबी कविता दीवानगी	प्रो. सोहनसिंह (सम्पादक)	हा. सै. (ऐ)			
	पंजाबी ग्रामर	करतारसिह	,, ,, ,,			
(20)	मैसर्स अजीत प्रकाशन डा. धमेन्द्र एम. मास्टर' 5, वल्लभनगर, सोसायटी, कालेज रोड, निडियाद :					
	1. धन्धादारी गुजराती रंग भूमिना नाटकोना गीतो	मधुरम	हा. सै. (ऐ.)			
	2. कुंजन (गुजराती)	मधुरम	सै. (तृ. भा.)			
(21)	मैसर्स बारहट प्रकाशन, फेफाना (श्री गंगानगर)					
	1. शकुन्तला (राजस्थानी) (साहित्य)	करनीदान	सै. (ऐ.)			
(22)	मैसर्स रामनारायण लाल, बेनीमाधो 2 कटरा रोड, इलाहाबाद :					
	1. शाहकारे फारसी (फारसी)	हाफिज अब्दुल अलीम खां	सै./हा.सै (ऐ)			
(23)	मैसर्स भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद :					
	1. भारतीय चित्रकला	श्रीराम कृष्ण दास	हा. सै. (ऐ)			

(2791)

1	2	3	4	5	6	7
(24)	मैसर्स लायल् बुक डिपो राजकीय कालेज के पास, मेरठ :					
	1. रूपप्रद कला के मूल आधार	शिवकुमार शर्मा	हा. सै. (ऐ)			
(25)	मैसर्स आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस2/11 अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली :					
	1. पोयट्री फार प्लेजर	मांग कांग	हा. सै. (ऐ.)			
	2. स्टेण्डर्ड इंगलिश ग्रामर	ई. ई. आर. मेनन	सै./हा. सै. (ऐ.)			
	3. प्रेक्टीकल इंगलिश ग्रामर	थामसन एण्ड मारलिनेट	,, ,,			
(26)	मैसर्स नवजीवन ट्रस्ट कार्यालय पो. ओ. नवजीवन अहमदाबाद (गुजरात) :					
	1. काव्य परिचय भाग	पारेख एवं	हा. सै.			
	2. (गुजराती)	रा. वी. पाठक	(ऐ.)			
(27)	मैसर्स खडायता बुक डिपो, गांधी पुल के नीचे, अहमदाबाद :					
	1. पिंगल प्रवेश (गुजराती)	चिमन भाई त्रिवेदी	हा. सै. (ऐ.)			
	2. अलंकार दर्शन	भट्ट व त्रिवेत्री	,, ,,			
(28)	मैसर्स विष्णु आर्ट प्रेस, 257 चक जीरो रोड, ऋषि कुटीर, इलाहाबाद :					
	1. हिन्दी सांकेतिक लिपि	ऋषिलाल अग्रवाल	सै./हा. सै. (ऐ.)			

1	2	3	4	5	6	7
(29)	मैसर्स कामर्शियल टेलर्स प्रा. लि. डा. अम्बेडकर रोड, दादर, बम्बई :					
	1. ईजी कटिंग	एम. बी. जुबेकर	सै. (उद्योग)			
(30)	मैसर्स विश्व भारती 6, आचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता :					
	1. कथा और कहानी (बंगाली)	रवीन्द्र नाथ टैगोर•	सै. (तृ. भा.)			
(31)	मैसर्स गुरुदास चटर्जी एण्ड सन्स 203/1/1, विधान सारणी, कलकत्ता :					
	1. रामेरसुमति (बंगाली)	शरतचन्द्र	सै. (तृ. भा)			
(32)	मैसर्स हरिहर पुस्तकालय, टावर रोड, सूरत (गुजरात)					
	1. साहित्य माधुरी भाग–1 (गुजराती)	सुन्दर बटाई एवं उपेन्द्र पाण्डया	सै. (ऐ.)			
(33)	मैसर्स आर. आर. सेठ एण्ड कं. पो. बा. नं–2517, केशव बाग प्रिन्सेस रोड, बम्बई :					
	1. जागीने जोउतो (गुजराती)	अमृतलाल याज्ञनिक	सै. (ऐ.)			
(34)	मैसर्स पुस्तक भण्डार, लहेरिया सराय, पटना :					
	1. मिफ्ता उल तर्जुमा भाग–1 व 2	मुसन्निफ मौलवी हाजी सफी उल्ला	सै. (ऐ.)			
(35)	मैसर्स एजूकेशन बुक हाउस, यूनिवर्सिटी मार्ग, अलीगढ़ :					
	1. इब्तदाई उर्दू निसाब	अबुल कलाम कासिमी	सै. (तृ. भा.)			

1	2	3	4	5	6	7
	2. उर्दू नस्त्र व नज़्म	ग्रतीक ग्रहमद सिदकी एवं मन्जर अवास नकी	सै. (ऐ.)			
(36)	मैसर्स नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी (यू. पी.) :					
	1. भारतीय मूर्तिकला (चित्रकला)	राय कृष्ण दास	हा. सै. (ऐ.)			
(37)	मैसर्स गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, फव्वारा, महात्मा गांधी मार्ग, अहमदाबाद :					
	1. धूमकेतु तणखा मण्डल भाग-1 (गुजराती)		हा. सै. (ऐ.)			
	2. साधना भ्रारा	उमा शंकर जोशी	,, ,,			
(38)	मैसर्स सरसैयद बुक डिपो, प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता, जामिया उर्दू, ग्रलीगढ़ :					
	1. मुन्तखब नज्में (उर्दू)-		हा. सै. (ऐ.)			
(39)	मैसर्स ग्रशोक प्रकाशन, साकेत कालोनी, सुरेन्द्रनगर, अलीगढ़ :					
	1. कला ग्रौर कला (चित्रकला)	गिरजिकिशोर ग्रग्रवाल	हा. सै. (ऐ.)			
(40)	मैसर्स राम प्रसाद एण्ड सन्स, ग्रस्पताल रोड, ग्रागरा :					
	1. ए सिम्पल मैनुग्रल आफ टाइप राईटिंग	एच. प्रसाद एण्ड एम. पी. सिंह	सै./हा. सै.			
(41)	मैसर्स प्रेस पब्लिकेशन, ग्राट्स डी ट्री 183 गिरगांव रोड, बम्बई :					
	1. फ्री हैण्ड ड्राइंग भाग-1 व 2	एच. एम. मेहता वी. एस. ग्रधाकार	सै. (ऐ.)			

2082

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 495 की सूची

झालावाड़ जिले में वर्ष 1983–84 में स्वीकृत किये गये विद्यालय

प्राथमिक विद्यालय शहरी क्षेत्र :—

1. भोई मोहल्ला, झालावाड़ ।
2. हरिजन मोहल्ला, झालरापाटन ।
3. हरिजन मोहल्ला, सुनेल ।

प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र (पंचायत समितिवार)

नाम पंचायत समिति 1	विद्यालय का नाम 2	वि.वि. 3
1. झालरापाटन	1. माड़ा 2. कोलाना 3. खोरासी 4. घनोड़ा 5. कंवरपुरा 6. मोरड़ा 7. कालीतलाई 8. फीतापुरा (झीकड़िया)	माडा पूर्व में हा प्रा.वि. है जिसके स्थान पर हथोनियां को प्रा.वि. करने हेतु लिखा गया है ।
2. खानपुर	1. हरीगढ़ (कन्या) 2. चांदपुरा चपलाड़ा 3. भमरी 4. समरोल 5. अम्बाला 6. बागोह 7. चपलाड़ा 8. घानोदाखुर्द	
3. डग	1. गुराडिया देवड़ा 2. खामला 3. सारंगाखेड़ा 4. निपानियाझाला 5. चौकड़ी खुर्द 6. राजपुरा	
4. पिड़ावा (सुनेल)	1. पाऊखोड़ी 2. खोखड़िया 3. सिलोरी 4. सांवतखेढ़ा 5. बाल्दा 6. डडेरा 7. खामणी 8. रूपाखेड़ी 9. ताल	
5. बकानी	1. झींकड़िया 2. कोलो 3. पाडलिया 4. नया गांव भडेरी	

(283)

1	2	3
	5. ददलाई 6. बोरखोड़ी	
	7. राजपुरा 8. भींकडिया	
	9. खटकड़ 10. भीतापुरा	
	11. जगपुरा 12. उम्मेदपुरा	
	13. खांचरोद	
	14. गणेशपुरा	
	15. दुर्जनपुरा 16. रोजा	
	17. रांकड़ा 18. देवलीबड़.	
6. मनोहरथाना	1. देवरी देव 2. लसूड़िया गेंद	
	3. खेरखोड़ा 4. बामला वेह	
	5. डेकड़िया खेड़ी	

उच्च प्राथमिक विद्यालय (छात्र संस्थाएं) पंचायत समितिवार :—

विद्यालय का नाम	पंचायत समिति
1. अकावद खुर्द	खानपुर
2. पखराना	खानपुर
3. बुधवाड़ा	मनोहरथाना
4. कामखेड़ा	मनोहरथाना
5. सामरिया	पिड़ावा
6. सूलिया	झालरापाटन
7. पगारिया	डग

उच्च प्राथमिक विद्यालय (छात्रा संस्थाएं) पंचायत समितिवार :—

विद्यालय का नाम	पंचायत समिति
1. पनवाड़	खानपुर
2. कोटडा	पिड़ावा

ह०

जिला शिक्षाधिकारी,
(छात्र संस्थाएं)
झालावाड़

284

परिशिट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 498 की सूची

सूची 'अ'

भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ, भीलवाड़ा (राज.)

—: सत्र 1981–82 के केन्द्रों की सूची :—

क्र. सं.	गांव का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
1	2	1	2
1.	कुवांर का बाडिया	25.	खायड़ा
2.	गोकुलपुरा	26.	खायड़ा
3.	मण्डपिया	27.	गुरलां
4.	कोचरिया	28.	बल्याखेड़ा
5.	वड़ा महुग्रा	29.	रूपाहेली
6.	पुर	30.	जीत्याखेड़ी
7.	दादीया	31.	धांगडास
8.	कोटूकोटा	32.	पीपली
9.	ग्रामली	33.	डेडवास
10.	खेराबाद	34.	दरीबा
11.	रूपासिया	35.	दौलतपुरा
12.	कलन्दिया	36.	जागदरी
13.	हासियास	37.	भगों का खेड़ा
14.	मंगरोप	38.	कोटड़ी
15.	सगतपुरा	39.	मोमी
16.	जवासिया	40.	समोड़ी
17.	तख्तपुरा	41.	गुन्दली
18.	बरड़ोद	42.	वोरड़ा
19.	दरी	43.	रघुनाथपुरा
20.	मण्डपिया	44.	गोडरमाला
21.	कान्याखेड़ी	45.	महेशपुरा
22.	गोवर्धनपुरा	46.	रीछड़ा
23.	ढाणी	47.	तोलोली
24.	गड़ पाछली ग्रामली	48.	पुरावतों का ग्राकोला

1	2	1	2
49.	गुवारड़ी	81.	कान्दा
50.	कान्याखेड़ी	82.	ओज्याड़ा
51.	भोली	83.	राजपुरा
52.	आटूण	84.	गठिलाखेड़ा
53.	रूपपुरा	85.	पाऊनियास
54.	नोगांवा	86.	दरीबा
55.	पांसल	87.	अम्बाखेड़ी
56.	हुलेड़	88.	पोण्ड्रास
57.	हुलेड़	89.	गाडरमाला
58.	कोचरिया	90.	सीदड़ीयास
59.	बड़ा महुआ	91.	सांगवा
60.	रीछड़ा	92.	श्रीनगर
61.	कान्दा	93.	धूलेखेड़ा
62.	धूलेखेड़ा	94.	धूलेखेड़ा
63.	राजपुरा	95.	कोटूकोटा
64.	रीछड़ा	96.	रूपाहेलीखेड़ा
65.	रीछड़ा	97.	जीतूपिया
66.	कान्दा	98.	आरलिया
67.	छापरी	99.	चमारों का खेड़ा
68.	लावड़ों का खेड़ा	100.	देवली
69.	चौपड़ों का खेड़ा	101.	बांसड़ा
70.	अगरपुरा	102.	हीरा जी का खेड़ा
71.	नाथों का खेड़ा	103.	बांसड़ा
72.	टुडीयां	104.	आरजिया
73.	टुडीयां	105.	धूमड़ास
74.	सेतुरिया	106.	चोड्लों का खेड़ा
75.	टुडीयां	107.	राजोला
76.	कलून्दिया	108.	कुमारियर
77.	सीयार	109.	दादीया
78.	ओजोगार	110.	बड़ा महुआ
79.	दुतीखेड़ा	111.	दांतालाति
80.	एगलिगपुरा	112.	कुमार का बाड़िया

1	2	1	2
113.	गोविन्दसिंह का खेड़ा	147.	कारोई का खेड़ा
114.	पीपली	148.	कान्दा
115.	खेड़ी	149.	नया समेलिया
116.	बरसोलियां	150.	सायला
117.	दान्थल	151.	कारोई
118.	सबलपुर	152.	गाडरमाला
119.	दान्थल	153.	गाडरी खेड़ा
120.	गढ़ पाछली ग्रामली	154.	सीदड़ियास
121,	हमीरगढ़	155.	तेलीखेड़ा
122.	तख्तपुरा	156.	पीपली
123.	कीरों की झोंपड़ियां	157.	हातियास
		158,	सोलंकियों का खेड़ा
124.	हमीरगढ़	159.	सुवाणा
125.	सुजरास	160.	हलेड
126.	गाडरमाला	161.	हलेड़
127.	चैनपुरा	162.	बड़ा महुआ
128.	सायला	163.	बड़ला जाटों का
129.	मंगरोप	164.	गेन्दलिया
130.	मंगरोप	165.	जावल
131.	माण्डलगढ़	166.	रीछ
132.	मंगरोप	167.	कालियास
133.	अम्बाखेड़ी	168.	पीथास
134.	कावरा	169.	पीथास
135.	दान्थल	170.	जावल
136.	भगा का खेड़ा	171.	नन्दराय
137.	छापरी	172.	गेन्दलिया
138.	बिलिया खुर्द	173.	गेन्दलिया
139.	कावरा	174.	बड़ला जाटों का
140.	दान्थल	175.	गेन्दलिया
141.	पाडलिया खेड़ा	176.	ईटावा
142.	ओज्याड़ा	177.	चावण्डिया
143.	एकलिंगपुरा का खेड़ा	178.	बनकाखेड़ा
144.	सांगवा	179.	बनकाखेड़ा
145.	कारोई का खेड़ा	180.	रेड़वास
146.	कारोई	181.	कानपुरिया

1	2	1	2
182.	कोदीयां	216.	सरसड़ी
183.	गोगास	217.	सातोला
184.	ऊंकारपुर	218.	दोवनी
185.	मन्शा	219.	मनकड़ी
186.	सातोला का खेड़ा	220.	रेणवास
187.	वांगला की झोंपड़ियां	221.	रेडवास
188.	सोपुरा	222.	जगपुरा
189.	रेडवास	223.	नोहर
190.	उदलियास	224.	गोण्डा
191.	नन्दराय	225.	कंवलियास
192.	संग्रामपुर	226.	झाड़ोल
193.	देवरिया	227.	जसवन्तपुरा
194.	सोपुरा	228.	रुगनाथपुरा
195.	मुरलिया	229.	सालरिया
196.	लसाडिया	230.	पुरोहित जी का खेड़ा
197.	राम सिंह जो की झोंपड़ियां	531.	गंगा का खेड़ा
198.	अमरलिया	232.	वांगा का खेड़ा
199.	ककरोलिया घाटी	233.	वड़ाखेड़ा
200.	वड़लियास	234.	नन्दराय
201.	किशनगढ़	235.	अखेपुरा
202.	हस्तड़ा	236.	नन्दराय
203.	रेणवास	237.	रेडवास
204.	जायल	238.	गाडरीखेड़ा
205.	जाटों का नोहरा	239.	कोटड़ी
206.	ग्रामा	240.	चतरपुरा
207.	ब्राह्मणों की झोंपड़ियां	241.	वड़लियास
208.	ईटावा	242.	वड़लिया
209.	हट्टुन्दी	243.	वड़लियास
210.	रीठ	244.	वड़लियास
211.	उदलियास	245.	बोरडियास
112.	हरपुरा	246.	भडक्या
213.	पीथास	247.	सींगी जी का खेड़ा
214.	बीरमियास	248.	अडमीपुरा
215.	ग्रामा		

1	2	1	2
249.	कोटड़ी	277.	जित्या
250.	ढोकलिया	278.	जित्या
251.	बनकाखेड़ा	279.	उदलियास
252.	देवरिया	280.	खैरूणा
253.	देवरिया	281.	दाग्यों की कोटडी
254.	लखमणियास	282.	सबला जी का खेड़ा
255,	बनकाखेड़ा	283.	गेतापारोली
256.	बनकाखेड़ा	284.	खोलपुरा
257.	चावण्डिया	285.	आकोला छीपों का
258.	जीपियां का खेड़ा	286.	जित्यास
259.	ककरोलिया	287.	मेलखेड़ा
260.	लसाडिया	288.	बड़लियास
261.	बोरखेड़ा	289.	बीरधोल
262.	माता जी का खेड़ा	290.	बीरधोल
263.	बड़लियास	191.	नन्दराय
264.	भाकलियांस	292.	बड़लाजाटों का
265.	गन्धेरी	293.	नन्दराय
266.	बनकाखेड़ा	294.	नन्दराय
267.	खजीना	295.	जेतपुरा
268.	सिंहपुरा	296.	खोलपुरा
269.	बड़लियास	297.	गणेशपुरा
270.	कोदीया	298.	डुबकिया
271.	माणकपुरा	299.	कल्याणपुरा
272.	बडलियास	300.	गहूली
273.	सिंहपुरा	301.	थालेड़ा
274.	गुलां का खेड़ा	302.	सगतपुरा
275.	होलीरड़ा	303.	गहूली
276.	आकोला	304.	सोडियास

289

सूची 'ब'

भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ, भीलवाड़ा (राज.)

सत्र 1982–83 के केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
1	2	1	2
1.	कुंवार का बाडिया	29.	सीपुरा
2.	कुंवार का बाडिया	30.	लखमणियास
3.	देवरिया	31.	नन्दराय
4.	रीठ	32.	जावल
5.	ऊँकारपुरा	33.	गफेसरा
6.	रीठ	34.	जगपुरा
7.	भाडोल	35.	जावल
8.	भड़किया	36.	नन्दराय
9.	मन्शा	37.	किशनगढ़
10.	डागा का खेड़ा	38.	खैरूणा
11.	गाडरी खेड़ा	39.	उदलियास
12.	सरसडी	40.	गूजरों का नोहरा
13.	हरपुरा	41.	कानपुरिया
14.	गहूँली	42.	मनकडी
15.	सगतपुरिया	43.	रेणवास
16.	टुडीयां का खेड़ा	44.	अठारों का खेड़ा
17.	जेतपुरा	45.	अड़सीपुरा
18.	वीरधोल	46.	मुरलिया
19.	गुरलां का खेड़ा	47.	रेणवास
20.	रेडवास	48.	बांगलों की झोंपड़ियां
21.	नोहरा	49.	वड़लियास
22.	गेतापारोली	50.	नन्दराय
23.	कंवलियास	51.	सिंगजी का खेड़ा
24.	कंवलियास	52.	किशनपुरा
25.	होलीरडा	53.	सिंहपुरा
26.	खोरखेड़ा	54.	बिल्लीयां
27.	बड़लाजाटों का	55.	दादीया
28.	खजीना		

1	2	1	2
56.	दादीया	88.	जवासिया
57.	सांगवा	89.	ढूनियाखेड़ा
58.	सांगवा	90.	कान्दा
59.	वांसड़ा	91.	मण्डपिया
60.	बोरड़ा	92.	माताजी का खेड़ा
61.	खायड़ा	93.	चतरपुरा
62.	खायड़ा	94.	कोदीया
63.	एकलिंगपुरा	95.	चोपड़ों का खेड़ा
64.	ग्रावा खेड़ी	96.	हीरा जी का खेड़ा
65.	छापरी	97.	धूमड़ास
66.	मण्डपिया	98.	सोलकियों का खेड़ा
67.	शक्तावतों का खेड़ा (मतुरिया)	99.	सानोला का खेड़ा
68.	मोमी	100.	ग्राकोला
69.	नोगांवा	101.	साडियास
70.	ढोलीखेड़ा	102.	माणकपुरा
71.	रूपपुरा	103.	ग्रांज्याड़ा
72.	कोदूकोटा	104.	गोगास
73.	ग्राकोला पुरावतों का	105.	जीत्या
74.	छापरी	106.	जीत्या
75.	मंगरोप	107.	वीरम्यास
76.	ग्रारजिया	108.	गोटड़ा
77.	गोकुलपुरा	109.	जित्यास
78.	बलीया खेड़ा	110.	पीयास
79.	कोटड़ी	111.	लसाडिया
80.	दान्थल	112.	जागदरी
81.	ग्रामली	113.	दावनी
82.	गुवारड़ी	114.	डेडवास
83.	गठीला	115.	कलुन्दिया
84.	मुजरास	116.	कलुन्दिया
85.	कागराखेड़ा	117.	महेशपुरा
86.	बतकों का खेड़ा	118.	पाटनीयास
87.	दरी	119.	कीरों की झोंपड़ियां

291

1	2	1	2
120.	चावण्डिया	152.	वनकाखेड़ा
121.	वड़ला जाटों का	153.	कालीरटिया
122.	तेली खेड़ा	154.	वनकाखेड़ा
123.	भीलवाड़ा	155.	चावण्डिया
124.	ढोकलिया	156.	वड़ला जाटों का
125.	मागों की भोंपड़ियां	157.	रेणवास
126.	भगवानपुरा	158.	गेतापारोली
127.	ढोकलिया	159.	आकोला छीपों का
128.	कोटड़ी	160.	सौपुरा
129.	मालीखेड़ा	161.	रेणवास
130.	जसवन्तपुरा	162.	सालरिया
131.	कादीयां	163.	वनकाखेड़ा
132	गूजरों की भोपड़ी	164.	चौधरियास
133.	फतेहगढ़	165.	खारों का खेड़ा
134.	रीठ	166.	चौधरियास
135.	वीरम्यास	167.	आमा
136.	देवरिया	168.	आमा
137.	देवरिया	169.	सूठेपा
138.	देवरिया	170.	सूठेपा
139.	मन्शा	171.	भोकलिया
140.	बागड़ी	172.	गेन्दलिया
141.	सोला का खेड़ा	173.	उजलियास माफी
142.	जगपुरा	174.	सूठेपा
143.	जगपुरा	175.	सूठेपा
144.	गोगास	176.	गेन्दलिया
145.	दांतड़ा	177.	गन्धेरी
146.	नन्दराय	178.	केसरपुरा
147.	अखेपुरा	179.	देवली
148.	जावल	180.	किशनगढ़
149.	नन्दराय	181.	सूंडा का खेड़ा
150.	बड़ाखेड़ा	182.	वराठीया
151.	बेराडियां की भोंपड़िया	183.	तख्तपुरा

(292)

1	2	1	2
184.	तख्तपुरा	217.	कीरतपुरा
185.	हमीरगढ़	218.	कारोइंकला
186.	हमीरगढ़	219.	सांगवा
187.	रूपालियां	220.	तिलोली
188.	कावरा	221.	देवली
189.	जवासियों का खेड़ा	222.	चाबदेड
190.	चोइलां का खेड़ा	223.	तिलोली
191.	ग्रामली	224.	नोगांवा
192.	ग्रामली	225.	पौण्ड्रास
193.	बड़ामहुग्रा	226.	दान्थल
194.	गाडरी खेड़ा	227.	गुरलां
195.	पुरावतों का आकोला	228.	गाडरमाला
196	छापरी	229.	भालोजा
197.	कोदूकोटा	230.	तीलां का खेड़ा
198.	सीदड़ियास	231.	कारोई
199.	छापरी	232.	दरीबा
200.	बड़ा महुग्रा	233,	राजपुरा
201.	पारलियां का खेड़ा	234.	कान्दा
202.	बड़ा महुआ	235.	दरसोलिया
203.	रीछड़ा	236.	जोधड़ास
204.	रीछड़ा	237.	रूपाहेली
205.	रीछड़ा	238.	गुन्दली
206.	चोपड़ों का खेड़ा	239.	किशनगढ़
207.	सीदडीयास	240.	ग्रखेपुरा
208.	कोदूकोटा	241.	हाजीवास
209.	सीदडीयास	242.	गहूली
210.	सोंकडी खेडी	543.	सोडियास
211.	रूपाहेलो	244.	रीठ
212.	हलेड़	245.	नहूंली
213.	भगा का खेड़ा	246.	मुरलिया
214.	धांगड़ास	247.	रेणवास
215.	भदालीखेड़ा	248.	चान्दगढ़
216.	कोटड़ी	249.	बड़ाखेड़ा

1	2	1	2
250.	जीत्या	278.	महेशपुरा
251.	पीलियों की झोंपड़ियां	279.	दांताजति
252.	वालियाखेड़ा	280.	कुम्हारिया
253.	चोहली	281.	कान्याखेड़ी
254.	लखमणियास	282.	बोरड़ा
255,	नन्दराय	283.	ग्रामली
256.	कानपुरा	284.	दरीवा
257.	दरगाहा का खेड़ा	285.	गाडरमाला
258.	चावण्डिया	286.	ग्राम्बाखेड़ी
259.	गेंगा का खेड़ा	287.	एकलिंगपुरा का खेड़ा
260.	उदलियास माफी	288.	हलेड़
261.	पारलिया खेड़ा	289.	कारोई
262.	गोवर्धनपुरा	290.	आमलीगढ़ पाछली
263.	वड़ामहुग्रा	291.	रतनपुरा
264.	रूपाहेली खेड़ा	292.	ढाणी
265.	रामपुरिया	293.	वरडोद
266.	वांसड़ा	294.	समोड़ी
267.	खेड़ी	295.	रघुनाथपुरा
268.	हांसियास	296.	वरडोद
269.	भोली	297.	ग्रोज्याड़ा
270.	दरीवा	298.	रेण की झोंपड़ियां
271.	कोचरिया	299.	जवासिया का खेड़ा
272.	वलाइयों का खेड़ा	300.	ग्रामा
273.	लावड़ों का बाड़ा	301.	जित्या
274.	भैरूखेड़ा	302.	मगरोप की झोंपड़ियां
275.	गाडरमाला	303.	नानकपुरा
276.	कान्दा	304.	नानकपुरा का खेड़ा
277.	कारोई का खेड़ा	305.	पीपली

सूची–स

भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ, भीलवाड़ा (राज०)
सत्र 1983–84 के केन्द्रों की सूची

क.सं.	गांव का नाम	क.सं.	गांव का नाम
1	2	1	2
1.	कुंवार का बाडिया	28.	मीणों की भोंपड़ियां
2.	बीरम्यास	29.	ढोलकिया
3.	गोरा का खेड़ा	30.	लसाडिया
4.	देवरिया	31.	लखमणियास
5.	बागा का खेडा	32.	लखमणियास
6.	भडकिया	33.	सांपुरा
7.	सींगी जी का खेड़ा	34.	कालीरडिया
8.	,, ,,	35.	गेतापारोली
9.	गहूंली	36.	आकोला
10.	ऊंकारपुरा	37.	आकोला
11.	बागड़ी	38.	बड़ला जाटों का
12.	सोड़ियास	39.	बड़ला जाटों का
13.	सोला का खेड़ा	40.	बड़ला जाटों का
14.	बीरधोल	41.	रुघनाथपुरा
15.	माणकपुरा	42.	रेणवास
16.	कल्याणपुरा	43.	रेडवास
17.	गुला का खेड़ा	44.	रेणवास
18.	कोटड़ी	45.	रेणवास
19.	भाड़ोल	46.	गोठड़ा का भोंपड़ा
20.	जसवन्तपुरा	47.	गोठड़ा
21.	रीठ	48.	नोहरा
22.	रीठ	49.	होलीरड़ा
23.	गाडरी खेड़ा	50.	होलीरड़ा
24.	रीठ	51.	बनकाखेड़ा
25.	सरसड़ी	52.	बनकाखेड़ा
26.	फतेहगढ़	53.	बनकाखेड़ा
27.	उदलियास	54.	सालरिया

1	2	1	2
55.	गेतावारोली	87.	गोगास
56.	बांडियास	88.	गोगास
57.	ककरोलिया (माफी)	89.	जगपुरा
58.	रेगावास	90.	जगपुरा
59.	जित्या	91.	जगपुरा
60.	दोवन्नी	92.	अखेपुरा
61.	चौधरियास	93.	अखेपुरा
62.	जीवणपुरा	94.	देवली
63.	सुठेपा	95.	गफेसरा
64.	चांदगढ	96.	माता जी का खेडा
65.	जित्या	97.	बड़ा खेड़ा
66.	आमा	98.	गन्धेरी
67.	उदलियास	9..	दांतड़ा
68.	वरून्दनी	100.	गुर्जरखेड़ा
69.	वरून्दनी	101.	वलिया खेडा
70.	वरून्दनी	102.	वांगा की झोंपड़ियां
71.	मेहता जी का खेड़ा	103.	चतरपुरा
72.	बिलोड़	104.	खैरूणा
73.	रामनगर	105.	गुजरों का नोहरा
74.	धाकड़ खेड़ी	106.	परमेश्वरपुरा
75.	वागीद	107.	खटवाड़ा
76.	सूरास	108.	वराटिया
77.	हिंगोनिया	109.	ओज्याड़ा
78.	किशनपुरा	110.	सूडा का खेड़ा
79.	गाडरियों की झोंपडियां	111.	कान्याखेडी
80.	नाहरगढ़	112.	कीरों की झोंपड़ियां
81.	व्यास जी का बड़ला	113.	जवासिया
82,	व्यास जी का बड़ला	114.	बोरड़ा.
83.	नन्दराय	115.	रूपालिया
84.	नन्दराय	116.	कावरा
85.	किशनगढ़	117.	वरडोद
86.	किशनगढ़	118.	आमली

1	2	1	2
119.	जवासियों का खेड़ा	151.	नौगांवा
120.	जवासियों का खेड़ा	152.	कोचरिया
121.	नाथडियास	153.	ढोलीरडा
122.	मुरणपुरा	154.	टिलाकाखेड़ा
123.	गुवारडी	155.	कारोई
124.	बन्जारा	156.	ढारणी
125.	आमली	157.	गुरलां
126.	दांताजती	158.	लावडों का बाड़ा
127.	हमीरगढ़	159.	राजोला
128.	रूपाहेली	160.	जागदरी
129.	पोण्ड्रास	161.	देवली
130.	मगा का खेड़ा	162.	मोमी
131.	रेण	163.	कोटडी (दरीबा)
132.	रेण की झोंपड़ी	164.	मोमी
133.	दान्थल	165.	तेलीखेड़ा
134.	धांगडास	166.	चौएड़ों का खेड़ा
135.	सोलंकियों का खेड़ा	167.	गोकलपुरा
136.	कान्दा	168.	खायड़ा
137.	कान्दा	169.	खायड़ा
138.	दलेलसिंह का खेडा	170.	आकोला
139.	कलुन्दिया	171.	छापरी
140.	कलुन्दिया	172.	छापरी
141.	भोली	173.	आरजिया
142.	पीपलो	174.	रीछड़ा (मदाली खेड़ा)
143.	कान्दा	175.	रीछड़ा
144.	सियार	176.	बड़ा महुआ
145.	शिवपुरी (रूपाहेली)	177.	बड़ामहुआ
146.	रूपाहेली खेड़ा	178.	श्रीनगर
147.	सोला का खेड़ा	179.	भीलवाडा
148.	महेशपुरा	180.	एकलिंगपुरा
149.	देवली	181.	आबाखेड़ी
150.	चावदड़ी	182.	धूमडास

Page No. 337

(297)

1		2	3
183.	बांसड़ा	216.	खजीना
184.	बांसड़ा	217.	रानीखेड़ा
185.	सांगवा	218.	रेणवास
186.	दादीया	219.	जावल
187.	दादीया	220.	जावल
188.	सांगवा	221.	महेश (रेण का झोंपड़ा)
189.	गुन्दली	222.	दौलतपुरा
190.	डेडवास	223.	पान्सल
191.	गुन्दली	224.	समोड़ी
192.	भदाली खेड़ा	225.	दरीबा
193.	दरीबा	226.	किरतपुरा
194.	कोदूकोटा	227.	कोटड़ी (दरीबा)
195.	बरसोलिया	228.	ओज्याड़ा
196.	सगतपुरिया	229.	ओज्याड़ा
197.	स्वरूपगंज	230.	सगतपुरिया
198.	वरडोद	231.	नन्दराय
199.	तख्तपुरा	232.	सुठेपा
200.	खैराबाद	233.	सिंगोली
201.	खैराबाद	234.	सीदडियास
202.	हमीरगढ़	235.	जित्या
203.	हुर्नियाखेड़ा	236.	पीपली
204.	हुर्नियाखेड़ा	237.	खेड़ी
205.	कालसास	238.	कोदिया
206.	माता जी का खेड़ा	239.	हरपुरा
207.	कालसास	240.	हाजीवास
208.	सबलपुरा	241.	कावरा खेड़ा
209.	रूपाहेली	242.	सरसडी
210.	कानपुरा	243.	कोदिया
211.	पार्वतीपुरा	244.	सातोला
212.	दांता का खेड़ा	245.	कोदिया
213.	कारोई	246.	हाजीवास
214.	संगतपुरिया	247.	पपलास
215.	सातोला का खेड़ा	248.	मन्शा

(2010)

1	2	1	2
249.	मन्शा	277.	दान्थल
250.	पुरोहित जी का खेड़ा	278.	हलेड
251.	देवरिया	279.	हलेड
252.	गहूंली	280.	साकरिया खेड़ा
253.	देवरिया	281.	गायरी खेड़ा
254.	धानेड़ा	282.	तस्वारिया
255.	संग्रामपुरा	283.	सीदडियास
256.	ककरोलिया (माफी)	284.	सीदडियास (खेड़ा)
257.	गहूंली	285.	धेवरिया
258.	मन्शा	286.	कोटड़ी
259.	बिलिया	287.	कोटड़ी
260.	सिगोली	288.	जीवाखेड़ा
261.	गेंगा का खेड़ा	289.	देवलिया
262.	रेणवास	290.	मोटरों का खेड़ा
263.	जोजवा	291.	सरदारा की झोंपड़ियां
264.	जोजवा	292.	रायसिह जी की झोंपड़ियां
265.	धाकडखेड़ी	293.	सेतुरिया
266.	स्वरूपगंज	294.	सेतुरिया
267.	बिठलपुरा	295.	बिहारीपुरा
268.	केसरपुरा	296.	श्रोज्याड़ा
269.	हस्तड़ा	297.	हमीरगढ़
270.	हस्तड़ा	298.	मंगरोप
271.	ठन्ड का खेड़ा	299.	हमीरगढ़
272.	माता जी का खेड़ा	300.	स्वरूपगंज
273.	वरून्दनी	301.	कारोई
274.	वरून्दनी	302.	नन्दराय
275.	रासेड़	303.	मण्डपिया शक्तावतों का
276.	सवाईपुर	304.	पीथास

(299)

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 500 का विवरण एवं सूचना

परिशिष्ट "क"

यात्री बस दुर्घटना अनुग्रह योजना के अन्तर्गत मृतकों/अपंगों को दी गई आर्थिक सहायता का विवरण

क. सं.	मृत/अपंग यात्री का नाम व पता	वारिस का नाम व पता जिसको अनुग्रह राशि दी गई	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1–	श्रीमती अलोलबाई, सामरिया कलाँ तहसील बेगूं, जिला चित्तोड़।	श्री बरदा पुत्र श्री देवीजी, बलाई (पति) निवासी चित्तौड़गढ़।	15000/–
2–	श्रीमती मैमुनाबाई, निवासी आबादी मार्क बांवाड़ा।	श्री तैय्यब अली पुत्र श्री अलीभाई निवासी बांसवाड़ा	15000/–
3–	श्री विजयकुमार, कल्याण कालोनी बांसवाड़ा।	श्रीमती पुष्पादेवी, बांवाड़ा	15000/–
4–	श्री प्रकाश चंद, निवासी जिला काहुआ (मध्य प्रदेश)	श्री मन्सुखलाल, पुत्र श्री कोडरजी कलाल, निवासी मध्य प्रदेश	15000/–
5–	श्री रूपनारायण महेश्वरी, निवासी जमवारामगढ़, जयपुर।	श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री रूपनारायण महेश्वरी, निवासी जमवारामगढ़ जयपुर	15000/–
6–	श्री मिश्रीलाल जटिया, निवासी भीनमाल जिला नागौर।	श्रीमती झमइदेवी पत्नी श्री मिश्रीलाल जटिया जिला नागौर।	15000/–
7–	श्री बद्री प्रसाद निवासी ढाणी गादला ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय जयपुर।	श्रीमती ग्यारसी देवी श्री बद्रीप्रसाद निवासी सिकराय जयपुर।	15000/–
8–	श्री मूलचंद जागीड़ निवासी विराट नगर जिला जयपुर।	श्रीमती पिस्ता देवी श्री मूल चन्द जांगीड़, निवासी विराट नगर जयपुर।	15000/–

(300)

1	2	3	4
9–	श्री जाकिर अली निवासी बांसवाड़ा ।	श्रीमती शमाबेगम पत्नी श्री जाकिर अली बांसवाड़ा ।	15000/–
10–	श्री जगदीश प्रसाद निवासी भरतपुर	श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद निवासी भरतपुर ।	15000/–
11–	श्रीमती सज्जनबाई केडिया, निवासी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ।	श्री सज्जनलाल केडिया पुत्र श्री देवीराज केडिया, निवासी बांसवाडा ।	15000/–
12–	श्री मोतीसिंह पुत्र श्री तख्तसिंह निवरावोका गुडा, तहसील गोगुन्दा	श्रीमती फैकी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री मोती सिंह निवासी चरावोका गुडा तहसील गोगुन्दा	15000/–
13–	श्री कपूरचन्द पुत्र श्री श्री पनेचंद सेवक निवासी सादडी तहसील देसूरी जिला पाली ।	श्रीमती सुन्दर बाई पत्नी स्वर्गीय श्री कपूरचन्द निवासी सादड़ी तहसील देसूरी जिला पाली ।	15000/–
14–	श्री डालचंद इन्द्रावत पुत्र श्री सरदार मलजी प्रताप चौक, गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा ।	श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री डालचन्द इन्द्रावत प्रताप चौक, गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।	15000/–
15–	श्री कना पुत्र श्री धना मेघवाल, नि. सायरा, तहसील गोगुन्दा ।	श्रीमती शांती बाई पत्नी स्वर्गीय श्री कना मेघवाल नि. सायरा गोगुन्दा ।	15000/–
16–	श्री नाथूलाल कलाल पुत्र श्री जगरूप कलाल नि, पदारारण, तह. गोगुन्दा	श्रीमती कंकू बाई स्वर्गीय श्री नाथूलाल कलाल, नि. पदारारण तहसील गोगुन्दा ।	15000/–
17–	श्री देवीलाल सुराना पुत्र श्री कालूलाल सुराना निवासी ठाकुर देवारा, गोगुन्दा	श्रीमती लेहरबाई पत्नी स्व. श्री देवीलाल सुराना, नि. ठाकुर देसरा. गोगुन्दा पोस्ट गोगुन्दा ।	15000/–

1.	2	3	4
18–	श्री चतरसिंह पोरवाल पुत्र श्री मोहनलाल नि. पोरवालों की सहरी गोगुन्दा पो. गोगुन्दा।	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री चतरसिंह तनवाती पोरवालों की सहरी, गोगुन्दा पोस्ट गोगुन्दा।	15000/–
19–	श्री भजा पुत्र श्री नाथू मेघवाल नि. पदरारण पोस्ट पदरारण तहसील गोगुन्दा।	श्रीमती धूलीबाई पत्नी स्वर्गीय भजा नि. पदरारण गोगुन्दा।	15000/–
20–	श्री वक्ता पुत्र श्री उदा गाडली निवासी सेगड़, तहसील गोगुन्दा।	श्रीमती सरसीबाई पत्नी स्वर्गीय श्री वक्ता नि. सेमड तह. गोगुन्दा।	15000/–
21–	श्री रूपसिंह पुत्र श्री रतनसिंह निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा।	श्रीमती हरीबाई पत्नी स्वर्गीय श्री रूपसिंह नि. सायरा तहसील गोगुन्दा।	15000/–
22–	श्री गणेश लाल पुत्र श्री किशन लाल नागद निवासी भवानी बाग सवीना खेड़ा सेक्टर नं. 11 के पास, सबीना।	श्रीमती यशोदा बाई पत्नी स्वर्गीय श्री किसनलाल नागदा निवासी भंवानी बाग सवाना खेडा, सेन्टर नं. 11 के पास सवीना।	15000/–
23–	श्री चान्द मोहम्मद पुत्र श्री इब्राह्मी निहारघरों का मोहल्ला, चूड़ीघरों की मस्जिद, उदयपुर।	श्री इब्राहीम पुत्र श्री नूर मोहम्मद, निहारघरों का चूड़ी घरों की मस्जिद उदयपुर।	15000/–
24–	श्रीमती जडाव बाई पत्नी श्री नाहर सिंह नि. सायरा, तह. गोगुन्दा।	श्री नाहरसिंह पुत्र श्री पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी सायरा तह. गोगुन्दा।	15000/

(342)

परिशिष्ट "ख"

सोलेटियम-फण्ड स्कीम के अन्तर्गत मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मरने वाले अथवा घायलों को दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण

क्र. सं.	मृतक /घायल का नाम	वारिस का नाम व पता जिसे राशि दी गई	स्वीकृत राशि
1–	श्री जगदीश मल्लहोत्रा	श्रीमती संयोगिता रानी 523–ए, राजापार्क जयपुर ।	5000/–
2–	श्री देवेन्द्रसिंह मेहता	श्रीमती हेमलता मेहता, मेहताब टीबा, उदयपुर ।	5000/–
3–	श्रीमती शाहिदा	श्री अब्दुल शमी वास, बदनपुरा, जयपुर ।	5000/–

परिशिष्ठ ग

दिसम्बर 81 से फरवरी 1984 तक सडक दुर्घटनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	नाम जिला	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
1	अजमेर	772	227	857
2	भीलवाड़ा	224	105	301
3	नागौर	199	57	207

1	2	3	4	5
4	जयपुर	2042	553	1637
5	झुन्झुनू	132	33	161
6	सीकर	237	96	288
7	टौंक	89	50	89
8	भरतपुर	223	85	221
9	अलवर	399	134	382
10	सवाईमाधोपुर	244	57	270
11	धौलपुर	112	66	118
12	बीकानेर	466	129	623
13	चूरू	95	22	140
14	गंगानगर	510	231	433
15	जोधपुर	588	148	487
16	जालौर	124	33	179
17	जैसलमेर	69	17	101
18	बाड़मेर	91	17	145
19	पाली	472	118	552
20	सिरोही	148	41	169
21	कोटा	725	163	983
22	बूंदी	96	37	130
23	झालावाड़	108	34	152
24	उदयपुर	386	212	417
25	बांसवाड़ा	198	50	324
26	चित्तौड़गढ़	137	92	170
27	डूंगरपुर	134	39	161
	योग	9020	2846	9697

(304)

परिशिष्ट "घ"

दिसम्बर, 1981 से फरवरी, 1984 तक निगम की बस दुर्घटनाओं से मृतकों/घायलों पर व्यय की गयी चिकित्सा राशि/आर्थिक सहायता का विवरण

क्र. सं.	सम्भाग का नाम		चिकित्सा राशि/आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले का नाम		चिकित्सा/आर्थिक सहायता की राशि
1	2		3		4
1	सीकर	1	श्री मोहन लाल	घायल	277.00 रु.
		2	कुमारी सविता	,,	
		3	,, अमिता	,,	
		4	,, सुमित्रा	,,	
2	जोधपुर	1	श्री कुनण सिंह	,,	
		2	,, पुखराज सिंह	,,	
		3	,, चम्पा लाल	,,	2952.10 रु.
		4	,, पारू खां	,,	
		5	,, मलू खां	,,	
		6	,, नरसिंगा	,,	
		7	,, अम्बालाल	,,	
		8	,, रामचन्द्र	,,	
		9	,, तेजाराम	,,	
		10	,, नसीयत	,,	
		11	,, हाजू	,,	
		12	,, शाह मोहम्मद	,,	
		13	,, दानाराम	,,	
		14	,, राधेश्याम	,,	
		15	,, शंकर लाल	,,	
		16	,, पूखा	,,	
		17	,, हरीश	,,	
		18	,, सोहन सिंह	,,	
		19	,, मांगीलाल	,,	
		20	,, अभय	,,	
		21	,, त्रिभुवन	,,	

1	2		3		4
		22	श्री जेता	घायल	
		23	,, कुँवर पाल	,,	
		24	,, भरत लाल	,,	
		25	,, रूप सिंह	,,	
		26	,, गणेश लाल	,,	
		27	,, तख्त सिंह	,,	
		28	श्रीमती गुलाब बाई	,,	
		29	श्री रावा	,,	
		30	,, हीरालाल	,,	
3	उदयपुर	1	श्रीमती मेमना बाई	मृतकों के वारिसों को	400-00 रु.
		2	श्री मिश्री लाल	,,	500-00 रु.
		3	,, पूजालाल	घायल	250-00 रु,
		4	,, भूतनाथ	,,	250-00 रु.
		5	,, सवराती भाई	,,	250-00 रु.
		6	,, रामलाल	,,	250-00 रु.
		7	,, गौतम	,,	250-00 रु.
		8	,, मदन लाल	,,	250-00 रु.
		9	,, लक्ष्मण	,,	250-00 रु.
		10	,, सुवालाल	,,	250-00 रु.
		11	,, गोपाल	,,	
		12	,, हलिया	,,	
		13	,, नेमजी	,,	3032-55 रु.
		14	,, मानजी	,,	
		15	,, हरीराम	,,	
		16	,, धूलजी	,,	
		17	,, अमरजी	,,	
		18	श्रीमती अन्तूला बाई	,,	

(306)

1	2	3	4
	19 ,, कसाराबेन	घायल	
	20 ,, कमरू	,,	
	21 ,, बाबूलाल	,,	
	22 ,, जयन्तीलाल	,,	
	23 श्रीमती जुबेर	,,	
	24 श्री अनन्त कुमार	,,	
	25 ,, महेन्द्र सिंह	,,	
	26 ,, रहीम खां	,,	
	27 ,, मुमताज	,,	6000–00 रु.
	28 ,, रामपाल सिंह	,,	
	29 ,, करीम भाई	,,	
	30 ,, चम्पालाल	,,	
	31 ,, नाथू	,,	
	32 ,, तारा सिंह	,,	
	33 ,, के. पी. एम. नैयर	,,	
	34 ,, चेतन लाल	,,	
	35 ,, बंकट लाल जोशी	,,	
	36 ,, सैयद अली	,,	
	37 ,, अब्बास अली	,,	
	38 ,, सैफूदीन	,,	
	39 ,, कस्तूरी	,,	
	40 श्रीमती कुसुम लता	,,	
	41 श्री जंग बहादुर	,,	
	42 ,, हरलाल सिंह	,,	
	43 ,, बघार मोहम्मद	,,	
	44 ,, नसीर मोहम्मद	,,	

1	2	3		4
	45	,, कालूराम	घायल	
	46	श्रीमती नेनी पत्नि दीया	,,	
	47	श्री डूंगर राम	,,	
	48	,, राधा कृष्ण	,,	
	49	,, छल सिह	,,	
	50	,, रोशन लाल	,,	
	51	,, फकीर मोहम्मद	,,	
	52	,, हबीब खां	,,	
	53	,, कमरूद्दीन	,,	
	54	,, मोहन लाल	,,	
	55	,, ओमप्रकाश	,,	
	56	,, चूना	,,	
	57	,, पन्नालाल	,,	
	58	,, भैरूं लाल	,,	
	59	,, दौलत सिह	,,	2000–00 रु.
	60	,, राजेन्द्र	,,	
	61	,, हुक्म सिह	,,	
	62	कुमारी मधु	,,	
		योग		17161.65

300

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 505 की जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि

कार्यालय तहसीलदार झुन्झुनू

क्रमांक 18, रसद/83   दिनांक 6–4–83

निमित:

श्रीमान् जिलाधीश महोदय,

झुनझुनू।

विषयः—मण्डावा में गेहूं व चीनी का वितरण नहीं।

संदर्भः—आपके अ. श. पत्रांक एफ–8 (36) (37) अशि/82/342 दिनांक 2 मार्च, 83।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्री मानक चन्द जोशी जो पहले मण्डावा में सस्ते गल्ले का वितरण किया करता था जो दुकान बन्द कर मद्रास चला गया। माणकचन्द का मद्रास का पता यह है–माणकचन्द जोशी पेपर पैक इण्डस्ट्री, 18 रंगा-पिलाई गार्डन स्ट्रीट कुण्डियों मद्रास, 60001।

उक्त मामले की जांच में श्री सत्यनारायण पुत्र मोतीलाल ब्राह्मण मण्डावा जगदीश पुत्र शुभकरण सिंह चौहान मण्डावा, रघुवीरप्रसाद पुत्र मोहन लाल चोबदार निवासी मण्डावा, राधेश्याम पुत्र रघुनाथ धाबाइ मण्डावा के बयानात तत्कालीन तहसीलदार श्री उमेस चन्द्र तोमर द्वारा लिए गये थे तथा संलग्न सूची के राशन कार्डों की जांच भी उनके द्वारा की गई थी। उक्त जांच शुदा राशन कार्डो मे चीनी वितरण करने की एन्ट्री तो की हुई है लेकिन गेहूं की एन्ट्री नहीं की गई है जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि गेहूं वितरण नहीं किया गया है।

दिनांक 29–3–83 को श्री रामेश्वर पुत्र श्री रामचन्द्र सैनी निवासी मण्डावा ने भी अपने बयानों में यह कथन किया है कि उसको गेहूं नहीं दिया गया तथा जब वह चीनी लेने गया तब उसके राशन कार्ड में गेहूं देने का इन्द्राज कर दिया गया।

संलग्न राशन कार्डो की सूची व बयानात से सन्देह प्रतीत होता है कि उक्त श्री. माणकचन्द जोशी द्वारा गेहूं वितरण में अनियमितता किया जाना प्रतीत होता है।

चूंकि रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के अभाव में यह जांच किया जाना असम्भव है कि उक्त डीलर द्वारा स्टाक गेहूं का उठाया गया है तथा कितना-कितना किस-किस राशन कार्ड धारी को वितरण किया गया है।

संलग्नः राशन कार्ड जांच
किये गये उनकी सूची

ह०/–

तहसीलदार, झुन्झुनू

309

क्र. सं.	राशन कार्ड नं.	नाम राशनकार्डधारी	वार्ड सं.
1–	1864	श्री मोहन लाल पुत्र हनुमान चौबदार	9
2–	2061	,, झाबरमल पुत्र श्री ईश्वर नाई	7
3–	0710	,, आनन्दी लाल पुत्र ईश्वर नाई	7
4–	1761	,, सीताराम पुत्र मानी दत्त रामगढिया	3
5–	488	,, भजन लाल पुत्र मानीराम	4
6–	652	,, नथमल पुत्र हनुमान प्रसाद	5
7–	2158	,, सुमन कुमार मित्तल	3
8–	0422	,, घनश्याम पुत्र सुगनचन्द	3
9–	797	,, गोपाल पुत्र सुरजन सिंह	10
10–	866	,, बनवारी लाल पुत्र बैनाराम	9
11–	1577	,, रामावतार पुत्र पूरण मल	4
12–	1794	,, देवकरण पुत्र जय नारायण	4
13–	0799	,, सीताराम पुत्र मातूराम	10
14–	1814	,, श्याम सुन्दर पुत्र गोविन्दराम	10
15–	0142	,, महावीर प्रसाद पुत्र शिवकरण	1
16–	1840	,, बुद्धदत्त पुत्र हेमराज	5
17–	2453	,, सुभाष चन्द्र	10
18–	1429	,, पाबूदान सिंह	1
19–	322	,, राजेश पुत्र धौलजी	3
20–	1783	,, झाबरमल पुत्र भूदरमल	2
21–	0122	,, मनोहर लाल पुत्र धानीराम	1
22–	2077	,, नन्द लाल पुत्र जयदेव	10
23–	1410	,, गिरधारीलाल पुत्र छोटे लाल	1
24–	1566	,, नथमल पुत्र रामचन्द्र	10
25–	810	,, नाथूराम पुत्र उमदाराम	10
26–	1595	,, महावीर पुत्र कन्हैयालाल	10
27–	753	,, दुर्गादत्त पुत्र बन्ना लाल	10
28–	788	,, गिरधारी लाल पुत्र खम्माराम	10
29–	765	,, बजरंग लाल पुत्र कालूराम	10
30–	2011	,, सीताराम पुत्र भूराराम	10

(319)

परिशिष्ट 16
अतारांकित प्रश्न संख्या 506 की सूची

STATEMENT INDICATING PREOGRSS OF IMPLEMENTATION OF CEILING LAWS Fir THE STATE RAJASTHAN FOR THE PERIOD ENDING फरवरी, 1984.

S.NO.	Item	Old Law	New Law	Total	Progress from 1st April, 1985 to
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.	No OF RETURNS FILED AND CASES REGISTERED				
	(a) Voluntarily			22470	
	(d) On Official initiative.			65407	
	(c) Total			87877	
2.	DISPOSAL OF CASES				
	(a) No. of cases disposed of			86301	
	(b) Percentage of cases disposed of			98.21%	
	(c) No. of cases pending.				
	(i) Original cases			1576	
	(ii) Remanded cases			321	
	(iii) Reopended cases			4417	
	(iv) Total			6314	

(311)

सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत पेण्डिंग मामलों की सूची (मूल केसेज)

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	उनवान	ग्राम	तहसील
	2	3	4	5
1.	5/73	सरकार बनाम राव वीरेन्द्रसिंह	खवा	दौसा
2.	4/73	सरकार बनाम राजेन्द्रसिंह	खवा	,,
3.	106/73	सरकार बनाम पुष्पा कुमारी पत्नी किशनसिंह	आलूदा	,,
4.	107/73	सरकार बनाम राजेन्द्रसिंह	आलूदा	,,
5.	140/73	सरकार बनाम बालकिशन पुत्र नृसिंह बक्ष	जयचन्दपुरा	जयपुर
6.	264/73	सरकार बनाम अलाउद्दीन अहमद व अइउद्दीन	गोकुलपुरा	,,
7.	218/73	सरकार बनाम भूरा पुत्र लक्ष्मीनारायण	दादूवास	,,
8.	211/73	सरकार बनाम नानगा पुत्र बिरदा मीना	बीडपापड	,,
9.	344/73	सरकार बनाम बोदूसिंह पुत्र भंवरसिंह	वल्लूपुरा	चाकसू
10.	96/73	सरकार बनाम श्रीमती पार्वतीदेवी पत्नी बद्रीनाथ	टूटोली	चाकसू

(312)

सीलिंग केसेज की सूची जो रिमाण्ड होकर जाये तथा उप जिला अधिका
के कार्यालयों में विचाराधीन हैं (पुराने सीलिंग के मामले)

क्र. सं.	मुकदमा नं.	उनवान पत्रावली	नाम उपख
1.	1/81	सरकार बनाम डेयरी फार्म बाधावास तहसील सांभर	सांभर
2.	11/81	सरकार बनाम हरनाथदास चेला भूरादास निवासी जयसिंहपुरा तहसील दूदू	,,
3.	04/81	सरकार बनाम सादुंलसिंह निवासी जडावता तहसील दूदू	,,
4.	9/81	सरकार बनाम नंदसिंह, कजोडसिंह, राजपूत निवासी प्रेमपुरा तहसील फागी	,,
5.	6/81	सरकार बनाम लादूदास चेलाराम रामदास निवासी निमेडा तहसील फागी	,,
		नये सीलिंग के मामले	
1.	7/81	सरकार बनाम गोपी किशन पुत्र श्री नारायण निवासी सांभर लेक तहसील फुलेरा	सांभर
2.	7/78	सरकार बनाम ठा. रघुनाथ सिंह निवासी भदाल	,,
3.	1/84	सरकार बनाम प्रतापसिंह पुत्र मेघसिंह निवासी सिंगपुरी	,,
4.	5/81	सरकार बनाम शिम्भुसिंह राजपूत निवासी जडावता	,,
5.	8/80	सरकार बनाम भंवर कंवर बेवा गोविन्दसिंह दूदू निवासी छिर्र	,,
6.	2/81	सरकार बनाम तोप कवर बेवा दशरथसिंह निवासी निमेडा तहसील फागी	,,
7.	10/81	सरकार बनाम ईश्वरसिंह राजपूत निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी	,,
8.	81/73	सरकार बनाम मानसिंह पुत्र आनन्दसिंह ग्राम महारकलां तहसील चौमू ।	आमेर
9.	27/73	सरकार बनाम सुदर्शनसिंह पुत्र मानसिंह ग्राम महारकलां तहसील चौमू ।	,,